राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ग्यारहवां दिवस । संख्या 6

गुरुवार,

दिनांक 6 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, आयुर्वेद, यातायात, पर्यटन, कृषि, गृह, सहकारिता, पशुपालन, स्वायत्तशासन, सामान्य प्रशासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न सं. 113

हाडेचा क्षेत्र जल प्रदाय योजना

113. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) :—क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हाडेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कितने सालों से ? इतने वर्ष योजना में लगने के क्या कारण हैं ?

(2) हाडेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कुल कितनी रकम से पूरी हो सकेगी ? इस योजना से कितने गांवों को पीने का पानी मिलेगा ?

(3) यह योजना कार्यरूप में कब तक परिणित कर दी जावेगी ? इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को कब तक पीने का पानी मिल जावेगा ?

(4) क्या यह सत्य है कि अगर सरकार हर गांव में पाईप लाईन द्वारा पानी पहुँचा कर एक हौज में इकट्ठा कर उसी जगह सब गांव वालों को पीने का पानी उपलब्ध करा देवे तो कम कीमत में गांव वालों को जल्दी पीने का पानी मिल सकता है ? अगर हां तो ऐसी योजना गांवों में क्यों नहीं लागू की जाती ?

(5) इस संशोधित योजना के अन्तर्गत हाडेचा क्षेत्रीय योजना में कितनी रकम खर्च होगी ? क्या सरकार ऐसी योजना लागू करना चाहती है ?

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी नहीं, योजना 16-10-68 को राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है ।

Page No 2

(श्रीमती सुमित्रा)

(2) योजना की अनुमानित लागत 12 लाख रुपये हैं। इस योजना से 9 गांवों को पीने का पानी मिलेगा।

(3) योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

(4) यह योजना इसी तरह से तैयार की गई है और अब 2000 से 5000 की जन संख्या वाले प्रत्येक गांव में ऐसी ही तरह की पम्प व टेंक योजनायें बनाई जावेंगी।

(5) कुल 12 लाख रुपये, जी हां।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह जो संशोधित योजना है उसमें सिर्फ टेंक बनाकर पानी सप्लाई करके किया जाय तो खर्चा कम आयगा–यह अलग-अलग न करके एक ही किया जाय ?

श्रीमती सुमित्रा: उससे 12 लाख का खर्चा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरीसिंह हांडा।

बून्दी के चौगान की दुकानों की नीलामी

114. **श्री केसरीसिंह हांडा** (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बून्दी राज्य के समय की बनी हुई चौगान की दुकानों को नीलाम द्वारा बेचने के आदेश सरकार द्वारा जारी कर दिये गये थे ?

(2) यदि हां, तो सरकार को इन दुकानों को बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां।

(2) राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो नजूल सम्पत्तियां सरकार के किसी विशेष उपयोग में नहीं आ रही हैं उनको नीलामी आदि द्वारा विक्रय कर दिया जावे।

श्री केसरीसिंह हांडा : इन दुकानों से राज्य सरकार को कितनी आय होती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सूचना मेरे पास अभी नहीं है।

श्री केसरीसिंह हांडा: फिर सरकार कैसे प्रमाणित कर सकती है कि ये उपयोग की है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह: यह बून्दी के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। सारे राजस्थान के बारे में निर्णय लिया है। पूरे राजस्थान में किराया बहुत कम आ रहा है। देख माल सुचारु रूप से नहीं हो पाती है इसलिये किया गया है।

श्री केसरीसिंह हांडा: यह निर्णय रोका क्यों था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैंने निवेदन किया कि वहां हड़ताल हुई थी और हमारे पास रिप्रजेन्टेशन प्राप्त हुये थे। इसलिये निर्णय को रोका गया था लेकिन कल ही आदेश दे दिये हैं–इनकी नीलामी कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री केसरीसिंह हांडा: जो सरकार को मुस्तकिल आय दे रहे हैं, अगर सरकार

Page No 3

(श्री केसरीसिंह हाडा)
किराया वसूल नहीं कर सकती है तो यह उसकी अकर्मण्यता है । एक रकम लेकर खतम कर देना ......

श्री अध्यक्षः नेक्स्ट । आयुर्वेद मन्त्री ।

ग्राम लिसाडिया में औषधालय·

115. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लिसाडिया तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर में सन् 1967-68 में औषधालय खोलने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो कब व उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के किसी व्यक्ति ने उपरोक्त आशा पर औषधालय भवन भी बना दिया था, जिसको निरीक्षक, सीकर देखकर आये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम में औषधालय खोलने का पंचायत समिति व जिला परिषद् का भी प्रस्ताव है व निरीक्षक महोदय ने भी इसको आवश्यक समझा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब सरकार का क्या विचार है ?

राज्य मन्त्री आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा):

(1) जी हां।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां, परन्तु जिला आयुर्वेद अधिकारी की कोई टिप्पणी नहीं है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा: अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न के भाग (1) में जवाब दिया गया है और भाग (2) में जवाब दिया गया है जी नहीं, इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि विधान सभा के पिछले आम चुनावों के वक्त गांव वालों को यह कहा था कि औषधालय खोलने की स्वीकृति हो चुकी है, यदि आप भवन बनवायें तो इस पर एक दानवीर ने भवन बना दिया अब श्रीमानजी यह कहते हैं—जी नहीं ।

श्री अध्यक्षः क्या यह ठीक है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: चुनावों के समय सदस्य क्या कहते हैं इससे राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । जिसमें कोई कमिटमेंट राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया हो तो उसका सम्बन्ध सरकार से नहीं रहता है ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा: भवन आप अब भी देख सकते हैं, भवन तैयार है जितना औषधालय को भवन चाहिए वह तैयार है ।

श्री जयकृष्ण : भवन तो बहुत से तैयार हैं ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा: अब सरकार का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्षः अब विचार क्या है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसे भी वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे वैसे इसका भी खयाल रखा जायगा ।

श्री अध्यक्षः नेक्स्ट ।

प्रश्न सं. 116 ।

श्री विद्यासागर !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट । श्री गंगासहाय !

अलवर जिले की सड़कों की मरम्मत पर व्यय

117. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

अलवर जिले में सड़कों की मरम्मत व निर्माण हेतु कुल कितना रुपया गत दो वर्षों में व्यय किया गया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह): अध्यक्ष महोदय, इसका पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः इसको स्थगित किया जाय।

श्री **अध्यक्ष**: एडजोर्न किया गया।

नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत!

टूरिज्म तथा होटल कारपोरेशन

118. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भीम): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि टूरिस्ट विभाग के और होटल कारपोरेशन के कार्य का निकटतम सम्बन्ध रहता है तथा इसमें कोआर्डिनेशन का होना लाभदायक सिद्ध होता है?

(2) क्या राज्य सरकार होटल कारपोरेशन को टूरिज्म विभाग के अन्तर्गत करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (श्री प्रद्युम्न सिंह): (1) जी हां, टूरिस्ट विभाग और होटल कारपोरेशन के कार्य में सम्बन्ध है तथा कोआर्डिनेशन होना लाभदायक सिद्ध होता है।

(2) जी नहीं।

सरकार प्रशासनिक दृष्टि से यह करना आवश्यक नहीं समझती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: अभी आपने बताया कोऑर्डिनेशन होना लाभदायक होता है फिर इन दोनों विभागों में किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन कर रखा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: मैंने निवेदन किया यह आवश्यक नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: मैं यह पूछ रही हूं कि कोऑर्डिनेशन मौजूदा रूप में कैसा चल रहा है?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाडिया): सेक्रेटेरियेट लेवल पर इसका कोआर्डिनेशन है।

श्री अध्यक्ष: उच्च स्तरीय है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: होटल कारपोरेशन में जो टूरिज्म का व्यक्ति होता है जैसे केरल में है ....

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: मैं यह पूछ रही हूं उस प्रकार इस होटल एडवाइजरी बोर्ड में किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं रखा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने निवेदन किया, यह आटोनोमस बाडी के तौर पर चलाये जाते हैं। अभी जो कमेटी की सिफारिश आई है उस पर गौर करेंगे कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा सकता है। इस पर विचार करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कमारी चूण्डावत: क्या यह सही है कि इसमें ढाई लाख का घाटा हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रही हूं कि काफी खर्चा बचाया जा सकता है.....

श्री अध्यक्ष: हाईपोथेटिकल है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: इट इज नाट हाईपोथेटिकल सर! इसमें काफी खर्चा बचाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: यह मत पूछिये। दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न पर दो मिनट भी नहीं और दूसरे के प्रश्नों पर आध आध घन्टा दे दिया जाता है और मुझे केवल दो मिनट का भी समय नहीं।

श्री अध्यक्ष: महत्व का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: अभी जो कारपोरेशन चल रहा है वह केवल होटल पर चल रहा है। इनके कमरों को क्यों नहीं बढ़ाया। राम बाग में पहले 80 कमरे थे अब 120 हो गये। हमारे यहां एक भी कमरा नहीं बढ़ा है इसलिये मैं निवेदन कर रही हूं कि इसको टूरिज्म में डाल दिया जाय तो खर्चा बच सकता है और इसीलिये इसका कोआर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: सुझाव दे दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं निवेदन कर दूं टूरिज्म डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत कर देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। होटल कारपोरेशन बनाया है, इसका विस्तार किया जा सके और इसके लिये एल. आई. सी. से या फाईनेन्स कारपोरेशन से लोन प्राप्त हो सके। अगर इसको टूरिज्म डिपार्टमेन्ट से चलाया जायगा तो फन्ड्स अवेलेबिल नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

तहसील मांडलगढ़ के ग्रामों में औषधालय खोलने की मांग

119. **श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़):** क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मानपुरा, खटवाडा, झंझोला (तहसील मांडलगढ) ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी लगभग डेढ हजार से ऊपर है और आस पास कई गांव लगते हैं फिर भी वहां बार बार निवेदन के बावजूद औषधालय नहीं खोले गये हैं? यदि हां, तो क्या कारण है?

(2) उक्त गांवों में कब तक औषधालय स्थापित हो जायेंगे?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) ग्राम झंझोला जिसकी आबादी 2500 है, में आयुर्वेद औषधालय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ग्राम मानपुरा एवं खटवाडा के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) ग्राम झंझोला में खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। खटवाडा व मानपुरा का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनोहर सिंह मेहता: जिन गांवों की आबादी दो-दो हजार है वहां भी प्रश्न पैदा

Page No 6

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

नहीं होता है। . प्रश्न अवश्य पैदा होता है- आप कहिये कब खोल रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। दो गावों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल एक गाव झंझोला का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसलिये उनका प्रस्ताव ही विचाराधीन है। प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ इसलिये प्रश्न पैदा नहीं होता। दो- ढाई हजार की आबादी को तो आप जानते हैं........

श्री मनोहरसिंह मेहता: क्या यह सही नहीं है कि जनता कई बार अर्जियां दे चुकी है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: अर्जियों से कोई मतलब नहीं है, पंचायत समिति से या जिला परिषद् से खटवाडा और मानपुरा के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायत समिति में अर्जी दी होगी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री पृथ्वीसिंह : प्रश्न संख्या 120

श्री अध्यक्ष : आर्डर, अधिकार-पत्र ?

श्री पृथ्वीसिंह: महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष: केवल उत्तर दे दिया जाय।

संकर बाजरा

120. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) के स्थान पर [श्री पृथ्वीसिंह (बाली) द्वारा पूछा गया]: क्या कृषि मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान के हर जिले में संकर बाजरा, ज्वार और मक्का की फसल की प्रगति कैसी रही है ? अलग-अलग जिलों के आंकडे देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि संकर बाजरे में जहर की कुछ मात्रा होती है ? यदि हां, तो राजस्थान के किन किन जिलों में और इसका कारण क्या है ? क्या इसके खाने से राजस्थान में कहीं मौतें भी हुई हैं या लोग बीमार हुए हैं ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री हरीसिंह): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट सं. 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह !

मकराना बोरावड़ सड़क की मरम्मत

121. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि मकराना से बोरावड की दूरी 4 माइल की है और वहां कच्ची सडक भी बनी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि यह कच्ची सडक अब तक हर साल मरम्मत में पक्की सड़क से भी अधिक खर्चा करा चुकी है ?

(3) क्या सरकार इसे जल्द से जल्द डामर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): (1) जी नहीं।

(श्री माधोसिंह)

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि आज दिन तक उस सड़क की कोई मरम्मत नहीं हुई ?

श्री माधोसिंह: उसकी मरम्मत तो सालाना होती है लेकिन आप कच्ची और मैटल रोड में फर्क नहीं समझते इसलिये मुझे कहना पड़ता है कि मैटल रोड है और साधारणतया मरम्मत होती है ।

श्री विजयसिंह: मैंने सवाल उठाया था कि सालोंसाल उसकी मरम्मत होती है या नहीं आप कहते हैं प्रश्न नहीं उठता । अगर मरम्मत नहीं होती है तो उस पर लाखों रुपया खर्च होता है वह कहां से आया ?

श्री माधोसिंह: मैटल रोड की मरम्मत होती है । कच्ची नहीं है वह मैटल रोड है और उसकी मरम्मत होती है सालोंसाल कायदे अनुसार ।

श्री विजयसिंह: मेरे पूछने का मतलब यह है कि उसको डामर रोड क्यों नहीं किया जाता और वह कब तक कर दी जायेगी ? उसकी मरम्मत पर डामर रोड से भी अधिक खर्चा हो चुका है और सिर्फ मिट्टी डाल डाल कर डामर जितना खर्चा कर दिया है उससे क्या फायदा ?

श्री माधोसिंह: जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी कार्य किया जायेगा ।

श्री विजयसिंह : क्या धनराशि मकराना के लिये ही उपलब्ध नहीं होती है ? अध्यक्ष महोदय होना तो यह चाहिए कि वहां पर मकराना पत्थर की सड़क बनती ताकि वह एक मिसाल होती लेकिन संगमरमर की जगह डामर की भी रोड नहीं बनती है ।

श्री माधोसिंह : अगर आप फ्री ऑफ कास्ट पत्थर दे दें तो हम बना सकते हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया (धारां) : क्या वहां भैंसा गाडी चल सकती है ?

श्री विजयसिंह :वहां भैंसा गाडी तो क्या गधा गाडी भी नहीं चल सकती ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री श्रवणलाल !

प्रश्न संख्या 122

श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 123

श्री रामसिंह कुडी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 124

श्री बिट्ठल भाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री रामप्रसाद बोहरा !

झालरापाटन में कार्तिक मेले के क्षेत्र का गोबर का ठेका

125. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मेला कार्तिक, झालरापाटन नगर, जिला झालावाड़ सन् 68 में भरवाया

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
गया इसमें मेला क्षेत्र के गोबर का ठेका कितने रुपये में किसको दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ठेके की तारीखों की मुश्तहरी ठीक तरह नहीं करवाई जाने से खरीददारों को तारीख का पता नहीं लग पाया और ठेका कम रुपयों में दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ठेका होते ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा दुबारा बोली बढाने की दरख्वास्त पेश की गई ? परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यह दरख्वास्त किसने दी ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री मनफूल सिंह) : (1) मेला क्षेत्र के गोबर का ठेका श्री रामबख्श पुत्र श्री सीताराम निवासी तीतरी को 525 रु. में दिया गया ।

(2) जी नहीं ।
(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **रामप्रसाद बोहरा** : क्या यह सही है कि इसी क्षेत्र के एक ही व्यक्ति को तीन-चार साल से ठेका दिया जा रहा ह ।

श्री **मनफूलसिंह** : हां, 3 साल से दिया जा रहा है ।

श्री **रामप्रसाद बोहरा** : क्या इस ठेके की बोली लगाने के बाद दूसरे आदमियों ने दरख्वास्त दी थी कि हम ठेके की बोली बढायेंगे ?

श्री **मनफूलसिंह** : नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं आई ।

श्री **रामप्रसाद बोहरा** : अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त दी गई थी और निश्चित तारीख से दो दिन पहले ठेका दे दिया गया और यह ठेका उसी आदमी को लगातार दिया गया ।

श्री **अध्यक्ष** : क्या यह सही है ?

श्री **मनफूलसिंह** : यह सही नहीं है, जो ठेका दो साल पहले दिया गया वह 1966 में 211 रुपये में दिया गया, 1967 में 332 रुपये में दिया गया और 1968 में 525 रु. में दिया गया है और कोई दरख्वास्त हमारे रेकर्ड में नहीं है ।

श्री **जुझारसिंह** : प्रश्न यह है कि अगर यह साबित हो जाय कि दूसरे आदमी ने इससे ज्यादा ठेका देने के लिए दरख्वास्त दी है तो मंत्री महोदय उसके लिए क्या एक्शन लेंगे ?

श्री **मनफूलसिंह** : हमारे रेकर्ड में कोई दरख्वास्त नहीं है ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** (मोहर) : क्या यह सही है कि एक ही आदमी को बार बार ठेका दिया गया है ?

श्री **अध्यक्ष** : वह तो कह रहे हैं ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : एक ही आदमी को ठेका देने का क्या कारण है ?

श्री **मनफूलसिंह**: सबसे ज्यादा जिसकी बोली आई है उसी को ठेका दिया गया है ।

श्री **भगवान दास शास्त्री** (अजमेर) : इस ठेके को देने के लिए पब्लिक को कैसे सूचित किया जाता है कि ठेका है बोली लगाने आ जायें ?

Page No 9

श्री **रामप्रसाद बोहरा** : ठेके पर किन-किन ने बोली लगाई थी आप बताइये ?

श्री **अध्यक्ष** : जानकारी है क्या ?

श्री **मनफूलसिंह**: 19 आदमियों ने ठेके की बोली लगाई है ।

श्री **भगवान दास शास्त्री** : परन्तु ठेके के लिए जनता को किस साधन से सूचना देते हैं कि कल आप आ जाओ बोली लगेगी ?

श्री **मनफूलसिंह**: अखबारों से सूचना देते हैं ।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : गोबर बेचने वाले अखबार पढ़ते हैं क्या ?

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

नगरपालिका भवानी मण्डी का ट्रैक्टर

126. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका भवानी मण्डी का ट्रैक्टर कब से कब तक मरम्मत के नाम से कोटा भेजा गया था और उसमें कितने रुपयों की लागत की मरम्मत की गई थी ?

(2) क्या उक्त ट्रैक्टर के साथ ट्रोली भी कोटा भेजी गई थी ? यदि हां, तो ट्रोली में क्या मरम्मत की गई और उस पर कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ट्रैक्टर ने अगस्त व जुलाई 67 में झालावाड़ एस. डी. एम. के फार्म पर (बूंदी रोड) पत्थर ढोने व काश्त करने का काम किया है व इसकी रिपोर्ट वहां के स्थानीय लोगों ने झालावाड़ पुलिस व कलेक्टरी में भी दी है ?

(4) एडमिनिस्ट्रेटर के अपने पद व म्युनिसिपल प्रोपर्टी का दुरुपयोग करने पर सरकार ने किसी के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भीखाभाई): (1) दिनांक 19-6-67 को भेजा गया था जो 11-8-67 को नगरपालिका कार्यालय में आया । मरम्मत 763.28 पैसे की हुई ।

(2) जमीन फड़ाई के औजार मरम्मत हेतु भेजने थे इसलिये ट्रोली भेजी गई थी । ट्रोली की मरम्मत नहीं हुई । खर्च का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) शिकायत पर नियुक्ति विभाग द्वारा एन्टीकरप्शन विभाग से जांच करवाई जा रही है ।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके अनुसार नियुक्ति विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी ।

श्री जुझारसिंह : शिकायत आपको किस ने की थी जिसके ऊपर आपने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को भेजा है मामला ?

श्री **भीखाभाई** : शिकायत वहां के सदस्य श्री लक्ष्मण टानीवाल ने दिनांक 6-10-67 को प्रस्तुत की थी कलेक्टर को । जिलाधीश ने मूल शिकायत पत्र को दिनांक 14-10-67 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा जांच करवाने के लिए मुख्य सचिव को भिजवा दी थी।

श्री **जुझारसिंह** : यह सही है कि कलेक्टर ने प्रिलिमिनेरी जांच करली थी और उन्होंने इस बात को सही पाया था ?

श्री **भीखाभाई** : मेरे पास यह जानकारी नहीं है क्योंकि एन्टीकरप्शन विभाग इसकी जांच कर रहा है तो कलेक्टर ने खुद भेजा है इसको और उनका जवाब यही आया है।

श्री **जुझारसिंह** : क्या यह सही है कि भवानी मण्डी में जमीन फाड़ने के औजार ट्रेक्टर के हैं उस ट्रेक्टर के साथ ? और क्या भवानी मण्डी नगरपालिका के पास अपनी खुद की जमीन है जिसके लिए औजार रखे जाते हैं ?

श्री **भीखाभाई** : मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री **जुझारसिंह** : आपने कहा कि जमीन फाड़ने के औजार कोटा भेजे गये थे तो क्या भवानी मण्डी नगरपालिका के पास अपनी जमीन है या किराये की जमीन पर करते हैं जो जमीन फाड़ने के ट्रेक्टर के औजार रखे जाते हैं।

श्री **भीखाभाई** : यह आवश्यक नहीं है कि कोई ट्रेक्टर हो उसके लिए जमीन होनी ही चाहिए क्योंकि ज्यादा करके नगरपालिका में ट्रेक्टर सफाई का काम करने के लिए होते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : औजार कैसे भेजे गये ? वह क्या जमीन फाड़ने के थे ?

श्री **भीखाभाई** : मेरे पास सूचना थी वह मैंने बता दी है। उसमें लिखा है कि मरम्मत हेतु भेजने थे जमीन फाड़ने के औजार इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता मैंने साफ कहा है।

श्री **जुझारसिंह** : तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त होता है उसी में जमीन फाड़ने का काम किया जाता है तो अगर वह औजार मरम्मत के लिए भेजे गये थे तो स्वाभाविक था कि उनकी मरम्मत होकर समय पर आने चाहिए थे ?

श्री **अध्यक्ष** : यह तो एन्टीकरप्शन विभाग के पास है और वह सारे मामले वहीं साफ हो जायेंगे।

नेक्स्ट श्री **रामनारायण चौधरी**।

जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., झुन्झुनूं

127. श्री **रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या झुन्झुनूं जिले में झुन्झुनूं जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. स्थापित है ? यदि हां, तो वह कब से काम कर रहा है तथा उसके संचालक मण्डल में कौन कौन व्यक्ति किस किस गांव के मनोनीत हैं ? सूची पूरे ब्यौरे के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त उपभोक्ता भण्डार के संचालक मण्डल का राज्य सरकार के द्वारा नोमीनेशन कब तथा कितने समय के लिए हुआ था तथा उसके सदस्यों के नोमीनेशन के क्या आधार थे ?

(3) उपरोक्त उपभोक्ता भण्डार इस समय किस किस जगह पर चीनी वितरण का कार्य कर रहा है तथा उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है ? भण्डार की ऑडिट रिपोर्ट के वे अंश सदन की मेज पर रखे जावें जिससे भण्डार की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मिलती हो ?

(4) इस समय भण्डार कितने घाटे में चल रहा है तथा घाटा होने के क्या कारण

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं ? क्या संचालक मण्डल ने घाटे की पूर्ति तथा खर्चा कम करने के बारे में सोचा है ? यदि हां, तो कब कब तथा क्या निर्णय लिये गये ?

(5) इस समय भण्डार की कितनी अनुमानित मासिक आमदनी है और खर्चा कितना है ? इसके बारे में संचालक मण्डल ने कभी हिसाब लगाया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या यह आवश्यक नहीं समझा गया ?

(6) इस उपभोक्ता भण्डार के कितने शेयर होल्डर्स हैं तथा क्या शेयरों की रकम सुरक्षित है ? यदि हां, तो इस समय शेयर वैल्यू क्या है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) झुन्झुनूं सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., झुन्झुनूं जिले में स्थापित है। यह दिनांक 10-4-67 से कार्य कर रहा है। इसके मनोनीत संचालकों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम या पद मनोनीत सदस्य	विशेष विवरण
1	2	3
1.	जिलाधीश, झुन्झुनूं, राजकीय प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2.	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुन्झुनूं राजकीय प्रतिनिधि	सदस्य
3.	जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं राजकीय प्रतिनिधि	,,
4.	मंत्री, खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट को. स्टोर, प्रतिनिधि प्राथमिक भण्डार.	,,
5.	श्री मालसिंह प्रेमी अध्यक्ष सूरजगढ कोओपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., सूरजगढ	सदस्य
6.	श्री नरसिंह देव, अध्यक्ष बिसाऊ सहकारी स्टोर, बिसाऊ	,,
7.	श्री मेघराज पाटोदिया, नवलगढ	,,
8.	श्री मालीराम चमार, बगड़	,,
9.	श्री प्यारेलाल, मादूसरीया, झुन्झुनूं	,,
10.	श्री वासुदेव चौधरी, अध्यक्ष नगरपालिका, उदयपुरवाटी	,,
11.	श्रीमती रत्नादेवी, पत्नी श्री गिरधारी वर्मा, मुकन्दगढ	,,

श्री मेघराज पाटोदिया के स्थान पर श्री केसरदेव मित्र को दिनांक 15-6-68 से मनोनीत किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावानुसार मनोनयन दिनांक 24-3-67 को एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया और एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 5-10-68 को दिनांक 30-9-69 तक अवधि बढाई गई थी। मनोनीत किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों की सिफारिश जिलाधीश, झुन्झुनूं एवं उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड, जयपुर से प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर रजिस्ट्रार की सिफारिश के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया गया था।

(3) इस समय निम्न स्थानों पर चीनी वितरण का कार्य भण्डार द्वारा किया जा रहा है:—

1. झुन्झुनूं प्रधान कार्यालय होलसेल

(रामदेव सिंह)

2.	बिसाऊ शाखा	रिटेल
3.	नवलगढ	,,
4.	मुकुन्दगढ	,,
5.	मण्डावा	,,
6.	उदयपुरवाटी	,,
7.	सूरजगढ	,,
8.	बगड	,,

दिनांक 30-6-67 तक किये गये ऑडिट के अनुसार भण्डार को 1624.40 पैसे का लाभ हुआ था। दिनांक 30-6-67 का ऑडिटर द्वारा प्रमाणित संतुलन चित्र परिशिष्ट 'क' में संलग्न है। जिसके आलोकन से भण्डार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो सकेगा।

(4) भण्डार में करेंट ऑडिटर की व्यवस्था नहीं और दिनांक 30-6-68 तक की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पाई है। अतः भण्डार कितने घाटे में है इसका सही विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थता है। संभावित घाटे को रोकने हेतु संचालक मण्डल के विचारार्थ दिनांक 24-12-68 व 1-2-69 को यह विषय रखा गया लेकिन कोरम के अभाव में निर्णय नहीं लिया जा सका।

(5) इस समय भण्डार को अनुमानित मासिक आय 2500) रु. और खर्च 4000) रु. है। संचालक मण्डल के विचारार्थ यह विषय दिनांक 24-12-68 व 1-2-69 की बैठक में रखा गया लेकिन कोरम के अभाव में निर्णय नहीं लिया जा सका।

(6) भण्डार के 4,031 शेयर होल्डर हैं। व्यक्तिगत सदस्यों के एक हिस्से का मूल्य 25 रु. है। दिनांक 30-6-67 की ऑडिट शुदा बेलेन्स शीट के मुताबिक भण्डार लाभ में है। अतः शेयर होल्डर की रकम सुरक्षित है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री **रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, इस संचालक मंडल के नोमीनेशन को पांच साल हो गये हैं तो क्या सरकारी कायदे से दुबारा इनका नोमीनेशन किया जायगा या इन्हीं की अवधि बढाने का विचार है ?

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : 30 सितम्बर 1969 तक इसके चुनाव हो जायेंगे।

श्री **देवीदत्त गाडिया** (दारां) : क्या यह सही है कि उक्त भंडार के चुनाव की तिथि निश्चित कर दी गई थी और चुनाव के एक दिन पहले चुनाव को स्थगित करने के आदेश पहुंच गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री **शोभाराम** : चुनावों के बारे में प्रश्न नहीं है।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : कैसे नहीं है ?

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर !

श्री **शोभाराम** : चुनावों के बारे में सूचना दे दी जायगी।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : वापस कहें समझ में नहीं आया।

श्री **अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है चुनावों का।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : क्या यह सही है कि उक्त भंडार में अभी तक सिर्फ 70 हजार का नुकसान हुआ है ?

श्री **शोभाराम** : मैंने आपसे निवेदन किया है कि 67-68 की आडिट रिपोर्ट नहीं आई है और जब तक आडिट रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम लाभ या हानि के निर्णय पर नहीं

(श्री शोभाराम)
पहुंच सकते हैं। उसके तीन-चार महीने पहले बैलेन्ससीट हिसाब की रखी गई थी उसमें घाटा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि भंडार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने राज्य सरकार के सहकारी विभाग को यह लिखकर दिया है कि उक्त भंडार के अन्दर जो नुकसान चल रहा है तो संचालकों का चुनाव यदि कर दिया जाय तो नुकसान को रोकने में वे समर्थ हो सकेंगे ?

श्री शोभाराम : मैंने आपसे निवेदन किया है कि गवर्नमेन्ट ने यह फैसला कर लिया है कि वढी हुई मयाद 30 सितम्बर, 1969 की है उसके वाद तुरन्त चुनाव हो जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : चुनाव उन्हीं प्रतिनिधियों के आधार पर होगा या दुवारा प्रतिनिधियों के चुनाव होंगे ?

श्री शोभाराम : जो शेयर होल्डर्स पहले के हैं और जो वाद के बनेंगे वे शेयर होल्डर्स चुनाव करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले शेयर होल्डर्स की युनिट्स का चुनाव हो गया है अलग अलग कस्बों में तो उन चुनावों को वहाल रखेंगे या दुवारा चुनाव करायेंगे ?

श्री शोभाराम : चुनाव तो नियमानुसार ही होंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : जो प्रतिनिधि चुनकर आये हैं विभिन्न संस्थानों के क्या उनकी अवधि समाप्त हो गई है जो दुवारा चुनाव करायेंगे ?

श्री शोभाराम : मैंने अर्ज किया कि संचालक मंडल जो मनोनीत होता है उनकी मयाद वढाकर 30 सितम्वर 69 तक करदी गई है इसलिए यह कहना कि यह इलेक्टेड बोडी है यह गलत है। वह नोमीनेटेड बोडी थी तो 30 सितम्बर तक चुनाव हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

नगरपालिका पाली द्वारा भूमि की नीलामी एवं आवंटन

128. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान नगरपालिका पाली ने अपने अवधिकाल में पाली नगर की किन किन कालोनीज की कितनी कितनी भूमि नीलाम की या भूखंड आवंटन किये या वेचे और कितनी कितनी। धनराशि किस किस कालोनी से प्राप्त की ? सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिस कालोनी से भूखंड की जो रकम आती है वह उस कालोनी से विकास हेतु खर्च होनी चाहिए ? यदि हां, तो कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि वर्तमान नगरपालिका पाली द्वारा कालोनीज भूखंडों को नीलाम करके और बेचान करके या आवंटन करके जो रकम प्राप्त की वह उन कालोनीज के विकास में खर्च नहीं करके अन्य कामों में खर्च करदी गई ? यदि हां, तो सरकार

(श्री मूलचन्द डागा)
नगरपालिका पाली के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री **अध्यक्ष** : स्वायत्त शासन मंत्री ।

श्री **भीखाभाई** (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने के लिए निवेदन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है ।

नेक्स्ट, राजवी श्री रूपसिंह ।

आरोपों की जांच के लिए समिति

129. **राजवी** श्री **रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या वर्तमान तथा भूतपूर्व मंत्रियों व विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग अथवा अपने प्रभाव के अनुचित उपयोग के आरोपों की जांच के लिए विधान सभा सदस्यों की एक समिति पंजाब की तरह से गठित करने का इरादा सरकार रखती है ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार किसी समिति के गठन का विचार नहीं रखती ।

राजवी श्री **रूपसिंह** : क्या राज्य सरकार भ्रष्टाचार और मिसयूज आफ पावर की जांच के लिए कोई कायदा रखने जा रही है ? मध्यप्रदेश के गवर्नर श्री रेड्डी ने एक आर्डिनेन्स द्वारा यह आर्डर जारी कर दिया है कि एक परमानेन्ट आदमी की कमेटी मुकर्रर की जायगी जो इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप होंगे उनकी जांच करेगी, और राजस्थान में आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है तो मान लीजिये कि नहीं है लेकिन आगे होंगे और हम साबित करने को तैयार होंगे तो क्या करेंगे ? कोई कमेटी मुकर्रर करेंगे या इसी तरह से· · ·

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**: आपने अपने प्रश्न में पंजाब का जिक्र किया है तो आपकी सूचनार्थ मैंने निवेदन कर दिया कि विधायकों की कोई समिति नियुक्त करने का विचार नहीं रखते हैं। मध्यप्रदेश का नया सवाल उठाया है आपने तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

राजवी श्री **रूपसिंह** : मध्यप्रदेश के लिए तो आपने सुन लिया होगा।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : आपके प्रश्न में पंजाब का जिक्र है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): किन्तु प्रिन्सीपल की बात हम जानना चाहते हैं इसमें टेक्निकल बात कहकर आप क्वेश्चन को एवायड करें तो बात दूसरी है, किन्तु प्रिन्सीपल की बात है कि मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत के लिए राजस्थान में किसी प्रकार की कोई मशीनरी सैट अप करना चाहते हैं कि नहीं। मध्यप्रदेश ने आर्डिनेन्स निकाला और उत्तर प्रदेश में पब्लिक मेन्स एन्क्वायरी के सम्बन्ध में आर्डिनेन्स जारी किया गया है और उसके द्वारा व्यवस्था की है तो राजस्थान में भी कोई व्यवस्था की जाय इस दृष्टि से बारबार मांग की जा रही है और इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस तरह की कोई मशीनरी हो। इस सम्बन्ध में आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : विधायकों की इस सम्बन्ध में किसी समिति के गठन करने का सरकार विचार नहीं रखती है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : माननीय अध्यक्षजी, कई मंत्रियों पर इस सदन में अनेकों आरोपों को प्रस्तुत किया गया है और समय समय पर आरोप लगाये गये हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. ऐसी स्थिति में यह मामला बडा गम्भीर हो जाता है। क्या राज्य सरकार कोई जांच-व्यवस्था करने को तैयार है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं तो इसके सम्बन्ध में जवाब दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमेटी की सिफारिश के अनुसार राजस्थान में लोकपाल और लोक-आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह अलग से सवाल है। इस सम्बन्ध में कल आपने अपने वाद–विवाद में भी कहा है तो उसका उत्तर मैं उसके उत्तर के वक्त में दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि आप सब एक जैसे ही होगये हैं?

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय पिछली बार आपने उत्तर दिया था इस प्रकार के प्रश्न का तो आपने कहा था कि मामला विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के अॉडिनेन्स की चर्चा हुई थी तो उस समय भी आपने उत्तर में कहा था कि इस मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है। पिछले उत्तर के मुकाबले में आज दिन का जो आपका दृष्टिकोण है वह नकारात्मक है तो उस समय क्या विचार किया था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्न निश्चित है कि क्या विधायकों की एक समिति इस के सम्बन्ध में जांच करने के लिए नियुक्त करने का सरकार विचार करती है जिस पर मैंने कहा है कि नहीं कर रही ह।

श्री रामकिशन: यह जो कहा वह तो ठीक है लेकिन भ्रष्टाचार का सवाल लोक–तन्त्र की चर्चा का विषय है तो उसका निरा–करण हो जाना चाहिए क्योंकि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए यह खतरनाक चीज है तो क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करने को तैयार है?

श्री अध्यक्ष: उत्तर दे दिया गया है।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न · · ·

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर दे दिया गया है।

श्री रामकिशन: वह उत्तर दिया है वह इस बात का है जो कि राजवी साहब ने पूछा है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल जवाब में · · · · ·

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : तो क्या सरकार का विचार बदल गया है?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है। आर्डर प्लीज! मजिलस खां!

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना ग्रहण करने का सवाल है, यह राज्य की नीति का सवाल है · · ·

Page No 16

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर !

श्री **दौलतराम सारण**: इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का सदन को अधिकार है। हम आग्रह करते हैं कि इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष**: किसका ?

श्री **दौलतराम सारण** : राज्य सरकार के मंत्रियों पर ।

श्री **अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज !

श्री **दौलतराम सारण**: भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं तो उसके सम्बन्ध में निराकरण करने के लिए जांच कराने का इरादा क्या सरकार रखती है, इस प्रकार की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 130

श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री **अध्यक्ष**: श्री कृष्ण कुमार गोयल !

श्री **कृष्ण कुमार गोयल** : प्रश्न संख्या 131

श्री **अध्यक्ष**: श्री गृहमन्त्री जी !

कोटा जिले में डकैतियों की घटनाएं

131 श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष सन् 1968 में कोटा जिले में किन किन स्थानों पर डाकुओं द्वारा डकैती के लिए किन किन को कब कब पूर्व नोटिस दिये गये ?

(2) इनमें से किन किन स्थानों पर डकैती कब कब पडी व डाकू कितना कितना माल लूट कर ले गये व कितने कौन कौन अपहरण किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि डाकुओं द्वारा पूर्व नोटिस के सम्बन्ध में थाना सुलतानपुर द्वारा जांच की गई थी व डाकुओं का कोटा के किसी होटल में ठहरना पाया गया था? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य गृह मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। सन् 1968 में कोटा जिले में डाकुओं द्वारा डकैती के लिए तीन पूर्व नोटिस दिये गये। (1) श्री सेठ बनवारी लाल सरपंच सुलतानपुर को एक पोस्ट कार्ड ता. 9–10–68 को प्राप्त हुआ था कि वो बारां स्टेशन पर रु. 1,00,000 भेज दें (2) एक पोस्टकार्ड दिनांक 13-11-68 को श्री दुर्गाशंकर बोहरा ननवाना, मानपुरा को प्राप्त हुआ था कि ता. 15-11-68 को 100 किलो सोना अपने नौकर या खुद के द्वारा 15–11–68 को पलायता की राडी में भेज दें (3) एक इश्तहार तारीख 26–10–68 को ग्राम पचेलकलां में चिपका हुआ पाया गया था जिसमें श्री कृष्णचन्द्र बोहरा के लिए लिखा गया था कि वो 20 किलो सोना रखदें। डकैती को आवेंगे।

(2) इनमें से एक भी स्थान पर न तो डकैती पडी, न ही कोई माल लूटा गया और न ही किसी का अपहरण हुआ ।

(3) जी हां। यह सही है कि पुलिस द्वारा जांच की गई थी किन्तु डाकुओं का पायल होटल में ठहरना नहीं पाया गया ।

Page No 17

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि खण्ड (3) में जो उत्तर दिया है, उसमें कुछ अपरिचित व्यक्ति नोटिस मिलने से पूर्व टैक्सी लेकर पहुंचे थे और उन अपरिचित व्यक्तियों ने वहां के लोगों की हैसियत के बारे में जानकारी की थी?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप नोटिस मिलने से पूर्व की बात कहते हैं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं उसी खण्ड (3) के बारे में पूछ रहा हूं। वह किस होटल में ठहरे थे। आपने कहा था हां। कोटा से टैक्सी लेकर सुलतानपुर पहुंचे थे। वहां के रहने वालों की हैसियत के बारे में जानकारी की थी। क्या यह सही है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, ये पूर्व की बात पूछते हैं। यह अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खण्ड (3) का क्या उत्तर है?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां, यह सही है कि पुलिस द्वारा जांच की गई थी किन्तु डाकुओं का पायल होटल में ठहरना नहीं पाया गया। मैंने निवेदन किया नोटिस मिला उनको। उस आधार पर जांच की गई। ठहरना पाया नहीं गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नोटिस मिलने के सम्बन्ध में होटल में ठहरे थे। तफतीश जारी की गई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस के सामने जांच का सवाल था नहीं, नोटिस के पूर्व। जब नोटिस मिला तो वहां पर इन्तजाम भी कर दिया गया वहां किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं स्पेशियली पूछ रहा हूं। ग्राम सुलतानपुर के अन्दर कुछ अपरिचित व्यक्ति टैक्सी लेकर गये। उन्होंने कुछ लोगों का विवरण लिया। पायल होटल में ठहरे थे।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं होटल में ठहरे थे?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है, पूर्व नोटिस का कि यह नोटिस दिया गया। इसके पूर्व होटल में ठहरे या नहीं। बिफोर या आफ्टर? यह जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जानकारी सब कुछ है। कोटा के अन्दर कभी डकैती नहीं पडी है। वह इतना इण्टीरियर में है। लोग जाकर होटल में ठहरे हैं। उस बात को दवा दिया गया है। मैं गृहमन्त्री जी पर चार्ज लगाता हूं कि उस होटल में आप भी ठहरकर आये हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : क्या क्या कहा?

श्री **अध्यक्ष** : ऑडर, ऑडर। नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 132

ग्राम सेंदडा एवं बर में सडक की बाउण्डरी में दुकानों का निर्माण

132. श्री **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडकों के दोनों किनारों

(श्री फूलचन्द बाफना)
पर प्रत्येक सडक के केन्द्र स्थान से 50 फुट खाली स्थान छोडे जाने का नियम है जिससे कि बनी हुई सडक एवं उसके किनारों के खाली स्थान मिलाकर (पटरियों सहित) कुल 100 फुट का क्षेत्र पी. डब्ल्यू. डी. के अन्तर्गत हो जाता है ? यदि हां, तो जिला पाली के ग्राम सेंदडा ग्रौर बर में इस उपर्युक्त 100 फुट की बाउण्डरी में दुकानें क्यों लगने दी गई ?

(2) क्या उपर्युक्त दुकानें पी. डब्ल्यू. डी. ने लगवाई है ? यदि नहीं तो इन्हें हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि कार्यवाही की गई है तो क्या क्या कार्यवाही कब कब किस किस के विरुद्ध की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सडक के केन्द्र स्थान से 50 फुट की बाउण्डरी में दुकानें होने से कई एक्सीडेंन्ट्स हो गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बसों व ट्रकों आदि के खडे करने हेतु सडकों के किनारे सेंदडा व बर में जगह नहीं मिलती, अतः सडक के किनारें ट्रकें व बसें खडी रहती हैं तो यातायात में रुकावट होती है ?

राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां। सेंदडा ग्रौर बर के पास दुकानें एक समय से लगी हुई हैं।

(2) जी नहीं। दुकानें एक समय से लगी होने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं हैं।

(4) कठिनाई अवश्य होती है।

श्री **फूलचन्द बाफना** : दूकानों को किसको पूछ कर लगाया था ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : यह तो पहले से लगी हुई हैं, अजमेर मेरवाडा से पूर्व की लगी हुई हैं।

श्री **ग्रध्यक्ष** : नेक्स्ट।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : यह स्कीम पी. डब्ल्यू. डी. की है या नहीं ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : पहले से दुकानें लगी हुई थीं। एतराज करके नहीं हटायी।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** (छबडा) : अध्यक्ष महोदय, पचास पचास फुट तक

श्री **ग्रध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : एन्क्रोचमेंन्ट होता है।

श्री **ग्रध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। श्री शेखावत !

आसाम के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

133. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) आसाम में जनवरी सन् 67 में दंगों से पीडित व्यक्तियों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या घोषणा की थी ?

(2) इन घोषणाग्रों का पालन कहां तक हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) आसाम में जनवरी सन् 1967 में कोई दंगे नहीं हुए। बल्कि जनवरी 1968 में हुए थे। इन दंगों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने रुपया 5,00,000 का अनुदान देने का निर्णय लिया था।

(2) अंश (1) में वर्णित निर्णय के अनुसार पांच लाख रुपये मुख्य मंत्री आसाम को भेज दिये गये।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री रामचन्द्र आर्य।

ग्राम किशनपुरा का औषधालय

134. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सूरतगढ के गांव किशनपुरा में नियुक्त कम्पाउण्डर की व चपरासी की हाजरी झूठी दर्ज की जाती है?

(2) क्या यह सही है कि गांव किशनपुरा के औषधालय के रोगी रजिस्टर में रोगियों के नाम दर्ज नहीं किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय को वहां से उठाने की कार्यवाही कई दिन से चल रही है?

(4) क्या यह सही है कि कम्पाउण्डर व चपरासी अपने घरू मकान में सूरतगढ शहर में रहते हैं और कभी भी किशनपुरा के औषधालय में नहीं आते हैं?

राज्य आयुर्वेद मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। कम्पाउण्डर गत 6 माह से राजकीय होमिओपैथिक औषधालय, बीकमपुर में डेपुटेशन पर कार्यरत है तथा चपरासी की ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा, प्रश्न के भाग (2) में जब 'नहीं' कहा है। यह जानकारी दी जाये कि कितने रोगी वहां रहते हैं। उसमें मैं स्वयं जाकर देख आया हूं। किसी भी रोगी का नाम नहीं लिखा जाता है।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : इसीलिए तो हटाने का प्रश्न विचाराधीन है। वहां रोगियों की इतनी संख्या नहीं है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : वहां रोगियों की संख्या दर्ज नहीं की जाती है। हटाने के लिए ही ऐसा किया जारहा है।

श्री **अध्यक्ष** : क्या यह ठीक है कि हटाने की गरज से ऐसा किया जाता है?

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : वहां की जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव पास करके भेजा है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह भी उसके एक सदस्य हैं।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : यह झूठ है। वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। वहां विरोध हुआ है। यह वहां से हटाने का षड्यन्त्र है। आपके पास प्रस्ताव कैसे आ गया है। टीबी लेजाने का इरादा होगा।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : मैं कह रहा हूं। हमारे पास प्रस्ताव आया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि वहां के कर्मचारी अपने मकानों में रहते हैं। औषधालय में नहीं रहते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने कहा कि वह कर्मचारी बीकमपुर में डेपुटेशन पर लगा दिया गया। जानकारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आया है या प्रमुख की चिट्ठी आयी है। वहां से यह औषधालय हटाने की साजिश चल रही है। यह सरासर षड्यन्त्र है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको इन्क्वायरी करवानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह साजिश है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य :

(इस व्यवस्था के उपरान्त भी श्री आर्य कुछ क्षणों तक बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज। श्री गृह मन्त्री महोदय।

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलते रहे+++)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य के नाम से पुकारता हूं।

+++अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य एक तथ्य पूर्ण आरोप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य स्पेसीफिक चार्ज लगाते हैं और यह कहते हैं कि औषधालय को हटाने के लिये राज्य कर्मचारियों द्वारा रोगियों के नाम दर्ज नहीं होते।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री दौलतराम सारण : वे चार्ज लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न आ चुका है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपकी दिक्कत को मैं समझता हूं, जिस तरह से आप बेचैन हैं ..

श्री अध्यक्ष : मेरी बेचैनी और आपकी बेचैनी का प्रश्न नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको गौर करना चाहिये कि आपको इस तरह से माननीय सदस्य से व्यवहार नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक जरूरी प्रश्न है, और आप इस तरह किसी सदस्य के पीछे पड़कर उनको प्रश्न नहीं पूछने देना चाहते, यह सही दृष्टिकोण नहीं है आपका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं फिर आपसे निवेदन करना

(श्री अध्यक्ष)
चाहता हूं कि किसी को प्रश्न पूछने का प्रश्न नहीं है। जितने पूरक प्रश्न थे पूछ लेने दिये गये। उग्रता और व्यग्रता का कोई प्रश्न नहीं है। मैं दूसरे माननीय सदस्यों को भी मौका देना चाहता हूं, उनके भी कई प्रश्न बाकी हैं। केवल एक ही प्रश्न पर सारा समय नहीं दिया जा सकता।

नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य: अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए और यह उचित मांग है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य: इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी व्यग्रता का समाधान भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बार बार आसन की अवहेलना करें, और अब तक आपका यही व्यवहार होता है, मैं आपको पुन: ....

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। माननीय सदस्य के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और उस पर हमें आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां का दौरा करते हैं, उनके सामने जो समस्याएँ आती हैं वे अपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, सूचना देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। अंकित न किया जाये।

श्री दौलतराम सारण : +++
(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : ++++
(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं किया जाये।

श्री दौलतराम सारण : ++++
(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया जाये। मैं पुन: माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि एक ही प्रश्न पर........

श्री रामचन्द्र आर्य :

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा बहिर्गमन)

यह स्थिति को नार्मल कर देगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: प्रश्न संख्या 135

डाकुओं का गिरोह

135. **श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) बृहत्तर राजस्थान के निर्माण के पूर्व कुल कितने डाकुओं के गिरोह राज्य भर में सक्रिय थे तथा इन गिरोहों के मुखिया कौन कौन थे ?

(2) उक्त गिरोहों में से किन किन का सफाया किया जा चुका है, और कौन कौन से गिरोह आज तक भी सक्रिय हैं ?

(3) बृहत्तर राजस्थान के निर्माण के बाद अब तक कितने नये डाकू गिरोह राज्य में बने और इनमें से कितनों का सफाया कर दिया गया है ?

(4) इस समय राज्य में कुल कितने गिरोह सक्रिय हैं और उनके मुखिया कौन कौन हैं ?

(5) उक्त समस्त गिरोह में से कितने गिरोहों के मुखिया जीवित गिरफ्तार किये गये ?

(6) बृहत्तर राजस्थान के निर्माण के बाद अब तक डाकुओं द्वारा अपहरण किये गये व्यक्तियों की संख्या, लूटी गई सम्पत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन, जान से मारे गये व्यक्तियों की संख्या की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपना घोर ऐतराज व्यक्त करना चाहता हूं । दो दिन पहले भी एक प्रश्न आया था जिसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान बनने के बाद कहां कहां, कब कब और कितनी कितनी गोली चली, उसको भी राज्य सरकार ने स्थगित करा दिया कि जानकारी नहीं है, राजस्थान सरकार जनता पर गोली चलाये और यह पता नहीं रखे कि कितनी गोलियां चलाई और आज फिर एक प्रश्न पूछा है कि डाकुओं में से किन किन का सफाया किया जा चुका है और वर्तमान में क्या स्थिति है तो कहते हैं कि जानकारी नहीं है । बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजस्थान में पुलिस के ऊपर दस-बारह करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी आप यह नहीं बता सकते, तो क्या आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ? अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है । राजस्थान में गोली कहां चली, कितनी बार चली और कब कब चली इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए, डाकुओं के बारे में भी कितने डाकू चम्बल और धौलपुर क्षेत्र में सक्रिय हैं, कोटा में आए दिन डाकू लोगों को उठाकर ले जाते हैं, तो इस सब की जानकारी नहीं है, आपके पास । इससे ज्यादा खेद जनक, लज्जा जनक और आपत्ति जनक बात और क्या हो सकती है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) जितनी इनफर्मेशन आपने इस में मांगी है

श्री दामोदर लाल व्यास)
वह 15 दिन में कलेक्ट नहीं हो सकती । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बहुत ज्यादा इम्पेशेन्ट न हों । इसका जवाब नहीं देने की हमारी कोई मन्शा नही है। डाटा कलेक्ट करने में ज्यादा समय लगेगा । उसके बावजूद भी हम जरूर जवाब देंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत: समय बता दीजिये, कब जवाब देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 15 दिन में ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी जानकारी आई. जी. पी. के यहां मौजूद है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप हुक्म वहां पर देख आये क्या ? तब तो मैं एकदम वहां से मंगवालूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत: आई. जी. पी. के यहां ही नहीं, आपके पास भी इसकी पूरी जानकारी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तब तो आप अवश्य ही खबर रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट श्री रामकुमार नन्द वना !

चित्तौडगढ़ में पर्यटकों के लिये सुविधायें

136. श्री **रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौडगढ): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ में पर्यटकों के ठहरने के लिये सरकारी सराय का उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कब से उपयोग में आ रही है ? इसमें कुल कितने कमरे हैं और इन कमरों में से कितने कमरे पर्यटकों के ठहरने के काम आ रहे हैं और कितने अन्य कमरों में किसी अन्य विभाग के कर्मचारी ठहरे हुए हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या इस वर्ष इस सरकारी सराय पर पर्यटकों के लिये जो नये कमरों के निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत हुई है उसका उपयोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितना? कृपया अब तक की प्रगति की रिपोर्ट दें ।

(3) क्या यह सही है कि इस सराय के अलावा अन्य पर्यटक केन्द्र बनाये जाने का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में रखे जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि इस पर खर्च होगी और कब तक ?

(4) क्या चित्तौडगढ किले पर पर्यटकों के ठहरने व जलपान गृह आदि की कोई सुविधा है ? यदि है, तो क्या है और नहीं है तो इस पर क्या विचार किया जा रहा है ?

राज्य मन्त्री, पर्यटन (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, यह सराय दिनांक 5-11-66 से पर्यटकों के उपयोग में आ रही है। इसमें सराय के कुल 11 कमरे हैं जो उन पर्यटकों के काम आ रहे हैं । सराय के आहते में 3 ग्रार क्वार्टर्स हैं जिनमें निम्नलिखित कर्मचारी ठहरे हुए हैं :—

(1) डिवीजनल अकाउन्टेन्ट, 22-7-68 से पी.डब्लू.डी.

(2) ओवरसियर, पी. डब्लू. डी. 28-7-68 से.

(3) टूरिस्ट आफिसर 12-10-66 से जब से नियुक्ति हुई ।

Page No 24

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) सरकारी सराय के नये कमरों के निर्माण हेतु कोई अलग धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, किन्तु सराय को सुसज्जित करने हेतु 21,000 रुपये की धनराशि इस साल स्वीकृत की गई जिससे सराय को सुसज्जित भी कर लिया गया है एवं इसमें तीन कमरे नये बढवा दिये गये हैं, तथा इसके सामने की भूमि को भी जरूरत के मुताविक ऊंचा करवा लिया गया है। यह सब काम पूरा हो चुका है।

(3) इस सराय के अलावा इस वित्तीय वर्ष में किसी अन्य पर्यटक केन्द्रके के बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं रखा है।

(4) चित्तौडगढ किले पर ठहरने के लिये बिडला धर्मशाला है। जलपान की व्यवस्था वहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरजीराम बुरडक।

अनुसंधान केन्द्र

137. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनू): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भेड व ऊन विभाग द्वारा कोई अनुसंधान केन्द्र ऊन के पीलापन के सम्बन्ध में स्थापित किया गया था? यदि हां, तो यह केन्द्र कब से कब तक चला तथा प्रति वर्ष कितना-कितना खर्चा किस-किस मद में हुआ और इसमें अनुसंधानकर्ता कौन-कौन रहे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार को इस योजना को चलाने की क्या आवश्यकता थी और प्रारम्भिक योजना क्या थी तथा किसके द्वारा तैयार की गई? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस अनुसंधान का क्या परिणाम निकला? अनुसंधान की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) योजना के अनुसार यह अनुसंधान कहां तक सफल रहा तथा इससे क्या-क्या लाभ हुए?

(5) क्या यह अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और अब आगे इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है।

उप मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) (1) जी हां। 1-11-61 से 31-10-68 तक ऊन के पीले होने के सम्बन्ध में एक अनुसंधान योजना चलाई गई थी। व्यय और अनुसंधान कर्त्ताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह योजना ऊन के पीले हो जाने के कारणों की खोज के लिये तथा पीलेपन को दूर करने के उद्देश्य को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से प्रारम्भ की गई थी। यह योजना 1959 में विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। इसके मूल उद्देश्यों की प्रति संलग्न है।

(3) अनुसंधान के परिणाम योजना की अन्तिम रिपोर्ट में अनुभाग 'स' में उपलब्ध हैं। रिपोर्ट सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) जितना कार्य राजस्थान में किया गया है उसके परिणाम संतोषप्रद रहे हैं।

(श्री हरिसिंह)

ऊन के पीलेपन को कम करने तथा सफेद ऊन को अधिक बढ़ाने सम्बन्धी सुझाव कृषि अनुसंधान परिषद को भेजे जा चुके हैं।

(5) राजस्थान में जिस पक्ष पर कार्य हो रहा है व पूर्ण हुआ है। इस सम्बन्ध में सेकेन्ड स्टेज के अनुसंधान की आवश्यकता है और केन्द्रीय सरकार सेकेन्ड स्टेज पर इस कार्य को चलाने की स्वीकृति देगी तो सेकेन्ड स्टेज का कार्य शुरू किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क: प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में आपने बताया कि यह योजना 1968 तक चली, लेकिन खर्चे की सूची में केवल 1966-67 तक का खर्चा दिया हुआ है। तो 1968 में क्या आपने बिना खर्च किये ही चलाया ?

श्री हरिसिंह: जैसा निवेदन किया गया है यदि केन्द्रीय सरकार से मन्जूरी आ गई तो चलाया जा सकता है। मैंने जो सूची दी है वह 1961-62 से 1966-67 तक दी है, उसमें जो कार्य हुआ है उसका सारा विवरण दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क: प्रश्न (1) के उत्तर में आपने यह बताया है कि यह योजना 1968 तक चली, लेकिन खर्चे की सूची में आपने केवल 1966-67 तक का ही खर्चा बताया है। तो मैं यह जानना चाहता था कि 1968 में क्या बिना खर्चे ही चलाई गई ?

श्री हरिसिंह: जैसा मैंने निवेदन किया 1968 तक चलाया है और सूची में भी 31-10-68 तक का है।

श्री हरजीराम बुरड़क: 1967 के बाद क्या यह योजना बिना खर्चे ही चलाई ?

श्री हरिसिंह: अभी तो इसको क्लोज डाउन करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। अगर केन्द्रीय सरकार अनुमति देगी तो आगे के लिये भी चालू कर दी जायेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): सवाल बहुत सीधा है कि 1967 के बाद क्या बिना खर्चे.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण: प्रश्नकर्ता का ही प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, वे खड़े हैं।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, आपका व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष: आप नियमों को पढ़ लें तो आपत्ति खत्म हो जायेगी।

श्री दौलतराम सारण: नियम सब पढ़ रखे हैं।

श्री दौलतराम सारण: जिस तरह आप अपने....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज!

श्री गिरधारी लाल व्यास: इस तरह के शब्द उच्चारण करना, अध्यक्ष महोदय, बहुत आपत्तिजनक है। मैं इस सम्बन्ध में घोर आपत्ति करता हूं। यह एक्सपंज होने चाहिए।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : यह कौन से विभाग के मंत्री हैं ?

श्री **हरजीराम बुरडक** : खर्चा मार्च 1967 तक आपने बताया और योजना चालू आपने बताई है 31-10-68 तक, तो यह बिना खर्च के कैसे चली, जैसा कि आप उत्तर दे रहे हैं । तो यह बाद में चलाई जावेगी या नहीं चलाई जायगी ? जो उत्तर आपने दिया उसके बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री **हरिसिंह** : जो मैंने निवेदन किया वह मार्च 1967 तक का है, 1968 तक की सूचना और उपलब्ध करा दी जायगी जैसा आप कहते हैं, एक साल की सूचना और चाहिये तो वह उपलब्ध करा दी जायगी ।

श्री **हरजीराम बुरडक** : प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में बताया है कि योजना संतोषजनक रही है तो संतोषजनक होने का अन्दाज आपने कैसे लगाया ?

श्री **हरिसिंह** : जो वूल की यल्लोइंग की प्राब्लम है वह आप जानते हैं कि काफी व्यापक है और राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यह समस्या है । इस पर काफी कार्य होना आवश्यक था । राजस्थान का भी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी इलाका चुना गया क्योंकि यहां सबसे ज्यादा प्राबलम है । राजस्थान में करीब तीन सौ लाख पौंड वूल उत्पन्न होती है, और उसमें से पचास पर्सेन्ट वूल यलोइंग की वजह से कम कीमत की हो जाती है । उस पर पच्चीस तीस पर्सेन्ट कम कीमत प्राप्त होती है । एक रुपया प्रति पौंड भी समझें तो डेढ़ करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है । इसकी आवश्यकता पर अधिक प्रकाश डालूं तो आप यह समझ जायेंगे कि इसकी कितनी आवश्यकता है । इस सब महत्व को समझते हुए यहां पर 1961-62 में इस योजना को हाथ में लिया गया । इससे इसका व्यवहारिक हल निकला और अनुसंधान के द्वारा जो प्रेक्टिकल मेजर एडाप्ट किये गये उनसे काफी संतोष रहा । आपका यह प्रश्न था कि किस प्रकार संतोषजनक रहा तो यहां पर कुछ प्रेक्टिकल मेजर्स लिये गये हैं । जो क्लिपिंग सीजन है उसको किस तरह दूर कर सकते हैं ताकि पीलापन कम हो सके । इस समस्या पर काबू पा सके हैं और इसमें काफी सफलता मिली है । वूल पर जो वर्क हुआ है कि कौन से वूल में...

श्री **अध्यक्ष** : पर्याप्त होगा, माननीय मंत्री । इतने और दूसरे प्रश्न हैं ।

श्री **हरजीराम बुरडक** : आपने इसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में बताया। आवश्यकता है इसमें दो राय नहीं है । लेकिन आपने दो लाख रुपये खर्च करके सफलता बताई है, वह क्या है, सिर्फ उत्तर में बताया है कि कृषि अनुसंधान परिषद् को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है ? यही सफलता है जिसके बाद में बन्द कर दिया गया है ?

श्री **हरिसिंह** : रिपोर्ट भेज दी गई है ।

श्री **अध्यक्ष** : सफलता क्या है ?

श्री **हरिसिंह** : वह मैंने निवेदन किया है कि सफलता निश्चित रूप से प्राप्त की है, इसके आधार पर सोच रहे हैं कि सैकिंड स्टेज को लिया जाय और एडवान्स रिसर्च के काम

Page No 27

(श्री हरिसिंह)

को आगे लिया जाय। अगर सफलता नहीं होती तो क्यों सोचते कि आगे बढाने का स्कोप है? अब कितना स्कोप है प्रावलम वर्क करने का, वह मैंने आपको बताया।

श्री देवीदत्त गाडिया : अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि इस पर खर्चा कुल कितना हो गया और किस तरह मेन्टेन किया। तो क्या यह सही है कि भेड और ऊन विभाग ने 30 लाख का कर्ज बैंक से लिया था?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाडिया : पैसा था नहीं और यह कहते हैं कि संतोषजनक कार्य रहा।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाडिया : भेड और ऊन विभाग में लाखों रुपये का घाटा रहा, भ्रष्टाचार हुआ, गबन हुआ, उसके बाद भी आप कहते हैं कि कार्य संतोष जनक रहा। तो मैं पूछता हूं कि क्या यह सही है कि 30 लाख का कर्जा भेड और ऊन विभाग ने बैंक से लिया?

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री!

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, यह इससे सम्बन्धित प्रश्न है।

क्या यह सही है कि 30 लाख रुपये का कर्जा लिया है?

श्री हरिसिंह : जितना रिसर्च स्कीम पर व्यय किया गया, वह मैंने निवेदन कर दिया कि कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ, न कि यहां से किया गया। ऐसी बात नहीं है। अलग से ऋण की जो बात कह रहे हैं उसका मैं उपयुक्त नहीं समझता उत्तर देना।

श्री अध्यक्ष : 138। सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री बनवारीलाल।

प्रश्न संख्या 138

श्री बनवारी लाल।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

चौपसानी रोड जोधपुर पर प्लाटों की नीलामी

139. श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि नगर परिषद् जोधपुर ने मसूरिया हिल फोरेस्ट चौकी के पास चौपसानी रोड पर जनवरी 1961 में प्लाट नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, एवं 20 नीलाम किए थे? यदि हां, तो प्रत्येक प्लाट की अन्तिम नीलाम बोली कितने रुपये प्रति वर्ग गज थी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इसी उपरोक्त योजना के बचे हुए प्लाटों को यानी नं. 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 अ को स्थानीय नगर सुधार न्यास ने स्कीम नं 3 के अन्तर्गत नीलाम कर दिए थे? अगर हां, तो प्रति वर्ग गज प्रति प्लाट

(श्री ओमदत्त भाटी)

अन्तिम नीलाम बोली कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त स्कीम का प्लाट नं. 10 केवल 6 रु. प्रति वर्ग गज की दर से नीलाम से पूर्व 28 नवम्बर 1964 को किसी पुरोहित जाति के व्यक्ति को सीधा बेच दिया गया ? अगर हां, तो इस एक ही प्लाट को बिना नीलाम बेचने के आदेश किसने व क्यों दिए ?

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त योजना के मानचित्रानुसार प्लाट नं. 10 के लाइन में प्लाट नं. 6 व 11 स्थित है ? अगर हां, तो प्लाट नं. 6 व 11 की अन्तिम नीलाम बोली प्रति वर्ग गज कितनी रही ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कीम का प्लाट नं. 10 व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए न्यूनतम मूल्य में बिना नीलाम बेच दिया गया ?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कीम के प्लाट नं. 10 का मूल्य इसी लाइन में स्थित प्लाट न. 6 व 11 के मुकाबिले में बहुत कम आया है जिससे नगर सुधार न्यास को हजारों की क्षति उठानी पड़ी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखा भाई): (1) जी हां। सूची 'क' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां, सूची 'ख' सदन की की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, प्लाट नगर सुधार न्यास जोधपुर ने दिया। यह प्लाट श्री पुरोहित के दूसरे प्लाट जो नगर न्यास सुधार ने अपने कब्जे में लिया था, उसकी एवज में लिया।

(4) जी हां, 6 नम्बर की अन्तिम बोली 56.00 रु. प्रति गज थी एवं 11 नम्बर के प्लाट की बोली 44.00 प्रति वर्ग गज थी।

(5) जी नहीं।

(6) प्लाट नं. 10 का मूल्य 6.00 प्रति वर्ग गज से प्राप्त हुआ। न्यास को कोई क्षति नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री **ओमदत्त भाटी** : पुरोहित का प्लाट लिया उसकी एवज में प्लाट दिया है, यह प्लाट कहां था ?

श्री **भीखाभाई** : मैं समझा नहीं। फिर रिपीट करें।

श्री **ओमदत्त भाटी** : समझ में नहीं आया।

श्री **अध्यक्ष** : आपकी भी समझ में नहीं आया। आपकी भी समझ में नहीं आया। वापिस प्रश्न करें।

श्री **केसरीसिंह हाडा** : दोनों एक साइज के हैं इसलिए समझ में नहीं आया।

श्री **रामकिशन** : इनका बुढ़ापा और इनकी मधुरता गड़बड़ी कर देती है।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : सुरीलापन इधर भी है।

श्री **रामकिशन** : वह बांसरी बजाते हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : पुरोहित को प्लाट दिया वह जिस प्लाट की एवज में दिया वह प्लाट कहां था ? किसकी एवज में दिया ?

श्री भीखाभाई : जो प्लाट जिसकी एवज में दिया गया है वह चौपसानी रोड पर है रोड नं. 10 पर, माननीय सदस्य उधर रहते हैं वह जानते हैं कि वह 60 में दिया हुआ था । उसकी एवज में रेजिडेंशियल प्लाट दिया गया है रिजर्व प्राइस पर ।

श्री ओमदत्त भाटी : उसकी साइज क्या थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री जी की साइज थी ।

श्री अध्यक्ष : आपकी और हमारी साइज थी ।

श्री भीखाभाई : वह रेजिडेंशियल प्लाट दिया गया ।

श्री ओमदत्त भाटी : जो प्लाट 50 रु. प्रति वर्ग गज में बिकता वह 6 रु. प्रति वर्ग गज में दिया गया तो कितना नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कितना नुकसान हुआ ?

श्री भीखाभाई : इसमें नुकसान का प्रश्न नहीं है क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन से एक प्लाट जो था चौपसानी रोड पर, वह प्लाट 60 में दिया गया था । उसकी एवज में 66 में रेजिडेंशियल प्लाट रिजर्व प्राइस लेकर 6 रु. प्रति वर्ग गज में दिया गया । जिसकी 1961 में नगरपालिका द्वारा एक रुपये से चार रुपये तक नीलामी की गई थी ।

श्री विजयसिंह : नुकसान नहीं हुआ तो फायदा कितना हुआ ?

श्री भीखाभाई : फायदे का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : 140

राज्य की सीमा सड़कें

140. श्री **बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आज तक कुल कितने मील सीमा सडकों का निर्माण हो चुका है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) कुल कितनी सडकों का निर्माण करने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) कौन-कौन सी सडकें प्राथमिकता में हैं और बाकी की कब तक पूर्ण करने की योजना है ?

(4) आरम्भ में कौन सी सडकें आरम्भ कर अधूरी ही छोड दी गई हैं ? सूचीमय सडक का नाम व लम्बाई सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) अधूरी सडकों का भुगतान किस आधार पर और किस-किस सडक का किस-किस ठेकेदार को कितना-कितना किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) इस प्रकार से अलग-अलग अधूरे कार्यों से सरकार को कितना घाटा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री शिवचरण माथुर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री व श्री माधोसिंह, उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण खड़े हुए और फिर बैठ गये)

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अभी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, दोनों बैठ गये हैं। (श्री माधोसिंह से) आप बोलिये, आपने शुरू कर दिया।

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय; माननीय सदस्य से आपके चेम्बर में बात हो चुकी है।

श्री **अध्यक्ष** : मेरे चेम्बर में नहीं हुई। आपके चेम्बर में हुई होगी।

श्री **माधोसिंह** : मैंने निवेदन किया''

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जो बात है वह यहीं कर लेना।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री **रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, 138 रह गया है, श्री बनवारी लाल वाला, इसका उत्तर दिला दिया जाय तो महरबानी होगी। वाडी से सरमथुरा में बडी खराब हालत है। इस पर ढंग से जवाब दे दें।

बाडी सरमथुरा सडक पर डामर

138. श्री **बनवारी लाल** (धौलपुर) की अनुपस्थिति में [श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया]: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वाडी से सरमथुरा तक की सडक जो लगभग 25 वर्ष पूर्व बनी थी और जिस पर पत्थर की खानों के कारण भारी ट्रक्स काफी बडी तादाद में चलते हैं और सरकार को बहुत आमदनी होती है उस पूरी सडक पर डामर क्यों नहीं की जा रही है ?

(2) क्या इस पूरी सडक को जल्दी डामर की बनाने की सरकार की योजना है ?

(3) अगर हां, तो कब तक इस पर डामर कर दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **रामकिशन** : सुनाई नहीं पडा।

श्री **अध्यक्ष** : उत्तर दे दिया गया है। माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

श्री **रामकिशन** : क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : योजना में नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह चालू सडक टूटी पडी है। भरतपुर में ज्यादा पत्थर सरमथुरा से आता है, वहां पर रोड टूटी होने से गाडी नहीं चलती है। इस रोड की मरम्मत को इसी योजना में करें।

(12 मध्यान्ह)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : इस प्रश्न में इस सडक पर डामर करने का प्रश्न है, स्पेसिफिक डामर करने के लिये प्रश्न है, और डामर करने के लिये काफी धनराशि की आवश्यकता होती

(श्री शिवचरण माथुर)
हैं, अर्थाभाव के कारण अभी इस योजना को हाथ में नहीं ले सकते ।

श्री रामकिशन (वैर) : इस सडक पर डामर नहीं कराया इसलिये पत्थर की खानों से जो रोयल्टी मिलती है, उसमें निरन्तर कमी हो रही है, वहां पर पत्थर की खानें हैं, सडक पर डामर नहीं होने से हर साल रायल्टी घट रही है और राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है ।

श्री शिवचरण माथुर : आपका सुझाव सुन्दर है पर पैसे की कमी होने के कारण इतना बडा काम हम इस समय हाथ में नहीं ले सकते । फिर भी जो अत्यावश्यक है, वह कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर-रखबदेव रोड रेल्वे स्टेशन रूट के लिए परमिट

116. श्री विद्यासागर (खेरवाडा सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील खैरवाडा, जिला उदयपुर से ऋषभदेव से रखबदेव रोड रेल्वे स्टेशन व रखबदेव रोड से ऋषभदेव तक यात्रियों के आने जाने की कोई बस व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार वहां आने जाने वाले यात्रियों की परेशानी को मिटाने के लिये उदयपुर से रखबदेव रोड रेल्वे स्टेशन तक आने जाने के लिये नया परमिट देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह नया परमिट कब तक दे दिया जायगा और नहीं दिया जाता है तो वहां जाने आने वाले यात्रियों के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । एक बस तो ऋषभदेव व रानी के मध्य चलती है उसे अस्थाई तौर पर एक्सटेन्शन दे दिया गया है और स्थाई एक्सटेन्शन की कार्यवाही विचाराधीन है । दूसरे उदयपुर से ऋषभदेव वाया सराड़ा की बसें ऋषभदेव रोड रेल्वे स्टेशन होकर बराबर चल रही है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वागतकर्ता की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

122. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सच है कि नवम्बर-दिसम्बर, 1967 के माह में विनायकपुरी के स्वागतकर्ता को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके ले गये थे ?

(2) यदि हां, तो क्यों और कितने दिन जेल में बन्द रखा ?

(3) क्या यह सच है कि उसका कोर्ट में चालान पेश किया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

Page No 32

(गृह मंत्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । क्योंकि चालान योग्य मामला नहीं था ।

(4) पुलिस द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि कोई जुर्म काबिल दस्तनदाजी नहीं हुआ ।

नागौर जोधपुर बस रूट पर सवारियां

123. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर-जोधपुर बस रूट पर कितनी बसें नागौर तक प्रतिदिन जाती हैं एवं कितनी बसें बीकानेर तक जाती हैं ? बसों के मालिकों एवं परमिट जारी होने की तारीखों मय परमिटों की मियाद की तारीखों के बताने की कृपा करें ।

(2) ता. 1-1-67 से 31-11-67 तक व ता. 1-1-68 से ता. 31-7-68 तक नागौर से जोधपुर व जोधपुर से नागौर तथा इन दोनों स्थानों के बीच सभी स्थानों के लिये कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की ? माहवार संख्या बताई जावे ।

उत्तर

(1) नागौर-जोधपुर रूट पर जोधपुर से नागौर तक प्रतिदिन एक बस जाती है और 5 बसें जोधपुर से बीकानेर तक प्रतिदिन जाती हैं । बाकी की सूचना (सूची) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इसका सम्बन्ध चूंकि वाणिज्य कर विभाग से है अतएव यह सूचना उनसे मांग ली जाय ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ऋण की रकम का दुरुपयोग

124. **श्री विट्ठलभाई** (पीपलखूंट सु.) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गट्टू चमार नि. बड़ी सरवा, जिला बांसवाडा त. कुशलगढ अध्यक्ष चर्म उत्पादक सहकारी समिति बडी सरवा ने फर्जी मेम्बर बनाकर समिति बनाई ? यदि हां, तो कब व कितने मेम्बर बने ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री गट्टू चमार ने ऋण की रकम का दुरुपयोग कर खुद के काम लिया तथा खुद ने फायदा उठाया ? यदि हां, तो कितनी रकम का दुरुपयोग हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री गट्टू अध्यक्ष ने चर्म उत्पादक सहकारी समिति का मकान नहीं बनाया और रकम का दुरुपयोग किया ? यदि हां, तो श्री गट्टू से रकम की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चल रही है ?

(4) यदि वसूली नहीं हो रही है तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह सही नहीं है । समिति का मकान बना हुआ है । अतः रकम वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Page No 33

भरतपुर जिले में गेहूं के बीजों का वितरण

130. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि अधिक अन्न उपजाओ योजना के तहत भरतपुर जिले में पंचायत समितियों के माध्यम से गेहूं की उन्नत किस्मों के बीज किसानों को सप्लाई किये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन किस्म के और कितनी कितनी मात्रा में, किस किस पंचायत समिति में कुल कितनी लागत तथा कीमत के, इसकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उन्नत किस्मों के लिये रसायनिक खादों की निश्चित मात्रा देना स्टेट वाइज निर्धारित कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि किसानों को समय पर खाद सप्लाई नहीं किया गया था, इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जब तक कृषि विभाग से ग्राम सेवकों द्वारा किसानों को बीज खाद मिलता रहा उस समय तक किसानों को कोई दिक्कत नहीं आती थी ? क्या यह भी सही है कि जब से बीज, खाद सहकारी विभाग द्वारा वितरण कराया जाने लगा है, किसानों को कदम कदम पर दिक्कतें आती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुन: बीज खाद को कृषि विभाग द्वारा ही किसानों को सीधा सप्लाई कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समितियों के माध्यम से जिन उन्नत गेहूं की किस्मों का वितरण किया गया है उसकी सूची तालिका (क) पर संलग्न है ।

(2) जी हां । राजस्थान में क्रय विक्रय संघ के माध्यम से रसायनिक खाद का वितरण होता है जो कि मार्केटिंग सोसायटीज व सेवा सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों को दिया जाता है । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं पहुंची है कि किसानों को खाद समय पर प्राप्त नहीं हुआ ।

(3) वर्तमान व्यवस्था से राजस्थान में खाद वितरण में आशातीत वृद्धि हुई है अत: वितरण की इस पद्धति को बदलने की आवश्यकता नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट–5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी कार्यालयों के लिए किराये के मकान

65. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अनेक सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो राजस्थान निर्माण के बाद अब तक कौन कौन से कार्यालय कब कब से किन किन के मकान में कितने कितने किराये पर हैं ?

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) राजस्थान बनने के बाद अब तक सरकारी कार्यालयों के लिये किराये पर लिये गये मकानों का किराया किस किस व्यक्तियों को कितना कितना रुपया किस किस

(श्री हरजीराम बुरडक)
वर्ष में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मन्त्रियों द्वारा मेडिकल बिलों की वसूली

66. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार–शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रत्येक मन्त्री व उनके कुटम्ब के आदमियों के लिये 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर सन् 1968 तक मेडिकल बिल्स के कितने रुपये बतौर रीइम्बर्समेन्ट के वसूल किये गये हैं ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

दिनांक 1 जनवरी, 1968, से 31 दिसम्बर, सन् 1968 तक प्रत्येक मंत्री तथा उनके कुटुम्ब के आदमियों के सम्बन्ध में चिकित्सा व्यय के प्रतिशोधन की सूची सदन की मेज पर रखदी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

तहसील नोहर में चोरियों के मामले

67. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोहर में जून, 1968 के बाद आज तक कितनी चोरियां हुई, कितने रुपयों का माल गया, नगदी व जेवर कितना गया ? नाम वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि किशनलाल महाजन सा. रावतसर की चोरी में किसी प्रभावशील व्यक्ति का हाथ है ?

(3) उक्त चोरियों में से कितनी बरामद हुई ? नाम वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) तहसील नोहर में माह जून, 1968 से लेकर अब तक चोरी व नकबजनी के कुल 35 अभियोग पंजीबद्ध हुये । इन अभियोगों में कुल 69,334) रु. 50 पैसे का माल चोरी गया है । इसमें नगद या जेवरात भी शामिल हैं । तालिका पुलिस थाना वाइज सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) उक्त 35 चोरियों में से 19 चोरियां बरामद हुई, कुल 24,227) रु. का माल भी बरामद हो चुका है । तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

न्याय पंचायत जसवन्तगढ़ ग्राम मंगलपुरा के सदस्य की गिरफ्तारी

68. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री पांचीराम सदस्य न्याय पंचायत जसवन्तगढ ग्राम मंगलपुरा को लाडनूं में थाना लाडनूं के अधिकारियों ने गिरफ्तार करके हथकडी लगाई और बाजार

(श्री हरजीराम बुरडक)

में घुमाया? यदि हां, तो कब किस अधिकारी ने किस अपराध में ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश निकाला था कि पंच, सरपंच, सदस्य न्याय पंचायत, प्रधान व प्रमुख को गिरफ्तार करने पर हथकड़ी नहीं लगाई जावे ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त गिरफ्तारी व हथकडी लगाने की गलत कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, अदालत एस. डी. एम. डीडवाना से श्री पांचीराम, सदस्य न्याय पंचायत, जसवन्तगढ ग्राम मंगलपुरा के खिलाफ 107 जा. फौ. के मामले में वारन्ट गिरफ्तारी जारी हुआ था। यह वारन्ट श्री गंगादास मुख्य आरक्षी को तामील हेतु दिया गया था। श्री गंगादास ने बाजार लाडनूं में श्री पांचीराम सदस्य न्याय पंचायत (मंगलपुरा) को अदालत से जारी शुदा वारन्ट गिरफ्तारी बताकर साथ थाने चलने की हिदायत की। जिस पर श्री पांचीराम ने कहा कि उसे गिरफ्तार कर ही थाने ले जा सकते हो वरना नहीं। इस पर बाजार में काफी भीड इकट्ठी हो गई और इस भीड में पांचीराम के भाग निकलने की संभावना को मद्दे नजर रखते हुए मुख्य आरक्षी गंगादास ने श्री पांचीराम को मौके से दिनांक 4-12-68 को (बाजार) हथकडी लगाकर थाना लाडनूं ले आया। उन्हें बाजार में नहीं घुमाया।

(2) **आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।**

(3) प्रश्न 1 के उत्तर में स्थिति जिसमें श्री पांचीराम को हथकडी लगाई गई स्पष्ट कर दी गई है। उसे देखते हुए मुख्य आरक्षी गंगादास के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं पाई गई।

देशी टोपीदार बन्दूकों के लाईसेन्स का रिन्युअल

69. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में जिन जिन लोगों के पास देशी टोपीदार बन्दूकें हैं उनको प्रति वर्ष रिन्यूवल कराने के लिये तहसील में आना पडता है और उनका रिन्यूवल फीस से भी अधिक खर्चा हो जाता है ? यदि ऐसा है तो इसके लिये सरकार नागरिकों की सुविधा हेतु क्या सोच रही है ?

(2) क्या सरकार नागरिकों की सुविधा के लिये हर साल रिन्यूवल न कराकर हर पांच साल रिन्यूवल कराने के आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. राज्य सरकार ने सन् 1966 में टोपीदार बन्दूकों के अनुज्ञा-पत्र देने तथा नवीनीकरण करने के अधिकार तहसीलदारों को (सिवाय जैसलमेर व बाडमेर जिलों के तहसीलदारों के) दे दिये थे और उनको यह हिदायत जारी करदी गई कि वे ऐसा इन्तजाम करें कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को अपनी टोपीदार बन्दूकों के अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के

(गृह मन्त्री)

लिये अपने नजदीक से नजदीक पुलिस थाने से ज्यादा दूर किसी भी हालत में न जाना पड़े और वे अपने दौरे के प्रोग्राम इस प्रकार रखें कि एक पुलिस स्टेशन के अधीन जितने भी गांव पडते हों वहां के निवासियों को अनुज्ञा पत्र वहीं पर बनवा दिये जावें।

2. लाइसेन्सिंग आफ आर्म्स व उनके रिन्यूवल का काम आर्मस एक्ट 1959 के अनुसार होता है। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक साथ पांच वर्ष का लाइसेन्सिंग सम्भव नहीं है।

पथ परिवहन निगम को लाभ

70. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सन् 1965-66, 1966-67, व 1967-68 में कितने-कितने रुपयों का लाभ रहा, इसकी सूची सालवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

इन वर्षों में निगम को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हानि हुई।

रिवाइज्ड स्केल में पे फिक्सेशन के मामले

71. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सच है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज जो अब राजस्थान राज्य परिवहन निगम हो गया है के अधिकतर अराजपत्रित कर्मचारियों के रिवाइज्ड स्केल में वेतन फिक्सेशन के मामले सन् 1960 ई. अथवा उसके पहले से भी आज तक तय नहीं हुए हैं और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां भी वेतन में नहीं जोडी हुई हैं ? ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें व साथ ही नामवार प्रत्येक का ऐसा मामला कब से पेंडिंग है और क्यों है इसका भी उल्लेख इस सूची में करने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अलवर में स्कीम नं. 1 व 2 में सुविधाएं

72. **श्री गंगासहाय पोली** (कठूमर): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अलवर की ओर से स्कीम नम्बर 1 व 2 में पक्की सडकें नहीं बनाई गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कीमों में अभी तक सीवेज का निर्माण नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस्तियों में होकर जानेवाला गन्दा व बरसाती पानी वर्षा के दिनों इन बस्तियों में रहने वालों को आने जाने में कठिनाई पैदा करता है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्कीमों में बने प्लाट्स के गन्दे पानी के निकास के लिये कोई समुचित व्यवस्था नगर विकास न्यास की ओर से नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास अलवर की ओर से स्कीम नं. 1 व 2 एवं तेजमंडी में पक्की मैटिल रोड सडकों का निर्माण किया जा चुका है।

(2) अलवर न्यास की योजनाओं नं. 1 व 2 में सीवेरज का कोई प्रावधान नहीं है।

(नगर विकास न्यास मंत्री)

(3) कोई कठिनाई वर्षा के दिनों में उक्त वस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं होती है। तथा आर्य नगर में सरफेस ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है।

(4) न्यास की ओर से अलाट किये गये प्लाटों में गन्दे पानी के निकास के लिये सोकपिट (Soak pit) बनाने की शर्त है तथा इसी शरायत के पालन में अलाटीज ने सोकपिट (Soak pit) का निर्माण किया है। वर्षा के पानी के लिये सरफेस ड्रेन का निर्माण जारी है।

अलवर में प्लाटों के लिये अवाप्त भूमि

73. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(1) यू. आई. टी. अलवर ने अब तक कितनी कृषि भूमि आवास गृहों के लिये अवाप्त की है और उसका कितना मुआवजा मालिकान को दिया गया ?

(2) प्लाटों के अलाटमेन्ट तथा नीलामी से कितनी आमदनी हुई ? इस आमदनी में से कितनी रकम उन वस्तियों के विकास में यू. आई. टी. द्वारा खर्च की गई ?

(3) कितने प्लाट विभिन्न कोलोनीज में अब तक अलाट अथवा नीलाम किये गये हैं और उनमें से कितने प्लाट अनुसूचित जाति के लोगों को दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास द्वारा 257 बीघा के करीब भूमि अवाप्त की गई जिसका मु. द्रव्य 384264-00 रुपया काश्तकारों को दिया गया।

स्थानीय न्यास को प्लाटों के अलाटमेन्ट तथा नीलाम से कुल आमदनी मु. 2,61,837-00 रुपये की हुई।

(2) न्यास द्वारा योजनाओं के विकास में कुल खर्चा 2071847-00 रु. हुआ।

(3) अब तक स्थानीय न्यास द्वारा निम्न स्कीमों में प्लाट अलाट व विक्रय किये गये हैं।

(1) स्कीम नं. 1

अलाटमेन्ट द्वारा	336
आवसन में	49
योग :--	385 नम्बर

(2) स्कीम नं. 2 (लाजपतनगर)

अलाटमेन्ट	538
नीलाम	113
योग :--	651 नम्बर

(3) मोती डूंगरी स्कीम

आवसन प्लाट संख्या 40

(4) तेजमंडी स्कीम :

आवसन प्लाट संख्या 52 नम्बर व 2 प्लाट्स डिस्पूटेड है जिन पर अदालत में केस जेर तजवीज है।

(5) पुलमार्ग स्कीम :

प्लाट नं. 6 आवंटन किये गये हैं।

(6) जावली भवन स्कीम

प्लाट नं. 6 आवसन किये गये हैं।

(नगर विकास न्यास मंत्री)

स्थानीय न्यास द्वारा जो दो योजनायें स्कीम नं. 1 व 2 रिहायशी प्लाटों हेतु बनाई गई थीं उनमें से 6 प्लाट्स में अनुसूचित जाति के लोगों को अलाट किये गये हैं।

नगरपालिका मकराना द्वारा कुओं पर फिट किये पम्पिग सेट

74. श्री **विजयसिंह** (मकराना): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराने के कुछ कुओं पर नगरपालिका द्वारा पम्पिग सैट फिट किये गये थे ? यदि हां, तो किन किन कुओं पर कितने-कितने व्यय से ?

(2) उपरोक्त पम्पिग सेटों की अभी क्या स्थिति है ? उनमें से कितने चालू हैं और कितने बंद हैं और बन्द किन कारणों से हैं ?

उत्तर

(1) केवल एक कुए पर जिसे कोठे वाला कुआं कहते हैं एक पम्पिग सैट लगाया है। इस पर कुल व्यय 3,591-00 व्यय हुआ है।

(2) उपरोक्त पम्पिग सैट उसी कोठे वाले कुए पर लगा हुआ है और चालू हालत में है।

नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों एवं अन्य जातियों के व्यक्ति

75. श्री **नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) सीकर जिले में नगरपालिका रामगढ, फतहपुर, व लक्ष्मणगढ में आफिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिसमें अनुसूचित जातियों के कितने व अन्य कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नगरपालिकाओं में 12½ प्रतिशत के हिसाब से आफिस में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार निर्धारित कोटे की पूर्ति उपरोक्त नगरपालिकाओं में करने का आदेश देने का विचार रखती है ?

(4) क्या उपरोक्त नगरपालिकाओं में झाड़ूकश व जमादार हरिजन कर्मचारी हैं ?

उत्तर

नाम पालिका	कुल आफिस कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या
(1) रामगढ	4	––
(2) फतेहपुर	9	1
(3) लक्ष्मणगढ	5	––

(2) जी हां। प्रश्न के भाग (1) में वर्णित कर्मचारी आदेशों के पूर्व के नियुक्त हैं।

(3) 12½ प्रतिशत हेतु सब ही नगरपालिकाओं को 21-7-66 को आदेश दिये जा चुके हैं।

(4) नगरपालिका फतेहपुर में 4 जमादारों में से 3 हरिजन हैं। लक्ष्मणगढ में जमादार हरिजन

Page No 39

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

है, व रामगढ में पद रिक्त है।

झाडूकश हरिजन कर्मचारी है ?

रावतसर का वाटर वर्क्स

76. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रावतसर में वाटर वर्क्स का काम लम्बी मुद्दत से चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने ठीक समय पर काम नहीं किया फिर भी उसी को दुबारा ठेका दिया गया है ?

(3) यह योजना कब तक पानी देने लगेगी ?

उत्तर

(1) रावतसर में वाटर वर्क्स का कार्य नवम्बर, 1964 से चालू है।

(2) जी हां, ठेकेदार को यह कार्य पुन: इस शर्त पर दिया कि यह हर हालत में कार्य को पूर्ण करके देगा।

(3) योजना का कार्य निर्माणाधीन है करीब-करीब समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है और आगामी वित्तीय वर्ष में शीघ्र ही योजना से पानी देना शुरू कर दिया जावेगा।

अलवर जिले में उत्तम खाद बीजों का प्रदर्शन

77. **श्री गंगासहाय (कठूमर)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर जिले में उत्तम खाद बीज के प्रदर्शन के लिये 1967-68 में कितना बजट रखा गया था ?, कुल खर्च कितना हुआ? प्रदर्शन कितने स्थानों पर किन-किन व्यक्तियों के फार्मो पर किया गया तथा प्रत्येक फार्म पर प्रदर्शन में कितना कितना खाद व बीज खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

खाद का वितरण एवं उसकी वसूली

78. **श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 52 से लेकर पंचायत समिति के निर्माण के पूर्व तक कितना खाद पंचायत अथवा अन्य एजेंसियों को कितने मूल्य का वितरित किया गया ?

(2) उनके वितरण व वसूली की क्या स्थिति है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खाद अवितरित अवस्था में सड रहा है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. नागौर की निरीक्षण रिपोर्ट

79. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू)**: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री तख्तसिंह राजपुरोहित, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी

(श्री हरजीराम बुरडक)

समितियां नागौर ने नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. नागौर का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उनके द्वारा प्रेषित निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाहियां की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । निरीक्षण रिपोर्ट म बताये गये मुख्य आक्षेप व उन पर की जा रही कार्यवाही पर टिप्पणी संलग्न है ।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं पर टिप्पणी करते हुए सहकारी विभाग द्वारा बैंक व सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर को लिखा गया है कि वे निरीक्षण रिपोर्ट के आक्षेपों की पूर्ति कर रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर के मार्फत सहकारी विभाग को भेजें ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

ग्राम लसाणी के औषधालय में वैद्य का रिक्त स्थान

80. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)** : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवगढ तहसील के लसाणी ग्राम के औषधालय में वैद्य की जगह कितने महीनों से खाली पड़ी है ?

(2) राज्य में वैद्यों की कमी है अथवा उपलब्ध नहीं होते हैं ?

(3) यदि नहीं, तो इतने समय तक स्थान रिक्त क्यों रहा ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) आयुर्वेदिक औषधालय, लसाणी के कार्यरत वैद्य को आयुर्वेदिक प्रधान औषधालय, उदयपुर में, शल्य-शालाक्य की व्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्त कर रखा था ।

पर्यटन को बढ़ावा

81. श्री **केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बून्दी व माउण्ट आबू पर कितने-कितने पर्यटक आये हैं ?

(2) पर्यटन को बढावा देने के दृष्टिकोण से इन स्थानों पर उक्त अवधि में सरकार द्वारा कितना-कितना रुपया व्यय किया गया है ?

(3) किन-किन स्थानों के बारे में फोल्डर्स आदि छपवाकर पर्यटकों में वितरित किये जाते हैं ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बून्दी, व माउण्ट आबू में

(पर्यटन मन्त्री)
देशी व विदेशी पर्यटकों के आगमन के आने के आंकड़े संलग्न तालिका (क) में उपलब्ध हैं।

(2) पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से इन स्थानों पर गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत जो व्यय किया गया है, उसका ब्यौरा संलग्न तालिका (ख) में उपलब्ध है।

(3) जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, अलवर, सरिस्का, कोटा, बून्दी, अजमेर पुष्कर, भरतपुर व माउण्ट आबू के बारे में फोल्डर्स व इन्सर्टर्स छपे हुये हैं जो पर्यटकों को वितरित किये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर मैं व्यवस्था बाद में दे दूंगा।

(12.02 म. प.)

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री परसराम मदेरणा पंचायत मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आज का है ?

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : जी हां।

अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4।एल. पी. एस.।ए. आर।15।67।1309 दिनांक 18 फरवरी, 1969 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

श्री **अध्यक्ष** : विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

याचिकाओं का उपस्थापन !

श्री बृज वल्लभ बोहरा।

श्री बृज वल्लभ बोहरा (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कैथून से रेलगांव कुन्दनपुर वाली श्रमदान सडक के खराब हो जाने से सम्बन्धित 4 हस्ताक्षरों सहित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर में पाइप लाइन डालने से टूटी हुई सडकों को ठीक कराने के सम्बन्ध में याचिका उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर के रास्ता जयलाल मुंशी व रास्ता लंगर के बालाजी के कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के सम्बन्ध में याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : पहले स्थगन प्रस्ताव

श्री **अध्यक्ष** : टाइप हो रहे हैं, बाद में व्यवस्था दे दूंगा। बीच में व्यवस्था दे दूंगा। स्थगन प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हुए थे।

श्री देवीदत्त गाडिया : अब तक तो यह परम्परा रही है . . .

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था को सोचिये, टाइप होकर आ रही है तब तक समय का सदुपयोग किया जाय। परिपाटी रही है वह मेरे ध्यान में है। स्थगन प्रस्तावों पर मैं बीच में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह तो एक नई परिपाटी डाल रहे हैं, इससे सदन की परम्परा और गरिमा समाप्त होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह थोडा से एडजस्टमेंट का सवाल है, एक भाषण पूरा हो जाय तो मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : एक भाषण समाप्त हुआ और ले लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री के विरुद्ध मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना 26 फरवरी को दी थी, 9 दिन हो गये हैं, उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दिया जाना मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आज मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है, जो भी हम स्थगन प्रस्ताव रखते हैं, उनके सम्बन्ध में आप व्यवस्था देते हैं। हमारे स्थगन प्रस्तावों को आप मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं, उसका आपको अधिकार है। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसके लिये मुझे लिखित में सूचना दे दी गई है, सदन में व्यवस्था नहीं दी है। व्यवस्था का सवाल यह है कि स्थगन प्रस्ताव मैंने किस विषय पर रखा था, किन कारणों से रखा था, किन कारणों से उसे आप अस्वीकार करते हैं, यह सब सदन में लाते तो अच्छा रहता। बाला बाला मुझे उसकी सूचना दे देने से जो मेरे स्थगन प्रस्ताव का महत्व था वह समाप्त हो गया। उसका महत्व यह था कि 7 मार्च को . . .

श्री अध्यक्ष: आर्डर, उसको मत लाइये, मैं व्यवस्था दे दूंगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद विवाद।

प्रोफेसर केदार

(12.06 म. प.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी आज अभिभाषण पर बहस का तीसरा दिन है, पिछले दो दिनों में बहस का स्तर बहुत नीचा रहा। कल माननीय भैरोंसिंह जी ने बहस को मोड दिया पी. के. चौधरी जी ने सीरियसनेस दिखाई और डागाजी ने आखिर में कुछ चार्म पैदा किया। बैरी कमिशन की रिपोर्ट पर एक फुल डे डिबेट हो, इस प्रकार की मांग यहां सदन में की गई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि बैरी कमिशन की रिपोर्ट पर सदन में फुल डे डिबेट होगी और उस समय हर चीज पर रोशनी डाली जायगी। बैरी कमिशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं उसी दिन बोलूगा पर बैरी कमिशन की रिपोर्ट मुझे वह दिन याद दिलाती है जब राजस्थान की

(श्री केदार नाथ)

जनता ने, राजस्थान के लोगों ने अपोजिशन के लोगों को 95 की गिनती में भेजा था। फिर हम 92 में रह गये, गिनती की बात मैं इसलिये नहीं करता कि गिनती हमारे पास नहीं है। उस समय राजस्थान की जनता में उत्साह था, राजस्थान के लोगों में एक नई चेतना पैदा हुई थी, लोगों में विश्वास था, डिसिप्लिन था, लेकिन उसका हमारी अपोजिशन की लीडरशिप ने उसका फायदा नहीं उठाया। पोलिटिकल पार्टीज कोई साधुओं की पार्टी नहीं होती है, पोलिटिकल पार्टीज का काम है राज बनाना, चाहे कॉन्स्प्रेसी से हो, चाहे मेनुपुलेशन से हो, उसमें अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज फेल हुई। उस समय सुखाडियाजी ने जो पार्ट प्ले किया, उसके लिये मैं उनको दाद देता हूं। सुखाडियाजी आप एम. एल. एज. को विन ओवर करने में माहिर हो, आपकी दलीलों का कोई जवाब नहीं, आपका व्यक्तित्व राजस्थान में मिसाल के रूप में है, आपने अन्दर और बाहर का विरोध समाप्त कर दिया पर जो कॉन्स्प्रेसी आपने पैदा की, उसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते? हमने राजाओं के खिलाफ कॉन्स्प्रेसी की, अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्स्प्रेसी की, मेरठ का केस हुआ और कई केस हुए पर कोई कोर्ट साबित नहीं कर पाया कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ साजिश की। आप साजिश में कामयाब हुए आपको साजिश से इन्कार नहीं करना चाहिये। आज आप अपनी साजिश से ऐसे हालात पैदा कर के पोलिटिकल नेता के रूप में सच्चे साबित हुए हैं वैरी कमिशन ने जो उस समय कांग्रेस की नीति रही उसको लिये सर्टिफिकेट दे दिया है, एग्जोनरेट इसलिए नहीं किया कि एवीडेन्स का सवाल नहीं, न कांग्रेस पार्टी बॉक्स में गई न सुखाडियाजी बोक्स में गये इसलिये एग्जोनरेट करने का सवाल नहीं था, आपको सर्टिफिकेट दे दिया। अगर अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप मजबूत होती तो राजस्थान की जनता इतनी रोश में थी, इतनी जोश में और होश में थी कि हजारों जेल जाने के लिये तैयार थे और सुखाडिया जी आप यहां नहीं आपाते पर अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप कमजोर रही, लोगों ने अपना पार्ट प्ले किया, जनता ने अपना पार्ट प्ले किया। 7 तारीख को जो शहीद हुए, उनको पैसे के रूप में कम्पेन्सेट नहीं कर सकते 7 तारीख को जो 9 शहीद हुए वे शहीदों की क्लास में गिने जायेंगे, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लडते हुए शहीद हुए उन्हीं शहीदों की क्लास में इन 9 शहीदों को हम मानते हैं। मुझे उस समय बडा दुःख हुआ जब जोधपुर में पी. सी. सी. में सुखाडिया जी ने यह निर्णय लिया कि जोधपुर मेडिकल कालेज का नाम डा. सम्पूर्णानन्द के नाम पर रख दिया, जाय उस समय आप जयनारायण व्यास का नाम भूल गये, जिन्होंने स्टेटों में गुलामी को खत्म करने का सबसे पहले बीडा उठाया था, माणिक्यलाल जी वर्मा का नाम होता तो हमें खुशी होती, पथिकजी के नाम पर मेडिकल कालेज का नाम होता तो हमें खुशी होती पर डा. सम्पूर्णानन्द का राजस्थान में कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। आज राजस्थान में लिबरेशन का इतिहास हमारे सामने नहीं है, राजाओं के खिलाफ गुलामी खत्म करने के लिये कौन 2 आगे आये, कौन 2 पोलिटिकल सफरर्स हैं, इसका कोई ब्योरा नहीं, 20

(श्री केदारनाथ)

साल में आपने राजस्थान में अपने नाम के ग्रन्थ पैदा कर दिये पर राजस्थान की हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई। राजस्थान में पोलिटिकल पार्टीज का फंक्शन आज भी है, राजस्थान के लोगों ने अपना पार्ट अदा किया, बैरी कमिशन के फैसले हैं, उनके बारे में आज मैं इसलिये ऑब्जर्वेशन्स नहीं देना चाहता कि उसके लिये वक्त मिलेगा। लोगों को बडी निराशा है। दो साल के बाद राजस्थान की पोलिटिकल लाइफ में वैक्यूम पैदा हो गया, शून्य पैदा हो गया। मेरे दोस्त अगर आप अपना पार्ट अदा करना चाहते हैं तो सारी कमेटीज से अपने को डिसोशिएट कर दो। अपोजिशन पार्टीज ऐसी क्लाइमेट पैदा करें कि लोगों में जिन्दगी पैदा हो। मैं सोचता हूं कि अपोजिशन लीडर्स बैठकर सोचें कि क्या कदम उठाने हैं। शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित कर दें या आयोग की ऑब्जर्वेशन्स को साइट कर दें, इतना ही काफी नहीं है। अगर चाहते हैं कि राजस्थान की पोलिटिकल लाइफ को मोल्ड करना है, डेस्टिनीज को मोल्ड करना है, स्टैग्नेशन के वातावरण को दूर करना है तो अपोजिशन पार्टीज को पहल करनी है, उनके एम. एल. एज. को करनी है, वे सारी कमेटी का बाइकाट करें, अपनी डिसोसिएशन जाहिर करें। हो सकता है कि सदन से भी बाहर उनको जाना पडे, तीन साल के लिए ऐसा वातावरण पैदा करें राजस्थान में। मुझे विश्वास है कि हुकूमत बरखास्त होगी।

बंगाल में क्या हुआ? उसका किस्सा हमारे सामने है। केन्द्रीय सरकार जिन पार्टीज की एक्टिविटीज को समाप्त करने पर तुली हुई है, उस सेंटर को वहां उनके सामने झुकना पडा। मंत्री–मंडल तो बरखास्त हुआ लेकिन पोलिटिकल लीडरशिप टिकी रही। लोगों को मैदान में खडा किया। इस डेमोक्रेसी के युग में विकास के काम अलग होते हैं। मगर मिलीटेन्सी को चलाने के लिए, लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करना, यह भी एक बहुत बडा कन्ट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी के प्रति। बंगाल ने हमें सबक सिखाया। एक बात उन्होंने साबित कर दी कि जो लोग आंदोलन करते हैं असेम्बली के बाहर या असेम्बली के अन्दर सही तरीके से, वह पार्टी जिंदा रहती है उनका धर्मवीर और चौहान कुछ नहीं कर सकते। चौहान का क्या हाल हो गया आप ताज्जुब करेंगे। हम कहते हैं डेमोक्रेसी के इस देश में यूनी लैटरल एक्शन्स होते हैं-राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, यूनीलैटरल एक्शन होगा। यह डेमोक्रेसी नहीं। कॉन्सटीट्यूशन वह नहीं जो फ्यू जजेज उसके बारे में सोचते हों कॉन्सटीट्यूशन वह है जिसे आम लोग जानना चाहते हैं इस देश के लिये। मैं सोचता हूं कि धर्मवीर को वहां से हटाया जाता तो क्या नुकसान था? इसी सिलसिले में यह कहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण की कोई कीमत नहीं रहती, राज्यपाल अपने रॉल को अदा नहीं करता। राज्यपाल का भाषण सरकार की नीतियों का भाषण होता है। वह एक सालिम डाक्यूमेंट है। इस अभिभाषण में न पिछले साल की समीक्षा आई है और न आने वाले साल के लिए कुछ कहा है, इसको सालिम डाक्यूमेंट नहीं कह सकते। सारे अभिभाषण पर एक ही छाया है। पंजाब के हाल ही में चुनाव में सिवा 2-4 मंत्रियों

Page No 45

(श्री केदारनाथ)

के सभी मंत्री वहां गए, वहां सारी ताकत जुटा दी। जब मैं जलन्धर गया तो सुबह को जोशीजी का भाषण था, शाम को मुझे भी छोटी मोटी मीटिंग एड्रेस करने को मौका मिला। वहां ट्रिब्यून के संवाददाता भी थे। फ़ीरोजपुर में जयकिशनजी को देख लिया, मैंसवाडा भी वहां थे। तो उन्होंने कहा अंग भंग का राजस्थान ने ही ठेका लिया है क्या . . . . .

श्री **हरदेव जोशी**: आपको मिला था या उनको ?

श्री **केदारनाथ**: तो राजस्थान का चित्र वहां सही नहीं पेश किया।

मैंसवाडा साहब वहां गए थे। लोगों को बताया गया कि पूरे मंत्री, फुल-फ्लेज्ड मंत्री का भाषण होगा। करीब 100 आदमी ईकट्ठे हुए, लेकिन जब मैंसवाडा साहब की कॉन्स्टीट्यूशन देखा तो दो चार आदमी रह गए बाकी चले गए।

सुखाडिया जी आप बोलते हो, आपकी परसनेलिटी है, आप दलील भी देते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि नाथूराम मिर्धा को याद रखें। जब 5 बजे बैलट बाक्सेज बंद हो जायं, शाम को 5 बजे तो बाक्सेज को संभाल कर रखें क्योंकि मिर्धा साहब बैलेट्स को टैम्पर करने में माहिर हैं।

हरिजनों के इलाकों में आप जाते हैं, कई तरह के आश्वासन देते हैं। मैं भी मंत्री होता तो आश्वासन देता, साधन जुटाता, सरकारी मशीनरी का फायदा उठाता। चुनाव जीतने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वहां के हरिजन्स ने फार्म भर दिये उनको कहा गया कि आपको राजस्थान कैनाल में जमीन देंगे। अब कितनी सीटें जीती गईं इसका जिक्र तो सुखाडिया जी अपने जवाब में करेंगे कि कितनी जीती कितनी हारी।

विथ ड्यू एपोलोजीजं टू राज्यपाल, मैं राज्यपाल को तब से जानता हूं जब वह अकाली पार्टी के नेता थे, गंग कैनाल में आंदोलन के लिए वहां आह्वान करने आए थे, मैं तब से भी जानता हूं जब वह डिप्टी स्पीकर थे, जब वे स्पीकर थे और भी जानता हूं जब वह राज्यपाल हैं, इनमें तब्दीली आ चुकी है और आज वह निर्जीव हैं, उनकी कीमत नहीं। जो राज्यपाल निर्जीव है जिसकी कीमत न हो, मर्जी हो जो लिखवालो तो, उनके अभिभाषण की कीमत भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी उनके ऑर्डिनेन्स की है।

अकाल के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। अध्यक्षजी, आपको भी संकेत करना चाहता हूं। अकाल की अहमियत और विषमता को मानते हुए असेम्बली की बैठक नहीं बुलाई। सरकार के दिमाग की बात कह रहा हूं। अकाल के मसले पर विचार करने के लिए 5-7 दिन के लिए बैठक बुलाते, हरेक सदस्य को मौका मिलता। जिस इलाके में अकाल पडता है वह डिस्कशन में हिस्सा लेता। हमारी जो फोटो खिचाई, लोगों की, पहले महारावल, फिर भैरोंसिह और रामानंद जी बीच में आ गए . . .

श्री **भैरोंसिह**: मेरी फोटो नहीं है।

श्री **केदारनाथ**: मैंने कहा सुखाडिया जी ने अच्छा यंत्र फैलाया। स्टेट लेवल

(श्री केदारनाथ)

कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से पूछा नहीं। एक भी पार्टी से पूछा, पंचायत से पूछा ? मैं मानता हूं कि कुछ एम. एल. एज. नए पैदा होंगे, प्रिमेच्योर पैदा होंगे, जो कुछ आलरेडी हैं उनको कन्फर्म कर देंगे तीन साल के बाद, अगर वहां वैकुम पैदा होगा। अगर परसरामजी आपके नारे लगाते हैं तो खुशी है सुखाडियाजी के नारे लगाते हैं तो मुझे खुशी है कि कम से कम किसी के नारे तो लगाते हैं। लेकिन वे किसके नारे लगाते हैं ? मेट के, सुपरवाइजर के, ओवरसियर के। हमारा खून सूखता है। अगर 20-21 करोड रुपया खर्च करने के बाद भी रोटी और राहत देने के बाद भी अगर आप उनके दिमाग में ठोस तबदीली पैदा नहीं कर सके तो क्या कहें ? लेकिन यहां तो नौकरशाही के बीच में है तो लानत है ऐसी राहत को, लानत है ऐसे कामों को। मैं सोचता हूं कि अगर पंचायतों को, कांग्रेस कमेटी को काम दे देते तो खुशी होती, कोई पोलिटिकल इमेज तो बनती। आज लोग नंगे भिखारी बन कर सामने आते हैं और कहते हैं कि रोटी दे दो। काम और रोटी देना दोनों सरकार के काम हैं, राजाओं के वक्त में भी दिया है। मैं राजाओं का विरोधी था और आज भी हूं। डागाजी कहेंगे कैसे हैं वह बाद में कहूंगा। अभी समय है अभी तीन चार महीने हैं। आप पंचायतों को काम दें कांग्रेस पार्टी को दें, कांग्रेस एम. एल. एज. को दे दें, वे वहां रहें, सुपरवाइज करें नहीं तो जो नौकरशाही उनको खाती है कल आपको भी खा जायगी।

जब डागा जी, कैप्टेन छुट्टनलाल और हम वहां गए तो देखा कि बच्चे 6-6 मील से आते हैं तो उनका विकास कहां से होगा ? उनसे पूछा कि कहां से आए हो तो वह हमारी तरफ नहीं देखते, वह मेट की तरफ देखते थे। यह आपने ह्यूमन वैल्यूज पैदा की हैं इससे बढकर शर्म की बात नहीं हो सकती। आपको अपनी नीति रिवाइज करनी पडेगी। रिवाइज कीजिये अपनी पॉलिसीज को।

चौथी बात जिस पर मैं आ रहा हूं वह है फोर्थ प्लान। इस सम्बन्ध में मुझे दो चार बातें कहनी हैं – चौथी प्लान को तीन चार साल बाद भी फाइनेलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत बडा क्राइसिस है। आज के इकोनॉमिस्ट्स फैसला नहीं कर रहे हैं कि प्लान क्या हो, क्या उसका बेस हो ? आज के टैक्निशियन्स यह फैसला नहीं कर रहे हैं किन्तु फैसला कर रही है पॉलिटिकल लीडरशिप सेन्टर की. कि किस तरफ देश को लेजाना है। मिक्स्ड इकोनॉमी ने क्या किया ? आज भी आप नेचर पर ही डिपेन्ड करते हैं। तीन चौथाई भाग आज इन्डस्ट्रीज में फॉरेन के रिसोर्सेज का है। आज एक तरह से सारा प्लान ही विदेशों के रिसोर्सेज और कर्जे पर निर्भर है। आज यह देख कर निराशा बढती जा रही है। कोई मोरल इकोनॉमी नाम की चीज नहीं। फिर कहते हैं कि प्लान अच्छा है। सुखाडियाजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं स्टेट और सेन्टर के रिलेशन्स और रिसोर्सेज का सवाल है। देश में रिसोर्सेज का सवाल है। आपकी स्टेट बैकवर्ड है, बोर्डर स्टेट है और आपकी स्टेट प्रिन्सिली स्टेट्स में से निकली है। जो काम आपने किये हम उनकी तारीफ करते हैं, हम यह नहीं कहते कि आपने

(श्री केदारनाथ)

ाम नहीं किये । लेकिन आप सेन्टर के ामने क्या बेस रखते हैं ? रिसोर्सेज आपको यादा नहीं मिल सकते, आप कहीं स्टेन्ड हीं करते । यदि आप कहीं स्टेन्ड करते हैं ो बेकवर्ड इकोनॉमी के नाम से स्टेन्ड करते । बेकवर्ड इकोनॉमी के नाम से आप ले कते हैं, कैसी हमारी सोर्स और सिस्टम ाफ इकोनॉमी है, हम अमुक काम कर रहे इस बेस पर पैसा मांगेंगे, एलोकेशन्स ॉफ रिसोर्सेज के लिये लडेंगे तो आपको न्टर से मजबूती के साथ लडने पर मिलेंगे । नहीं मानता मोरारजी भाई आप से जबूत हैं । मैं भी कांग्रेस में रहा हूं । जाओं से लडता रहा हूं । महाराजा रणी सिंह के साथ लडता रहा हूं । चौहान ो आप से मजबूत नहीं हैं, मोरारजी मजबूत ही हैं । आप सिन्डीकेट के मेम्बर हो और न्दराजी के खास हो । बैलेन्स आपके हाथ हैं । आप कहें कि मैं मामूली चीफ मिनिस्टर मैं इसको नहीं मानता । आप प्लान में ादा शेयर स्टेट के लिये ला सकते हैं और ादा प्रोपोर्शन में ला सकते हैं । अनप्रोडक्टिव मों में आपने खर्च किया है, 41 परसेन्ट ाज देना पडता है जिससे आपको 30.35 रोंड तो वापिस सेन्टर को देने पडते हैं ह आपकी क्षमता के बाहर हैं । इसलिये ापको ज्यादा एलोकेशन मिले, ड्रिंकिग ाटर के नाम से मिले, जितनी ग्रान्ट मिले ाप उसके लिये लडिये । राजस्थान कैनाल सेन्टर को अपने हाथ में लेकर चलाना हिये । जब प्लानिंग कमीशन की मीटिंग ती है तो हरियाणा, पंजाब वाले जाकर डते हैं कि पोंग डेम में ज्यादा खर्चा हो । नी कौन देगा ? तीन साल बाद आंकडे पढ़े हैं, डेढ लाख एकड पर सिंचाई होगी । डेढ साल पहले का फैसला पढ लो तो सवा लाख एकड में सिंचाई होगी । पानी बिल्कुल बेमतलब जाता है । खेतों में काम पूरा करने वाले नहीं । वह लैंड तो उन बडे बडे आदमियों के हाथ में हैं । वहां नागालैंड है डाकुओं और गुन्डों का राज है । कोई ला नहीं और कोई इन्तजाम नहीं । फसल कोई सींचता है और खाता कोई है । लोग मिलिटेन्ट हो रहे हैं । लडने का मद्दा भी है । कहते हैं कि पोंग डेम पर इवेक्युईज को बसा देंगे । उनको तो खाली लैंड पर बसाओ । वहां क्यों बसाते हो । जो गवर्नमेंट लैंड वेकेन्ट हैं वहां पर उनको बसाओ ।

इकोनोमी के बारे में कहना चाहूंगा । सारे देश में चर्चा है । सैन्टर के हाथ में फिजिकल पॉलिसी है । सैन्टर चाहे इजाजत दे । फेडरल स्ट्रक्चर में इकोनॉमी रहे । जैसे केरल में नम्बूद्रीपाद आवाज उठा रहे हैं, बंगाल में यह आवाज उठ रही है । पंजाब में गुरनामसिंह भी यही आवाज उठायेंगे तो इस देश की क्या हालत होगी ? सैन्टर को पॉवर और एटोनोमी के साथ शेयर करना पडेगा । आल इन्डिया लेवल पर क्या पैटर्न बनाने जा रहे हो सुखाडियाजी अपने रिप्लाई में इसका जवाब दें ।

सन् 67 के चुनावों के बाद बैठक हुई । जनता ने नये नये तर्क पैदा कर दिये । उनकी मीठी बोली, सीरियस थोट देने की बातें- लेकिन दो साल में सारे राजस्थान का हाल बदल गया । डागाजी को कमेटी का चेयरमैन बना दिया, रामनारायणजी को भी चेयरमैन बना दिया, पी. के चौधरी को छः महीने घर बैठा दिया । बाडमेर के जो जैन हैं उनको विल्डीनेस हैं । इकट्ठे होकर जनमत पैदा करो, फैंक दीजिये

(श्री केदारनाथ)

आज इनको। सुखाडियाजी एक ग्रोवर लॉर्ड हैं आज चाहे वान्टेड या चाहे अनवान्टेड। उन्होने हमें भी ख़तम कर दिया और आपको भी खत्म कर दिया, क्योंकि आप डिविजन पैदा करना चाहते हैं। सुखाडियाजी के बजाय आप डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को ताकत दें।

हम कहते हैं कि राजाओं के साथ मेल कर लिया। खैर, राजाओं के साथ मेल किया। लेकिन जब राजाओं के खिलाफ आप कदम उठायेंगे, उनके प्रिवीपर्सेज को तोडने का सवाल आयेगा, उनके मुआवजे को कम करने का सवाल आयगा, उनके प्रिविलेजेज को समाप्त करने का सवाल आयेगा तो यह बैन्चेज आपको साथ देंगी। मैं भी मानता हूं देशी रियासतों के राजा समाप्त हो गये लेकिन आज तो नये नये राजा पैदा हो गये हैं। शहरों के आस पास चारों तरफ देखे दस साल में किन्हीं ने जमीनें खरीद लीं, किन्हीं के आलीशान मकान बन गये, आलीशान कोठियां बन गयीं, तो आपको मालूम पडेगा कि एक एक्स्पलॉयटर्स की क्लास पैदा हो गयी है। यह क्लास राजाओं को समाप्त करने में आपके साथ नहीं रहेगी। वैस्टेड इन्ट्रेस्ट के साथ ही रहेगी यह क्लास। बचो इससे। यह वरकर्स अपने आपको सम्हालें। वे अपनी कुछ ताकत का इजहार करें। धावा बोलो अन्दर। हम आपका साथ देंगे।

दो शब्द पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन्स के बारे में कहना चाहता हू। यह बात मामूली सी है। इलेक्शन को रोज-मर्रा की जिन्दगी का एक हिस्सा नहीं बनाते हैं तो हम डेमोक्रेसी के मुताबिक अपने आपको बफादार नहीं साबित करते हैं। पचायतों मयाद पांच साल की। कोई बात नहीं। म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन तीन साल के बाद हो जाया करेगा। चेन्जेज लाओ। प्रधान, चेयरमैन, प्रमुख का इलेक्शन डाइरेक्ट इलेक्शन से करो। इससे एक जागृति पैदा होगी। आम आदमी में खडा होने का हौंसला पैदा करोगे। जितना बडा हमारा मोटिव है इसमें एक स्टरिंग पैदा हो, जान पैदा हो।

अन्त में हमारे इलाके के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। हमारे यहां गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल का सिस्टम है। हमारी फसलें मैच्योर स्टेज पर हैं। भाखरा का पानी था, लड्ढा साहब ने डाइवर्ट करके दिया। अब बन्द कर दिया हरियाणा, पाकिस्तान, पंजाब उसको ले जाते हैं। उसको हमें इस्तेमाल करने दीजिये ताकि फसल पके।

राजस्थान में जयपुर में डिग्री कॉलेज 6 हैं। आपने पिछली बार एक पोस्ट डिग्री कालेज और एक कालेज बनाया। हम तो यह चाहते थे कि एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी गंगानगर में कायम हो लेकिन वह तो हो नहीं सकी लेकिन रिसर्च सैन्टर तो वहां बना सकते हैं। हरियाणा के चुनाव के समय राजस्थान के मन्त्रि मण्डल के सदस्य हो आये थे उन्होंने वहां देखा होगा हरिय [illegible] पढे लिखे किसान के लिये तीन महीने का कोर्स होता है, जिसकी तीस रुपया फीस है। वहां से वे एक्सपर्ट बनकर निकलते हैं। हमारी एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी आपने उदयपुर में कायम कर दी क्या वहां पत्थरों से माथा मारें? क्राप्स गंगानगर में होती हैं, डिसीज गंगानगर में होती हैं, वहां यदि युनिवर्सिटी नहीं तो कम से कम रिसर्च सेन्टर तो कायम कर ही सकते हैं।

(श्री केदारनाथ)

इसके अलावा वहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज भी खोल सकते हैं उसके लिये लोग पैसा देने के लिये तैयार हैं। वैसे मैं तो अकेला आदमी हूं, मेरे सीमित साधन हैं। कल मुझे माननीय सदस्य कान्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि मेरा फेमिली प्लानिंग में बहुत योगदान है। लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि जितने भी अनक्लेम्ड बच्चे हैं, वे हमारे ही बच्चे हुआ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार गंगानगर से विजयी होकर विधान सभा में आया हूं आयन्दा कौन आयेगा यह मैं नहीं कह सकता। यह गंगानगर वह इलाका है जहां तीन बार सोने से तोला गया है बहन इन्दिरा जी को, प. नेहरू को और मुरारजी को। अब भी आप चाहें तो पांच सात लाख रुपया और मिल सकता है लेकिन आप जितना उनसे लेते हो उसका कुछ हिस्सा तो उनको दो। वहां आप कोटेज इण्डस्ट्रीज की स्थापना कर सकते हैं उसके लिये फील्ड है और भी कई तरह के उद्योग धन्धे वहां पर चल सकते हैं।

अन्त में मैं फिर एक बार माननीय सदस्यों को याद दिलाता हूं, आज राजस्थान की पोलिटिकल लाइफ यह मांग करती है कि जनता में क्रान्ति पैदा करो, उसके लिये एजीटेशन क्रिएट करो चाहे वह अकाल राहत के मामले को लेकर हो, चाहे 'जगतनारायण के ओब्जर्वेशन को लेकर हो,' चाहे बेरी कमीशन ने जो फैसला दिया है उसको लेकर हो आप इन्हीं को आधार भूत बनाकर पब्लिक ओपीनियन बिल्ड करो तभी जाकर राजस्थान में डेमोक्रेसी की नींव मजबूत हो पायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपाध्यक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिनों से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर बहस चल रही है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण की शुरूआत में ही राजस्थान में जो भीषण अकाल की स्थिति है उसका जिक्र किया है। यह अकाल कितना भीषण है यह आप और हम से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में अकाल पहले से ज्यादा अधिक पडते जा रहे हैं और अधिक भयंकर भी हैं। पहले पांच दस साल में अकाल पडता था अब दूसरे या तीसरे साल अकाल होता है। अब एक अकाल दूसरे अकाल से ज्यादा भयंकर होता है। जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना पर विचार करेंगे उस वक्त हमें चाहिये कि हम इस गंभीर समस्या के बारे में सोचें। मेरा यह मानना रहा है और मैं 1952 से लगातार यह कहता आ रहा हूं कि मरुस्थल के विकास के लिये राज्य सरकार को और केन्द्रीय सरकार को कदम उठाने चाहिये। देश के बाढ पीडित क्षेत्र के अन्दर सरकार बडी बडी योजनायें बना रही है लेकिन मरुस्थल को विकसित करने और केवल मरु विकास बोर्ड को बिना कुछ धन दिये बनाकर इस काम को उस पर छोड दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह कहा जाता रहा कि भौगोलिक स्थिति के कारण हम मरुस्थल में पडने वाले अकाल का निवारण नहीं कर सकते, या करना निकट भविष्य में मुश्किल है। लेकिन आज के युग के साधनों को देखते हुए विज्ञान ने जो कुछ कर दिया है उससे यह आशा हो चली है कि जिस प्रकार दूसरे देशों ने अकाल की समस्या का हल किया है उसी तरह हम भी कर सकते हैं। अगर यहां

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
पर इस तरह की योजनायें बनायें जिसमें यहां की धरती, यहां का घास, यहां के पेड पौधे, यहां का पशुधन और इस क्षेत्र में निकलने वाले अलग अलग खनिज पदार्थ, इनको ध्यान में रखकर हम योजना बनावें तो यह मुश्किल बात नहीं है कि पांच दस सालों में कम खर्च में हम इस क्षेत्र को उन्नत कर सकते हैं, जिससे अकाल का डर कभी नहीं रहेगा। आज तो देश के अन्दर स्थिति ठीक है, निकट भविष्य में बाह्य आक्रमण का भी डर नहीं। अगर सकट कालीन स्थिति हो और फिर अकाल पड जाय तो उन लोगों की क्या हालत होगी इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि राजस्थान कैनाल की जो योजना, दूसरी योजनाएं हैं, पशुधन अन्य खनिज उद्योग हैं, बडी बडी सडकें हैं उनको ध्यान में रखकर चौथी योजना में प्रावधान रखा जाना चाहिये।

आज देश में जितनी योजनायें बनती हैं चाहे वह बंगाल की हो चाहे राजस्थान की हों सभी एक तहर की बनायी जाती हैं। बंगाल में एक कुआ दो हजार में बनता है जब कि राजस्थान में एक लाख में एक कुआ बनता है। वहां पर पांच सात दस फीट पर पानी आ जाता है जबकि यहां पर हजारों फीट गहरा करना पडता है। को-आपरेटिव सोसाइटीज, स्कूलें, सडक बिजलीकरण आदि में यहां खर्चा अधिक बैठता है, इस सम्बन्ध में यहां पर व्यय अधिक होगा। इस बात की ओर प्लान में ध्यान नहीं दिया जाता।

दूसरा प्रश्न यह है हमारी शिक्षा योजना का। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गत बीस सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार हुआ है। शहरों में मेडिकल शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा और एग्रीकलचर की शिक्षा वेटरनरी की और कालेज एज्युकेशन की शिक्षा में हमने काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं लेकिन फिर भी आज ऐसा लगता है, जिस समय अंग्रेजों के समय हम कहते थे कि शिक्षा प्रणाली केवल बाबू लोग पैदा करते हैं उसी प्रकार आज की शिक्षा भी शिक्षा शास्त्रियों का मत है हमारे पढे लिखे नवजवान सिवाय नौकरी के और कुछ नहीं करना चाहते। इसी कारण आज भी शिक्षित लोग खेतों में खलिहानों में काम करना पसन्द नहीं करते। जिन लोगों का दिमाग इस क्षेत्र में लगना चाहिये वे भी नौकरी के पीछे भटकते हैं। नौकरी नहीं मिलने पर निराश होकर आन्दोलन की राह लेते हैं। यह जो स्थिति बन रही है, आज जो समाज व्यवस्था है उसमें यदि नवजवान इस आन्दोलन के शिकार हो जायेंगे तो हमारी तरक्की रुक जायगी।

इसके अलावा जिस तीसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है बेरी आयोग के सम्बन्ध में। कल से इस सदन के अन्दर इस विषय पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। आप और हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि 7 मार्च को जयपुर में जो गोली चली जिसके फलस्वरूप 9 आदमी मारे गये और 45 के करीब घायल हो गये। घायलों की क्या स्थिति हुई किसी का हाथ कट गया किसी की टांग कट गई जिसकी दारुण कथा जनसंघ दल के नेता महोदय ने कल सदन में वर्णित कर दी थी इस दिन जो फायरिंग हुआ वह इस बात को लेकर हुआ कि चौथे आम चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनाये या दूसरा पक्ष जो संयुक्त दल के रूप में था वह बनावे।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
इस प्रश्न को लेकर आन्दोलन हुआ और उसमें गोली चली। उस समय इस सदन के माननीय सदस्य दो पक्षों में कोई इधर व कोई उधर हो गये थे। ऐसी हालत में स्वभाविक है कि इस सम्बन्धी चर्चा अपना एक अलग महत्व रखती है।

बेरी आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन दिया है और उसने जो सिफारिश की है वह सदन के सामने है। वह माननीय सदस्यों ने पढी होगी और उसकी सबको जानकारी है। मैं उन सब प्रश्नों पर जाना नहीं चाहता। चार पांच जो मुख्य सिफारिशें हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

बेरी आयोग ने यह कहा है कि जौहरी बाजार में पुलिस पार्टी को भारी भीड ने नहीं घेरा, न किसी ने उनकी बन्दूकें और शस्त्र छीनने की कोशिश की, न किसी ने उस पर बन्दूक चलाई। दूसरी बात यह है आत्मरक्षा की बेरी आयोग ने यह कहा है कि आत्म रक्षा में गोली चलाई गई यह गलत तर्क है, क्योंकि आत्म रक्षा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। तीसरा, राज्य की ओर से प्रशासन की ओर से जो यह कहा गया था कि फायरिंग का ड्यूरेशन 2। बजे से लगाकर 2।।। बजे तक ज्यादा से ज्यादा था, पर बेरी आयोग ने इसे ठीक नहीं माना और कहा कि फायरिंग निरन्तर सवा दो बजे से लेकर पांच बजे शाम तक चलता रहा।

एक प्रश्न यह भी था कि क्या सुखाडिया जी ने राज्य के अधिकारियों के साथ षड्यंत्र करके राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए गोली चलवाई? इसके संबंध में बेरी आयोग ने कहा कि ऐसा कोई षडयंत्र नहीं था।

बेरी आयोग ने यह भी कहा है कि पुलिस की गोली चलाने का कारण प्रशासन ने जो बताये वे नहीं हैं, बल्कि 144 धारा उठ जाने से जनता बाहर आई और इससे मामूली पथराव हुआ, पुलिस वहीं डटी हुई थी, वह आवेश में आ गये और आवेश में आकर घबराकर अन्धाधुन्ध गोलियां पुलिस ने चलाईं। सीनियर ऑफीसर मौके पर नहीं थे, इसलिए पुलिस नियन्त्रण में भी नहीं रही।

साथ साथ यह भी कहा कि पी. ए. सी. और आर. ए. सी. के द्वारा गोलियां चलाना अनुचित था। सिरेह ड्योढी पर गोली चलाने से प्रशासन ने मना किया तो आयोग ने माना कि वहां भी गोली चली। पुलिस ने यह कहा कि कुल 39 गोलियां चलाई गईं लेकिन कमीशन ने यह माना कि इससे अधिक चली हैं और 80 तो कम से कम निश्चित मान कर चलता है।

आप हम सब मान कर चलते हैं कि बेरी साहब का यह काम बहुत मुश्किल काम था। इसमें सदन के राजस्थान के, बडे बडे लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी किसी न किसी रूप में जुडे हुए थे। गवाहियां पेश हुई वे भी हजारों में और बेरी साहब की रिपोर्ट 900 और 1000 पृष्ठों के बीच में है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह निष्पक्षता से किया है। वे जज हैं। जज के उच्च आदर्श को ध्यान में रखकर मेहनत से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हमने जनतन्त्र शासन प्रणाली ग्रहण की है। जनतन्त्रवाद का मतलब है विधि सम्मत शासन और विधि सम्मत शासन में न्यायपालिका को सर्वोच्च मानना पड़ता है और ऐसा हम नहीं मानकर चलेंगे तो सत्ता रूढ़ दल धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बन सकता है कि लोकतन्त्र को भी इस देश में खतरा पैदा हो सकता है।

इसके सिवाय एक बात और भी है। न्यायालयों का जहां तक प्रश्न है इसमें हम को इस बात से नहीं सोचना है कि किसी जज ने एक बात पर एक निर्णय दे दिया तो वह ध्रुव सत्य ही है या दूसरा जज वही बात कहता ऐसा नहीं होता। तहसीलदार एक निर्णय देता है, एस.डी.ओ. दूसरा दे सकता है, मुंसिफ उससे भी सहमत नहीं हो उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज दूसरा फैसला दे सकता है, तो हाई कोर्ट उससे भी भिन्न निर्णय कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उससे भी तीसरा निर्णय दे सकता है। तो निर्णय अलग अलग हो सकते हैं, पर इन सबके पीछे भावना यह है कि न्यायपालिका अलग है, वह स्वतन्त्र है और हम यह मानकर चलते हैं कि वह निष्पक्षता से काम करती है और उस पर ही जनतन्त्रवाद आधारित है, इसलिए इस न्यायपालिका को जनतन्त्र में उच्च मान्यता दी गई है। अगर न्यायालय के फैसलों की फाइनेलिटी नहीं है, उनके बारे में यह नहीं है कि जो कुछ कह दिया वह सही नहीं है तो मनुष्य तो मरने वाला है और मुकदमें और विवाद जो हैं वे दुनिया के अन्दर अमर हो जावेंगे। नतीजा यह होगा कि विवाद बार बार खड़े होकर समाज में विद्रोह की स्थिति पैदा करते रहेंगे। इसलिये जजों का काम कितना महत्वपूर्ण और मुश्किल है यह आपको और हमको समझना चाहिये और कोई भी फैसला हो, चाहे इस तरह के आयोग का हो, हाई कोर्ट का हो, या किसी अन्य अदालत का हो और चाहे वह हमें पसन्द हो या नापसन्द हो पर अदालत के फैसलों की कड़वी घूंट हमें हरेक को पीनी पड़ेगी, चाहे वह सत्ताधारी हो, चाहे शासन हो, चाहे नागरिक हो, कोई हो और मैं समझता हूं हरेक को निस्संकोच ऐसा करना चाहिये। वह कड़वी या मीठी जैसी भी है घूंट पी लेनी चाहिये।

(हियर हियर की आवाज विपक्ष से)

दूसरा पक्ष आता है पुलिस का। पुलिस की ड्यूटी मुश्किल ड्यूटी है। जिसको कहा जाता है थैंक्लस जॉब। सभी आने वाले शासकों की, दलों की जो सत्ता में आते हैं यही इच्छा रहती है कि किस तरह पुलिस उनके कब्जे में रहनी चाहिये इसका मतलब यह है कि शासन उनके हाथ में है जिनके हाथ में पुलिस का प्रशासन है। पुलिस को रात–दिन समाज के गिरे हुए तब से डील करना पड़ता है। चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जुएबाज हैं और किसी तरह के समाज द्रोही लोग हैं उनसे पुलिस को निपटना पड़ता है। उनके जो तौर तरीके आज भी हैं वे कई माने में हमारे जैसे पिछड़े देश में सभ्य नहीं कहे जा सकते, पर एडवान्स्ड कन्ट्रीज तक में यह माना जाता है कि जो बहुत बिगड़े हुए लोग हैं उनका इलाज सिर्फ एक डंडा ही है। तो पुलिस हमेशा डाक्टरों, अध्यापकों आदि जैसे समाज–सेवी काम नहीं करती, उनको कुछ कड़वे काम भी करने पड़ते हैं जो जरूरी है

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

ऐसी स्थिति में आप विचार करिये जरा कि अगर पुलिस न हो तो मैं जो सामान अपने घर छोड़ कर आया हूं वह मेरे पीछे घर पर सही सलामत भी रहेगा या नहीं इसकी भी गारन्टी नहीं हो सकती। फिर आज के युग में पुलिस को इस तरह के अपराधों से ही निपटना पडता हो, ऐसी भी बात नहीं है। आज के जनतान्त्रिक युग में प्रतिष्ठित कहे जाने वाले लोग भी आन्दोलन चलाते हैं। ऐसी स्थिति में भी कानून और व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य पुलिस को निभाना पडता है। तो पुलिस की इन कठिन परिस्थितियों में काम करने की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिये। चाहे फिर हम इधर बैठने वाले हों, या उधर बैठने वाले हों। कोई भी संसार में ऐसा समाज नहीं जो पुलिस के बिना चला हो, चलता हो या चल सकेगा, आगे भी। विचार जरूर करते हैं, सैद्धान्तिक रूप से, कि किसी प्रकार के आदर्श समाज में पुलिस नहीं होगी।

एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी पुलिस को शान्ति और व्यवस्था के कायम रखने हेतु भेजना पडता है। शिव सेना का उपद्रव खडा हो गया बम्बई में, आन्ध्र में विद्यार्थियों का झगडा खडा हो गया, बंगाल में खडा हो गया, यू. पी. में हो सकता है। कई तरह की परिस्थितियां हैं। चुनाव आते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पुलिस फोर्स भेजनी पडती है। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिये, मैं भी कह सकता हूं कि पुलिस ने ज्यादती की, करती भी होगी। पर उसका काम कितना मुश्किल है, इसका भी तो अन्दाज हमें लगाना चाहिये। तो इस तरह के आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते समय हमें न्यायालयों और पुलिस की कठिनाइयों का विचार करना पडेगा।

इसके बाद में सवाल आता है बेरी आयोग ने जो कुछ पुलिस के बारे में उनकी कठिनाइयों के बारे में कहा है, उस पर विचार किया जा सकता है। उस पर कहा जा सकता है। इस सदन में माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सदस्यों के विचार करने के लिये। इस पर सदस्यों ने चर्चा शुरू भी कर दी। सम्भव है राज्य सरकार भी अपनी ओर से इसके लिये कोई विचार अभिव्यक्त करे। तो कहा जा सकता है काफी इस पर। सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी कोर्ट हो जब तक उसमें मामला चलता है तब तक वह मामला सबजूडिस होता है, पर एक बार निर्णय कर दिये जाने के बाद उस निर्णय पर विचार किया जा सकता है उसकी आलोचना भी की जा सकती है, रचनात्मक सुझाव भी दिये जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कई अदालतों में नीचे की अदालत के निर्णय के बारे में बराबर यह कहा जाता है कि साउन्ड रीजनिंग पर वह निर्णय बेस्ड नहीं है। यहां तक शब्द काम में लिये जाते हैं। हम उस पर निसंकोच बहस कर सकते हैं। पर इसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि वह निर्णय एक हाई कोर्ट के जज ने दिया है। उनकी प्रतिष्ठा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिये और हमारा स्तर इस तरह का होना चाहिये। उन जैसे व्यक्ति के लिये सद्भावना से और उच्च स्तर पर कहा जाना चाहिये, और ऐसा ही हमें करना पडता है।

(विराम)

अब मैं 7-5 और उससे पहले 4 मार्च की जो स्थिति जयपुर में थी उस तरफ आता हूं। 4 मार्च को जब राज्यपाल महोदय ने एक निर्णय दे दिया, उसको आप और हम अच्छी तरह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जानते हैं। जयपुर के अन्दर विरोधी पार्टी का प्रभाव था—यह बैरी आयोग ने माना है। कुल भाषण भी उत्तेजनात्मक हुये हैं जिसके कारण जनता में रोष फैल गया। दिनांक 4 से 7 जब से कर्फ्यू हटा या गोली चलने से पहले तक जो स्थिति थी उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें हुआ क्या है कि काफी भारी संख्या के अन्दर करीब 131 बताया जाता है पुलिस अधिकारियों के चोटें आई, उसके अन्दर मजिस्ट्रेट को चोट आई, पुलिस के बड़े अधिकारियों के चोटें आई और सार्वजनिक सम्पत्ति थी, उसको भी नष्ट किया गया और 144 धारा को तोड़ा गया और शहर के अन्दर एक तरह की खराब स्थिति हो गई, इसको बेरी आयोग ने भी रेफर किया है, राजस्थान-पत्रिका ने भी लिखा है और भी अखबारों में लिखा है। शहर में ऐसी स्थिति थी कि रात को जगह जगह आग जल रही थी चारों तरफ ललाई दिखती थी और स्थिति पर अधिकारीगण काबू नहीं पा रहे थे—विचार कीजिये। ठीक है कांग्रेस पक्ष में और विपक्ष में मतभेद हो सकता है इस सरकार को बनाने के प्रश्न पर। कुछ अधिकारी पुलिस के हों, चाहे अन्य प्रशासनिक विभागों के उनके और मिनिस्टरों के या मुख्य मन्त्री जी के निकट के सम्पर्क हो सकते हैं लेकिन पुलिस के आम अधिकारी या छोटे अधिकारी एस. एच. ओ., कान्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल उनमें और इनमें क्या कान्सपिरेसी हो सकती है। फिर बाद में सवाल यह आता है कि ऊपर से इस तरह के आदेश दे। 7 तारीख को 1 बजे से पहले जो बेरी आयोग ने कहा है कि जिस घटना को एक्सेस बताई है वह बरवाड़ा हाउस में मारपीट की है। यह बताया है—पुलिस ने एक्सेसिव बल का प्रयोग किया। दूसरे एक-दो धर्मेन्द्र नारायण या क्या, कोई अन्य, व्यक्ति होंगे, उनको अनुचित रूप से गिरफ्तार किया। पुलिस को जो अधिकार प्राप्त हैं वह राज्य सरकार के दिये हुये नहीं हैं। राज्य सरकार उनके प्रशासन को देख सकती है लेकिन सी. आर. पी. सी. ने मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकार दिये हैं एस. एच. ओ. को आई. जी. भी बाद में आता है। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट व अन्य अधिकारी भी दफा 551 या 552 की दफा के अनुसार कार्यवाही कर सकता है, लेकिन बुनियादी अधिकारी सी. आर. पी. सी. में है। सी. आर. पी. सी. संसद की बनाई हुई है, विधान सभा की नहीं है और संसद की भी क्या, 100 वर्षों से पहले की बनी हुई है। समय के जितने उतार-चढ़ाव हैं वह सब देखे हैं। इसमें कोई खास तब्दीली की जरूरत नहीं आई है। जितने अधिकार हैं सी. आर. पी. सी. में हैं। कोई दखल दे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह अपराध का दोषी हो सकता है। विभागीय कार्यवाही चलाई जा सकती है—पुलिस जो कुछ कर रही थी वह किसी डायरेक्शन से नहीं कर रही थी। सी. आर. पी. सी. में जो जन हित में अधिकार दिये हैं उसकी ड्यूटी दे रही थी। सरकार बदल जाती तो उनकी ड्यूटी में क्या फर्क आता कोई फर्क आने वाला नहीं है। सी. आर. पी. सी. की धारा नहीं बदलती। जो जुर्म है वह डिफाइन्ड है—उसमें कौनसी कॉग्नीजेन्स ले यह दिया हुआ है? मजिस्ट्रेट यदि दफा 144-145 में सिक्योरिटि प्रोसिडिंग्स नहीं ले तो वह खुद गुनाहगार होता है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी। 7 तारीख तक कोई एक्सेसिव कार्यवाही नहीं की केवल छुट-पुट मामले हुये लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सम्पत्ति नष्ट की, अधिकारियों को घायल किया गया और तरह तरह के उत्पात शहर में चलते रहे जो उस समय के अखबारों ने और माननीय कमिश्नर ने भी माने हैं।

श्री मदन सिंह (दांता) : दोषी के गोली लगाई…

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसी दशा में पुलिस क्या करती है। यह सरकार होती, वह होती तो कोई फर्क नहीं आता। वह ड्यूटी उनको पूरी करनी थी और वह पूरी की। उसके बाद सवाल आता है जब यह विवाद खडा होता है। वह सवा या 1-15 कह दीजिये जब यह अनाउन्समेंट हो जाता है कि 144 धारा हटा ली गई है और उसके बाद आयोग का कहना है बल प्रयोग किया गया, फायरिंग गलत किया और दूसरी तरफ से दूसरा पक्ष है–इस बात के तीन पहलू हैं पहला यह है कि जिस वक्त धारा 144 हटाई और अनाउन्समेंट हुआ उस वक्त स्थिति क्या थी–दूसरा यह है कि फायरिंग का टाइम कौनसा है इसमें बडा मतभेद है। 2-30, 2-45 तक सरकार स्वीकार करती है प्रशासन स्वीकार करता है, बेरी आयोग 1-15 से 5 बजे तक फायरिंग मानता है और तीसरी यह चीज कि यह जो घटना बताई जाती है–रायफल छीनना, भीड में से गोली चलाना आदि बातें हुई हैं या नहीं इसमें सबसे पहले जो जनरल सवाल है वह यह है कि उस समय वास्तविक स्थिति क्या थी ? उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(विराम)

पहला सवाल यह है जब 144 धारा टूटी है सरकार ने जब आदेश विथड्रा कर लिये उस समय क्या स्थिति हुई। इसमें सबसे पहले लोकतन्त्र बचाओ समिति ने तार दिया है फायरिंग के सम्बन्ध में उसको लेता हूं। उस तार में यह कहा है 144 धारा विथड्रा की गई है तो जनता जो रुकी हुई थी वह बाहर आयेगी इस खुशी में कि हमारे नेता छूट जायेंगे, हमें सफलता मिल गई है लोगों के बाहर आने पर पुलिस प्रवोक हुई और प्रवोक होकर गोली चलाई। मुख्य मंत्री जी का हाथ है–और वे प्रेसीडेन्ट रूल लगाना चाहते हैं–यह साजिश हुई है यही बात इस तार में कही गई है। यह समिति भी मानती है।

(1 म. प.)

दूसरी बात यह है कि जब 144 धारा हटी पुलिस की बहुत हैवी गार्ड थी जौहरी बाजार में और वहां जो फायरिंग हुआ है उसी के ऊपर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि मुख्य बात यही है कि सिरहड्योढी फायरिंग में किसी को दोषी नहीं बताया है और सिर्फ लापरवाही बताई है। उस समय एक प्लाटून कमाण्डर श्री देवी सिंह थे और उनकी पार्टी थी वह यूको बैंक में लगी हुई थी। प्लाटून कमाण्डर होता है तो उसके साथ में 20-25 लोग होते हैं। दो तीन तो हैड कान्स्टेबल होते हैं उनके पास एक स्टेनगन होती है, लाठी वाली पार्टी भी होती है। इस तरह से वह काफी बडी पार्टी होती है। धारा 144 टूटने के बाद 1 बजकर 30 मिनट पर जिसकी रिपोर्ट 3.15 पर ही दे दी गई है। यूको बैंक में जो इस पार्टी के विस्तर थे उनको जलाया गया। उसके बाद में देवीसिंह के 3 चोटें आईं। शिशु पाल जो एक कान्सटेबल था उसके चोटें आईं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और भोलासिंह के भी चोटें आईं–यह विवादास्पद मामला है लेकिन उसके बारे कहा जाता है कि इस भोलासिंह को ऊपर से नीचे पटका गया लेकिन वह बरण्डा से रुक गया और उसके थोडी चोटें आई हैं और दुर्व्यवहार किया गया उसके साथ में। इसकी सम्पादक अनसूया प्रसाद जी भी ताईद करते हैं। दूसरे प्लाटून कमाण्डर वगैरह सब इस बात की ताईद करते हैं। दूसरी एक पार्टी थी बाई जी का खांडा में जहां पर आदूराम प्लाटून कमाण्डर थे उसके साथ में आर.ए.सी. की पार्टी थी और उसके ऊपर हमला किया और यह जाकर एक मन्दिर में घुसे और उस मन्दिर के भीड किवांड तोडने लगी और किवाड तोडने लगे तो ऊपर से भागकर थाने में वह घुस गये और इन्होंने एफ. आई. आर. लिखाई और प्लाटून कमाण्डर के दो चोटें आई हैं और एक बंसी करके सिपाही था उसके एक चोट आई है। जो बाई जी काखांडा वाली पार्टी का है जो कि मन्दिर में गयी, अनसूया प्रसाद, जिस गवाह को कमीशन ने बहुत हद् तक माना है, वह खुद कहता है कि यह वाकया मेरे रूबरू हुआ और इसकी एफ-आई.आर. 2.30 पर हुई है। उसके बाद में आर.ए.सी. की या पी.एस.सी. की पार्टी जो कि जौहरी बाजार में ईस्ट-साइड में थी वह भी एक प्लाटून कमान्डर के नेतृत्व में थी जिनके 25-30 जवान तो होंगे ही उनको भारी पथराव के कारण और हमले के कारण शिफ्ट करना पडा। जब सारी पार्टी पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गयी जौहरी बाजार के अलग अलग बरान्डा में उस समय एक तिवाडी करके डिप्टी एस.पी. थे वह वहां आते हैं, इस नीयत से कि पुलिस पार्टीज को किधर से निकाला जाये। उस स्थिति में क्या होता है जिसके ऊपर कमीशन ने कुछ नहीं कहा है पर इस गवाह ने कहा है कि उनको पीटा गया। वह कहते हैं कि उस समय भीड द्वारा बडा भारी पथराव हुआ था और उन्होंने वहां जाकर हिम्मत करके शांत करने का प्रयत्न किया–उस समय उनको एक पत्थर की चोट लगी जिससे उनके खून आया लेकिन लगने के बाद भी उन्होंने सोचा कि पुलिस की पार्टी को किसी न किसी तरह से निकाल दिया जाये तो उन्होंने कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उनके ऊपर एक पत्थर गिराया गया। कोई गवाह कहता है कि वह पत्थर 20 किलो का था। जज महोदय ने कहा है कि मैं इसको नहीं मानता कि 20 किलो का पत्थर गिरा और इतनी चोट आई। लेकिन ठीक है उनके चोटें आई हैं और उस समय उसको दूसरी चोट लगी। वह गिर गये और भीड उसको घसीट कर सडक के बीच में ले गयी और उस समय नरेन्द्र कुमार एस.एच.ओ थे, के पास छोटी पार्टी थी उसने बचाया और फिर सहारा देकर उनको ले जाया गया। जो उनका मेडिकल सर्टीफिकेट है उसमें 4 चोटें आईं इसका जिक्र है और उसके बाद में नरेन्द्र कुमार जिसने बचाया उस डी. एस.पी. को बचाया वह कहता है कि पथराव बहुत जोरों से हो रहा था। यह फायरिंग के पहले की बात है सडक पर हजारों पत्थर पडे थे और मैं निवेदन कर दूं उसके ऊपर कमीशन ने भी रिलाई किया है। फिर जो कमीशन ने फोटोज दी हैं जिनको कमीशन ने रेफर किया है उनको भी ध्यानपूर्वक देखें तो मालूम होगा कि हजारों पत्थर, यानी अनापशनाप पत्थर हैं। नरेन्द्रकुमार के खुद के चोटें लगी हैं।

Page No 57

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उसके बाद में यज्ञनारायण सिंह और हैं वह वहां पर आये उसको भीड़ ने पकड़ लिया और उसके पत्थर की चोटें लगीं, उसके साथ थापा मुक्की की गयी, फिर वह गिर गया तो 20-25 कदमों तक उसको घसीटा। वह मानक चौक की तरफ भागा, उसको फिर पकड़ लिया और कपड़े फाड़ दिये और यहां तक वर्णन है कि वह अण्डरवीयर में वहां से गया। पुलिस वाले आये और उन्होंने उसको छुड़ाया। अध्यक्ष महोदय, इस आफिस के 12 चोटें आई हैं। प्रभुनारायण सिंह के साथ हैड कान्सटेबल था उसके 4 चोटें आईं। अनसूया प्रसाद, जिनको कमीशन ने रिलाई किया है इस बात की ताईद करते हैं और वह कहते हैं कि इसको बहुत मारा और कपड़े फाड़ दिये और इसके अलावा पी.ए.सी. और आर.ए.सी. दो पार्टियां थीं। इसके बारे में उन्होंने अपना वर्णन दिया है। एफ.आई.आर. की रिपोर्ट दी है। लेकिन एक बात यह भी है कि 65 या 67 व्यक्ति थे पी.ए.सी. के उसमें से 48 के चोटें आईं। किसी को एक चोट आई, किसी को दो चोटें आई, किसी को 3 चोटें आईं और किसी को 4 चोटें आईं अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें से कोई आगाह नहीं करता कि यह पक्ष स्वीकार किया जाना चाहिए था या वह पक्ष स्वीकार किया जाना चाहिए था लेकिन सवाल यह है कि फर्ज आदायगी में पुलिस ऑफिसर्स जिनमें से यहां कई बाहर से आये हुये थे सरकार किसकी बने किस की नहीं बने उनको क्या दिलचस्पी थी हां, छोटे अधिकारी तो जरूर सोच सकते थे कि इतने सालों से कांग्रेस चली आ रही है इस बार दूसरी सरकार बन जाये। उच्च अधिकारियों में लायलटी हो सकती है। लेकिन छोटे अधिकारियों के लिए यह नहीं सोच सकते। तो उनको फायरिंग का राजनीतिक उद्देश्य हो यह बात नहीं है। वह अपनी ड्यूटी का अन्जाम दे रहे थे और उसके दौरान में 48 व्यक्तियों को चोटें आई हैं और यही नहीं जितनी भी पुलिस पार्टीज हैं–मैंने ऊपर दो तीन नाम दिये हैं उन सब पार्टीज के इस तरह से चोटें आई हैं। किसी को पीटा गया है, डी.एस.पी को पीटा गया है, थानेदार को पीटा गया है, किसी के कपड़े फाड़ दिये गये और जो स्थिति है उससे मालूम होता है कि उस समय पुलिस वालों का एक दो का उधर से निकलना असम्भव बात थी।

इस विवाद के दो पक्ष हैं, एक तो यह कि वहां बहुत भीड़ थी और दूसरी तरफ यह कि भीड़ नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, 20-25 आदमियों की सशस्त्र पार्टी एक एक प्लाटून कमांडर के साथ होती है और कम से कम 5-6 प्लाटून कमाण्डर तो हमने गिन लिये हैं। इतने सशस्त्र दल लोग कन्सन्ट्रेटेड जिस जगह पर थे और उसमें इतना पथराव हुआ है और यह पिटाई हुई है तो क्या यह सम्भव था कि भीड़ में बीस पच्चीस आदमी होते तो यह काम कर सकते थे। स्पष्ट है वह नहीं कर सकते थे, यह असम्भव था। यह तय शुदा बात थी कि बहुत ज्यादा थे व लोगों ने यह तय किया था कि पुलिस को मारकर भगाना है। फिर जितने गवाह हैं उन्होंने कहा है कि रेडियो ने यह एलान कर कह दिया कि धारा 144 वियड्रा हो गयी है। इस तरह के 25-30 विटनेस आये हैं। सम्पादक खुद मानते हैं इस बात को कि यह सब कुछ ठीक हो गया है। तो इसके बाद में पुलिस को इतनी चोटों आने का क्या कारण है। तो मेरा निवेदन यह है कि उसमें एक पक्ष यह भी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हो सकता है कि स्थिति यह थी कि वह बिल्कुल बेकाबू थी और पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखे। यही नहीं पुलिस सुशासित समाज का सिम्बल है, सरकार का सिम्बल है। जो पुलिस वाले वहां थे वह किसी दल को सरकार बनाने में कहां रोक लगाते थे, सरकार का फैसला वह कब करने वाले थे? तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस पक्ष के बारे में भी आप सोच सकते हैं।

फिर सवाल आता है, एक बात यह आई है कि उस वक्त भीड कितनी थी? कमीशन ने यह माना है कि सरकार के पक्ष की ओर से कहना यह था कि 5 और 6 हजार आदमियों का जुलूस था वह माणक चौक चौपड पर आया और वहां से आगे बढा और आगे बढते हुए वह आता हल्दियों के रास्ते तक और घी वालों के रास्ते तक एप्रोच हो गया। यही पुलिस पार्टीज थीं। दूसरी तरफ जो वर्णन आया यह समिति का का वर्णन है उसके अनुसार 40-50 लडके थे छोटे छोटे। उन्होंने एक जुलूस निकाला था और मामूली छुटपुट पत्थराव की घटनाएं भी चल रहीं थीं। मैं नम्र निवेदन करूं कि इतनी बडी पुलिस फोर्स और इधर 40-50 लडके ही। पुलिस फोर्स बरामदे के अन्दर थी और उनके सिर पर स्टील के हेलमेट थे तो ऊपर से तो लग नहीं सकती और पत्थर सीधा लगना चाहिए और बचाव के लिए वहां खम्भे भी होंगे। ये बच्चे इतना नहीं कर सकते थे। यह मानने योग्य बात नहीं है। इसके विपक्ष में दूसरी ओर हैं शहादतें भी। शहादतें इस प्रकार हैं। यज्ञनारायण सिंह सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि माणकचौक पर सवा दो और ढाई के बीच में ह्यूज क्राउड, बहुत बडी क्राउड थी और भीड गुलाब बैण्ड पर पत्थर फेंक रही थी। समिति का यह कहना था कि 50-60 बच्चे थे। इसमें समिति के जो गवाह आये हैं वे तीन तरह के हैं। कुछ गवाह यह कहते हैं कि जुलूस था ही नहीं। कुछ कहते हैं कि 50-60 का जुलूस था और कुछ कहते हैं कि 700-800 आदमियों का जुलूस था। किसी ने कहा है-एस. डब्ल्यू. 44-उसने कहा है, छुट्टनलाल ने कहा है यह 700-800 का जुलूस था और यह भी कहा है कि पत्थर सडक पर बिखरे हुए थे। भीड के बारे में अनुसूया प्रसाद जिसको आयोग ने हर जगह माना है, ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वहां एक बहुत बडा जुलूस था। पुलिस के अधिकारी जो उस वक्त मौके पर थे देवीसिंह पी. सी. उसके चोटें आई हैं। एफ.आई आर. उसने दी है। आदूराम, बंसीचन्द, अनुसूया प्रसाद जिसका गला पकडा गया था यह कहकर कि यह सरकारी एजेन्ट मालूम पडता है नोट ले रहा है, वह खुद गवाह है, उन्होंने कहा है कि वहां पर बहुत बडा जुलूस था। उसके बाद में पुलिस का समर्थक चूहामल जिसका लाइफ मेगेजीन में फोटो भी दिया गया है उसके अन्दर बरान्डे के ऊपर बहुत भारी भीड और अनाप शनाप पत्थर बताये गये हैं और इस तरह से गुरुबचन सिंह जो कि इस पिक्चर में हैं जिसने कि जाकर चूहामल को छुडाने की कोशिश की है, उसने और उसके अलावा यज्ञनारायणसिंह इन्होंने और सब ने कहा है कि भारी जुलूस था। अध्यक्ष महोदय, जुलूस बडा था या छोटा था इसके बारे में जो समिति की तरफ से आये हैं उसके ही गवाहों ने इस बात को कन्सीडर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

किया है कि जुलूस बडा था। कुछ ने कहा है. है कि छोटा था और कुछ ने कहा है कि बिल्कुल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं वालों को टाल दें क्योंकि वह मानने योग्य बात नहीं है, लेकिन छोटा जिन्होंने कहा है उसके लिए मैंने निवेदन किया है कि वह मानने योग्य बात नहीं हो सकती है। जुलूस बडा होना चाहिए, इस बात को मुसतगीस के एक गवाह ने माना है जिसका कि गला पकडा गया था और जिसको कमीशन ने रिलाई किया है। खुद समिति के गवाहों ने यह बात कही है कि जुलूस था और वह वास्तव में बडा था और उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि पुलिस वालों और पुलिस वालों का जो समर्थक चूहामल नामक व्यक्ति था, उसके ऊपर, जो एक बडा पत्थर लिए हुए है जिसका कि लाइफ मेगेजीन के अन्दर फोटो आया है तो जहां तक यह प्रश्न है कि जुलूस बडा था या छोटा मैं समझता हूं कि वास्तव में जो माननीय आयोग यह बात कही है कि जुलूस बहुत छोटा था तथ्य पर आधारित नहीं है मेरा नम्र निवेदन है कि मोड वाला बडा जबरदस्त पक्ष है। इसने शायद उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया हो, ऐसा ही मैं मानकर चल रहा हूं।

उसके बाद में स्टेनगन छीनने की बात है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गलत है। कल ही एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उससे राइफल छीनने का पूछा था उसके पास स्टेनगन थी और चूंकि ट्रेन्ड आदमी था इसलिए उसने राइफल के लिए इन्कार किया। कानूनी शहादत में एक गवाह एक दफा एक बात कहे और उसी बयान में दूसरी दफा दूसरी बात कहे तो जज का यह कर्तव्य हो जाता है कि इन दोनों बातों को गवाह के सामने रखे व स्पष्टीकरण मांगे। कमीशन सिर्फ कुछ कयासों पर ही उस बात को खारिज नहीं कर सकता है।

जुलूस के मामले में, इसमें जो चोटें आई हैं उनके मामले में और स्टेनगन छीनने के मामले में पाजिटिव एविडेन्स अगर किसी तरफ की थी तो वह प्रशासन की तरफ से थी। समिति की तरफ से या माननीय कमीशन की तरफ से जो बात कही गई है वह कयासों पर आधारित है। उसको घसीटा या नहीं और अगर घसीटा है तो चोटें क्यों नहीं आई। बीस किलो का पत्थर पटका तो इतनी ही चोट क्यों लगी, जब कि इतने पत्थर फेंके गये तो इतनी ही चोटें क्यों आई। बहुत सख्त चोटें आनी चाहिए थीं। पत्थर एक फेंका जा सकता है पत्थर कहां लगेगा, वह आम तौर से तीखा होता है, और फिर एक तरफ से आदमी पर पत्थर आ रहा है तो वह बचने की भी कोशिश करता है। तो इन सब बातों को कयास पर टाल दिया। इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? समिति वाले गवाह क्या कहते हैं। किसी को पूछा नहीं है। और यह कह दिया कि कोई पाजिटिव एविडेन्स नहीं है और खाली कयास पर चले हैं। मैं एक केस आपको बताऊं कि सेकण्ड वर्ल्ड वार के टाइम में एक आदमी एक बॉम्बर से 18 हजार फीट की ऊंचाई से गिरा और जिन्दा था आज से 5 साल पहले तक। 18 हजार फीट यानी साढे तीन मील की ऊंचाई से गिरा लेकिन बहुत घना जंगल होगा या 15—20 फीट तक बर्फ उसके अन्दर हो सकती है या और कोई बात हो सकती है। यह असम्भव बात भी संभव हो गई कि सामने एविडेन्स है पाजिटिव, तो कयास के

Page No 60

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
ऊपर दलील देना कि घटना इस प्रकार नहीं हुई मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं था।

उसके बाद में आता है प्रश्न यह कि किस समय यह झगडा हुआ, क्योंकि कमीशन का यह साफ फाईडिंग है कि 2-15 से लगाकर 5 बजे तक निरन्तर पुलिस ने गोलियों का प्रयोग किया—गलियों के अन्दर गोलियां चलीं। कोई उनको प्रोवोकेशन नहीं था। फायरिंग अनकन्ट्रोल्ड, इन्डिस्क्रिमिनेट और अनजस्टिफाइड था। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना यह है कि 2 बजकर 15 मिनट पर यह फाईरिंग हुआ है और फाइरिंग 15–20 मिनट तक अधिक से अधिक किया है। कहीं पर 5–7 मिनट ही फाइरिंग हुआ है। फाईरिंग की जो स्थिति है इसका समय किस तरह से निकाला है इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं कि अलग अलग कितने कितने मिनट बाद में फाईरिंग हुआ और यह भी मालूम नहीं है कि किन परिस्थितियों में हुआ तो ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में समिति के गवाहों का जहां तक सवाल है, एक बात अपने को देखने को मिलेगी। रूपिति के जो विटनेसेज हैं, जो घायल हैं, उन्होंने जो कोई बात शुरूआत में समय के बारे में कही है उसके बाद में छोड देने की कोशिश की है, शुरू में समय ढाई से पौने तीन बजे बताया है। उसके बाद जो उनके बयान हैं, वह 161 में हुए हैं वकील के सामने हुए या किसी के सामने। लेकिन समिति ने अपने आरोप-पत्र में समय तय कर के लिखा जिन गवाहों का समय इससे मेल नहीं खाती उनको पेश नहीं किया। मैं यह नहीं कहता हूं कि उधर का पक्ष सही है या इधर का पक्ष सही है। अब उसमें सबसे पहले आता है, कमल किशोर बेरी। उसके 161 में बयान हुये। उसने बताया है 2 बजकर 42 मिनट पर, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एक दरख्वास्त में उसने 2–45 बताया है। उसके बाद बिहारीलाल है। समय के बारे में बयान कण्ट्राडिक्टरी है। इस तरह से गोपीचन्द पाटनी है, वह इस मामले में ताईद करते हैं कि गोलियां 2-4-5 मिनट चली हैं। और 4 बजे तक निश्चित तौर से फायरिंग खत्म हो गई थी। यह गवाहों के बयान हुए थे। गिरधारीलाल भार्गव कहते हैं कि 3–40 पर ज्ञानचन्द गोधा घायल पडा हुआ था। फायर पुलिस वालों ने किया या आर.ए.सी. वालों ने किया पता नहीं? इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन का केस कान्स्टेंट है। पुलिस पर आक्रमण है तो उसका केस रजिस्टर होता है। दफा 161 में पुलिस को बयान लेने का अख्तियार है। इससे वह अख्तियार उसका छिन नहीं जाता है। और पुलिस नेचुरली एक आर्गनाइज्ड फोर्स है। रोजनामचे में देना होता है। एफ. आई. आर. काटनी होती है। लेकिन जो सब उधर बैठने वाले या इधर बैठने वाले हैं वे सब जानते हैं कि एफ.आई.आर कट जाने के बाद फिर रद्दो-बदल नहीं हो सकती है। आप को पुलिस की एक बात माननी पडेगी कि उनका आर्गनाइज्ड फोर्स है। 10–12 जो घायल हुए हैं, उन्होंने एडमिशन में 2–45 से समय लिखाया है। उसके बाद समय बढाया है। एक रामदास है। पता नहीं कैसे उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया है जिसके अन्दर 2–45 का समय फायरिंग का बताया है। शायद कलेक्टर को दिया है।

(1.25 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसके अलावा पुलिस को कोई अदावत नहीं है कि पुलिस 3 घण्टे तक गोली चलाये। आखिर पुलिस का बडा अर्गेनाईजेशन है, तीन घण्टे पौने तीन घण्टे फार्यरिंग चलती रहे बावजूद इसके कि धारा 144 बिगड़ा हो गई है। एक व्यक्ति आवेश में आ सकता है। लेकिन पुलिस को कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं जिसके कारण वह ऐसा करती। पुलिस के प्लाटून कमाण्डर हैं और अधिकारी हैं, वह साथ होते हैं। गलत फार्यरिंग करने से क्या नतीजा हो सकता है, यह पुलिस के सामने होता है। यह कहना कि वहां कोई था ही नहीं। फिर तीन घन्टे तक गोली चलती रही तो क्या पुलिस वाले पागल होगये थे। यह मानने वाली बात नहीं है।

अब एक जनरल बात आती है सेल्फ डिफेन्स की सेल्फ डिफेन्स का अधिकार कब बनता है। सेल्फ डिफेंस के कानून में लम्बा चौडा प्रावधान है। जो वकील हैं, वह जानते हैं। लेकिन सिम्पल में, वह यह है कि जैसे ही जान का खतरा हो जाय आत्मरक्षा का अधिकार हो जाता है और ज्योंही डेंजर मिटा कि वह समाप्त हो जाता है। 64–65 या 67 में पुलिस के आदमी घायल हो जायें पत्थरों से किसी भी पुलिस वाले को देख लिया, टांग पकड ली। भीड के अन्दर कर लिया। दूसरी बात जो मिस की है, क्लोज रहने से फार्यरिंग होती है नजदीक की फोटों में जलने का निशान भी आता है। तो जलने के निशान भी थे। तो इससे यह साबित होता है कि वह बहुत ही नजदीक थे। बरांडा और उसके अन्दर 48 आदमियों का घायल होना। जो बच गये उनके दिन अच्छे थे। यह तो परिस्थितियां बता सकती हैं। कमीशन ने कयासों पर ज्यादा विश्वास किया है, यही कि इतना होता तो यह होजाता। लेकिन दूसरी तरफ एक थ्योरी है। वह थ्योरी यह है कि जितने आदमी घायल हुए हैं, जितने विटनेस में आये हैं, सच्चाई जो होती है वह नेचुरल वे में आती है। डिटेल वे में आती है। क्या होता है, इसका विवरण होता है। लेकिन जो बात गलत है, उसकी डिटेल नहीं हो सकती है। क्या हुआ? 144 लगी। मैं जारहा था। या अपनी दूकान पर गया था। गोली चल गई। उन्होंने कितना हिस्सा लिया। कितने लोग थे। इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। इसका मतलब यह है कि पुलिस वाले ऐसे हो गये हैं कि गोलियां चला रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस ने पोजिटिव विटनेस दिये हैं। जितने लोग थे वह प्रभावित हुए हैं। एक दूसरे की स्टोरी जुडी हुई है। मनुष्य झूठ बोल सकता है। व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन सभापति महोदया, सरकम्स्टानसेज झूठ नहीं बोल सकते हैं। पुलिस ने जो सरकम्स्टांस का हवाला दिया है ने उससे यह मालूम पडता है कि यह स्टोरी सच्ची है। विपक्ष ने जो फार्यरिंग का बताया उसमें यह तमाम पार्ट नहीं बताये हैं, सिर्फ एक सरसरी तौर पर कह दिया है। इससे निश्चित रूप से मालूम होता है कि उन परिस्थितियों में उनको सेल्फ डिफेन्स के अख्तियारात थे इतनी चोट लगने के बाद।

एक बात और भी है। पुलिस दल है, सभापति महोदया जी, एक संगठित दल है। इसमें पांच, चार या दस आदमियों के ऊपर जैसा ऑफिसर होना चाहिए वह होता है और इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। मोब से कैसे डील करेंगे इसका तरीका मालूम

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
होता है। मामूली से मामूली परिस्थिति में भी हम बहुत आवेश में आकर कुछ कर सकते हैं। हममें से कोई इस प्रकार आमने सामने हुए होते तो हो सकता था कि हम पहले गोली चला देते। लेकिन पुलिस इस प्रकार की गलती नहीं कर सकती क्योंकि उसको ट्रेनिंग इस तरह की होती है, वह जानती है कि अगर वह गलती कर दे तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है, उसकी जिम्मेदारी ऑफिसर्स की भी होती है। उन पर जिम्मेदार ऑफिसर होते हैं और उन पर जगह जगह चेक लगे हुए हैं। और फिर दूसरे राज्य की सशस्त्र पुलिस थी वह किसके पक्ष के लिए ऐसा कार्य करती।

तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरा यह कोई कहने का इरादा नहीं है कि माननीय जज महोदय ने जो कुछ किया है वह उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। मैंने जो कुछ कहा है वह श्रद्धापूर्वक और आदर के साथ कहा है इसी भावना से सरकार को और सबको लेकर चलना चाहिए। इन सब बातों को बताने का मेरा कर्तव्य था एक नागरिक के नाते और इस सभा के सदस्य के नाते।

श्री **रामनारायण चौधरी** : आन ए पाइन्ट ऑ ऑर्डर। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस नियम में है

> यथास्थिति, सदन के प्रारम्भ पर या समय समय पर अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सभापतियों की एक तालिका मानोनीत करेगा, जिनमें से कोई एक अन्य तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के कहने पर सदन में पीठासीन हो सकेगा।

इस तरफ ध्यान आकर्षित कर मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय अपनी सुविधानुसार चार सदस्यों का पैनल आफ चेयरमैन नियुक्त करते हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का सभापतित्व करते हैं लेकिन उपाध्यक्ष की उपस्थिति के अन्दर कोई भी तालिका का सदस्य सदन का आसन ग्रहण नहीं कर सकता। यह इस नियम में प्रावधान है। हाउस आफ कामन्स में भी एक बार यह प्रश्न उठा था। उस वक्त वोट आफ नो कान्फीडेंस पर विचार हो रहा था। तब उपाध्यक्ष कुर्सी पर विराजमान थे, आसन पर विराजमान थे। उसके बाद मतदान के वक्त उन्होंने आसन छोड़ा और मतदान कक्ष में चले गये इस पर आपत्ति उठाई गई और यह निर्णय किया गया कि उपाध्यक्ष की उपस्थिति में सदन का सभापतित्व तालिका में से कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं इस नियम के आधार पर चाहता हूं कि आप इस पर निर्णय दें।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** : सही है।

श्रीमती सभानेत्री : आपने जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है वह मैं अध्यक्ष की व्यवस्था के लिए रिजर्व करती हूं। जहां तक मेरा कहना है, अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर विराजे हुए थे और डिप्टी स्पीकर बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय को किसी आवश्यक कार्य से जाना पड़ा, इसलिए बीच में न तो डिप्टी स्पीकर को बुला सकते थे और न बीच में उनका भाषण रोक सकते थे।

Page No 63

(श्रीमती समानेत्री)

श्री देवीदत्त गडिया

श्री शंकरलाल श्री पृथ्वी सिंह	माननीय सभापति महोदया

श्रीमती समानेत्री: श्री पृथ्वी सिंह।

श्री पृथ्वी सिंह (बोली): माननीय सभापति महोदया, आज तीन दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर सरकारी पक्ष की तरफ से धन्यवाद का प्रस्ताव हुआ है उस पर वादविवाद चल रहा है; उसके सम्बन्ध में

(1.35 म.प.)

(श्री निरंजननाथ अचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

मैं भी इस डिबेट में भाग ले रहा हूं

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: थोडा यदि आप स्थान ग्रहण करें तो मैं व्यवस्था दे दूं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि रामानन्द अग्रवाल व श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सदस्य विधान सभा ने अलवर शहर और तहसील में फैली असुरक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

इसके अतिरिक्त श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने कोटा जिले के आमली कराडियां (अटरू) में बसे बावरी परिवारों के लोगों को पीटने व उनको गिरफ्तार करने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये दोनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय किन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए गृहमन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन दोनों मामलों में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल या परसों तक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता।

इनके अतिरिक्त श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा ने चूरू जिले के मामलेरी अकाल राहत शिविर में मजदूरों को गला-सडा अनाज देने व खारा पानी पीने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसके अलावा श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें तहसील नोहर के गांव सूरपुरा में होली की रात्री को एक हरिजन के घर में एक गुण्डे के घुस जाने और उन दोनों में मारपीट हो जाने से गुण्डे की मृत्यु हो जाने आदि के सम्बन्ध में पुलिस की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। इन दोनों प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा।

इनके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्तावों की ओर सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

(1) तहसील लाडनूं एवं डीडवाना तहसील में इस वर्ष जो गांव 6 आने से 8 आने तक अकाल में दर्ज किये गए थे उनको अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किये थे परन्तु इस प्रकार के गांवों से भू-राजस्व की सारी रकम वसूल न करने का राजस्थान

Page No 64

(श्री अध्यक्ष)
टेनेन्सी नियमों में प्रावधान है। फिर भी उनसे पूरी भू-राजस्व की रकम वसूल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरडक ने दी है।

(2) श्री हरजीराम बुरडक ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि डीडवाना जिला नागौर में राजकीय नमक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को नमक तोल कर मजदूरी दी जाती है और इस कारण राज्य सरकार और मजदूरों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है।

(3) राजस्थान से गुवार की निकासी के परमिट जारी किये जाने से मवेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य विधान सभा ने दी है।

(4) श्री दिग्विजय सिंह उनियारा, सदस्य विधान सभा ने उनियारा नगरपालिका जिला टोंक द्वारा अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन माह से वेतन न देने तथा वहां के सैक्रेट्री द्वारा स्वयं का वेतन बराबर उठाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त बजट पर होने वाली बहस के दौरान सम्बन्धित माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुट बिहारी लाल, श्री रामकिशन, श्री आदित्येन्द्र व श्री नत्थी सिंह, सदस्य विधान सभा रूपा रेल नदी से भरतपुर व अलवर को पानी दिए जाने में अनियमितता के बारे में दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है जिसमें यह बतलाया है कि घाट-पिक-वियर को ऊंचा किया जा रहा है और वहां पर निकलने वाली नहर की सिल्ट सफाई व घाट-पिक-वीयर की मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं किन्तु भरतपुर जिले के हिस्से के पानी पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

आरम्भ करें।

श्री **कृष्ण कुमार गोयल**: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर आपने जो व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था तो शिरोधार्य है। आपने इस बारे में वक्तव्य देने के लिए मन्त्री महोदय को कहा है, इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कुछ मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा जिनका भी वह उत्तर दे दें। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें किस कम्युनिटी के लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है–यह स्पष्ट रूप से बतायें। दूसरे कौन कौन पुलिस ऑफिसर, एस. पी., डी. एस. पी., डी. आई. जी., आई. जी. ऐसे हैं जिनके इन्जरी आई है, यह भी सूचनाओं के आधार पर बतायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव अपने आप में महत्वपूर्ण है...

श्री अध्यक्ष: आर्डर माननीय सदस्य।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: केवल दो सकिंड।

श्री अध्यक्ष: निवेदन करना चाहूंगा, जो भी फेक्ट्स और तथ्य और भी हों, जिनके बारे में आप स्पष्टीकरण चाहें वह कृपया गृह मन्त्री जी को दे दें ताकि उनका भी स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था गंवार की निकासी के सम्बन्ध में, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है......

श्री अध्यक्ष: माननीन सदस्य मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है, फिर प्रश्न पैदा नहीं होता कि आप इस पर विचार प्रकट करें...

श्री देवीदत्त गाडिया: माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: मैंने कल व्यवस्था दी थी और यह नियम भी है, इसलिये जो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये हैं उन पर यहां वाद विवाद नहीं हो सकता।

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं वाद विवाद नहीं करता पर गंवार की निकासी को राजस्थान से रोकना होगा, राजस्थान में आज भयंकर अकाल है......

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर कोई बात नहीं होगी, यह व्यवस्था है, स्थान ग्रहण करें, यह व्यवस्था है।

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं इसलिये निवेदन करता हूं कि राजस्थान में भयंकर अकाल है, चारे का हमारे यहां पहले से ही अभाव है, और हम आज दूसरे प्रान्तों से चारा मंगा रहे हैं। गंवार को फोडर घोषित किया गया है, वैसे ही राजस्थान में गंवार बहुत कम पैदा होता है, यह सारा गंवार राजस्थान से बाहर चला गया तो हमारा पशु धन मर जायगा, बिडलाजी को परमिट दिया गया है, दूसरे पूंजीपतियों को परमिट दिये गये हैं, गंगानगर से 40 वेगन लद चुके हैं, 3500 टन गवार का परिमट दिया गया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर वाद विवाद नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाडिया: वाद विवाद नहीं कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: कोई चर्चा नहीं होगी। जो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये हैं उन पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं आसन से यह निवेदन करता हूं....

श्री अध्यक्ष: मैंने आसन से ही आपसे निवेदन किया है कि इसकी चर्चा नहीं उठायें।

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं चर्चा नहीं उठाता।

श्री अध्यक्ष: मैं इतना कर सकता हूं कि मैं मंत्री जी से निवेदन कर दूंगा आप उनसे मिल लें वे इस पर और स्पष्टीकरण कर देंगे। पर सदन में अब इस पर वाद विवाद नहीं हो सकता। जो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया उस पर चर्चा नहीं होगी।

माननीय सदस्य भाषण शुरू करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : यदि राजस्थान से गंवार चला गया तो राजस्थान के बचे खुचे मवेशी भूखों मरते मर जायेंगे, कुछ मवेशी बचे हैं वे भी मौत के घाट उतर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आपकी भावना को समझ लें, चला नहीं जाय गवार कहीं बाहर। माननीय सदस्य महोदय !

एक माननीय सदस्य : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ····

श्री अध्यक्ष: जानकारी आने पर मैं व्यवस्था दूंगा।

माननीय सदस्य महोदय।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द सदन के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण की शुरूआत अकाल की स्थिति से की है। राजस्थान सरकार द्वारा किये गये राहत कार्यों तथा जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में 11 पैराज में प्रकाश डाला है जो सारे अभिभाषण का 1।6 हिस्सा है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि अकाल की घोषणाएं समय पर कर दी गई थीं। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में अकाल की घोषणा की जाने के सम्बन्ध में बडी अजीब स्थिति हमारे सामने आई। पाली जिले के कलेक्टर महोदय ने जो अकाल की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में प्रेस्काइब्ड फार्मस हैं, उन फार्म्स को भर कर राज्य सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया पर राज्य सरकार ने कुछ टैक्निकल आपत्तियां पैदा कर के उन फार्म्स को वापिस जिलाधीश के पास लौटा दिया। वह आपत्तियां राज्य सरकार ने क्या कीं, इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता किन्तु इतना निवेदन कर सकता हूं कि उन फार्म्स के सम्बन्ध में कहा कि प्रेस्काइब्ड फार्म्स पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और वे फार्म्स जिलाधीश पाली को वापिस भेज दिये गये। जिस ढंग से राज्य सरकार द्वारा स्थिति चाही गई थी, जिलाधीश ने जल्दी से जल्दी फार्म्स भर कर राज्य सरकार को वापिस भेज दिये और राज्य सरकार ने जैसे दूसरे जिलों में अकाल की स्थिति की घोषणा की थी, पाली जिले में भी अकाल की घोषणा की; पर पाली जिले में अकाल की घोषणा इस ढंग से की गई जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान पैदा हो गये हों, आस-पास के गांवों में अकाल की स्थिति नहीं है और चुन-चुन कर, छांट-छांट कर जैसे कुछ गांवों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई, इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने देखने में आई। इस बात के लिए भी मैं ज्यादा नहीं कहता पर जो अकाल की घोषणा कर दी गई राजस्थान में और विशेष कर के जालौर, जैसलमेर और बाडमेर जिलों में अकाल की घोषणा करने के बाद मवेशी माइग्रेट करने शुरू हो गये। पाली जिला ही एक ऐसा जिला है जिसके अन्दर से इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के मवेशी, चाहे गुजरात की तरफ जाते हों, चाहे मध्यप्रदेश की तरफ जाते हों, पाली जिले के अन्दर से ही मवेशियों के जाने के ट्रेक्स हैं। अकाल की घोषणा करने के बावजूद भी पाली जिले में मवेशियों के ट्रेक्स का निर्धारण नहीं किया गया इस लिये उपरोक्त तीनों जिलों से आये हुए मवेशी बिना ट्रेक्स के अन्धों की तरह सारे पाली जिले में

(श्री पृथ्वीसिंह)
मंडराने लग गये, बिना ट्रेक्स के एक गांव से दूसरे गांव में और दूसरे गांव से तीसरे गांव में, बिना रास्ते के ही बढते जा रहे थे। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, उन मवेशियों को उदयपुर जिले में जाने के लिए पाली जिले में हो कर अरावली के वन विभाग में से होकर जाना पडता है, लेकिन उदयपुर जिले में जाने वाले मवेशियों को वन विभाग के अधिकारियों ने इसलिये रोक दिया कि वन में मवेशी नहीं छोडी गई है इसलिए इस रास्ते से उदयपुर जिले में नहीं जा सकते। इसके फलस्वरूप उन मवेशियों को वहां टकरा कर वापिस पाली जिले में आना पडा। इसके साथ ही साथ राजस्थान की मवेशी जो पाली जिले में होकर गुजरात को गई तो राजस्थान सरकार ने गुजरात की सरकार से उन मवेशियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की थी इसलिये गुजरात ने राजस्थान के मवेशियों को गुजरात में प्रवेश नहीं दिया और स्थिति यह हुई कि गुजरात की सीमाओं से टकरा कर वह सारी मवेशी वापिस पाली जिले में आई और पाली जिले में थोडी बरसात के कारण जो थोडी बहुत फसलें हुई थीं, जो थोडा बहुत घास हुआ था, उसको सारा का सारा नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल कुचल दिया गया और स्थिति यह पैदा हुई कि जगह जगह बडे रोइट्स हुए जिसके फलस्वरूप मरीजों की संख्या इतनी हो गई कि पाली और जोधपुर के अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिली। उन रोइट्स में लोग घायल ही नहीं हुए बल्कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हमारे देखने में आई है।

इसके अलावा ट्रेक्स के निर्धारण पर यहां बताया गया है कि वहां निष्क्रमण डिपो खोले गये थे पर काफी दिनों तक देखने में आया कि डिपोज वास्तव में खोल दिये गये थे पर उन डिपोज में चारे की, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उन डिपोज से एक एक मवेशी को डेढ किलो चारा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं मान सकते हैं कि एक मवेशी चाहे वह गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, उसको डेढ किलो चारा दिया जायगा तो क्या उनका पेट भर जायगा ? नहीं भरेगा, और नतीजा यह हुआ कि बहुत से मवेशी पाली जिले में इधर-उधर मंडराते हुए भटकते हुए ही भूख से तडप-तडप कर मर गये।

अध्यक्ष महोदय, एक यह बात भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गई है कि राहत कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों को विशेष रूप से सुविधा दी जाती है, चद्दरों, तम्बू और चटाईयों की वहां व्यवस्था की गई है पर वास्तव में देखा जाय तो राहत कार्य करने वाले मजदूरों को यह सब चीजें नसीब नहीं हुई। कहीं कहीं पर तो देखने में आया कि पेट और दूसरे सरकारी कर्मचारी जो वहां काम करते हैं उन तक ही यह सुविधाएं सीमित रहीं। पाली जिले के आदिवासियों के क्षेत्र में बडे पैमाने पर बडे जोरों से राहतकार्यों को कराने की आवश्यकता थी पर वहां पर सीमित कार्य खोले गये और इस प्रकार का वहां कोई प्रबन्ध तम्बू आदि का नहीं किया गया। वहां काम करने वाले श्रमिक कडकडाती सर्दी में ठिठुरते हुए खुली हवा में पडे रहे। उन्होंने लकडियां जला-जला कर रातें गुजारी हैं। यह घोषणा कर देना ही काफी नहीं होता कि यह सुविधाएं राहत कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों

(श्री पृथ्वीसिंह)

को दी गई हैं, जब तक सामान नहीं पहुंचाया जाता घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह जाती है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मुख्य मंत्री महोदय ने और राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों ने जगह जगह जाकर के यह भाषण दिया कि चुनाव के दिनों में जो लोग गौ रक्षा के लिये चिल्लाया करते थे वे गौ सेवक आज कहां गए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गौ सेवा का नारा लगाने वाले गौ सेवक कहीं नहीं गये, वे यहीं हैं और उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा की और अभी भी कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाली जिले के अन्दर सुमेरपुर पंचायत समिति है जहां आज तीन हजार मवेशियों को दाना, पानी, तेल आदि गौ सेवकों के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सुमेरपुर और बाली के लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके आदिवासियों के क्षेत्र में मक्की भेजी आधी रेट पर, और वह आधी रेट भी जो वसूल हुई उससे फिर मक्की खरीद कर उन आदिवासियों को भेजी। वहां की जनता बहुत सक्रिय है और वह मवेशियों और आदिवासियों को सहायता देने के लिये हमेशा तत्पर है।

एक बात यह भी सामने आई, अध्यक्ष महोदय, कि भरतपुर के कुछ आदमियों ने चन्दा इकट्ठा करके अकाल क्षेत्र को चारा भेजना चाहा। उनसे आठ रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से पैसे लेकर सरकार ने अकाल क्षेत्र में चारा भेजा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि ये आठ रुपये प्रति क्विन्टल केवल चारे के ट्रांजिट खर्चे के लिये लिया गया है, उसमें चारे की कीमत शामिल नहीं है। एक तरफ तो राज्य सरकार यह कहती है कि ट्रांजिट के खर्चे के लिये पैसा वसूल किया, और दूसरे दिन ही रेडियो पर यह सुनने को मिला कि वेस्टर्न रेल्वे को चारे की ट्रांजिट में 25 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। तो अध्यक्ष महोदय एक तरफ तो रेल्वे क्लेम करती है कि चारे के ले जाने में 25 लाख रुपये का घाटा हुआ और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि आठ रुपया प्रति क्विन्टल केवल ट्रांजिट का खर्चा है। तो ये आठ रुपये चारे की कीमत के सिवा और क्या हो सकता है?

एक बात और सामने आती है, कि जो कैटिल कैम्प्स खोले गए हैं उनके अन्दर राज्य सरकार की यह घोषणा थी कि सरकार उसमें साठ पैसे प्रति पशु अनुदान देगी, लेकिन तीन माह से कैटिल कैम्प्स चल रहे हैं, उसका सारा इन्तजाम करना पड़ा, अब जाकर तीन माह बाद सरकार ने साठ पैसे प्रति मवेशी की राशि प्रदान की है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कृषि की प्रगति पर भी प्रकाश डाला है और उन्होंने यह कहा है:

"कृषि विकास कार्य-क्रम को बढ़ावा देने के लिये मुख्यतः सघन क्षेत्र कार्य-क्रम व अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस ओर पंचायत राज संस्थाओं द्वारा भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां सघन कृषि के प्रयत्न यथावत् जारी रहेंगे। इस वर्ष 11 पंचायत समितियों में सघन कृषि कार्य-क्रम का और विस्तार किया गया है। अब तक कुल 100 पंचायत समितियों में सघन कृषि कार्य-क्रम

(श्री पृथ्वीसिंह)

चालू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के कार्य-क्रम को भी अपनाया गया है। इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत संकर मक्का, ज्वार, बाजरा और मैक्सिकन गेहूं के बीजों का प्रयोग अनुमानतः 7 लाख 50 हजार एकड क्षेत्रफल में किय गया है।''

अध्यक्ष महोदय, यह जो अधिक उपज देने वाले किस्मों की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जो रेट्स निर्धारित किये गये हैं वे बिल्कुल बेजा ढंग के हैं, और वे हैं, बाजरे का रेट है 8 रुपये प्रति किलो, उसी तरह से जुवार का रेट है साढे सात रुपये, किलो प्रति और मक्के का रेट रखा है 3 रुपये प्रति किलो, (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) सरकार ने अपनी पालिसी के हिसाब से ये नो लॉस और नो प्राफिट के आधार पर देने का तय किया था, लेकिन अब सरकार इसमें कितना मुनाफा कमाती है इसका अनुमान आप स्वयं ही लगा सकते हैं, जबकि बाजरे की यील्ड प्रति एकड दो क्विन्टल है और उस पर खर्चा आता है 790 रुपया, जुवार का यील्ड ढाई क्विन्टल प्रति एकड है जब कि खर्चा है 976 रुपये प्रति एकड। इस प्रकार सरकार डबल से भी ज्यादा, शत प्रतिशत से भी अधिक मुनाफा कमाती है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर पशुपालन के लिये बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक तरफ तो राज्य भर में अकाल की स्थिति के फलस्वरूप मवेशी लाखों के तादाद में मर रही है और आने वाले समय के अन्दर उनके पुनः उत्थान के लिये राजस्थान अगर पशु पालन की सुविधा नहीं देगा तो मुमकिन है कि आने वाले समय में राजस्थान में जो थोडा बहुत पशुधन बचा है वह भी नष्ट हो जाये। और ऐसा हो सकता है कि राजस्थान में अच्छे नस्ल के पशुओं की संख्या बिल्कुल खत्म हो जाये।

राज्यपाल महोदय ने घोडों की नस्ल के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। मारवाडी नस्ल के घोडे हिन्दुस्तान के अन्दर और दुनिया के अन्दर ऊंचे मूल्य के माने जाते हैं, फिर भी उनके उत्थान के लिये राज्य सरकार थोडी बहुत भी व्यवस्था नहीं करती है, तो बडी गम्भीर स्थिति होती है। जबकि मिलिटरी के लिये घोडे बाहर आस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से आयातित करने पडते हैं और लाखों रुपये उनकी कीमत के देने पडते हैं।

श्री अध्यक्ष : घोडों के उत्थान के सम्बन्ध में आप बोल रहे हैं?

श्री पृथ्वी सिंह : घोडों की नस्ल के उत्थान के सम्बन्ध में कह रहा हूं। हार्स ब्रीडिंग के लिये। हार्स ब्रीडिंग का अगर कार्य-क्रम चलाया जाये तो बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा कम हो जायेगी। तो राजस्थान नस्ल के घोडों के सुधार के लिये राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और उनकी नस्ल सुधारने के लिये सहायता देनी चाहिये।

(1.59 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के बारे में भी कहा है कि 1968-69 में बहुत सारी स्कूलें खोली गई हैं और अधिक खोलने की भी

(श्री पृथ्वीसिंह)

व्यवस्था है । जिन पंचायत समितियों में कालेज और हाई स्कूल नहीं था वहां पर खोलने का जिक्र किया है । तो जैसलमेर एक ऐसा जिला है जहां पर आज तक एक भी कालेज नहीं है, उसका राज्यपाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया । यह जैसलमेर जैसे क्षेत्र की, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उपेक्षा है ।

चिकित्सा शिक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय ने काफी लम्बा चौडा भाषण दिया है और आखिर में जाकर कहा है कि आज हमारे देश में डाक्टरों का अभाव है वह दो तीन साल में जाकर पूरा हो जायेगा । राजस्थान के अन्दर पांच मैडिकल कालेज खोल दिये गये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैडिकल कालेज खोलने से ही डाक्टरों का अभाव पूरा हो जायेगा, तो फिर एक दिन वह भी आने वाला है कि इन्जीनियर्स की तरह डाक्टर्स को भी सरकार के सामने प्रदर्शन करना पडेगा । होना यह चाहिये कि ज्यादा डाक्टरों को पैदा न किया जाकर ऊंचे किस्म की शिक्षा देकर अच्छे से अच्छे डाक्टर पैदा करके इनकी कमी को पूरा किया जाये तो ठीक रहेगा । हमें क्वान्टिटी पर नहीं, क्वालिटी पर बल देना चाहिये । राज्यपाल महोदय ने प्री मैडिकल टेस्ट के बारे में भी एक पैराग्राफ कहा है कि जो प्री मैडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण हो जायेंगे उनको ही मैडिकल में एडमिशन मिलेगा । तो जो छात्र तीन साल तक घंटों मेहनत करके अच्छे नम्बर लाते हैं उनको दुबारा प्री मैडिकल टेस्ट में बिठाना उनके साथ अन्याय है । अगर किसी कारणवश वह थोडा बहुत भी मिस कर जाता है तो उसको कितनी ठेस पहुंचेगी उसका अन्दाज लगाना चाहिये था और प्री मैडिकल टेस्ट पर दुबारा विचार करना चाहिये था । इतना ही नहीं, इस ढंग से तरह तरह के कानून बनाकर राज्य सरकार ने स्वयं विद्यार्थियों के अन्दर एक ऐसी भावना पैदा करदी है जिसमें छात्र आन्दोलन छिडे ।

(2 म. प.)

राज्यपाल महोदय ने परिवार नियोजन के बारे में भी कहा है । मैं परिवार नियोजन को बुरा नहीं समझता क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और यहां तक कि यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है । आज हमारे देश के सामने यह मुख्य समस्या है, इसका शिक्षा पर असर पडता है, अतः जन संख्या की वृद्धि रोकना आवश्यक है लेकिन हमें प्राकृतिक तरीकों पर बल देना चाहिए न कि कृत्रिम तरीकों पर जैसे कि आजकल लूप और आपरेशन के माध्यम से किया जाता है । अतः परिवार नियोजन का जो तरीका हमारी सरकार ने अपना रखा है, वह कोई तरक्की की तरफ ले जाने का कार्यक्रम नहीं है । आज हम देखते हैं कि जिनको लूप लगाया जाता है, नसबंदी की जाती है, उनके लिये हजारों तरह की कठिनाइयां पैदा होती हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है । अतः परिवार नियोजन का कार्य-क्रम शिक्षा के माध्यम से लाया जाय न कि जबर्दस्ती करके लाया जाय, न कि इनाम देकर किया जाय । इसके अलावा धार्मिक प्रवृत्ति के कारण हमारे देश में लोग कुत्तों को पालते हैं, गायों को रोटी देते हैं । चिडियाओं और बंदरों को रोटी और दाना वगैरह डालने की हमारे देश में प्रवृत्ति है । तो उनको रोककर अनाज को बचाना चाहिए । इससे समस्या का समाधान हो सकता है ।

(श्री पृथ्वीसिंह)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे दल के और भी सदस्य काफी बोलने वाले हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राज्य सरकार के सामने 7 मार्च के गोलीकांड के विषय में जो बैरी आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके बारे में मैं ज्यादा लंबा चौडा नहीं जाना चाहता क्योंकि कई माननीय सदस्य इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं; लेकिन इतना कहे बगैर नहीं रह सकता कि चाहे बैरी आयोग ने इस बात को माना हो या नहीं कि इसमें मंत्रिमण्डल की और सरकारी कर्मचारियों की कोन्सपिरेसी थी, उसने कहा है कि कोन्सपिरेसी साबित नहीं होती। मैं पूछता हूं कि कान्सपिरेसी जब की जाती है तो उसका चित्र नहीं खिंचवाया जाता, टेपरेकार्डिंग नहीं होती है तो उसके साबित होने का क्या सवाल है? मामूली सरकारी कर्मचारियों की क्या हिम्मत थी कि वह सरकार के बिना इशारे जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलायें लेकिन इतना ही नहीं बैरी आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट को सरकार द्वारा दबाए रखना इस बात का प्रमाण है कि वह इस रिपोर्ट को जनता के सामने प्रकाश में लाने की हिम्मत नहीं रखते थे इसलिए उसको दो महीने से दबाकर रखा और जब तरह तरह से चारों तरफ से दबाव आया कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाय तब सदन में इसको प्रस्तुत किया गया और वह भी अंग्रेजी में।

अब उस रिपोर्ट पर डिफेंस या आफेंस की तरह तरह की अटकलें लगाने से कोई मतलब नहीं। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि इस रिपोर्ट को खुद डील न करके कोई न कोई उच्चाधिकार-कमीशन फिर से बिठा दे और उसके एक्जीक्यूशन के लिए सरकार उनको पावर्स डेलीगेट कर दे क्योंकि इससे आपका भी हित होगा और जनता का भी और जो भी स्थिति होगी स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ जायगी। जिन अधिकारियों ने वास्तव में रिपोर्ट के अनुसार जुर्म किया है उनको सजा देने का सरकार का कर्तव्य है और आयोग ने भी ऐसा ही निर्देश किया है। सारी घटनाओं को दबाकर रखने का कब तक साहस करेंगे? आखिर एक दिन आने वाला है जब जनता आपके सामने कमीशन की रिपोर्ट का एक्जीक्यूशन स्वयं करेगी और फिर आपको उसके लिए पछताना पड़ेगा।

शराब बंदी के लिए भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक पैरा एड किया है। शराब बंदी का जहां तक प्रश्न है यह एक बहुत ही उत्तम बात है। महात्मा गांधी ने भी इसके लिए आन्दोलन चलाया था। आज भी हमारे देश में बहुत से जागृत लोग इसका आन्दोलन चलाते हैं। शराब की वजह से हमारे काफी परिवार नष्ट हो गए।

श्री **मनोहर सिंह मेहता** : बहुत अच्छा।

श्री **पृथ्वीसिंह** : तो शराब-बंदी का मैं समर्थन करता हूं लेकिन जो इसके लिए तरीका अपनाया गया है वह बिल्कुल अजीब है। राज्यपाल ने कहा है कि पहले साल के अन्दर एक दिन बंद रहेगा, दूसरे साल में दो दिन और इस तरह ज्यों ज्यों समय आयगा बंद करेंगे। 1972 तक शराब बंद करने की बात कही गई है। अब सवाल आता है कि शराब बंदी के दो तरीके होते हैं। या तो बिल्कुल बंद कर दिया जाय या मार्केट के अंदर बिकने के लिए रख दिया जाय ताकि जो लोग उसको

(श्री पृथ्वीसिंह)
बुरा समझेंगे अपने आप नहीं पियेंगे या बिल्कुल सख्ती से कानून बनाकर इसको रोक दिया जाय तो आसानी से रुक सकती है।

सहकारिता के आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि यह बड़े तेजी से प्रांत में चल रहा है लेकिन मेरा विश्वास है कि यह बिल्कुल फेल्यूर रहा है। इसमें सरकार की तरफ से कई सर्वेदल गठित हुए हैं, उनकी रिपोर्टों के आधार पर भी यह कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन असफल रहा है और उन्होंने इसके लिए मुख्य कारण यह बताया है कि रूलिंग पार्टी के सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं, पंचायतों में हैं, उनको विशेष रूप से लाभ पहुंचा है। यही कारण है कि दूसरे लोग इससे नाराज होते हैं और उनकी प्रगति रुक जाती है। अतः रूलिंग पार्टी के जो सदस्य बनते हैं उनको चाहिए कि इसका कम से कम दुरुपयोग करें और किसी किस्म का अगर कानूनी प्रबंध लगाना आवश्यक समझा जाय तो वह भी लगा दिया जाय तो सहकारी आन्दोलन सफलतापूर्वक चल सकता है।

उदाहरण के लिए बाली पंचायत समिति के अन्दर 133 सहकारी समितियां हैं उनमें से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 93 डिफंक्ट हैं और 92 डिफाल्टर्स हैं। जो डिफाल्टर्स हैं उनके अन्दर सरकारी रकम 84 हजार रुपया बकाया है। सहकारी समितियों के लिक्वीडेशन की बात हमारे सामने आती है। बाली पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव द्वारा वहां की 17 सहकारी समितियों को लिक्विडेट करने का एक प्रस्ताव पारित किया था। और राज्यपाल को यह सिफारिश की थी कि इन 17 सहकारी समितियों को, जो बिल्कुल डिफाल्टर्स हैं, एक दम से लिक्विडेट किया जाय लेकिन दुर्भाग्य से जो सरकारी अधिकारी हैं और जो ए. आर. ओ. हैं वहां पर वे भी पंचायत समिति की मिटिंग में सामने आते हैं और कहते हैं कि इस तरह से लिक्विडेशन किया जाना इस आन्दोलन के प्रति घातक होगा क्योंकि इससे जनता के दिमाग में इसके प्रति एक ठेस पहुंचेगी। लिक्विडेशन से तो जनता के दिमाग में ठेस नहीं पहुंचेगी किन्तु यदि इनको लिक्विडेट नहीं किया गया तो जरूर जनता के दिमाग में ठेस पहुंचेगी। जो सहकारी समितियां बोगस हैं, बेकार हैं और सरकार जिनको स्वयं मान लेगी कि इनका लिक्विडेशन आवश्यक है तो लिक्विडेशन किया जाना चाहिये उससे आन्दोलन को किसी किस्म की ठेस नहीं पहुंचेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण और चूंकि मेरी पार्टी के अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकारी पक्ष द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री देवीदत्त गाडिया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढा। पढने पर ऐसा आभास होता है कि राज्यपाल महोदय ने राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाडियाजी के शासन की उपलब्धियों पर विवेचन किया उनकी उपलब्धियों को देखने से ऐसा लगता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और उनकी सरकार ने यदि राजस्थान में किसी विशेष कार्य में प्रगति की है, किसी कार्य को विशेष रूप देकर

(श्री देवीदत्त गाडिया)

राजस्थान में कोई काम किया है तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और उनकी सरकार ने जो काम किया है वह काम है राजस्थान में परिवार नियोजन। उसके माध्यम से राज्य सरकार ने 24,025 वन्ध्यकरण किये और इसी प्रकार लूप लगाने में भी इस सरकार ने जो प्रगति की है वह है 14,849। और इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यदि कोई प्रगति की तो लूप लगाने में की। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां सुखाडियाजी की सरकार अन्य कार्य में असफल हुई है वहां इस सरकार ने लूप लगाने में प्रगति की है। यह लूप की सरकार राजस्थान की जनता को स्वच्छ शासन नहीं दे सकती। इतना ही नहीं इस परिवार नियोजन में माननीय मुख्य मंत्री सुखाडिया जी ने जो यतीम खाना खोल रखा है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, कांग्रेस की महिला कार्याकर्तृ हैं जिनको यतीम खाने के रूप में पालने का कार्य किया है। मेरी जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो परिवार नियोजन के अन्दर फेमिली प्लानिंग एजुकेशन सेन्टर होता है उसके अन्दर सुखाडियाजी ने परिवार नियोजन के माध्यम से जिन कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और कार्यकर्तृओं को रखा है उनकी जानकारी सदन को भी देना चाहूंगा।

जयपुर से इन्दिरा मायाराम। जिला स्तर की नेता मान कर चार हजार की बख्शिश दी। नागोर में श्रीमती रूप रानी काला। बीकानेर में श्रीमती कान्ता कथुरिया। इसी प्रकार बाडमेर में जो इस सदन की माननीय सदस्या हैं श्रीमती मदन कौर। भरतपुर से श्रीमती शकुन्तला शर्मा, गंगानगर से श्रीमती ज्ञानदेवी तलवार। रतनगढ से श्रीमती पार्वती देवी। अजमेर से श्री शान्ति प्रसाद। झुन्झुनू से श्री दयालका बांसवाडा से श्री करणीसिंह। सीकर से श्री लक्ष्मी नारायण तिवाडी। भीलवाडा से श्रीमती कमला श्रोत्रिय––कांग्रेस की एक्स एम. एल. ए.। उपाध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं, राजस्थान के अन्दर जो प्रान्त का एक नेता होता है तो उसके लिए एक कांग्रेस की श्रीमती निर्मला देवी मसूदा हैं। इस प्रकार महिला कार्यकर्तृ और पुरुष कार्यकर्ता हैं। यतीम खाने के अन्दर जिस प्रकार निराश व्यक्तियों को भोजन दिया जाता है कांग्रेस के अन्दर जो मुख्य मंत्री जी की पद चम्पी करते हैं उनको चार चार हजार रुपये का वितरण किया है और राजस्थान के परिवार नियोजन में एक कार्यकर्ता पर दस हजार रुपये का खर्चा हुआ है। लाखों रुपये का यह खर्चा 26 जिलों में किया है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि इन नेताओं ने किन्हीं जिलों में दौरा नहीं किया है, कहीं जाकर परिवार नियोजन की मीटिंग में भाषण नहीं किया, न उनकी टूर डायरी है। इनको इसलिए किया है कि ये कांग्रेस के बने रहें।

मैं राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर बीकानेर, बाडमेर, जैसलमेर, और गंगानगर ये सीमावर्ती जिले हैं। बीकानेर बाडमेर और जैसलमेर में जो भयंकर अकाल पडा है उसके कारण सैंकडों बच्चे और आदमी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

भूखे हैं और बीमार हैं। पानी के अभाव में तडफ तडफ कर मर गये बेरोजगार होने के कारण उस इलाके से और राजस्थान से भी माइग्रेट होकर चले गए। जो लोग इन इलाकों को छोड कर बाहर चले गए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पशुपालन के आधार पर ही उनकी जीविका चलती थी और जब पशु मर गये, उस इलाके में कम से कम पांच लाख मवेशी मरे हैं, जब आश्रयहीन हो गये तो वे राजस्थान के बाहर भी चले गये और मैं यह भी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो राजस्थान से बाहर चले गये वे वापिस राजस्थान में नहीं आवेंगे। वहां फिर लोग आधे से अधिक भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार जनशून्य होने पर भी इस इलाके में परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है। देश की सुरक्षा के लिये बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीमावर्ती इलाके होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके हैं और मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि इस इलाके में परिवार नियोजन का कार्यक्रम इसी प्रकार जारी रहा तो इस जिले की आबादी और घटेगी और जब जन संख्या घटेगी तो ये इलाके पाकिस्तान की सीमा पर होने के कारण हमारी सुरक्षा के लिये बहुत बडा खतरा साबित होंगे। सन् 65 में भारत की सरकार ने पाकिस्तान से जो भूमि हासिल की थी, जो जीती हुई बाजी थी, सुखाडियाजी के कालेकारनामों के कारण, उनके पापो के कारण स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुरजी को तासकन्द में छोडना पडा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने पाये इसलिये उस इलाके में परिवार नियोजन को समाप्त रखें।

झुंझुनूं जिला वह जिला है जिसकी आबादी 7 लाख है। आज भी देश की सेना के अन्दर उस इलाके के बहादुर सैनिक हैं हैं जिनकी संख्या 50 हजार है। रिटायर्ड सैनिकों की संख्या 30 हजार है। खेतडी तहसील में जो शौर्य के उदाहरण हैं वहां पर कोई ऐसा गांव नहीं है; कोई ऐसा घर और परिवार नहीं है कि जिसका एक व्यक्ति भी सेना में न हो। यदि यहां पर भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम रहा तो देश की सुरक्षा में भाग लेने वाले सैनिकों में कमी आवेगी और देश की सुरक्षा को बडा खतरा होगा। झुंझुनूं जिले के लोगों ने सेना में वीर्यवान् और शौर्यवान होने की छाप अंकित की है। यह झुंझुनूं को ही श्रेय है कि रामपुराबेरी के श्री पीरूसिह को सब से पहले परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। जिस परिवार से सैनिक मिलिटरी में गया हुआ है तो वहां के लोग उसकी लडकी–बहिन से शादी करने में अपना गौरव समझते हैं और अपना सौभाग्य समझते हैं।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से देश की सीमा सुरक्षा के लिये, राजस्थान की सीमा सुरक्षा के लिये जो इस प्रकार के वीर प्रसव करने वाले जिले हैं उनके अन्दर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को रोक देना चाहिये। इसी प्रकार से जैसलमेर, बाडमेर और बीकानेर के इलाके हैं वहां पर भी परिवार नियोजन के कार्यक्रम को स्थगित कर देना चाहिये। इस कलंक रूपी कार्य को स्थगित नहीं किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। चीन और पाकिस्तान से अपना देश घिरा हुआ है सीमा की सुरक्षा के बारे में वहीं के निवासी उनसे निपट सकते हैं। सन् 65 में जब हमारी सीमा की रक्षा आर. ए. सी. की

(श्री देवीदत्त गाडिया)

बटालियन नहीं कर सकी तब वहां उस गांव के निवासियों ने सीमा की रक्षा की। आज भी पाकिस्तान के कारण हमारी सीमा को बडा भारी खतरा है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं राजस्थान की कांग्रेसी सरकार ने जिस ढंग से सरकार बनायी है विरोधी दल के सदस्यों को प्रलोभन देकर, राजस्थान की राजधानी में गोली चलाकर अपनी सरकार बनाने के बाद भी सुखाडिया जी को सन्तोष नहीं हुआ अब भी लोकतन्त्र की हत्या करने पर तुली हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण है खेतडी से आने वाले माननीय सदस्य का स्तीफा। जिस ढंग से उन्होंने स्तीफा दिया है वह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री किस किस प्रकार के हथकण्डे अपना रहे हैं अपनी पार्टी की संख्या बढ़ाने के लिये। ठाकुर बिसाऊ ने अपने त्याग-पत्र का कारण देते हुए कहा है कि मैंने चुनाव से पहले जनता को यह वादा किया था कि यदि मैं चुन लिया गया तो खेतडी में पोलिटेकनिक कालेज खुलवाऊंगा लेकिन मैं इसमें असफल रहा। अत: उन्होंने स्तीफा दे दिया। विरोधी दल में बैठने के कारण वे जनता से जो वादा करके आये थे उसको पूरा नहीं करा सके। उपाध्यक्ष जी, सदन के जो 184 माननीय सदस्य हैं उन सब के समान अधिकार हैं। सुखाडियाजी और मंत्री मंडल के अन्य सदस्य सभी समान हैं। क्योंकि वे पहले विधान सभा के सदस्य चुनकर आये हैं उसके बाद मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ठाकुर बिसाऊ ने कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति की मांग नहीं की थी वे जनता के हित के लिये वहां पोलिटेकनिक कालेज खुलवाना चाहते थे उसमें वे नाकामयाब रहे इसलिये स्तीफा दे दिया। इस तरह से उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं कि सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जिस आधार पर उन्होंने त्याग-पत्र दिया है उसके बारे में माननीय सदस्य को विश्वास में लेकर कहना चाहिये था कि जब राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक हो जायगी तब खेतडी में कालेज खोल दिया जायगा। यह भी नहीं किया। उसके बाद जब उनके त्याग-पत्र का कारण अखबारों में प्रकाशित हुआ उसी समय मुख्य मंत्री को उनके वक्तव्य का खंडन करना चाहिये था। वह भी नहीं किया। मैं तो यह आधार मानकर चलता हूं कि खेतडी और झुंझुनू के इलाके में मैं दौरे पर गया था वहां की जनता से जो कुछ मैंने सुना उसको सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारी सरकार किस प्रकार का जनतन्त्र स्थापित करने ज रही है। घर घर यह चर्चा थी कि सुखाडियाजी ने अप्रत्यक्ष रूप से माननीय सदस्य से स्तीफा दिलवाया वह इसलिये कि उस क्षेत्र के पराजित कांग्रेसी उम्मीदवार श्री शीशराम ओला को सुखाडियाजी वहां से जीताकर लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जाट ग्रूप के स्तम्भ श्री नाथूराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा तो यहां रहे नहीं अब जो जाट ग्रूप सिर उठा रहा है उसमें किस प्रकार से बेलेन्स्ड फेक्टर रहे इसलिये यह नाटक रचा गया है। सुखाडियाजी भले ही टिकट शीशरामजी को दें लेकिन वहां की जनता इस कलंक का बदला किस प्रकार लेगी यह समय बतलायेगा। यह भी वहां सुनने में आया है कि शीशराम

(श्री देवीदत्त गाडिया)

से दो लाख रुपये दिलवाकर उनसे स्थान रिक्त कराया गया । इसकी सत्यता या असत्यता के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । आज सब से अधिक लोकतन्त्र की हत्या कहीं हुई है तो वह राजस्थान में हुई है और हो रही है । आने वाला समय सिद्ध करेगा जिस ढंग से स्तीफा दिलवाकर अपना बेलेन्स बनाने के लिये सुखाडियाजी ने जो नाटक रचा है उस चुनौती को खेतडी की जनता और विरोधी दल स्वीकार करता है । खेतडी का इलाका वीरभूमि रहा है और है । जिस तहसील का एक एक गांव का एक आदमी फौज में है वह इलाका अपने ऊपर इस प्रकार का कलंक रहने नहीं देगा । दो लाख रुपया देकर अगर किसी को खरीदा जाता है तो लोकतन्त्र में इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है ।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर राजस्थान में भंयकर अकाल की स्थिति है । मवेशी बिना चारा दाने के मर रहे हैं । दूसरी ओर जो ग्वार की निकासी बन्द कर दी गई थी उसको खोल दिया गया । ग्वार ऐसा पौष्टिक पदार्थ है जिसे जानवर खाकर जिन्दा रह सकते हैं । आज जब कि दूसरे प्रान्तों से चारा खरीदकर हम पशुओं को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजस्थान सरकार पंजाब में जाकर चारा खरीद रही है, वहां से टेन्डर इनवाइट किये हैं । उस हालत में ग्वार आप बाहर भेज रहे हैं । बिडला गम फेक्टरी को 35 हजार टन गवार का आपने परमिट दिया है । उसी प्रकार बम्बई की गम फैक्टरी को भी परमिट दिया है । एक तरफ तो मवेशी चारे के अभाव में मर रहे है दूसरी तरफ पूंजीपतियों को गवार का परमिट दे रहे हैं । इस तरह से यह पता चलता है सरकार ने मवेशियों को भूखा मारने का संकल्प लिया है । उपाध्यक्ष महोदय, अगर मवेशियों के प्रति सरकार का इसी प्रकार का रुख रहा तो विरोधी दल के सदस्य मवेशियों के प्राणों को बचाने के लिये आन्दोलन करने से नहीं हिचकिचायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तीन चार रोज पहले ही हनुमानगढ रेलवे स्टेशन से चालीस वेगन गवार से भरे हुए बाहर के लिये लद चुके हैं । गवार एक ऐसा फोडर है जिसमें पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं । यह मवेशियों को मिलता रहे तो मवेशी जिन्दा रह सकते हैं लेकिन सरकार को इनकी परवाह कहां ? वे तो पूंजीपतियों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं । इसमें खाद्य मंत्री का हाथ नहीं हो सकता । मैं यह मानकर चलता हूं खाद्य मंत्री ने इस अकाल की स्थिति में जिस मुस्तेदी से काम किया वह सराहनीय है । लेकिन मैं यह मानकर नहीं चलता कि खाद्य मंत्री ने इस प्रकार के परमिट दिये हों । हो सकता है, सुखाडियाजी के दबाव में आकर यह परमिट दिया हो । यह अक्सर देखा गया है जो मिनिस्टर आगे आकर जनता का कृपा पात्र बनने की कोशिश करता है उसकी टांग खींचकर पीछे धकेलने में सुखाडियाजी माहिर हैं । इसी आधार पर खाद्य मंत्री को जनता में बदनाम करवाने के लिये उन्होंने यह परमिट दिलाये हों ।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार की उपलब्धियों की गाथायें गायी जाती हैं कि राज्य सरकार ने पानी के लिये इतना प्रबन्ध किया । मैं निवेदन करूं जैसलमेर के इलाके में लूणवाला ट्यूब वेल

Page No 77

(श्री देवीदत्त गाडिया)

है जो जैसलमेर के पश्चिम में 60.70 मील की दूरी पर स्थित है। केन्द्रीय सरकार ने सन् 55 में एक फ्रान्सिसी कम्पनी को पैट्रोल निकालने के लिये ट्यूब वेल का ठेका दिया था और उसी फांसिसी कम्पनी ने पाकिस्तान में सन् 55 में सक्खर जिले के दामा नामक स्थान पर ट्यूब वैल खोदने का ठेका लिया। हमारे इलाके में जिस जगह ट्यूब वैल खोदने का इस कम्पनी ने ठेका लिया उससे यह जगह करीब 14 मील की दूरी पर ही है। सन् 65 में जब पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो राजस्थान की सरकार ने स्वाभाविक तौर से उस कम्पनी का ठेका रद्द कर दिया। यह स्वाभाविक ही था कि जब पडोस के देश ने पडोस के देश पर हमला कर दिया हो तो दोनों देशों में ठेका लेकर एक कम्पनी काम नहीं कर सकती। इस कम्पनी का ठेका कैन्सिल करके हमारे ही देश की दूसरी कम्पनी नेचुरल गैस कमीशन को इसका ठेका दे दिया गया। सुखाडियाजी स्टेटमेन्ट देने में माहिर हैं। स्टेटमेन्ट दे दिया इन्होंने हमारे यहां प्रचुर मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध है। पैट्रोल जब नहीं निकला तो अभी चार पांच महीने पहले एक दूसरा स्टेटमेन्ट और दे दिया कि इस ट्यूब वैल में गैस प्रचुर मात्रा में है। पर, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि पाकिस्तान में जिस जगह ट्यूब वैल खुदवाया जा रहा था वहां पैट्रोल निकला है और हमारे हिस्से में नहीं निकला। मेरी जानकारी के अनुसार तो उस फ्रान्सिसी कम्पनी ने इस प्रकार के यन्त्र लगाकर पाकिस्तान की साइड में जहां ट्यूब वैल खोद रही थी, वहां से हमारी साइड में 14 मील के फासले से सारा तेल अपनी साइड में खींच लिया है और अब वह सारा का सारा पैट्रोल पाकिस्तान के ट्यूब वैल में जा रहा है। पर हमारी सरकार सो रही है। ऐसे गम्भीर मसले पर यह सोती रह जाती है। आप तो बड़े जोर-जोर से वक्तव्य दे रहे थे न, कि हमारी साइड में गैस निकली है। वह कहां गई ? इसलिये हम चाहते हैं कि नेचुरल गैस कमीशन से पूछा जाय कि वहां कब तक गैस या पैट्रोल उपलब्ध होगा। यदि कुछ भी उपलब्ध होता है तो हमारे यहां की पैट्रोल की और गैस की समस्या हल हो सकती है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गांधीजी की दुहाई दी है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार, कांग्रेसी सरकार के जो आदमी गांधीजी की दुहाई देते नहीं थकते उनसे प्रेरणा लेने की बातें करते हैं उन्हीं की नाक के नीचे गांधीजी की मूर्ति भंग कर दी जाती है और वे चुपचाप सहन कर लेते हैं। पाली जिले में देसूरी तहसील में घाणेराव में दस रोज पहले (समय समाप्ति सूचक घंटी) अभी तो पन्द्रह ही मिनिट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तीन मिनिट के बाद समय समाप्त हो जायेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इसकी चिन्ता कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि दस रोज पहले गांधीजी की मूर्ति को वहां किसी ने तोड दिया। यह फोटो मेरे पास है। वहां की जनता ने मांग की, पत्र लिखकर मेरे पास भी भेजे। तो लानत है ऐसी सरकार को कि

(श्री देवीदत्त गाडिया)

जो गांधीजी की दुहाई देती है एक तरफ तो और दूसरी तरफ गांधीजी की मूर्ति के टूटने पर भी निष्क्रिय बैठी है। अपराधी को पकडना नहीं चाहती। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक ओर तो गांधीजी की स्मृति को बनाये रखने के लिये बिडला हाउस की मांग करते हैं वहां एक संग्रहालय के रूप में उसे कायम रखने के लिये और दूसरी ओर राजस्थान में गांधीजी की मूर्ति तोडी जाती है।

इतना ही नहीं, राजस्थान में राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि डाकुओं का सफाया कर दिया गया है। पर उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि कोटा में एक महीने में छः स्थानों पर डकैतियां पडी हैं। इतनी भयंकर, कि एक का भी पता नहीं लग पाया। छबडा में कोटडी ग्राम में। इसी प्रकार दूसरे कई स्थानों में डकैतियां पडी हैं। अटरू में दो स्थानों पर पडीं। छीपां बडौद में पडी है। इसमें बीस हजार का माल डाकू ले गये। सरकार पर मेरा यह गम्भीर आरोप है कि इन डाकुओं के पास–धौलपुर के इलाके में रहने वाले डाकुओं के पास पाकिस्तान के शस्त्रास्त्र हैं और सरकार उनके पास इन शस्त्रास्त्रों की सप्लाई को नहीं रोक सक रही है। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले आपके ही डिप्टी एस. पी. ने जांच करके अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि धौलपुर, करौली और शाहबाद चम्बल बैल्ट एरिया में रहने वाले डाकुओं के पास पाकिस्तान के शस्त्र हैं, राइफल्स हैं, मशीन गनें तक हैं। अब ये इनके पास कैसे आये? सरकार पता लगाने में असमर्थ है। रोकने में असमर्थ है। करौली धौलपुर आदि जगहों पर आये दिन डकैतियां पडती रहती हैं पर राजस्थान के गृह मंत्री जी चैन की बंशी बजा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट आरोप सरकार के उच्चाधिकारियों पर, पुलिस के उच्चाधिकारियों पर लगाता हूं कि राजस्थान की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का इन डकैतियों में हाथ है। ये इन डाकुओं से मिल कर डकैतियां डलवाते हैं। वरना सरे आम लंबे सडक पर डाका पडे और डाकू भाग जावें। बारां में डाका पडा। डी. आर. जी., एस. पी. सारे के सारे अमला सहित बारां पहुंचे और एक डीवाई. एस. पी. ने कारगुजारी अपनी दिखाने के लिये एस. पी. को टेलीफोन किया कि कटारिया गांव में डाकुओं का एक गिरोह है उनको पकडा जाय। पर, उपाध्यक्ष महोदय, वे डाकू नहीं निकले, वे गरीब सांसी कंजर जो मजदूरी करके अपनी गुजर करते हैं, थे उन पर इन सबने मिलकर हमला किया, मासूम बच्चों को पीटा, स्त्रियों को पीटा उनकी इज्जत लूटी। इस पर वे लोग अपनी लाठियों से अपनी रक्षा में लगे। पुलिस वहां से भाग खडी हुई। अपनी बन्दूकें भी छोडकर भाग गये। साधारण से लोगों के सामने ये इस तरह से पिटकर भाग जाते हैं तो डाकुओं का तो क्या मुकाबला करेंगे!

दूसरे रोज अपनी बहादुरी बताने के लिये पांच चार ट्रक भर कर पुलिस को लेकर गये। और उनको पीटा बडी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

बेरहमी से पीटा, मारा, औरतों को नंगा किया गया। मासूम बच्चों को पीटा गया और आज अपने इन कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिये झूंठी कहानी गढ़कर कहते हैं कि हम तो डाकुओं को पकड रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उनके निर्णय को माना जाना चाहिये। कल सदन के कुछ माननीय कांग्रेसी सदस्यों ने और श्रीमान् मूलचन्दजी डागा ने कहा कि यह एक तरफा निर्णय दिया है उनका यह कथन ठीक नहीं है। मैं डागाजी से पूछना चाहता हूं कि नाथ द्वारा काण्ड पर श्रीमान सरजू प्रसादजी ने निर्णय दिया। कांग्रेस के पक्ष में वह निर्णय दिया गया, इस पर हम ने तो उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा। हमारे दल ने सरजू प्रसादजी पर तो किसी प्रकार का पक्षपात का चार्ज नहीं लगाया। हमने तो यह कभी नहीं कहा कि सरजू प्रसादजी ने पक्षपात करके सुखाडियाजी को और दामोदरजी को जेल के सींखचों में जाने से बचा लिया। तो इस तरह से अगर न्यायाधीशों पर चार्ज लगाना आप लोगों ने शुरू किया तो हमारा स्तर गिरेगा और न्याय में निष्पक्षता नहीं रह पावेगी।

इसी तरह बेरी आयोग ने एकमात्र पत्रकार अनुसूया प्रसाद थापलिया जो नवज्योति के संवाददाता थे, सरकारी पेपर के, उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने ऐसे कठिन समय में गोलियों के बीच रह कर नवज्योति को सही रिपोर्ट दी। उन्होंने पत्रकारिता जगत में चार चांद लगाये। उन्होंने अपना बयान बेरी आयोग के सामने भी दिया और बेरी साहब ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया–पेज 236, 237 और 247।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं। पेज 344, 345, 356...पार्ट नं. 2 में 654, 655, 656 कई पेजों के अन्दर श्री अनुसूया प्रसाद थापलिया जो निर्भीक पत्रकार थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। श्री थापलिया ने अपनी जान की बाजी लगाकर जो रिपोर्ट दी है वह बहुत महत्व रखती है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने एक पत्रकार को सीमावर्ती इलाके में राजस्थान सरकार की मदद करने पर उन्हें एक रायफल भेंट की है राजस्थान का वह पत्रकार जागरुक है, वह अपने क्षेत्र में जान की बाजी लगाकर भी काम करता है। श्री थापलिया ने जिस ढंग से काम किया, जान जोखिम में डालकर, भी काम किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पत्रकार को भी आप पुरस्कार दें। जिससे पत्रकारों में यह विश्वास जागृत होगा कि पत्रकारों का राजस्थान सरकार सम्मान करती है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा वे भी पत्रकारों को सम्मान दिलाकर एक आदर्श उपस्थित करेंगे। मैं अब आशा करता हूं कि इस ओर मुख्य मंत्रीजी भी अवश्य ध्यान देंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में यही निवेदन करता हुआ कि जो अकाल पडा है, राज्यपाल महोदय ने कहा कि उन औरतों को जिनके डिलीवरी होने वाली

Page No 80

(श्री देवीदत्त गाडिया)

थी हमने छुट्टी दी है, यह बात बिल्कुल गलत है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मैं जब बाडमेर दौरे पर गया तब धौरा पंचायत समिति में भी गया। वहां ग्रोगाला में 15 औरतों के डिलीवरी हुई है। वहां के सरपंच से आप पूछिये, वहां के मेट से आप पूछिये, प्रसवकाल में भी उन औरतों को छुट्टी नहीं दी गई। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस बात की जांच करवायें–7 दिन की छुट्टी देना तो दूर रहा उनको तीन दिन की भी छुट्टी नहीं दी गई। उस प्रसवकाल में गैर हाजिरी लगाई गई। मुझे दुख के साथ कहना पडता है उनसे यह कहा गया कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम आने वाला है। नस बन्दी के आपरेशन किये जायेंगे, लूप लगाये जायेंगे। माननीय उपाध्यक्षजी, जहां भयकर अकाल पड रहा है वहां उनसे परिवार नियोजन की बात करें, तो उन गरीबों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। यह बहुत ही निन्दनीय कार्य है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में मैं यह कहता हुआ कि इस इलाके में राजस्थान के अन्दर, मैं तो यह कहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी दावे के साथ कहता हूं आपने राजा-महाराजाओं को समाप्त किया यह बात सही है; देश में सामन्तशाही समाप्त हुई लेकिन मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने नई सामन्तशाही पैदा की है कलेक्टरों और सरकारी अधिकारियों को कहा गया है कि मंत्री कहे वह काम करना है। **इसी प्रकार जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस** के एम. एल. ए. हैं वहां वे कहें वह काम होगा। कांग्रेस एम. एल. ए. हो तो वह कहे जैसा करें। इस तरह आपने सामन्तशाही को जोडा है। आज सारे अधिकारी मंत्रियों की चापलूसी करते हैं। आज मुख्य मंत्रीजी नहीं, लेकिन और सभी मंत्री सरकारी अधिकारियों की चापलूसी करते हैं। कांग्रेस के नेता एम. एल. ए. सरकारी अधिकारियों की चापलूसी करते हैं। इससे देश का मनोबल गिरा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार पनपा है। आज अगर तहसील में रजिस्ट्री करवाना है तो कहते हैं लावो पैसा कोई काम बिना पैसे नहीं होता है। मैं एक होटल में गया तो वहां ····

श्री उपाध्यक्ष: भाषण समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाडिया: आधी मिनट में। कुछ पुलिस के आफिसर बैठे हुए थे। जैसे पहले एक कहावत थी कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अन्त काल पछतायगा प्राण जायेंगे छूट। तो वे सरकारी अधिकारी होटल में कह रहे थे भ्रष्टाचार की लूट है लूट सके तो लूट, सुखाडिया राज्य चला जायगा तो बाद में पछतायगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोले–यह तो जुडा नहीं)

श्री देवी दत्त गाडिया: माननीय उपाध्यक्ष जी भ्रष्टाचार की लूट है लूट सके तो लूट, सुखाडिया राज्य चला जायगा तो प्राण जायेंगे छूट।

(शोर गुल – अश्रव्य)

कहने का मतलब है सुखाडिया राज्य है तब तक लूट लें, विरोधी दल की सरकार

Page No 81

(श्री देवीदत्त गाडिया)

आयेगी तो फिर काम नहीं बनेगा। आपने पंजाब के चुनावों में भाषण दिया......

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : पंजाब में आप चुनाव जीतना चाहते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम चन्द्र आर्य।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह कहता हूं कि झुंझुनूं जिले में, जैसलमेर में, बाडमेर में वहां पर परिवार नियोजन को रोकेंगे वर्ना देश की सीमा को बहुत बड़ा खतरा है। ग्वार की निकासी से बहुत बड़ा खतरा है। हम बाहर से चारा मंगवाते हैं उसको रोकेंगे। जो वैगन आ रहे हैं उनको मंगवायें, स्टेशन मास्टर को आदेश दें। आपने जो परमिट दिये हैं, उसको केन्सिल करेंगे और आज ही ग्वार की निकासी पर रोक लगायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज वाद-विवाद है उसमें मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने पढ़ा और पढ़ने से यह महसूस हुआ कि यह जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में पेश किया गया है उसमें अकाल पर कुछ प्रकाश डाला है, अकाल के बारे में 2-3 पेजों में सारी बातें कही हैं लेकिन अकाल पीडित लोगों की सहायता के संबंध में जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है वह सही नहीं है। यह प्रचार मात्र है क्योंकि बहुत लम्बा चौडा इलाका है और हमने जाकर जिन जिन कैम्पों में देखा है, वहां की व्यवस्था जिस प्रकार यहां बतलाई जाती है वैसी नहीं है। काफी इलाके ऐसे हैं जहां आज भी कोई राहत कार्य चालू नहीं किया गया। साढे सात सौ के आस पास राहत कार्यों की तादाद बताई है, लेकिन वहां राहत कार्य इतने नहीं हैं। इतने बडे भयंकर अकाल में जो 22 हजार गांवों से ज्यादा 33 हजार गांवों में जो लोग अकाल से पीडित हैं, प्रभावित हैं उनमें बिल्कुल नाम मात्र के के राहत कार्य हैं। हमारे पडोसी जिले में चूरू में हमने देखा वहां कोई राहत कार्य सुचारु रूप से शुरू नहीं किया गया है। यह ऐसा इलाका है जिसमें 5 तहसीलें हैं भादरा, नोहर, सूरतगढ़, राजलदेसर कहने में यह कहते हैं राजस्थान केनाल वहां आई है, सिंचाई की सुविधा है लेकिन उस इलाके में ऐसे गरीब लोगों की आबादी है जिनको पीने का पानी आज तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। कुछ गांवों में कुएं चलाये गये लेकिन उनको 25 रु. से ज्यादा मजदूरी नहीं दी गई। संबंधित अधिकारियों ने नीलाम लगवाकर कुएं चलाये। नवम्बर या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में शुरू किये। लेकिन सबसे बडी बात यह है कि उनको 25 रुपये से ज्यादा नहीं दिये गये। कहते हैं हम प्रति दिन इससे ज्यादा नहीं देंगे लेकिन इस अभिभाषण में यह लिखा है कि हम 50 रुपया तक की मजदूरी दे रहे हैं। इससे यह जाहिर है कि यह खाली प्रचारमात्र है। इनकी करनी और कथनी में बडा अन्तर है। यह जो अभिभाषण की पुस्तक है इससे यह साफ जाहिर होता है कि रेडियो में रोजाना अनाउन्समेन्ट होता है, अखबारों में आता है

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लेकिन आपकी 10 परसेन्ट भी यह बात सही नहीं है। रुपया खर्च होता है अंधाधुंध और जीपों में धुआं उडाया जाता है और पी. डब्लू. डी. के हाथ में जो सडकें हैं और जिनका निर्माण उसे करना है उसके झूंठे बिल बनते हैं, मजदूरों की मजदूरी काटी जाती है और लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि आज इस शासन के अन्दर इतनी कमजोरियां आ गयीं कि प्रशासन इनके अब कन्ट्रोल में नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार और उससे लिप्त लोग पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। इससे गरीब लोगों को राहत मिल रही है ऐसी कोई बात नहीं है।

इस अभिभाषण में अकाल के बारे में यह भी लिखा है कि हमने 500 रुपये तक तकाबी दी है चारा खरीदने के लिए। कहां दी है, किसी को दी गई होगी अपने कृपापात्र को, लेकिन गरीब लोगों को यह राहत नहीं मिली है। मेरी जानकारी में मैंने अच्छी तरह मालूम किया है कि कहीं प्रचार के लिए सरकार ने थोडा पैसा दिया है और वह भी अपने समर्थकों को। बाकी आम लोगों को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है।

इसके अलावा भाषण में राजस्थान कैनाल का जिक्र किया है। राजस्थान कैनाल में आज तक इन्होंने कोलोनाइजेशन सम्बन्धी नीति भी तय नहीं की है। और जब तक कोलोनाइजेशन की नीति निर्धारित नहीं हो जाती तब तक उसका काम पूरा नहीं होता। आज लाखों एकड जमीन बंजर पडी है। आप भूमिहीन काश्तकारों को जमीन नहीं देकर उस जमीन में से इनके समर्थक लोगों को यह भूमि लुटाते हैं। भूमिहीनों के लिए कहा है कि 20 हजार भूमिहीनों को 1968 में जमीन दी है और करीब 42 लाख एकड भूमि भूमिहीनों में बांटी है। यह सही नहीं है। मैं इस बात के लिए प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आज भी 95,249 दरख्वास्तें भूमिहीनों की हैं। मैं भी उस भूमि अलाटमेंन्ट कमेटी का मेम्बर हूं। जहां मीटिंग होती है 100 में से 2 आदमियों को केवल मुश्किल से जमीन मिलती है और वह भी 15 बीघा और उसके साथ में जो शर्त लगी है वह कोई भी गरीब भूमिहीन उसको पूरा नहीं कर सकता। जो सवर्ण हैं उनको 1,262 रु. जमा कराना पडता है और हरिजनों को 500 रुपया पहले जमा कराना पडता है और उसके बाद में फिर रिश्वत भी देनी पडती है और अगर वह रिश्वत नहीं देते हैं तो उसको ऊंचा टीबा बता दिया जाता है ताकि वहां कभी भी पानी नहीं पहुंच सकता। तो जो भूमिहीनों को जमीन देने की बात कही है वह सही नहीं है और यह एक कोरा भाषण ही है।

आज गंगानगर जैसे जिले में 17-18 लाख एकड भूमि पडी रहे और वहां का भूमिहीन किसान मारा मारा फिरता रहे और उनकी 95,429 दरख्वास्तें पेन्डिग रहें यह बडे दुख की बात है। इतना ही नहीं इन्होंने कई दफा भूमिहीनों की दरख्वास्तें लीं और उन लोगों के सौ-सौ और दो-दो सौ रुपये खर्च हुए लेकिन वह रिजेक्ट कर दी गयीं। बाद में फिर दरख्वास्तें लीं और उसके बावजूद जमीन नहीं देना यह केवल प्रचारमात्र है। इनको जमीन देने का भी सहूर नहीं है और जब जमीन बेचनी है तो पंचायतों को बुलाकर और नियम बनाकर गरीबों को बांट देनी

Page No 83

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चाहिए। लेकिन जमीन देना नहीं चाहते हैं और जैसे बंदरी मरे हुए बच्चे को अपनी छाती पर चिपकाये रहती है उसी तरह से सरकार जमीन को अपनी छाती से चिपकाये रखना चाहती है। यहां पर जयपुर में बैठे बैठे दो दो मुरब्बा जमीन अलोट हुयी है लेकिन जो गांवों में काश्तकार भूमिहीन हैं उनको एक बीघा भी जमीन नहीं मिली। यह जो इस अभिभाषण में भूमिहीनों को जमीन देने का लिखा है मैं इसको बिल्कुल रद्दी बात मानता हूं क्योंकि यह सही नहीं है। अगर मैंने यह गलत बात कही है तो आप खुली इन्क्वायरी करें कि कितने भूमिहीनों को जमीनें आपने दी हैं। राजस्थान कैनाल के बारे में लिखा है कि हम इकोनामिक प्लान्टेशन के लिए कुछ वृक्ष लगाना चाहते हैं। शर्म से सिर झुक जाता है जब हम यह सुनते हैं कि हनुमानगढ में जहां 40 मन बीघा का चावल होता है, गेहूं पैदा होता है उसके लिए सरकार कहती है कि यह बंजर पड़ी है और यहां वृक्ष लगायेंगे और जहां बंजर पड़ी है वहां वृक्ष नहीं लगायेंगे। जमीन में वृक्ष लगाकर आमदनी बढाना चाहते हैं तो यह कोई अकल की बात तो है नहीं। यह करते हैं यह कितने दिन करेंगे। आखिर जनता समझती है कि सरकार किस तरह से उनके साथ खिलवाड कर रही है। सुखाडियाजी यह धुरी किस तरह से टिकी हुई है मेरी तो समझ में नहीं आता लेकिन सुखाडिया साहब आपको पता नहीं आप तो समझते हैं कि आप चारों तरफ छाये हुए हैं लेकिन नीचे नीचे आग सुलग रही है। एक दिन ऐसा आयेगा जब आपको जेल में जाना पडेगा क्योंकि, आपके कुकर्म छिपे नहीं रहेंगे। आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम इसकी जांच के लिए तैयार नहीं हैं। यह तो हम भी जानते हैं क्योंकि जांच कराई जाये तो आप दोषी पाये जायेंगे। आज कौन ईमानदार आदमी ऐसा है कि जो कमीशन नियुक्त करे और अपनी ही जांच करवाये। अपनी मौत कोई खरीद करे यह कैसे हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि कुछ एक दो आदमियों को छोडकर सारे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आप कहते हैं कि इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन समय आयेगा जब आपकी इन्क्वायरी होगी।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य में सही तरीके से चल रही है। यहां राज्य में कानून और व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि यहां पर थानों में शराब पी जाती है। परसों की ही घटना है नोहर के थाने में तीन सिपाहियों ने शराब पी और एक भले आदमी के घर जाकर जिसके साथ में दुश्मनी थी उसको बाहर निकाल लाये और लाठियों से पीटा और एक हरिजन के घर में चले गये और जबरन उसकी औरत से बलात्कार करने की कोशिश की और सुबह ही जब हरिजन रिपोर्ट करने आया तो उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं ली गई। मैं स्वयं गया इतने में सुबह एक गुण्डा आ गया। उसकी उस हरिजन के साथ मुठभेड हुई। उनमें दो तीन हरिजन घायल हुए और वह गुण्डा मारा गया। इस प्रकार की आपकी कानून और व्यवस्था है। इस प्रकार की कानून और व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस तरह से आपने जयपुर के जौहरी बाजार में जो गोली चलाकर निर्दोष लोगों की हत्या की और बेरी आयोग की रिपोर्ट में आपको बचाने के लिए काफी चेष्टा की गयी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है लेकिन आप बच नहीं सकते । क्योंकि शासन आपके हाथ में था और उस शासनकाल में रेकार्ड की तब्दीलियां हो जाना और गरीबों का मारा जाना और आपकी जुबान चुप रहना और यहां, उपाध्यक्ष महोदय, थोडी देर पहले भाषण कर रहे थे कि पुलिस को अधिकार है । पुलिस को अधिकार नहीं है । शासन जिसके हाथ में है उसको अधिकार है शासन करने का । जब धारा 144 हटा ली तो कौनसा ऐसा कानून है जिससे मजबूरन गोली चलानी पडी ? उसके साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि गवाहों के बयानों से साबित होता है कि उन्होंने बयान बदले । लेकिन यह नहीं कहा कि सरकारी रेकर्ड तक बदला गया । वह किस के आदेश से बदला गया ? लेकिन यह दुख की बात है कि इस प्रकार का शासन और 2 करोड जनता के ऊपर जबर्दस्ती डाला गया और अल्पमत वाली सरकार जबर्दस्ती मत बनाकर राज्य कर रही है । इसकी तो आने वाली सरकार ही इन्क्वायरी करेगी ।

इसके बाद में शिक्षा के लिए कहा है, हमने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है । अकाल में भी हम शिक्षा के लिए कर रहे हैं । लेकिन मैं सही माने में बता देना चाहता हूं कि देहातों में, मेरे क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां प्राइमरी पाठशाला तक नहीं है । स्वतन्त्रता होने के बाद लोग यह उम्मीद करते थे कि हमारे गांव में स्कूल होगा । हमारे क्षेत्र में मीलों तक हजारों की संख्या वाले गांवों में भी स्कूल नहीं है । कई बार हमने यह प्रश्न उठाया । कहा गया कि पंचायत समिति और जिला परिषद् से प्रस्ताव नहीं आया । शिक्षा के बारे में झूठ, सिंचाई के बारे में झूठ, कृषि के बारे में झूठ, कृषि के बारे में झूठा बीज का वितरण किया है तो कृषि के बारे में आपकी यह नीति है । भाखडा नागल क्षेत्र में नहरें बन्द हैं । जब कि पानी पिलाने की जरूरत थी । इसलिए आपका यह कहना कि हम कृषि को बढावा देते हैं यह बिल्कुल गलत है । संकर बाजरे का बीज बिल्कुल घटिया दिया गया है । काश्तकारों के खेतों में उगा तक नहीं है । खाद में नमक मिला हुआ है । इस पर सरकार चुप रहे । इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं है । तो फिर एक साथ ही इन्क्वायरी हो जाएगी । आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि आप इस फन्दे से बचकर निकल जायेंगे । सरे आम पब्लिक को लूटते रहे हो । मुस्कराकर दिखा देते हैं । सही बातें कहने में हिचकिचाते हैं । रोजाना भीख मांगते फिरते रहे हैं । लानत है ऐसे प्रतिनिधियों पर जो सच्ची बात नहीं कहें । कृषि के बारे में आप की नीति बिल्कुल घटिया है । मैं उसकी निन्दा करता हूं । यह राज्यपाल महोदय का जो भाषण है बिल्कुल निकम्मा है । धन्यवाद अच्छे काम का होता है । हम राज्यपाल को धन्यवाद क्यों दें ? लोगों को बिजली नहीं मिलती है । कनेक्शन मांगने पर कनेक्शन नहीं मिलता है । जो आदमी रुपये जमा करा दे उसको भी बिजली नहीं मिले । यह डूब मरने की बात है । चिकित्सा के लिए 35 लाख रुपया रखा है । मैं यह कहता हूं कि यह जो कर्मचारियों को मिलता है वह झूठे बिल बनाते हैं । किस प्रकार से सरकारी मशीनरी दुरुपयोग करती है । गरीब जनता को कोई दवा नहीं मिलती है । लोगों को मरहम पट्टी के लिए कपडा नहीं मिलता है । सरकारी कर्मचारी हर महीने 200 रु. का बिल बनाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि लोगों की तनख्वाह में यह मैडिकल बिल एडजस्ट कर दो । लेकिन आपको उनका शोषण करना है । लेकिन आप

Page No 85

(श्री रामचन्द्र आर्य)
मूल रहे हैं। आप नौकरशाही पर राज नहीं कर सकेंगे। 2 करोड जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार की विश्वासघाती सरकार की बदमाशी नहीं देख सकते हैं। आपको विश्वास है तो इस्तीफा दे दो और फिर राज्यपाल को शासन करवा कर चुनाव लडो। तब हम देखते हैं किस प्रकार से आपका शासन होता है। जिन लोगों के साथ वायदा किया है, आज काला मुह करके वहां बैठे हैं। इस प्रकार से बहुमत को जिन्दा रखना चाहते हैं। प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं। इस प्रकार से देश में कम्युनिज्म आता है। डिक्टेटरशिप आती है। मैं जानता हूं आप के सामने परिस्थितियां हैं। क्योंकि आप एक एक आदमी को नाराज करने के बाद मिनिस्टर नहीं रह सकते हो। आपने भयंकर समय में मन्त्रिमण्डल बनाया है। जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन आप नहीं बनाते तो कुर्सी पर नहीं रह सकते थे। आप कुर्सी पर रहें या नहीं लेकिन इस प्रकार की खिलवाड नहीं करें। आप अपने मन्त्रिमंडल का रोजाना विस्तार करें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कटौती करो। उनका पत्र गया। अकाल सहायता के लिये वेतन से कटौती करो। मैंने उनको लिखा आप मोहनलाल सुखाडिया को कहो, अपने मन्त्रियों का वेतन कम करें तब तो हो सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे 5-10 रुपये लेने से कोई अकाल का निराकरण नहीं हो सकता है। लेकिन फिर उनका कोई उत्तर नहीं आया। क्योंकि वह जानते हैं कि सुखाडियाजी के सामने उनकी कोई दाल नहीं गलती है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि इस निष्पक्ष सदन में बैठने वाले इस सदन में मर्यादाओं को भंग करते हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कहा करता हूं। लेकिन मैं अपनी बात कहने में नहीं डरता हूं। उनको भी यह बात अखरती है। उन्होंने सुबह ऐसा बर्ताव किया है कि एक सदस्य कह रहा है, यह झूठ है। यह बात कि हाजरियां नहीं लग रही हैं। लेकिन बार बार उनकी तरफ देखकर मुझे ही ललकारा था। बैठ जाओ! बैठ जाओ। इससे बढकर चाटुकारीता क्या हो सकती है? इसलिये अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनके चेम्बर में जाकर हाजरियां भरें।

श्री **उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य: आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री **प्रद्युम्न सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं?

श्री **रामचन्द्र आर्य**: इसके साथ में यह भी लिखा है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढी है।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर): इनको पानी पिलाओ।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: हां, पानी भी पिलाया जाएगा। पानी उनको पिलाया जाएगा जो जनता के सामने गद्दारी करते हैं और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सडांध में पडे हुए हैं और कहते हैं हम सरकार चलाते हैं। लानत है, ऐसी सरकार चलाने में। इस भाषण में कहा है कि प्रति व्यक्ति राजस्थान में आय बढी है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तो इस प्रकार की जो भाषण के अन्दर बातें कही गई हैं यह बातें शत प्रतिशत गलत हैं। यह सही नहीं हैं। आप इनकी इन्क्वायरी करवायें और मैंने जो बातें कही हैं सदन के अन्दर आप इनकी भी खुली इन्क्वायरी करवायें। जो इस मंत्रि मंडल के खिलाफ रोजाना चार्जेज लगते हैं उनकी इन्क्वायरी कराने के लिए आप तैयार नहीं हैं। अगर आप उनकी इन्क्वायरी करवायें तो हम प्रूफ देंगे। लेकिन अगर आप इन्क्वायरी करवायें तो सबसे पहले तो आपके खिलाफ ही इन्क्वायरी चलेगी इसलिए आपको इस प्रकार की इन्क्वायरी कराने में आपत्ति है। तो आप नौकरशाही की क्या इन्क्वायरी करा सकते हैं। जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस सरकार की नौकरशाही को क्या दोष दिया जाय। हमेशा नौकर मालिक के मुंह की ओर देखता है। यदि मालिक ठीक है तो नौकर भी ठीक है। अगर मालिक ठीक नहीं है तो नौकर कभी ठीक नहीं होगा। नौकर तो मालिक के इशारे के ऊपर चलता है। यदि आप एक रुपये की बेईमानी करते हैं तो वह सौ रुपये की बेईमानी करेगा और आप उसको कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आप खुद बेईमानी करते हैं, फिर आपको दूसरे को कहने का क्या अधिकार है। मेरी बातें कडवी जरूर हैं लेकिन इनके पीछे सत्य का बल है। आज सरकारी बैंचेज पर बैठने वालों को होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान की डेढ करोड जनता को किस गड्ढे में घसीट रहे हैं। आज हर प्रकार खुल्लम खुल्ला चारों तरफ लूट हो रही है, हर विभाग में, पुलिस विभाग में लूट हो रही है और आप कहते हैं इन्हें पानी पिलाओ। पानी की मुझे चिन्ता नहीं है, पानी भी पिलाया जायेगा।.......

(3. 12. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत सभापति पदासीन)

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा**: आप बैठ जाओ, छाछ पिला देंगे।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: पिला देना भाई पिला देना।

माननीय डागाजी ने सरकार की बडी चिलम भरी इस प्रकार से चिलम पोशी करने से पहले माननीय सदस्य को सोचना चाहिये था कि तथ्य की बात जो होती है उसको छिपाया नहीं जा सकता है। बेरी आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें जो तथ्य हैं, उनको कितना ही छिपाया जाय वह छिप नहीं सकेंगे। उन्होंने भी एक गलती की है, मैं साफ कह देना चाहता हूं, उन्होंने पक्ष किया है और वह यह कि मोहनलाल सुखाडिया को निर्दोष घोषित किया है। मोहनलाल सुखाडिया निर्दोष नहीं है, वह कुर्सी पर था। तत्कालीन होम मिनिस्टर जो था वह भी दोषी है। उन्होंने इनके खिलाफ चार्ज नहीं लगाये। अगर इस प्रकार की यह इन्क्वायरी इस सरकार में मेरे रहते हुए होती तो इसका रंग दूसरा होता। यह विरोधी दल यदि शासन में हुआ होता और इन्क्वायरी होती तो आज मोहनलाल सुखाडिया के हाथ में हथकडी होतीं। समरथ को नहिं दोष गुंसाई। जो समर्थ है उसके ऊपर दोष नहीं होता। सत्ता जिसके हाथ में है वह जिस तरह इन्क्वायरी को मोल्ड करना चाहे वह कर सकता है। फिर जिसकी चलती है वह चलती में न चलाये वह

(श्री रामचन्द्र आर्य)
हमेशा के लिए XX समझा जाता है। जितने आपकी चलती है आपको चलानी चाहिए–आप यह समझते हैं लेकिन हमेशा यही समय नहीं रहेगा, यह आपको सोच लेना चाहिए। इतना कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं और मैं कहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और इस सरकार को हटा देना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री: श्री शंकर लाल !

श्री शंकर लाल: सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं भी इसकी मुख्य मुख्य बातों की समालोचना करना चाहता हूं। लेकिन उसके बीच में क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा बेरी आयोग के सिलसिले में चर्चा की गई है और उसको भी एक विषय बनाया गया है इसलिए मैं समझता हूं कि उस सम्बन्ध में सत्यता और वास्तविकता के सम्बन्ध में अपने विचार रखूं ...

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! अभी रामचन्द्रजी ने भाषण दिया उसमें उन्होंने कुछ गालियों का प्रयोग किया है, उनको एक्सपंज किया जाता है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : उनको निकाल दिया जाय।

श्री रामकिशन : निकाल दिया, इसमें क्या शेम है ?

XX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द हटाया गया।

श्री मदन सिंह : निकाल दिया इसलिए शेम शेम कर रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदया, कमीशन की रिपोर्ट, जज महोदय के खिलाफ जो शब्द कहा है उस शब्द को मैं वापिस लेता हूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : गालियां निकाली हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने गालियां नहीं निकालीं। मैंने सही बात कही थी। सच बात कडवी होती है।

श्री खेतसिंह : चौधरी साहब, आप बोलते हो तो आपको ध्यान नहीं रहता है कि क्या बोलते हो। आप लीन हो जाते हो।

श्री शंकर लाल : चूंकि शब्द निकालने के लिए सभापति महोदय ने कह दिया है इसलिए मैं समझता हूं, इसके ऊपर अधिक चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

सभापति महोदया, बेरी आयोग के सिलसिले में यह बात कही गई कि बेरी आयोग की रिपोर्ट को ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको तैयार किया है ?

श्री शंकर लाल : सरकार कार्यान्वित करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन, सभापति महोदया, मैं आपके समक्ष, सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति अगर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ेगा और मुख्य मुख्य तथ्यों के अन्दर गहराई से जायेगा तो उसको मालूम होगा कि बेरी आयोग की रिपोर्ट है वह कार्यान्वित करने के योग्य नहीं है। सभापति महोदया, इसके

(श्री शंकरलाल)

पीछे जो मेरे आर्गूमेंट हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह भी कहा गया, अभी किसी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि यह रिपोर्ट ज्यों की त्यों मान ली जानी चाहिए, और इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मि. टंडोलकर वर्सेस सेठ रामकिशन डालमिया, उसके बाद उडीसा कमीशन के सम्बन्ध में हैं, उस फैसले के अन्दर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो कमीशन की रिपोर्ट होती है वह सरकार के विचाराधीन होती है और यह सरकार के ऊपर है कि वह उसे स्वीकार करे या नहीं करे। इसलिए जो माननीय सदस्य अपनी विचार-धारा रखते हैं, वह और मैं समझता हूं कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए इस प्रश्न पर विचार करेगी और इसी दृष्टि से मैं आपके सामने कुछ तथ्य निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदया, हमें बडा आश्चर्य होता है कि जो इन्क्वायरी और जांच करने का इन्क्वायरी सेन्ट्रल एक्ट बना हुआ है, इस कमीशन ने इन्क्वायरी उसके तहत न करते हुए अपना एक अलग तरीका अपना लिया था। मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो बेरी आयोग के द्वारा कहा गया कि पुलिस के पास जो दस्तावेज हैं वह उसको दिखाने पडेंगे, पहले दिखाने पडेंगे। कोई बात है, अगर यह बात थी तो दूसरों के पास जो दस्तावेज थे उनको दिखाने की भी आज्ञा कमीशन को देनी चाहिए थी। किन्तु इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि केवल यह आज्ञा दी गई कि पुलिस के पास जो दस्तावेज हैं वह पहले दिखाये जायं लेकिन जो दस्तावेज दूसरों के पास थे उनको पहले दिखाने की आज्ञा नहीं दी गई···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या दरख्वास्त दी गई थी।

श्री शंकर लाल : सुनिये ! सुनिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आपको पाठ पढाया गया है वही पेश किया जा रहा है।

श्री शंकर लाल : मेरा निवेदन है कि दूसरों के पास जो दस्तावेज थे उनके सम्बन्ध में भी यह आज्ञा दी जानी चाहिए थी कि वह दिखाये जायं····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमको मालूम था कि शंकर लाल जी को इस मामले की तैयारी कराई गई है। इसलिए ही हम आ गये हैं।

श्री शंकर लाल : निष्पक्ष जांच तो यह होती (व्यवधान) सुनिये, सुनिये ! निष्पक्ष जांच तो यह होती कि लोगों से कहा जाता कि आप इस सम्बन्ध में क्या जानते हैं और इन्क्वायरी कमीशन के सामने लोग स्वयं आकर बयान देते, हलफनामा देते और दस्तावेज देखकर बयान देते। लकिन बिना यह जाने हुए कि दस्तावेज में क्या चीज है उनके बयान लिये और बाद में जो पुलिस के दस्तावेज थे उनके आधार पर किसी तरह सब बातों को गलत साबित किया जाय, और दूसरी बातों को सही दिखाया जाय। इस प्रकार आपको एक स्टोरी बनाने का मौका मिला, जब कि यह मौका नहीं मिलना चाहिए था। दोनों को एक तरह की आज्ञा देने की बात इन्क्वायरी कमीशन की तरफ से होनी चाहिए थी। लेकिन वह नहीं किया गया। सभापति महोदया,

(श्री शंकरलाल)

इसके बाद आगे देखते हैं गहराई से तो मालूम होता है कि नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का निकला उसमें बेरी आयोग को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह न्याय के लिए किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को बुला सकता है और आयोग के समक्ष गवाही को उपस्थित करने के लिए कह सकता है। लेकिन आश्चर्य होता है कि जिस बेरी आयोग के लिए निष्पक्षता की बात कही जाती है, तो जिन महारानी गायत्री देवी का सारी घटनाओं से सम्बन्ध था, जिन्होंने जनता के सामने स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने इसके बारे में इधर उधर चर्चा की थी और जो इधर उधर घूमीं, उनकी गवाही इस आयोग के समक्ष नहीं ली गई। मेरी समझ में यह नहीं आता कि बेरी आयोग को किसने रोका था ? ऐसा मालूम होता है कि बेरी आयोग ने महारानी गायत्री देवी की गवाही न लेकर न्याय नहीं किया है, बेरी आयोग ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है जो कि उसके द्वारा कियां जाना चाहिए था। महारानी गायत्री देवी का यह कर्त्तव्य था, वह चाहे जितनी बडी व्यक्ति हों, उनको यह चाहिए था कि वह आकर बेरी आयोग के समक्ष अपने बयान देतीं। बेरी आयोग की गलती हुई, लेकिन महारानी गायत्री देवी को यह चाहिए था कि जिस प्रकार उन्होंने पार्लियामेन्ट में बात कही, उसी बात को बेरी आयोग के समक्ष आकर कहने में उनके समक्ष क्या अडचन थी। वह बेरी आयोग के समक्ष आकर नहीं कहती हैं, वह जनता को गुमराह करने के लिए चौपड पर आ सकती हैं, भीड को उकसाने के लिए जनता के सामने बयान दे सकती हैं, भीड के सामने हंसती हुई आकर उसे उकसा सकती हैं लेकिन बेरी आयोग के सामने आकर निष्पक्ष गवाही देने की उनकी हिम्मत नहीं है। सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि इन घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं, जैसा माननीय भैरोंसिहजी ने कहा कि खून की होली नहीं खेली जानी चाहिए। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं कि वास्तव में किसी को खून की होली खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन लोग खून की होली के जिम्मेदार हैं, किन लोगों ने इस प्रकार का ढांचा रचा, इसके बैक ग्राउन्ड में जाना पडेगा। मैं 7 तारीख को हुई घटना की जड में, उसके पीछे जो नियत थी उसमें जाना चाहता हूं कि इसके लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं। मान लिया आप कहते हैं कि आपका बहुमत था, मान लिया कि गवर्नर ने जो निर्णय दिया कि सुखाडिया की सरकार होगी, वह निर्णय सही नहीं था पर बहुमत किसका है, इस बात का निर्णय करने वाला यह सदन है, इसका निर्णय बाजारों में, चौपड पर नहीं होता, इसका निर्णय यह कहने से नहीं होता कि मेरी रगों में खून है, सुखाडिया को हटाकर रहूंगा, इसका निर्णय यह कहने से नहीं होता कि आप एक तारीख मुकर्रर कर दीजिये, मैं सुखाडिया को हटाकर रहूंगा।

श्री मदनसिंह: फ्रांस में टेनिस कोर्ट में सरकार बदलती है···

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह हिन्दुस्तान है, फ्रान्स नहीं है।

श्री मदनसिंह: हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह हिन्दुस्तान है फ्रान्स नहीं है।

Page No 90

श्री **मदनसिंह**: आपके इन कारनामों का खराब नतीजा निकलेगा ।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: क्या निकलेगा ?

श्री **शंकरलाल**: अगर आपका संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है तो आप क्यों कहते हैं कि बहुमत नहीं था, बहुमत का निर्णय सदन में किया जाता है । सदन के द्वारा बहुमत किसका है, इसका निर्णय किया जा सकता है, सदन के द्वारा गवर्नर के निर्णय को बदला जा सकता था । पर आपने क्या किया कि लोगों को उकसाया । माननीय भैरोंसिंहजी जिन्होंने यह कहा था कि खून से होली नहीं खेलनी चाहिये, मैं खुद कहता हूं कि खून से होली नहीं खेलनी चाहिए, मैं कहता हूं इसके जिम्मेदार आप हैं । 5 मार्च को प्रोसेशन लेकर, बाजार में भीड को लेकर गये, जिस भीड ने केन्द्रों को लूटा, जिस भीड ने दूध के डिपोज को लूटा, जिस भीड ने टेलीफोन के तारों को काटा, जिस भीड ने निर्दोष व्यक्तियों को पीटा, जिस भीड ने बसें जलाईं, जिस भीड ने इन्डस्ट्रीज की कार को रोका और कहा कि पैट्रोल दो हम तार जलाना चाहते हैं, इस आधार पर आप बहुमत का निर्णय करना चाहते थे ।

श्री **मदनसिंह**: वह भीड कहीं ऐसा न करे कि यहां भी वैसा कर दे ।

श्री **शंकरलाल**: बैरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन बातों का संकेत किया है पर इन बातों का संकेत करते हुए बैरी आयोग हिम्मत के साथ नहीं कह सका कि **इस** सबके लिये जिम्मेदार कौन थे । उसने यह कहा कि गोली नहीं चलानी चाहिए थी पर यह नहीं कहा कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है । पेज नं. 813 के ऊपर उन्होंने थोडा हिन्ट किया है । उन्होंने हिन्ट किया है :

"Let the leaders of public opinion appreciate that the language of agitation is not appropriate in every case and it is easier to set it in motion than to regulate and control it. Rule of law suffers from public disorder and does inestimable damage to the cause of democracy. The language of stone pelting, the preference for which seems to be increasing, should be discouraged by serious efforts."

उन्होंने इस बात को माना है कि इस प्रकार के भाषण नहीं करने चाहिए थे, इस प्रकार की बातें काम में नहीं लेनी चाहिए थीं, वह नहीं करना चाहिए था पर यह बात क्यों नहीं कही कि इसके लिये जिम्मेदार और इस खून की होली के लिये जिम्मेदार सुखाडिया सरकार नहीं बल्कि आप लोग थे, जिन्होंने जनता को उकसाया······

(सरकारी पक्ष की ओर से हीयर हीयर की ध्वनि)

बैरी आयोग फिर कहता है, पेज 203 पर कहा है, थोडा सा दबी जुबान में कहा है, वह भी स्पष्ट नहीं :

"....the organisers of the procession were not able to control those whom they professed to lead...."

5 तारीख के प्रोसेशन को लीड किसने किया था, माननीय भैरोंसिंहजी ने किया था, बैरी आयोग कहता है कि प्रोसेशन को लीड

(श्री शंकरलाल)

करने वाले भीड को कन्ट्रोल नहीं कर सके, कन्ट्रोल करने में असफल रहे। जयपुर के नुमायन्दे विरोधी पक्ष के हैं चाहे भैरोंसिंहजी हों, चाहे वाढदारजी हों, चाहे सतीशचन्द्रजी हों, क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकते, वे यहां के नुमायन्दे थे, नेता थे, यहां के लोगों ने उनको चुना था तो उनका फर्ज था कि जयपुर में ऐसी घटना नहीं होने देते। पर बजाय विधान सभा के प्रतिनिधि होते हुए उन्होंने जनता को उकसाया जिससे कि खून की होली हुई।

सभापति महोदया, मैं वरी आयोग की रिपोर्ट को इसलिये कन्डेम करता हूं कि उसे एक निर्णय पर पहुंचना चाहिये था। वह एक तरफ कहता है कि सुखाडिया की साजिश पुलिस की तरफ नहीं थी, पर साजिश किसकी थी? इन लोगों की साजिस थी, साजिश थी सरकार बनाने के लिये, यह साजिश थी कि गुंडागर्दी के आधार पर सरकार बनाई जाय। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को उचित समझते हैं कि सुखाडियाजी के बंगले पर पथराव किया गया, क्या आप यह उचित समझते हैं कि गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम को स्टोन किया गया, क्या आप यह उचित समझते हैं कि जन सम्पर्क के काम आने वाली वस्तुओं को जलाया गया, तारों को काटा गया, पोस्ट बोक्सेज को जलाया गया, पुलिस के आदमियों पर पथराव किया गया यह सारी चीजें उकसाने की थीं, जिनका यह सारा नतीजा हुआ। आप उकसाने वाले हैं, आप अपने आपको टटोलें, अपनी चीजों को टटोलें। आपका बहुमत होता तो सदन में बताते। आप उधर से इधर आने वाले लोगों के लिये कहते हैं, उन पर दोष लगाते हैं पर जब उन्होंने यह देखा कि आपका इस प्रकार का प्लानिंग है, आपका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, जो कहते हैं कि फ्रान्स में यह हुआ, उन्होंने जब यह देखा कि आपका कोई संगठन नहीं है तो वे लोग उधर से इधर आ गये। तो उन पर जो लांछन लगाया जाता है वह उचित नहीं है, वे आपके कारनामों को देखकर, आपको छोडकर इधर आये हैं। आप कहते हैं कि हम 95 हैं तो आपको हाउस में आकर बताना चाहिये था।

श्री मदनसिंह : उस समय हाउस कहां था, हाउस तो क्षीरसागर हो रहा था।

श्री शंकरलाल : बहुमत है तो राजस्थान की दो करोड जनता का, केवल यहां की जनता को उकसा कर राजस्थान में बहुमत का दावा नहीं कर सकते।

(सरकारी पक्ष की ओर से हीयर–हीयर की ध्वनि)

श्री शंकरलाल : इसलिये मैं कहता हूं कि वैरी आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं किया जाकर एक्स्पर्टस् की ओपिनियन के लिये भेजा जाय, जो जो इसमें कन्ट्राडिक्शन्स हैं उनको ध्यानपूर्वक देखा जाय, जैसे फोटो में 20 आदमी हैं और कहते हैं कि 20 ही आदमी थे 20 हजार कैसे कहते हैं। एक प्रोसेशन आ रहा है, उसका फोटो लेते हैं तो फोटो में 26-27 आदमी ही आयेंगे, सब तो आयेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि यह तो पेपर में न्यूज नहीं आई। ठीक है, समाचारपत्रों में न्यूज आनी चाहिये

(श्री शंकरलाल)

पर समाचार-पत्रों में वह न्यूज नहीं आई तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह घटना नहीं घटी। यह बात कही गई है कि गवाह पेश नहीं हुए इसलिये मैं इसको नहीं मान सकता। आयोग को नोटिफिकेशन के तहत गवाहों को बुलाना चाहिये था, गायत्रीदेवी को बुलाना चाहिये था। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि गायत्री देवी के साथ पक्ष लिया गया है। हिन्दुस्तान के किसी कोने से यह छुपा हुआ नहीं माननीय सतीशचन्द्रजी किसी रिपोर्ट को पेश कर दें और यह बता दें कि गायत्रीदेवी इसमें असेन्शियल विटनैस थीं या नहीं। जब कि कन्ट्राडिक्शन होता है पार्लियामेंट में वे कहती हैं कि मैंने चौपड में लोगों को कहा कि 144 धारा को डिफाई नहीं करना चाहिये, यह कहती हैं पार्लियामेंट में और बैरी आयोग यह नतीजा निकालता है कि गायत्रीदेवी ने लोगों को पूछा कि 144 धारा लगेगी तो आप उसको डिफाई करने के लिये तैयार हैं, तो कहा, हां।

इस प्रकार के कन्ट्राडिक्शन्स की बातें हैं तो कोई कानून और न्याय की दृष्टि से उस गवाह को बुलाना चाहिये, चाहे गायत्रीदेवी हों· · · · · ·

एक माननीय सदस्य: चाहे मोहनलाल सुखाडिया हों।

कुछ माननीय सदस्य: चाहे मोहनलाल सुखाडिया हों।

श्री शंकरलाल : चाहे कोई भी हो। वहां कोई चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खडा नहीं रहता है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, गायत्री देवी लोगों को ग्रीटिन करती हैं और भी कई बातें आती हैं उनकी स्पीचेज में। सतीशचन्द्रजी आप भी वहां पर बेरी आयोग के सामने वकील थे, क्या आप नहीं समझते कि गायत्री देवी का फर्ज था वहां पर आना? तो खून की होली खेलने के जिम्मेदार, जैसा मैंने बताया, 5 तारीख को जलूस लेकर भैरोंसिहजी निकले, उसी प्रकार गायत्रीदेवी ने वहां जाकर कहा केन्द्र को कि 144 धारा हटा दीजिये, कोई झगडा नहीं होगा। 144 धारा हटा दी उसके बाद झगडा हुआ। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जब 144 धारा हटा दी तो फिर क्यों लोगों को रोका गया? यह तो एक प्रिवेन्टिव मेजर था। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि जहां 144 धारा लागू नहीं हुई वहां पर लोग कानून अपने हाथ में लें, यह कानून नहीं कहता। अगर 144 धारा नहीं हटाई गई होती तो खून की होली नहीं होती, लोग जुलूस में शामिल नहीं होते। जब मालूम था कि 144 धारा है तो दो दिन तक झगडा नहीं हुआ। खून की होली हुई 5 तारीख के जुलूस से और महारानी गायत्रीदेवी के स्टेटमेंट से और उनके द्वारा 144 धारा को हटाने का प्रयास करने में और उसमें सफल होने से यह स्थिति पैदा हुई।

बैरी आयोग की जो रिपोर्ट है वह निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिये। आयोग कहता है कि सुखाडियाजी जिम्मेदार नहीं लेकिन स्पष्ट शब्दों में यह भी नहीं कहा जिम्मेदार ये लोग हैं। आखिर में जाकर कहता है कि जो होली खेली गई वह ठीक नहीं, इसके लिए सरकारी कर्मचारी

(श्री शंकरलाल)

जिम्मेदार हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है और करना भी चाहिए। जिस प्रकार 4-5 तारीख को वातावरण बना और जिस प्रकार लूट हुई, पत्थरबाजी हुई, आदमियों को पीटा, तो सेल्फ डिफेंस के अन्दर उनको गोली चलानी पडी तो उन्होंने बुरा नहीं किया। क्या इरादा था गोली चलाने का ? कौन कह सकता है कि सरकारी कर्मचारियों की क्या नियत थी जब यह कहा गया कि सुखाडियाजी की साजिश नहीं थी तो सरकारी कर्मचारियों की क्या नियत हो सकती है ? उनकी नियत थी सेल्फ-डिफेंस की, उनकी नीयत थी शहर में हुल्लड न होने देने की और शहर में पथराव रोकने की। जब लोग ऊपर से हमला करने लगें तो सेल्फ-डिफेंस में गोली चलाई जाती है।

श्री **मदन सिंह** : और मरवा दो।

श्री **शंकरलाल**: मरवाने की बात आपने कही है। महारानी गायत्री के पैरों में रहकर आपने खून के साथ खेला है, आपने लोगों को उकसाया, आप जिम्मेदार थे। अगर आपका बहुमत था तो यहां आकर साबित करते तो हमें ऐतराज नहीं था लेकिन आपने दूसरा फोरम चुना। अगर आप लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, शान्ति को बनाये रखना चाहते थे तो आप इस प्रकार के तरीके न अपनाते। आप लोगों को उकसायें मत। जनता अगर आपको वोट देती है और बहुमत आपका आता है तो सदन में आकर साबित कर सकते हैं·····

श्री **विजयसिंह** : अगर इतनी हिम्मत है तो··

(दोनों एक साथ बोलने लगे)

श्री **शंकरलाल**: आपको आत्म-मनन करना चाहिए कि गल्ती कहां है और किस से हुई है।

वैरी आयोग के बारे में क्योंकि यहां चर्चा हुई इसलिये इस बारे में मैंने कुछ बातें कहीं। राज्यपाल के अभिभाषण में और मुख्य बात है अकाल के बारे में जिसकी कई दिनों से चर्चा हो रही है। कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अकाल के अन्दर मजदूरों को धान मिलना चाहिए और पानी व मजदूरी मिलनी चाहिए और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। यह सही है कि बहुत बडे पैमाने पर मजदूरों को राहत दी जा रही है लेकिन यह भी सही है कि जहां जहां से कोई शिकायत आए तो उसको जल्दी डील करना चाहिए। सरकारी धान उचित मूल्य पर नहीं मिलता, बाजार में सस्ता मिलता है लेकिन वहां के लोग जो काम पर लगे हुए हैं, बाजार में नहीं जा सकते। सरकार कहती है कोई सहकारी समिति लेने को तैयार हो या कोई व्यक्ति लेने को तैयार हो, मैं कहता हूं चाहे सहकारी समिति लेने को तैयार हो या नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि मौके पर जाकर धान व पानी उपलब्ध कराए। जहां जहां भी राहत कार्य चल रहे हैं।

मैं मौके पर गया हूं, मुझे बच्चों के बारे में मालूम है। मेरे पास करीब 200-300 बच्चे नारे लगाते आए। मैंने पूछा क्या मुसीबत आ गई ? उन्होंने कहा कि हमें हटा दिया गया क्योंकि हम छोटे हैं इसलिये

(श्री शंकरलाल)

नहीं लिया जाता। 13-14 वर्ष के बच्चों को ही लिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता, जब ये बच्चे काम कर रहे थे उन्होंने 15 दिन काम किया उनको 15 दिन की मजदूरी मिली तो 15 दिन के बाद कहा जाता है कि तुम छोटे हो। 15 दिन में कैसे छोटे हो गए? मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अकाल के अन्दर चाहे बच्चे 12 साल के हों या 13 साल के, अगर वह काम कर सकते हैं तो उनके लिए रूल्स को रिलक्स करें।

यह भी सही है कि अकाल सहायता विभाग की जो रिपोर्ट 1966-67 की थी उसमें लिखा है कि लगातार अकाल पड़ता रहा है। सिर्फ 1959 का साल ऐसा गया है जो सरप्लस था। तो वास्तव में स्थाई हल के लिए कोई समिति बिठानी चाहिए। यहां कोई आई. सी. एस. आफिसर आए थे, उन्होंने कहा प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जायं। आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए। आपने सिंचाई के कामों को प्राथमिकता दी है लेकिन साथ ही स्थाई हल ढूंढना चाहिए जैसे एक सदस्य ने कहा राजस्थान नहर के बारे में कि इस नहर को पूरा करायें और सर्वसम्मति से आवाज उठाकर केन्द्र को इस बात के लिए राजी करें कि इस योजना को पूरा करे। अगर आप 4-5 करोड रु. एक साल में देते हैं तो कई वर्षों में जाकर वह योजना पूरी होगी। अगर राजस्थान को अकाल से स्थाई रूप से बचाना है तो राजस्थान नहर जसी स्थाई स्कीम पर ध्यान देना चाहिए।

अब मैं अपने जिले की बात कहकर उसके बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा। सभापति महोदया, अकालग्रस्त होने के पश्चात् जो मवेशी इधर उधर से गुजरीं, मुझे बडा दुःख होता है यह बात कहते हुए, उन मवेशियों का कन्ट्रोल अच्छी तरह से नहीं हो सका। पाली जिले में तीन लाख के करीब मवेशी आयीं, लोगों के इकट्ठे किये हुए घास को उन्होंने चोंपट कर दिया, थोडी बहुत फसल थी उसको भी चाट गयी। प्रबन्ध हुआ लेकिन देर से हुआ। लोग चाहते थे कि अकाल में उनकी मदद करें लेकिन पाली जिले में पूर्ण अकाल की स्थिति थी जैसी कि घोषित भी की गयी है, वहां पर दूसरे लोग आकर इस प्रकार की स्थिति पैदा करें तो वहां के लोगों की बातों को सुनना भी चाहिये था। जिन लोगों का इस प्रकार का नुकसान हुआ और ज्यादा नुकसान हुआ तो लोकतन्त्रीय सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनको मुआवजा दे। गरीब लोगों का घास, धन, सम्पत्ति जो फसल थी उसको भी नष्ट कर दिया। चार–चार हजार मवेशियों का टोला, लोग हाथों में तलवारें और बन्दूकें लिये हुए थे और जो लोग मना करते और उनका सामना करते उनको वे लोग पीटते थे। जगह जगह पर मुकदमें दर्ज हुए हैं और एक प्रकार का तांडव किया, जुल्म किया, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का गम्भीर नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिये और उनको राहत देना चाहिये। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदया, संक्षेप में एक दो बातें कहना चाहूंगा। पुलिस का रवैया बिलकुल भी अच्छा नहीं रहा। खारची की पुलिस। दो माइल दूर पिथोडा गांव है वहां के थानेदार को आकर लोगों ने रिपोर्ट दी कि चार सौ आदमी हैं और

(श्री शंकरलाल)

माले लिये हुए हैं उनको रोका नहीं गया तो झगडा हो जावेगा । थानेदार ने सुनी नहीं । सोजत जाकर एस. डी. ओ. को दरख्वास्त दी । लिखित में मजिस्ट्रेट की आज्ञा हुई ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यही कह कर समाप्त कर रहा हूं । उसके पश्चात् भी थानेदार वहां नहीं जाता है और आपस में गांव वाले और उन लोगों के घमासान लडाई हो जाती है । आपस में सिर फूटते हैं । माले चलते हैं और बन्दूकें चलती हैं । इतने पर भी थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । ऐसी घटनाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

राज्यपाल महोदय ने भूमि सुधार की बात कही है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब तक सीलिंग का कानून लागू नहीं होता और भूमिहीनों को भूमि नहीं दी जाती भूमि सुधार पूर्णतया तब तक नहीं हो सकते । कई बातों में कन्सेशन्स दिये गये हैं । 50 एकड जमीन मुफ्त में देंगे और लगान भी नहीं लेंगे । एक तरफ पूंजीपति भूमि पर काश्तकारों पर आकर हावी हो रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीलिंग की बात आयी गयी सी हो गयी है । प्रोडक्शन बढता है लेकिन इसके साथ साथ संतुलन न बिगड जाय इसको भी देखना चाहिये कि पूंजीपतियों के हाथ में जमीन न चली जाय । कुआ बनाया, मंत्रीजी चाहे उसका उद्घाटन करें लेकिन तीसरा बांटा किस बात का ले जमीन सरकार की है । बडे बडे बांध अभी तक भी व्यक्तिगत सम्पत्ति में बनते हैं । सिंचाई के बांध तो सरकार के होने चाहिये । उसके लिये कानून क्यों नहीं लाते । तालाब बांध निजी सम्पत्ति नहीं । निम्बाज के अन्दर पेड लगाये तो क्या वे जागीरदार की सम्पत्ति हो गये ?

श्री विजयसिंह मकराना : आप अपना उदाहरण तो दें ।

श्री शंकरलाल: भूमि सुधार के लिये आपको सख्त कदम उठाना पडेगा और इस प्रकार से उठाना पडेगा कि लाखों की तादाद में भूमिहीन किसान हैं उनको राहत देनी पडेगी । इसके साथ-साथ कानून हैं उनको लागू करके समाजवाद को लाना पडेगा ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मदनसिंह ।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के राज्यपाल के अभिभाषण पर आज दो दिन से बहस हो रही है उस बहस के दौरान में जयपुर से आने वाले माननीय भैरोंसिंह जी ने राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में एक चर्चा की कि राज्यपाल के भाषण में वैरी आयोग का जिक्र नहीं हुआ यह गलत था । असल में सवाल तो यह उठा था, सब सदस्यों को यह मालूम हो जाता विशेषकर कांग्रेस के सदस्यों को, वे भाषण सुनते तो, अकाल को हल करना चाहिए था, अकाल का हल न होकर वैरी आयोग का हल होने लग गया है । कोई प्रश्न छेड दिया और आप बह गये । सदन में अकाल और प्रशासन पर बहस हो रही थी । मुझे ताज्जुब हुआ माननीय भैरोंसिहजी ने यह कहा था कि राज्यपाल के भाषण में वैरी आयोग का जिक्र नहीं किया गया जो किया

(ठाकुर श्री मदनसिंह)
जाना चाहिए था और यह कमी थी, उसको यहां तक पहुंचा दिया कि उसका जवाब देने के लिये विधान सभा के अध्यक्ष को भी चर्चा करनी पडी। राजस्थान की गरीब जनता भूखों मर रही है, जो मर गये उनका तो जिक्र नहीं करना है लेकिन आज मर रही है उसका जिक्र करना है। इस अभिभाषण में भी साफ लिखा हुआ है कि 1 करोड 32 लाख जनता भूखों मर रही है। उसमें से 7 लाख का प्रबन्ध किया है। 1.25 लाख लोग तो आज भी भूखों मर रहे हैं। उनका आज भी प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं। उनके लिये आज भी कोई अच्छी योजना नहीं बना पाये। राज्यपाल महोदय ने बिलकुल स्पष्ट संकेत किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भगवान् की भी कुछ ऐसी ही लीला हुई कि गवर्नमेन्ट जो भी काम करती है उसमें वह विफल रहती है। दैवी प्रकोप था। योजनायें चलती हैं, सही टाइम पर नहीं चलती हैं। अपने आप कुदरत का प्रकोप होगा। योजना समय पर चलेगी तो दैवी और ईश्वर का प्रकोप नहीं हो सकता। अच्छे शब्दों में आपने कहा।

जहां तक प्रशासन का सवाल है राज्यपाल ने कई बातें बताईं। मुझे दुःख है इस बात का कि राजस्थान में इस प्रकार भूखे मर रहे हैं लोग और राजस्थान के वित्त मन्त्री द्वारा लाखों का अपव्यय हो और खर्चा हो उसका कोई जिक्र नहीं। हम भी उस शादी में गये थे। दूसरों की लडकियों को हम हमारी लडकियां समझते हैं। राजस्थान के वित्त मन्त्री अपनी लडकी को दो लाख रुपया दे देते तो एतराज नहीं था। पम्प और शो में चालीस हजार-सत्तर हजार का खर्च हुआ वह घर का था या बाहर का था। घर का था तो यह उदाहरण नहीं रखना चाहिये था। बाहर से करवाया या दूसरे लोगों से करवाया। दान में जाता तो अच्छा था। समाजवाद का ढोंग करने वाली सरकार जिसके वित्त मन्त्री अपनी लडकी की शादी में इस प्रकार गुलछर्रे उडावें इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है।

इन चीजों को मैं ही नहीं कह रहा हूं, उस समय मेरे साथ रामनारायण जी थे मैंने उनसे कहा कि क्या यही समाजवाद का नमूना है। शादी का समय था इसलिये आंसू नहीं आयें। मैंने पूछा कि क्या यही समाजवाद की झांकी आप जनता को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वाकई हमें भी दर्द है। इसलिये आज सबसे बढ बढ कर समाजवाद की बात करने वाले जब तक अपने घरों में समाजवाद का उदाहरण पेश नहीं करेंगे तब तक केवल जनता को भुलावे में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। मैंने उस शादी में देखा जहां लोग गुलाब जामुन रसगुल्ले उडा रहे थे वहां पर भी जो भूखे लोग थे जो उस इलाके से आये हुए ढोली थे वे तो बेचारे भूखे ही रह गये? मैंने उनसे पूछा बडे लोग आये हैं सब रसगुल्ले उडा रहे हैं, क्या आप लोगों को भी खाना मिला है। उन्होंने कहा बडे बडे लोगों के लिये रसगुल्ले हैं हमें रोटी भी नसीब नहीं है, इस तरह से उनकी लडकी की शादी में आने वाले ढोली भूखे रह गये। आखिर इतना पैसा आया कहां से क्या राज्य सरकार ने खर्च किया? या लोगों से करवाया यह प्रश्न उस समय सभी की जबान पर था।

आप कहते हैं कि अकाल राहत के नाम पर लाखों रुपया व्यय कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को दिया गया क्या वह पैसा वास्तव में

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

गरीबों के पास पहुंचा है, नहीं पहुंचा। राजस्थान के वित्त मन्त्री की लडकी की शादी में लाखों रुपया खर्च हुआ लेकिन उसमें भी ढोली लोग जो गरीब थे उनको रोटी भी हाथ नहीं आयी उनका कहना था कि रोटी हमारे लिये थोड़े ही है। इसी तरह से राजस्थान के मुख्यमन्त्री चाहे कितना ही कहें कि हमने चार करोड रुपया वहां लगा दिया 21 करोड रुपये की और मांग की है वह भी डिस्ट्रिक्ट्स को अलग-अलग भेजा जायगा, क्या वह रुपया वास्तव में उन गरीबों के पास पहुंचेगा? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज यही है कि आपने चाहे कितने करोड रुपये अकाल राहत के नाम पर खर्च कर दिये हों लेकिन उस पैसे से वास्तव में गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है, वह पैसा उन तक नहीं पहुंचा है इससे उनमें भारी असन्तोष है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

आप फरमायें तो बैरी रिपोर्ट पर कुछ कहूं।

श्रीमती सभानेत्री : बेरी रिपोर्ट और दूसरे प्रसंग का सवाल नहीं है। जनसंघ पार्टी को जो समय दिया गया था वह समाप्त हो गया।

श्री मदनसिंह : आपने तो मदनसिंह को समय दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : कम्युनिस्ट पार्टी को समय नहीं दिया उनको भी समय देना है आप समाप्त करें।

श्री मदनसिंह : मैं ही कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बैरी आयोग के बारे में कह देता हूं फिर उनको समय की जरूरत नहीं रहेगी।

आज राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार का भयंकर अकाल है इस बारे में जब गत सत्र में मैंने दांता रामगढ का सवाल उठाया था तो उस समय अकाल मन्त्री ने यह कहा था कि जहां कहीं से भी शिकायत आयगी मैं तत्काल स्पेशल आफिसर भेजकर उनको राहत पहुंचाऊंगा। प्रातः स्मरणीय मदेरणा जी कहां हैं जिनको हमारे दांता रामगढ के हरिजन प्रातः उठते ही उनका नाम लेते हैं वे कब उनकी सहायता के लिये किस मिनिस्टर को भेजेंगे, कौन जाकर उनको सहायता पहुचायेगा। दांता रामगढ के जो हरिजन हैं वे अकाल से पीडित हैं न उनके लिये मकान है न टीन शेड उनको दिये गये जो भी सामग्री भेजी गई वह सब सीकर डिस्ट्रिक्ट के कोषागार में पडी है। वादा तो यह किया था कि किसी मन्त्री को भेजेंगे, मन्त्री को भेजना तो दूर रहा जिनके घर बरबाद हुए हैं उनको आज तक रहने को स्थान नहीं दिया गया। राज्यपाल ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। राज्यपाल तो वही कह सकते हैं जो सरकार लिखकर दे बाकी तो उनकी पहुंच ही कहां है।

अब मैं सुरक्षा के बारे में कहूंगा। राज्यपाल महोदय ने सुरक्षा के सम्बन्ध में कहा है कि हमारी पुलिस ने डाकुओं पर इतना काबू पा लिया जिससे डाकुओं का आतंक राजस्थान में समाप्त सा हो गया। लेकिन पुलिस की जो स्थिति है उसके अन्दर वे लोग सन्तुष्ट नहीं हैं, इसलिये वे मन से काम नहीं कर सकते। डाकुओं का पुलिस द्वारा खातमा किया गया है इसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन रामगढ के हरिजनों के घर पर डाका डालने वालों का

(श्री मदनसिंह)
खात्मा आपकी पुलिस नहीं कर सकी इसका भी आपको कुछ मालूम है ? यहां के होम मिनिस्टर साहब को पता है कि ये ही पुलिस वाले शराब पी पी कर किस तरह के काण्ड इन हरिजनों के साथ करते हैं, किस प्रकार के अन्याय इन्होंने किये आपको पता है। डाकुओं पर काबू पा लिया लेकिन आपने पुलिस के डाकुओं पर काबू पाया क्या ?

सभापति महोदया इनको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से बदमाशी की जाय, पुलिस वाले किस प्रकार अपने ही हाथ से बन्दूक चलाकर कह देते हैं कि जनता में से गोली आयी। मुझे मालूम है मैंने कई पार्टियां रन की हैं, किस तरह से सभाओं में गोली चलती है। निष्पक्ष रूप से जांच की जाय तो पता चल सकता है। बैरी साहब ने निष्पक्ष जांच की है, इसमें पब्लिक का दोष जैसी चीज नहीं थी। पुलिस को सिखाया गया अफसरों को वहां से हटा लिया ताकि पुलिस मनमानी कर सके। बैरी साहब ने सब चीजें सामने लाकर रखदीं। इसमें सुखाडियाजी का इशारा नहीं है तो ठीक है लेकिन जिन अफसरों को जिम्मेदार बताया ह उनको तो वे सजा दे दें। किसी को सजा दी ? अभी तक तो किसी को नहीं दी गई। बैरी साहब ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि जनता पर पुलिस ने अन्धाधुन्ध गोलियां चलायी जब इस तरह का वर्डिक्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने दे दिया तो उसको मानना चाहिए।

विधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय ने भी कहा हाईकोर्ट के जजेज पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। यहां पर न जजेज की परवाह है न किसी विधायक की परवाह है जो भी मन में आया कह दिया। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बैरी आयोग ने जो जो भी सिफारिशें की हैं उनको माना जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने मेरे उस दिन के भाषण को लेकर कहा कि मैंने जनता को भड़काया, उसके कारण यह खून खच्चर हुआ। उन माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि ठाकुर मदनसिंह के भाषण के कारण यह हुआ..

श्री गिरधारीलाल व्यास : ठाकुर नहीं मदनसिंह ही कहिये।

श्री विजयसिंह : ये ठाकुर ही रहेंगे और आप ब्राह्मण ही रहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कांग्रेस की यह नीति है कि ठाकुर नहीं हो सकते ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें ठाकुर नहीं सुहाते हमें मदनसिंह जी प्रिय लगते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जातिवाद का आपका नमूना है ?

श्री मदनसिंह : माननीय भैरोंसिंह जी उस वक्त थे मैंने उनसे कहा था अगर 93 का नेता ठा. मदनसिंह को बना दिया जाता। मैं बता देता कि किस तरह से हमारी सरकार नहीं बनती।

श्री जगन्नाथ : मैं 93 में शामिल नहीं था मुझे तो आप लोग जबरदस्ती ले गये थे।

श्री मदनसिंह : जबरदस्ती करने वाले और ही होंगे। आप जैसे लोगों ने ही तो इस प्रजातन्त्र के नाम पर कलंक लगाया है।

(श्री मदन सिंह)

आप ही तो प्रजातन्त्र को भ्रष्ट करना चाहते हैं। एक एक राजपूत इस प्रजातन्त्र को सही दिशा में लेजाने के लिये कटिवद्ध है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री मदनसिंह: समानेत्री जी, पंचायतों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत राज के सम्बन्ध में जो राजस्थान ने व्यवस्था दी है उसमें राजस्थान सब से पहला प्रान्त है जिसने अपने राज्य में पंचायत राज, कायम किया, इसका हम सब को गौरव है। लेकिन पचायतों के अन्दर आजकल क्या होता है उसको देखकर वेदना होती है। दांता रामगढ के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस पर मदेरणाजी ने वहां के सदस्यों को बुला कर विचार ....

(निरन्तर समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती समानेत्री: मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप स्थान ग्रहण करें। दूसरी पार्टी के सदस्य बोलने हैं। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री मदनसिंह: पंचायतों के सम्बन्ध में जिक्र कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा आज हालत यह है कि छोटे छोटे आदमी को अधिकार देने की बात करते हैं वहां सरपंच को अधिकार है नहीं। दांता रामगढ़ के प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया, उस पर कहा गया अगर अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर के वहां रखा जाय तो वे फाइल कर देंगे। बात तरह से पंचायत राज कैसे चलेगा ? अगर आप में सहनशीलता नहीं होगी तो केवल कागजों पर कितने रोज राज करेंगे।

(4 म. प.)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस ढंग के मिनिस्टर हैं कि पंचायती राज को भी मिनिस्ट्री के जरिये रोका जा रहा है।

आखिर में मैं फौजियों के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्रीमती समानेत्री: माननीय सदस्य को मैं तीन बार निवेदन कर चुकी हूं। जरा आप ध्यान दें। दूसरी पार्टियों का भी समय है। वे बोल नहीं सकेंगे अगर आपने अधिक समय ले लिया तो। इधर वालों को और उधर वालों को दोनों को अभी बोलना है। समय पहले से एलाट किया जा चुका है। आप बीस मिनिट ज्यादा ले चुके हैं।

श्री मदनसिंह: फौजियों के सम्बन्ध में थोडा कह कर समाप्त करता हूं। जब से ये राज्यपाल महोदय पधारे हैं तब से इस भाषण में भी और इससे पहले वाले में भी फौजियों की कोई चर्चा नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि इस सरकार की रुचि फौजियों में अब नहीं रही।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी उनके लिये बनाया गया पर आज तक भी फौजियों का वही हाल है। सारे राजस्थान भर की बात नहीं कह कर थोडे में मैं दांता रामगढ का ही एक उदाहरण देना पर्याप्त समझूंगा। दांता रामगढ के हल्के में जहां जहां फौजियों को जमीन देने के लिये मीटिंग बुलाई है उनमें अकेले तहसीलदार ने ही बैठ कर सारे फैसले कर दिये हैं, न एम. एल. ए. को बुलाया न दूसरों को। फिर किया भी क्या है सारे के सारे जमीनों के एलाटमेन्ट फौजियों को न करके

(श्री मदनसिंह)

दूसरों को कर दिये गये हैं। जैसे टांसरोली, राणावता, छोछोर वगैरह। इनमें सीकर के कांग्रेस के एक बडे नेता हैं जिनको भी काफी जमीन एलाट हुई है और जो कलेक्टर को भी कह कर आये हैं कि मैं ये मामले ऊपर मिनिस्टर के पास ले जा रहा हूं, आप इनको उठा लीजिये।

फौजियों के साथ धोखेबाजी होती है। मैं समझता हूं कि इससे तो अच्छा है कि जो कुछ भी फौजियों के लिये किया है उसे छोडकर साधारण नागरिकों की तरह ही वे चलें तो अच्छा है। हम भी तंग आ गये हैं इस सरकार के रवैये से आप भी तग आ गये होंगे। हमारे मन्त्री जो कुछ कर रहे हैं वह प्रकट हो रहा है। इसलिये विशेष करके मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगा अगर आपकी चल जावे इन मन्त्रियों के सामने तो, आप करते हैं, पर आपके मन्त्री उस पर पानी फेर देते हैं, पांच-सात ऐसे केस मेरे सामने आये, आप कर सकते हैं।

शिक्षा के बारे में थोडा निवेदन कर दूं, बहुत स्कूल आपने खोले, यह सही है पर इस विभाग में क्या होता है, यह आपको पता नहीं। मुझे अनुभव है। मैं व्यक्तिगत रूप में जाना तो नहीं चाहता, पर निवेदन कर देना चाहता हूं, पांच-चार हैड मास्टर ऐसे हैं कि जो स्कूलों में लडकों से शराब मंगवा कर पीते हैं, बदमाशियां करते हैं, स्कूलों में मंगवाकर वहीं शराब पीते हैं। ऐसे मास्टर नहीं रहने चाहिए, मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा था। पर आप ताज्जुब करेंगे कि ऐसे मास्टर हैं ही नहीं, बल्कि अगर उनका तबादला भी करने की बात होती है तो वह खतम कर दी जाती है। आप ताज्जब करेंगे हैड मास्टर की तीन-तीन बार बदली हो गई, किन्तु फिर रख दिया गया वहीं वापिस। उसके बारे में बताऊं तो मेरी जबान से बता नहीं सकता। कहा जाता है कि वे अमुक अमुक एम. एल. ए. के रिश्तेदार हैं इसलिये नहीं हटाये जा सकते। इसलिये मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि खुड के वे हैड मास्टर हैं जिनके सम्बन्ध में पचासों डेपूटेशन आ चुके हैं। जिसके सम्बन्ध में हजारों लोगों ने कोशिश की है पर आज तक ट्रान्सफर नहीं हो रहा है।

ऐसे ही उस सरकिल में एक मूलचन्द मास्टर हैं। मास्टर होकर हमारे मिनिस्टर साहब की कृपा से सरपंच बन गये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द! मैं पहले निवेदन कर दूं कि समय का आप खयाल रक्खें।

श्री लादूराम मुलानियां : हमारा कोई सदस्य नहीं बोला। बीच बीच में हमारे भी सदस्यों को टाइम दिया जावे।

श्रीमती सभानेत्री : समय काफी लिया जा चुका है। सरकार को भी जवाब देना होगा इसलिये आप संक्षेप में कहें।

श्री लादूराम मुलानियां : इसलिये आसन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा बोलने का समय भी बाकी है। एक घंटा हमारे दल के बंटवारे का समय है और वह हमें बीच बीच में दे दिया जावे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैं कह चुकी हूं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जिन आर्थिक स्थितियों में, जिन राजनैतिक स्थितियों में आज हमारा देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी सरकार द्वारा यह तैयार किया गया है जिसको, यदि मैं कहूं, कि एक शराबी जो अपनी तृष्णा की तृप्ति के लिये, अपने नशे की पूर्ति के लिये अपनी सारी घर की सम्पत्ति को स्वाहा कर दे, सारी इज्जत और आबरू को बेच दे, और अपने नशे की पूर्ति के लिये न कोई मान–मर्यादा, न कोई नैतिक मर्यादा का उसे खयाल हो, केवल अपनी इन्द्रिया-शक्ति को पोषण देने के लिये, अपने नशे की पूर्ति के लिये वह एक कीच में पडा है उसे यह बात मालूम है कि जहां वह पडा है उसके नीचे अग्नि सुलग रही है, जो ज्वाला बन सकती है, जो उसको भस्म कर सकती है उसके सारे घर-बार को भस्म कर सकती है उसके बारे में भी वह अनजान है, अचेत है, है, बेमान है।

(4.06 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भीषण अकाल की स्थिति हमारे प्रदेश में आज पैदा हुई है, जिस तरह का भीषण आर्थिक संकट कांग्रेस सरकार की आज तक की भ्रष्ट नीतियों के कारण केन्द्र में और राज्य में हुआ है उनके जो भीषण परिणाम हमारे प्रान्त की जनता को भोगने पड रहे हैं, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, इन सब पर जो भीषण परिणाम हो रहे हैं, ऐसा लगता है राज्य सरकार इन तमाम परिणामों के प्रति अपना केवल सत्ता का नशा कायम रखने के लिये आंखें मूंद लेना चाहती है। जो एक भयंकर असन्तोष की ज्वाला सारी जनता में सुलग रही है इन गलत और भ्रष्ट नीतियों के कारण उन स्थितियों के कारण, उनसे यह सरकार अनजान बनकर चलना चाहती है, और इस प्रकार से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन सब बातों का उल्लेख न होना, वास्तविकता को छिपाना, या तथ्यों को इस प्रकार से रखना कि स्थिति की गम्भीरता को बिल्कुल सामने न लाया जावे या उनको कम करके आंका जावे, यह इस स्थिति का द्योतक है।

उपाध्यक्ष महोदय,क्या आज यह स्थिति नहीं है कि राजस्थान सरकार बावजूद योजनाबद्ध विकास के, बावजूद अपनी घोषणाओं के, आज लगभग इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसकी योजनाएं और उसका योजनाबद्ध विकास केवल कागजों में रह गया है। आज सन् 68-69 समाप्त हो रहा है, चौथी योजना जिसका यह थर्ड वर्ष समाप्त होना चाहिये था, चौथी योजना का कोई रूप-स्वरूप हमारे सामने नहीं है। आज भी, इस अभिभाषण में भी सरकार ने केवल 313 करोड की चौथी योजना का प्रारूप प्लानिंग कमीशन के सामने पेश किया है, जिसमें भी केवल 100 करोड रुपया तो राजस्थान नहर में ही है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

213 करोड पांच वर्ष के विकास के लिये, जोकि 43 करोड रुपया सालाना आता है, जो सामान्य प्रकार के प्रशासन वगैरह में योजना के तीन वर्ष में व्यय किया है, उससे भी कम है। फिर इस चौथी योजना के बारे में भी आप निश्चिन्त नहीं है, निश्चित रूपरेखा नहीं बना पाये हैं, उसका क्या स्वरूप होगा, यह भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से आज इस तरह की स्थिति लाकर राजस्थान के विकास के ताला लगा कर राजस्थान सरकार चल रही है।

आज मंत्री महोदय इस बात को निश्चित तौर से नहीं कह सकते कि अगले साल प्राइमरी स्कूल खोल सकेंगे या नहीं खोल सकेंगे। आज इस स्थिति में चल रहे हैं कि यह नहीं कह सकते कि नई सडक बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। आप इस स्थिति में नहीं है कि कोई योजना जिसमें धनराशि खर्च करनी है उसको हाथ में ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। यह आपकी व्यवस्था है, यह आपकी नीति है। इन गलत नीतियों के कारण ही प्रान्त में अशान्ति फैली हुई है। जिसको इस अभिभाषण में जान बूझकर दबाकर रखने की कोशिश की गई है। मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तथ्य नहीं है कि हम आम चुनावों के बाद सरकारी कार्यक्रमों को देखें जो कार्यक्रम सरकार अपनी नीति को आधार मानकर चलाती थी चाहे वे भूमि सुधार के कानून हों, चाहे वे औद्योगिकरण के हों, चाहे वे आम जनता को राहत देने के हों, चाहे मजदूरों के वेतनों की रक्षा करने के हों, चाहे सोसियलिज्म के हों और चाहे गरीब और अमीर के बीच खाई को कम करने की बात हो वह सब बातें पुरानी बन कर रह गई हैं। अब तो सरकार उनके बारे में बात नहीं करना चाहती है। अब तो सरकार अमल करती है तो उसके विपरीत, अपनी घोषणाओं के विपरीत, अपना घोषित नीतियों के विपरीत और उसका रेसीप्रोकल मुख्य मंत्री ने भी किया है। विरोधी दल के नेता ने कहा कि अब तो आप हमारी नीतियों के नजदीक आ गये हैं तो वास्तविकता को उन्होंने भी स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कांग्रेस दल के नेता जो सरकार को संभाले हुये हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तविकता नहीं है जिस बात को आज अभिभाषण में जान बूझकर छिपाया गया....

श्री गिरधारी लाल व्यास : रामानन्द जी, सरकार ने कब स्वीकार किया है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज लैन्ड रेवेन्यू ला कमीशन बनाया उसमें नये नये कानून दिये। इस चुनाव के बाद वे तमाम पुराने लेजिस्लेचर कैसे भी थे थोडा बहुत सुधार करते थे उनको भी सरकार आज उन वर्गों के प्रति, उन वर्गों को मजबूत करने की दृष्टि से ला नहीं सकती वे लैप्स हो गये। नये नये एक्ट लाये जाते हैं। हर सैशन में यह कहा जाता है कि हम बिल ला रहे हैं, गवर्नमेन्ट कहती है हम बिल ला रहे हैं। कहां है, आपका बिल? आप इन तीन वर्षों में दो वर्षों में लैन्ड रेवेन्यू एक्ट और टिनेन्सी एक्ट के बारे में कोई सुधार नहीं ला सके। आपने इन सबको फ्रीज कर दिया। कहां है, आपके वे नये प्रोविजन। जो 5-5, 10-10 साल से काश्त कर रहे हैं उनको कोई हक नहीं दिया। लैन्ड लार्ड्स को सारे अधिकार दे रखे हैं चाहे वे नाथूरामजी ही क्यों न हों एक सेक्टिटि का नाम दे दिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। जमीन की बटाई के बारे में कुछ नहीं किया 5-5, 10-10 वर्ष काश्त करते हो गये हैं आपका एक्ट है कि उनसे जमीन ले ली जाय लेकिन आप इजेक्टमेन्ट उस किसान पर करते हैं, आप उसको खातेदार मानने को तैयार नहीं हैं। प्लानिंग कमीशन कहता है आप खातेदार मानें लेकिन आप फ्रीज करना चाहते हैं और यही आपकी नियत रही तो कोई सुधार की आशा ही नहीं है। गिरदावरी को बन्द करने की कोशिश की है ताकि इनके राइट्स क्रिएट न हो जायं, । जमीन के बटवारे का सवाल आता है तो केवल घोषणा करके रह जाते हैं।

पिछले साल राजस्थान किसान सभा ने आन्दोलन किया सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम जल्दी ही जमीन का बटवारा करने वाले हैं। सारे साल में कुल 20-25 हजार एकड जमीन बांटी है जब कि एक करोड की भूमि राजस्थान में डिस्ट्रिब्यूटेबिल है। 20-25 हजार एकड से आप कितने वर्षों में बांटने का काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, दिखावे के लिये राजाओं की जमीन का रिजम्पशन करने के लिये आपने कानून पास कर दिया लेकिन आपके इशारे पर चाहे वह उदयपुर के हों, चाहे जयपुर के और चाहे जोधपुर के राजा-महाराजा हों राजस्थान हाई कोर्ट में रिट करवा दी। उसके स्टे होने के बाद और आज तक सरकार की तरफ इस बात के लिये आग्रह नहीं किया जा रहा है, उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया है। सरकार ने दिखावे के लिये कानून पास कर दिया . . .

श्री गिरधारी लाल :

श्री रामानन्द अग्रवाल : (एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको क्लोज चैप्टर करके खत्म कर दिया। आज यह स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय, आज इसी तरह से सरकार मजदूरों के लिये क्या कर रही है, क्या स्थिति है मजदूरों के बारे में। तीन सिस्टम राज्यपाल महोदय ने बताये। मुझे राज्य सरकार के दिवालियेपन पर बडा अफसोस होता है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र की शान्ति के बारे में राज्यपाल महोदय से कहलवाया है कि औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति बनी हुई है। खुद बृज सुन्दर जी शर्मा कोटा गये थे अक्टूबर में उस समय सलाहकार समिति की मीटिंग हुई उसमें यह मंजूर किया है कि इस वर्ष जनवरी और जुलाई के बीच हडतालें हुई तथा इसके क्षेत्र में करोडों रुपयों की क्षति हुई है। इससे स्पष्ट था कि गत वर्ष की अपेक्षा औद्योगिक शान्ति की दृष्टि से अच्छा नहीं रहा। एक लम्बी हडताल गंगानगर में रही वह 30 दिन तक चली। एकत्रित आंकडों के अनुसार जनवरी, 68 से जून 68 तक 1200 मजदूरें की छटनी हुई। इस पर मानवीय दृष्टि से विचार रखने की आवश्यकता है। खुद आपके श्रम मंत्री स्वीकार करते हैं औद्योगिक अशान्ति बढी है, हडतालें हुई हैं, छंटनी हुई है लेकिन आपने राज्यपाल महोदय के भाषण में रख दिया जैसे कोई प्राबलम नहीं है। मैं कहता हूं क्या आप नहीं जानते हैं कि राणावत वेतन आयोग से राज्य के कर्मचारी सन्तुष्ठ नहीं हैं। आपने उन लोगों को ज्यादा वेतन देकर जो आप तलुवे चाटते हैं, खुश किया है। आपने छोटे छोटे राज्य के कर्मचारियों के हकों को छीना है। किसी के रमुनरेशन में कमी नहीं की जायगी इसको तिलांजलि दी है। बढोतरी के नाम पर लोगों के एन्नूअल इमोल्यूमेंट्स में कमी की है। आपने बराबर की योग्यता को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ध्यान में न रख कर डिस्क्रिमिनेशन किया है। सेकिन्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनको 225 रु. और उसी क्वालिटी के दूसरे लोगों को चाहे वे जूनियर प्राध्यापक ही हों उनको 375 रु. का ग्रेड दिया यह कहां तक न्यायसंगत है ? आपने हेड क्लर्क के स्पेशल भत्ते को बन्द करते हैं और बडों बडों को देते हैं। इस तरह की एक बात नहीं है कितनी ही बातें हैं।

जो न्यूनतम वेतन की बात सरकारी कर्मचारियों की थी उस बारे में क्या रुख लिया आपने ? केवल 10 रुपये की बात कहकर उनको जीवन मान का वेतन नहीं दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों की इससे और भी ज्वाला उठ रही है। इसको आपने पब्लिक सैक्टर में लागू नहीं किया, म्यूनिसिपैलिटीज में लागू नहीं किया। उनके अन्दर भयङ्कर असन्तोष की ज्वाला है और वे आन्दोलन के लिये तैयार हो रहे हैं। आप उनका संकेत भी नहीं करें, आप इसके बारे में विचार भी नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में भी यह बात नहीं है। 19 सितम्बर को सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों की हडताल हुई। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये। मुझे अफसोस है कि राजस्थान सरकार ने उसी तरह का रुख उन केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रति अपनाया जिस तरह से 7 मार्च को जयपुर की जनता के साथ अपनाया था। इस तरह से इतनी भारी संख्या में मुकदमे 19 सितम्बर खत्म हो गयी उसके उपरान्त भी उनके ऊपर मुकदमे चलाये गये और आज भी चल रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि जब कि दूसरी सरकारों ने केरल की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने और और सरकारों ने उन केसेज को वापिस ले लिया है, इस राजस्थान की सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ जिनके खिलाफ कोई वायलेन्स के चार्जेज नहीं हैं, जिनके खिलाफ कोई भीषण चार्जेज नहीं हैं सिवाय इसके कि वह उसूलों की लडाई लड रहे हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमे चलायें अपनी प्रतिष्ठा पर अडे रहें यह कहां तक उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से मजदूरों को श्रम सलाहकार मण्डल में आपने आश्वासन दिया था। टैक्सटाइल मजदूरों को आज 34 पैसा भत्ता का मिलता है। माथुर कमेटी के अनुसार आपने खुद ने स्वीकार किया लेकिन टैक्सटाइल मजदूरों को आज भी 34 पैसा मिलता है और दूसरों को 60 पैसा मिले। उसको रिवाइज करने की बात थी। कहां है वह ? आज भी वही स्थिति चल रही है और आपका भाषण कहता है है कि उनमें कोई समस्या ही नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो मजदूर विरोधी नीति है और मजदूर विरोधी रुख है वह स्पष्ट है, क्योंकि आज आप मजदूरों से दूर हट चुके हैं। आपने हाथ मिलाया है बडे बडे लोगों से। आपने मालिकों से हाथ मिलाया है। छोटों की बात आपकी समझ में नहीं आती है। और यही वजह है, इन्हीं नीतियों का कारण है कि आज आप खुलकर राजाओं और पूंजीपतियों के साथ आ चुके हैं। मैं पूछना चाहूंगा सुखाडिया जी से कि आप राजाओं की आलोचना कर रहे थे लेकिन महाराणा भगवत सिंह जी जो कहते हैं कि आपकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार को उखाड़ूंगा तो आप उनके तलवे चाटने की कोशिश करते हैं। आप उनको अपने बंगले पर बुलाते हैं और उनको खरीदने के लिए प्रयत्न करते हैं। उनकी लडाई क्या है ? वह अपना प्रिवीपर्स रखना चाहते हैं। वह ब्लैकमेल कर रहे हैं जनता को, और अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए आप राजनैतिक सौदेबाजी करना चाहते हैं। आपने जयसमन्द झील के ऊपर महाराणा भगवतसिंह को 100 रुपये माहवार पर महल दे दिया। आपने कोई टेन्डर्स नहीं मंगवाये और केवल उनसे राजनैतिक सौदेबाजी करने के लिए वहां की पिछोला झील के ऊपर उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके लिए आपकी तहसील के आर्डर्स नहीं जायेंगे, आप उनका नाजायज कब्जा नहीं हटा सकते क्योंकि आप राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं। आपकी राजाओं की खिलाफत नहीं है। केवल आपकी शर्त यह है कि वह उधर से हटकर आपके पास आ जायें। आप उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ और उनके आर्थिक हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं करना चाहते हैं। आप तो केवल राजनैतिक सौदेबाजी करना चाहते हैं और मुझे अफसोस है उपाध्यक्ष महोदय, जब राजाओं ने जयपुर के अन्दर मीटिंग की, कान्सपीरेसी की कि प्रिवीपर्स को छीनने के लिये कोई कदम उठाये जायेंगे तो राजा लोग कोई बडा भारी तूफान खडा करेंगे। मैंने पढा था कि श्री रामकिशोर जी व्यास जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने एक रेज्योलूशन लिया था प्रिवीपर्स के खिलाफ। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, दूसरी पार्टियों को चिट्ठी लिखी कि आओ अब यह राजा लोग इस तरह से कान्सपीरेसी करके प्रिवीपर्स लेने के लिए आज जनता को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। सारी जनता को मोबीलाइज करके प्रिवीपर्स को खत्म करने के लिये आओ कदम उठायें और रामकिशोरजी व्यास ने पत्र का उत्तर तक नहीं दिया क्योंकि वह मंत्री बन गये, क्योंकि उनकी सांठ-गांठ हो गई·····

श्री गिरधारी लाल व्यास : रामकिशोरजी व्यास ने तो कदम उठाये हैं (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप साथ लेकर चलना चाहते हैं महाराणा भगवतसिंह जी को, आप साथ लेकर चलना चाहते हैं महाराजा जोधपुर को, आप साथ लेकर चलना चाहते हैं महाराजा मानसिंह जी को। महाराजा मानसिंह जी से भी आपका कोई बैर नहीं है। मैं जानता हूं आप डोरे डाल रहे हैं उनके ऊपर। महाराजा मानसिंहजी भी ब्लैकमेल करने के लिये कोई स्टेटमेंट निकाल देते हैं कि मैं राजनीति में आऊंगा और आप उनका दरवाजा खटखटाते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ। इस तरह से आज राजनीति के जरिये आप जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। क्या आप राजाओं के निहित स्वार्थों को समाप्त करके आम जनता को फायदा देने की बात करते हैं ? मेरे ख्याल से नहीं।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज राजस्थान में 3

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यूनिवर्सिटीज हैं । यह तीन यूनिवर्सिटीज जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हैं । उनके बारे में आपने जिक्र तक नहीं किया । आपकी खुद की सरकार ने इस स्थिति को मंजूर किया है कि हालात खराब हैं । आपने उनके कानून में तरमीम करने के के लिये एक कमेटी मुकर्रर की है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हालात कहीं बद से बदतर हो गये हैं । जोधपुर यूनिर्वासिटी आज एक स्कैन्डल बन गयी है । वहां का एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान सरकार के ऊपर एक कलंक और काला धब्बा बन गया है और इसी तरह के हालात आज राजस्थान यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनीवर्सिटी में हैं । आज वहां पर पैसों के गबन के, दुरुपयोग के और कानूनों की अवहेलना करने के, मर्जीदानों को नियुक्त करने के केसेज कितने ही हैं । अभी हाई कोर्ट का जजमेन्ट हुआ सी. पी. सिंह की नियुक्ति के बारे में, किस तरह से जालसाजी करके वाइस-चांसलर ने उसको मुकर्रर किया और किस तरह झूठी पोस्ट आफिस की चिट्ठी लेकर उसके घर से चिट्ठी मंगवा ली । बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स हाई कोर्ट के जज ने दिये हैं । इस तरह की घिनौनी घटनायें यूनिवर्सिटीज में हैं और केवल एक अमेंडिंग बिल पेश करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर करके हल करना चाहते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आज जोधपुर यूनिवर्सिटी में जूनियर लेक्चरार मुकर्रर किये जाते हैं और ऐसे लोगों को जिनको रेगुलर लेक्चरार नियुक्त किया जाना चाहिये उनको एक्सप्लाइट किया जा रहा है । 300 रुपये पर पढ़े लिखे और बेरोजगार का फायदा उठाकर ऐसा किया गया है और उनको जबरदस्ती इस तरह से मजबूरन थोड़ी तनख्वाह पर रहने के लिये विवश किया जाता है । इस तरह की कितनी ही घटनायें हैं । तीनों यूनिवर्सिटीज में फाइनेन्शल इर्रेग्युलेरिटीज हैं और दुरुपयोग है ।

जोधपुर में वाइस-चांसलर रुणवालजी ने अपनी ही कोठी किराये पर ली 550 रुपये माहवार किराये पर और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का पैसा खर्च किया और परमानेन्ट तरीके से इम्प्रूवमेन्ट किये । पैसा यूनिवर्सिटी का और उनकी कोठी अच्छी हो और किराया मनमर्जी का । तो यह हालत वहां पर चल रही है । उपाध्यक्ष महोदय, आप तो उनके थिक एण्ड थिन में हैं और आपको भी वहां के हालात की पूरी जानकारी है । मैं यह मांग करना चाहूंगा कि जरूरत इस बात की है कि वाइस-चांसलर इसके लिए कमेटी आफ एन्क्वायरी मुकर्रर करें जो कि इन सब बातों में जाये कि वहां तक कानूनों की अवहेलना की गयी है, वहां पर किस तरह से नियुक्तियों में गडबडियां हुई हैं, फाइनेन्शल गडबडियां हुई हैं, पैसों का गबन किया गया है––इन तमाम चीजों की एन्क्वायरी करके अपनी फाइन्डिंग्स दें । एग्जामीनेशन्स में जो सारी गडबडियां होती हैं उसकी पूरी एन्क्वायरी की जरूरत है । आज इसकी भी शिकायत है कि लोगों को पैसा लेकर पास किया जाता है। यूनिवर्सिटीज के अन्दर रिश्वतें चलें, विद्यार्थियों को पास करने में, एडमीशन में अगर यूनिवर्सिटी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बारे में सन्देह हो जाये तो मैं कहता हूं कि भविष्य को खराब करने की कोशिश यह आज सरकार कर रही है इसलिये जरूरी है कि इस तरीके का कमीशन मुकर्रर हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो पढ़े-लिखे लोगों में अनएम्प्लायमेंट बहुत बड़ी मात्रा में फैली हुई है, जो कि समस्या गम्भीर रूप में आज हमारे प्रान्त के सामने आई हुई है, उसका जिक्र भी नहीं किया। आज आप जिक्र भी नहीं करें स्टूडेन्ट्स के हितों का जिसके लिये तमाम हिन्दुस्तान के नोजवान राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को हल करने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं ग्रौर आपके राजस्थान में स्टूडेन्टस भूख-हड़ताल करें, विद्यार्थी भूख-हड़ताल करें आपके सेक्रेटेरियट के बारे में ग्रौर आपकी आंखें नहीं खुलें। क्या आप जानते नहीं हैं कि थर्ड-प्लान में 5,25,000 बेकार थे वे इन दो वर्षों के ग्रन्दर 68-69 में 9,01,000 बेकार हो गये आपके आंकड़ों के अनुसार। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां आपका ख्याल था कि 66 से 69 तक इन तीन वर्षों में 12 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे लेकिन आप कुल 2,69,000 लोगों को, 12 लाख के मुकाबले में केवल 2,50,000 ग्राप रोजगार दे पाये हैं। इस बात से आप ताज्जुब करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि भरतपुर में कुछ पटवारियों की जगह खाली हुई.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

.........9 पटवारियों की जगहें थीं तो उन नौ जगहों में पटवारी के लिये एक एम. एससी. ने दरख्वास्त दी, चार एम. एज. की दरख्वास्तें हैं, 7 एल. एल. बी. की दरख्वास्तें हैं, चालीस बी. ए. पास ने दरख्वास्तें दीं ग्रौर बाकी जितने थे मैट्रिक्यूलेट्स थे। इस तरह की स्थिति जो बेरोजगारी की है, यह भयंकरता आज हमारे प्रान्त में है, ग्रौर हमारी सरकार आज अभिभाषण में जिस तरह का चित्र प्रस्तुत कर रही है उसके बारे में बिल्कुल अन्धेरे में रखना चाहती है जैसे कि वह समस्या है ही नहीं।

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह स्थिति इस तरह की सरकार की हो सकती है जो कि जनता के प्रति अपने आपको जिम्मेदार नहीं समझ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस तरह का दावा करती है, आज कांग्रेस सरकार दावा करती है कि देश में लॉ एण्ड आर्डर कोई कायम रख सकती है तो वह कांग्रेस ही रखेगी। वैसे तो अलग-अलग प्रान्तों में जो स्थिति है वह इस दावे में कितना सच है ग्रौर कितना झूठ है उसको साबित करती है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान प्रान्त में जिस तरह की लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन है, खास तौर से सन् 67 के चुनावों के बाद में जो असफल रही है, ग्रौर किस तरह से यह सरकार आज जनता की विरोधी है है ग्रौर असामाजिक तत्व हैं उनके हाथ में खेल रही है, उनके इशारे पर नाच रही है जिसके कारण आज इस प्रान्त की देश की स्थिति बिगड़ रही है।

अब बेरी आयोग की रिपोर्ट आपके सामने आई है। मैं इस पर विस्तार से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने मांग की है कि इस पर अलग से डिसकशन हो। मैं समझता हूं कि इस पर अलग से डिसकशन होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी इसके अन्दर निर्णय, जो भी रिकमन्डेशन्स, जो कि कन्क्लूजन जस्टिस बेरी के हैं, इससे एक बात साफ है, चाहे सुखाडियाजी ने कॉन्सपिरेसी नहीं की हो, लेकिन सुखाडियाजी उस गवर्नमेन्ट को हैड कर रहे थे जिस गवर्नमेन्ट की पुलिस ने गोलियां चलाई। वह उस गवर्नमेन्ट को हैड कर रहे थे जिसने पुलिस ऑफिसरों ने रेकार्ड को मेन्युपुलेट किया, जिसने अस्पताल के रेकार्डस् को मेन्युपुलेट किया, जिनके आफिसर्स ने गलत हकीकत दर्ज कराये, जिन्होंने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह कान्सपिरेसी नहीं सही, लेकिन क्या यह तथ्य पाये नहीं गये हैं कि जो कि केवल आपकी नेग्लीजेन्स को साबित करते हैं? लालबहादुर शास्त्री एक रेलवे एक्सीडेन्ट पर इस्तिफा दे सकते हैं तो नौ बेगुनाहों की जानें चली जायं आपकी लापरवाही के कारण, आपके इस तरह के एक्शन के कारण तो मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये इस सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिये। कानून के मुताबिक हुकूमत चलाने में यह असफल रही है इसलिये इसको बरखास्त किया जाना चाहिये और मध्यावधि चुनाव कराये जाने चाहिये। इस गवर्नमेन्ट ने 110 अपने एम. एल. ए. बना लिये हों उससे यह जनता का बहुमत प्राप्त कर गई हो, कॉन्फीडेन्स प्राप्त कर गई हों ऐसी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, आज यह हालत हो गई है कि तमाम मान और मर्यादा छोड़कर लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी बिगाडी है कि आपका कोई मिनिस्टर चाहे कि फलां थानेदार वहां रहना चाहिये चाहे वह डाकुओं से मिला हुआ हो, चोरों के गिरोह से मिला हुआ हो, उसको हटा नहीं सकते हैं। अलवर की हालत के बारे में इस सदन के अन्दर एडजोर्नमेंट मोशन लाया गया कि शहर के अन्दर लोग कत्ल हो गये, और शहर के आसपास में रूपबास में 9 किसानों को कत्ल कर दिया गया, दूसरी जगह हैं वहां पर कत्ल हुए हैं। वहां के लोगों के छोटे-मोटे जेवर निकालने के लिये उनके हाथ-पैरों को काट दिया गया है, इस तरह की घटनाएं हुई है............

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोडा समय।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि वहां पर रामगढ का थानेदार किशनसिंह है उसका ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन तत्काल वहां के एक मिनिस्टर के कहने पर उसका ट्रान्सफर कैन्सिल कर दिया गया, चाहे वह चोरों से मिला हुआ हो, चोरों को शह देता हो। आज वहां पर इतने मर्डर्स हुए हैं, इतनी घटनायें होने के बाद भी सिवाय एक केस के किसी भी कलप्रिट को ट्रेस नहीं कर सके हैं। शाम के साढे सात बजे घटना हुई, नजदीक घटना हुई और आप कहते हैं कि आप फोर्स नहीं भेज सके। जब छोटा-मोटा किसान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आन्दोलन होता है तो आप हजारों की तादाद में पुलिस वहां भेज देते हैं, लेकिन डकैतों को पकडने के लिये पुलिस को यहां से नहीं भेज सके। यह आपका नमूना है ?

जहां-जहां भी इस तरह की घटनायें हुई हैं वहां के पुलिस आफिसर्स या चाहे एम. एल. ए. उन डाकुओं से मिले हुए हैं या उनके साथ सांठ-गांठ है। खुले में लोग कहते हैं कि रूपा डाकू का मिनिस्टर से सम्बन्ध है। वह उसके मिलने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमें नहीं चलने देता है उनको छुडवा देता है। इस तरह की स्थिति में आज आपने अपनी सत्ता कायम रखने के लिये यह रास्ता अपनाया है। इस तरीके से आप अपने असामाजिक तत्वों के आधार पर काम कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने यह रास्ता अपनाया राज्य पर कायम रहने का। आपने यह रास्ता अपनाया है अपने तमाम उसूलों और नीतियों को तलांजलि देकर निहित स्वार्थों को राजी करने का। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछूं कि क्या यह सोशियेलिज्म का आपने रास्ता अपनाया है ? इस अकाल के अन्दर, भयंकर अकाल है, उस अकाल के अन्दर अकालग्रस्त लोगों से आपने वसूली की है, लोगों की कुर्कियां की हैं। उनकी झोंपडियां कुर्क कर डालीं, और जयपुर उद्योग की सीमेंट फैक्ट्री है उसकी तरफ 25-30 लाख रुपये बिजली का बकाया है, उसकी वसूली के लिये आप कदम नहीं उठा सके

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जस्ट टू मिनिटस्।

जोधपुर के महाराजा की तरफ आपका 8-10 लाख रुपया बिजली का बकाया है कितने ही वर्षों से आप उनके खिलाफ कदम नहीं उठा पाये। बिरला ट्रस्ट के खिलाफ उन्होंने चोरी की बिजली की, कानून के खिलाफ उन्होंने बिजली ली, उनकी तरफ आपका 30 लाख रुपया निकलता है उसकी वसूली के लिये आप कदम नहीं उठावें और आप गरीब लोगों, आदिवासियों, हरिजनों और पुरुषार्थियों को आप हर तरह से बात कहकर उनके खिलाफ बेदखली और कुर्की निकालें, यह आपने रास्ता अपनाया है। आपका यह रास्ता बडे लोगों की तरफ जाने का है, उच्च वर्ग की तरफ जाने का है और गरीब लोगों के खिलाफ कदम उठाने का आपका रास्ता है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि मिड टर्म इलेक्शन्स हुए चार स्टेट्स के अन्दर उसका नतीजा हमारे सामने आया है। आज वह नतीजा साफ है कि जनता का कांग्रेस से इत्मिनान टूटता जा रहा है, कांग्रेस जनता से अलग होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अन्दर एक नई राजनैतिक स्थिति हुई है कि कांग्रेस आज अपने वर्ग दोस्तों के साथ हाथ मिलाने की तरफ आगे बढ रही है और इस वजह से यह अच्छी बात है कि जो आज दिखावे के लिये विरोध में बैठते हैं उनके चित्र भी सामने आ रहे हैं। आज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
स्वतन्त्र पार्टी ने बिहार और यू. पी. में आपकी पार्टी के साथ हाथ बढाया है, और इन चुनावों के तुरन्त बाद जब बंगाल के अन्दर युनाइटेड फ्रन्ट बहुत बडी ताकत में जीत गया तो जनसंघ जो कांग्रेस को रिप्लेस करने की बात करता था तो आज जनसंघ के अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी ने बिहार के अन्दर कांग्रेस से एलायन्स करके ....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कहां ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोएलिशन मिनिस्ट्री की बातचीत करने की पहल कदमी की है। कोई बात नहीं कोईलिशन यह हो रहा है, और हम यह मानते हैं कि यह जो हो रहा है यह गलत एलायन्सेज हैं और गलत तरीके की बातें हैं वह दुरुस्त नहीं हैं, और अपने आपके दोस्त कौन कौन कहां-कहां हैं उनको आज ढूंढ रहे हैं।

आप के उधर बैठने वाले उधर ढून्ढ रहे हैं और इधर बैठने वाले इधर ढून्ढ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ में आ गयी है। आॅर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

शनिवार दिनांक 8 मार्च 1969

श्री रामानन्द अग्रवाल : जस्ट ए वन् सेंटेंस

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की जो राजनैतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए कांग्रेस हुकूमत चलाने में बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। लॉ एण्ड आॅर्डर को मेन्टेन करने में बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। अब तो इसको बिल्कुल धक्का देने से ही कुछ हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट।

कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदर लाल व्यास : कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन। कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार दिनांक 6 मार्च, 1969 को हुई। समिति अपने 17वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि 28 मार्च, 1969 तक लिये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे :—

1. आय-व्ययक 1969-70 का उपस्थापन (प्रातः 11.00)

2. निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार तथा उनका पारण:—

(श्री दामोदरलाल व्यास)

	(क) मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969
	(ख) न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969
	(ग) दी बोम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969
	नोट—आय-व्ययक के उपस्थापन और विधायी कार्य के बीच आधे घण्टे का अवकाश ।
सोमवार व मंगलवार, दिनांक 10 व 11 मार्च, 1969	बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर विचार
बुधवार से शनिवार, दिनांक 12 से 15 मार्च, 1969	आय-व्ययक 1969-70 पर सामान्य वाद-विवाद
सोमवार से शुक्रवार, दिनांक 17 से 21 मार्च, 1969	अनुदानों की मांगों पर मतदान
शनिवार, दिनांक 22 मार्च, 1969	अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1968-69 पर विचार तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पारण
सोमवार व मंगलवार, दिनांक 24 व 25 मार्च, 1969	अनुदानों की मांगों पर मतदान
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 1969	(1) अनुदानों की मांगों पर मतदान (2) विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन
शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 1969	विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण
	नोट:—(1) कल दिनांक 7 मार्च, 1969 को सदन की बैठक नहीं होगी।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मैंने विरोधी दलों की ओर से एक प्रस्ताव रखा है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं राज्य सरकार को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि 7 मार्च को शहीद दिवस का उसने अवकाश मान लिया है। दूसरी भावना यह है कि इसे सारे राजस्थान में शहीद दिवस के रूप में माना जाये तथा उनकी याद में एक अच्छा सा मोन्यूमेंट तैयार किया जाये। बाकी सरकार ने जो मांग स्वीकार की है उसके लिए धन्यवाद।

श्री **उपाध्यक्ष** : (श्री रामानन्द अग्रवाल से उनके द्वारा पूछे गये सन्दर्भ में) उसके लिए राज्य सरकार से जानकारी ली जा रही है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी ली जा रही है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : जी हां।

श्री **बाफना**।

(2) उपरोक्त समय के बटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

श्री फूलचन्द बाफना : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां चर्चा हुई है। मैं उतना समय नहीं लूंगा फिर भी अपने कुछ विचार प्रकट करूंगा। प्रकृति का कानून है जैसा बोयेगा वैसा ही काटेगा। यही नियम मानव समाज का है। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। प्रकृति ने जन्म दिया है, वह जिन्दा रहेगा। जिन्दा रहने के लिए प्राथमिक सुविधा हो ही। सबसे पहले आवश्यक है कि रोटी-रोजी मिले, कपड़ा मिले, रहने के लिए मकान मिले। शिक्षा, दवाई व न्याय मिले। इन सब की गारन्टी आवश्यक है। इसलिए जब तक जिन्दा रहने का अधिकार कायम है, उसके लिए हमारा निवेदन है कि सबसे पहले इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की सुविधा होनी चाहिए। लॉ एण्ड आर्डर कायम रखने हेतु इनकी पूर्ति के लिये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो व्यक्ति बेरोजगार है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। किसानों को उनके उत्पादन का पूरा दाम मिलना चाहिए और उपभोक्ता को सस्ता अनाज मिलना चाहिये। इन सब बातों के लिए यह जरूरी है कि उपभोक्ताओं को अनाज की सब्सिडी दी जाये। अनाज आदमी को सस्ते दामों पर मिले। इस प्रकार से जिन्दा रहने का अधिकार कायम रहे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यान दिलाना चाहता हूं युद्ध और क्रान्ति दो पृथक् पृथक् बातें हैं। युद्ध वह है जिसमें एक आदमी को हटाकर दूसरा आदमी बैठता है। क्रान्ति वह है

(श्री फूलचन्द बाफना)

जिससे मानवता का मूल्य बढता है। आज प्रायः बडा आदमी वह नहीं है जो भला है। सामाजिक मूल्य नहीं बदले हैं। कोई सरकार बनती है या कोई सरकार बनाता है। परन्तु यह युद्ध है। भय या लोभ से एक पार्टी का होकर कोई दूसरी पार्टी में जाता है यह इन्सानियत नहीं है। क्रान्ति तभी मानी जाती है, जब आदमी का मूल्यांकन इन्सानियत के आधार पर होगा। अगर मानवता के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा तब तक साधारण आदमी का शोषण होता रहेगा। युगों युगों से साधारण व्यक्ति का शोषण ही हुआ है इस विषय में एक विद्वान ने कहा है,

"The modern man is essentially a man betrayed by the innumerable religious political, economic and technological priests each highly specialised, each entrusted in his limited field and refusing to see the whole beyond the part"

Party शब्द बना है part शब्द से। आज part अर्थात् पार्टी को whole (सपूर्ण) अर्थात् देश से, राष्ट्र से अधिक महत्व दिया जाता है। यह गिरावट है, हमारी। जो साधारण व्यक्ति है, उसका हमेशा शोषण हुआ है। कभी धर्म के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर। शोषण के आधार ही पर राज्य बने हैं। राज्य एक संयोजित षडयन्त्र है जिसके आधार पर कुछ लोग गरीब लोगों पर शासन और उनका शोषण करते हैं। इसलिये जब तक शोषण-विहीन राज्य नहीं बनाते हैं तब तक हम उस क्रान्ति को प्राप्त हो गये हैं, यह मैं नहीं कह सकता हूं। कॉमन मैन को राजाओं के जमाने में एवं अंग्रेजी में शासन से भी लूटा गया। आज का शासन भी साधारण नागरिक के शोषण में सक्रिय है। जनता के प्रत्याशी खडे किये जाते हैं तो जाति के आधार पर खडे किये जाते हैं।

मैं राज्यपाल के भाषण पर यह मत व्यक्त करता हूं कि उन्होंने क्रान्ती की बात नहीं कही है। उन्होंने सांख्यिकीय विभाग के कुछ आंकडे जरूर पेश किये हैं। हम कौनसी क्रान्ति करना चाहते हैं? देश में क्या फिजा बनाना चाहते हैं? यह उन्होंने नहीं कहा है। आज तथाकथित पूंजीवादी देशों में समाज मर चुका है, और समाजवादी देशों में व्यक्ति मर चुका है। इस तरह से समाज और व्यक्ति दोनों ही इधर उधर हो गये हैं। मैं आपको यह बताऊं कि आज के युग में जो बुद्धि है वह गांवों से शहरों में जाती है। इसलिए कुछ शेष बचे लोग ही पंचायतों में सरपंच व प्रधान बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार शहरों से बुद्धि विदेशों में चली जाती है। प्रति वर्ष सात हजार वैज्ञानिक अमेरिका को हिन्दुस्तान से निर्यात होते हैं। हिन्दुस्तान से जब इतनी बुद्धि निर्यात हो जाती है तो पीछे क्या रहता है? 3 जनवरी, 1968 को वाराणसी में एक कान्फ्रेंस हुई थी जिसमें पांच हजार से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उसमें 65 विदेशों के प्रतिनिधि भी थे। उन 65 प्रतिनिधियों में से 24 ऐसे प्रतिनिधि थे जो भारतीय थे अर्थात् पहले कभी हिन्दुस्तान से विदेशों में गये थे। जब एक कान्फ्रेंस में हिन्दुस्तान से विदेशों में गये चौबीस प्रतिनिधि आ सकते हैं तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनको यहां पर क्यों नहीं खपाया गया? इसमें और कोई कारण नहीं है, सिर्फ शासन में व्याप्त पक्षपात और भ्रष्टाचार ही कारण है। इस कारण से ही उनको यहां पर नहीं खपाया जा सका। इसी कारण हरगोविन्द खुराणा जो

(श्री फूलचन्द बाफना)

नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, को इस देश में नौकरी नसीब नहीं हुई। जब तक इस देश में इस प्रकार की राज्य व्यवस्था है, तब तक इस देश के योग्य आदमी विदेशों में जायेंगे। आज स्थिति यह है कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि बहुत से देशों में यहां के योग्य व्यक्ति चले जाते हैं। उनको इस देश की सरकार अपने यहां पर नहीं खपा सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि राजनीति के क्षेत्र म अलग अलग पार्टियां, विभिन्न दल, यह दल, वह दल, दल प्लस दल, ईक्वल टू दलदल। इस देश में राजनैतिक दलों का दलदल हो गया है। आप एक दल, दो दल, इस तरह साथ साथ दो दल पढ जायं तो दल दल हो जायगा। असल में यह देश आज दलदल में फंसा दिया गया है। एक दल अपनी तारीफ करता है और दूसरे दल की निन्दा करता है हर एक दल अपनी स्वस्तुति करता है और दूसरे की निन्दा। वास्तव में स्वस्तुति और पर निन्दा एक बहुत बुरा काम है। लेकिन हमारे यहां यह काम ही रह गया है, स्वस्तुति और पर निन्दा। इसी कारण से हर आम चुनाव में देश में आग लगा दी जाती है जो पांच साल तक बुझती नहीं है। पांच साल के बाद फिर आग लगा दी जाती है। और अब तो ग्राम पंचायत के चुनाव में भी आग लगा दी जाती है। जिस देश में आग लगाने का काम हो रहा है वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दलदल की राजनीति में पंचायत राज को भी फंसा दिया गया है जब कि उसमें दलदल की राजनीति नहीं आनी चाहिये आज पंचायत राज में काम करने वाले व्यक्तियों के पास ऊपर से टेलीफोन आते हैं, इसका मुझे खुद को अनुभव है, विकास अधिकारी और जिला परिषद के सेक्रेटरी के पास टेलीफोन आते हैं, इसका ट्रान्सफर और इसका चयन होना चाहिए, इसको मास्टरी मिलनी चाहिए। आज ऊपर के टेलीफोनों से पंचायत राज चलता है तो पंचायत राज चल चुका। जिस समय पंचायत राज की स्थापना हुई थी उस समय एक बडे अहलकार ने मुझसे कहा था, वह प्राईवेट टाक्स में कहा करते थे कि पंचायत राज नहीं चलेगा। वास्तव में वही हुआ, पंचायत राज को अधिकारियों ने चलने नहीं दिया और इस तरह से उसे निष्प्राण कर दिया है। पंचायतों में भले इन्सानों का जाना होता नहीं है और पंचायत राज खत्म होता जा रहा है। अगर पंचायत राज्य पनपता और गांवों के पूरे विकास का अवसर पंचायतों को मिलता तो आज वह हालत नहीं होती जो कि आज हो रही है। आज विकास अधिकारियों को हटाया जाता है, मनमाने ढंग से ट्रान्सफर और चयन होता है। हम जिस चीज को क्रांति समझते थे आज उसको ही हटाने के काम को हम क्रांति मानते हैं। आज जो शिक्षा दी जा रही है वह केवल नौकरी पाने के लिए है, आज की शिक्षा इन्सान बनाने के लिए नहीं है। आज जो जन जागरण होता है, वह केवल चुनावों में होता है। बाकी ओवर टाइम में जन जागरण नहीं होता है। आज सरकार को भले आदमियों को आगे बढाने का टाइम नहीं है। यह बडा आदमी है, यह छोटा आदमी है, यह भेद समाज व राज में विद्यमान है। किन्तु आज भला आदमी है वह बडा आदमी नहीं हो सकता है। जो भला आदमी नहीं है वहा बडा आदमी हो सकता है। इस प्रकार के आज भी हमारे सामाजिक मूल्य हैं तो फिर किस प्रकार हमने क्रांति की है? मैं आपको इसका एक

(श्री फूलचन्द बाफना)

उदाहरण देना चाहता हूं। एक लखपति व्यक्ति ने एक लडके को गोद लिया। गोद लेने के बाद उसकी सगाई जल्दी हो गई। आज यह सामाजिक स्थिति है कि लखपति के द्वारा गोद लेते ही उस लडके की अच्छी जगह पर सगाई हो गई। उसके बाद में जिस लखपति द्वारा वह गोद लिया हुआ था, उसमें और उसके ब्याईजी में अनबन हो गई और उसने सगाई को तोड देना चाहा। तो उसने क्या किया कि गोद लिये लडके को दुदियां दिखाऊ निकाल दिया, तो जो सगाई हुई थी वह टूट गई। फिर वापिस उस लडके को उसने गोद ले लिया और अन्यत्र सगाई करदी खूब पैसा टीके का लेकर- इस प्रकार आसानी से उसका काम बन गया। तो आज हमारे समाजिक मूल्य हैं कि बडा आदमी आज वह है जिसके पास जमीन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पद है। आज एक मिनिस्टर है तो उसको सब बुलाते हैं, उसके पास सब आते हैं लेकिन जब वह मिनिस्टर नहीं रहता है तो उसको कोई नहीं बुलाता है। तो आज अगर किसी मिनिस्टर को कोई बुलाता है तो वह व्यक्ति को नहीं बुलाता है, वह उसकी कुर्सी को बुलाता है। तो यह सामाजिक क्रान्ति नहीं है यह राज्यान्तर अथवा आदमी की अदला बदली के सिवाय कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं जो आज तस्करी करता हो, चोरबाजारी करता हो, स्मगलिंग करता हो और इन सब प्रकारों से धन प्राप्त करता हो उसको सरकार भी पूछेगी और लोग भी पूछेंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन इस स्वतन्त्र भारत में बडा दयनीय बन जाता है। वह बेचारा आदमी है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई: कोई नहीं पूछता है उसको।

श्री फूलचन्द बाफना: तो आज सामाजिक मूल्य में भी गरीब आदमी लाचार अर्थात् बेचारा रहा है। आज एक दूसरे के ऊपर कीचड उछालते हैं यह ही सामाजिक मूल्य है। आज समाज में केवल दो बातों को सोशल सेंक्शन नहीं मिली है। केवल दो बातों की सोशल सेंक्शन नहीं है, बाकी का तो बंटाढार हो गया है। एक बात तो यह है कि बाजार में खुले आम कोई आदमी ताला नहीं तोड सकता है। अगर कहीं पर कोई ताला तोडता है तो एक दम भीड इकट्ठी हो जाती है और उसके साथ मारपीट हो जाती है, उसकी रिपोर्ट बाद में होती है। दूसरी बात यह है कि खुले आम कोई किसी महिला से छेडछाड नहीं कर सकता। तो केवल इन दो बातों को सोशल सेंक्शन नहीं हुई है। बाकी जो भी चीजें हैं दुनियां भर की, कोई चोरी करे, डाका डाले, तस्करी करे, उसकी सब पूजा व आदर करें। हमने यह क्रान्ति की है बीस साल में यह कमाया है, बीस साल में यह काम किया है। जब तक आप स्वराज को सुराज्य में नहीं बदलते हैं तब तक वह स्वराज्य निकम्मा है। स्वराज्य के अन्दर यह जरूरी है कि हर आदमी को रोटी आदि प्रारम्भिक जरूरत मिलनी चाहिये। आपकी योजना कहती है कि पांच साल में हम हर आदमी को रोटी देंगे, दो साल में इतने आदमियों को रोटी देंगे, उसके बाद दो सालों में इतने आदमियों को रोटी देंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण दूं, कि किसी व्यक्ति ने एक सौ तोते पाले। उसने कहा कि मेरी पंचवर्षीय योजना है, अनुसार एक वर्ष में बीस तोतों को खाना दूंगा, दूसरी साल में दूसरे बीस तोतों को खाना दूंगा। इस प्रकार पांच वर्ष क

Page No 116

(श्री फूलचन्द बाफना)

अन्दर सौ तोतों को खाना दूंगा। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि पांच साल के बाद में वे सभी तोते रहेंगे भी या नहीं। इस प्रकार की जो आपकी योजना है वह एक प्रकार से निकम्मी योजना है। यह क्या हो रहा है? आज किसी आदमी को आगे बढ़ना है तो वह अन्तःकरण का उपयोग न कर विभिन्न बाह्यकरणों का बहुत उपयोग करता है। कितनी टीम-टाम, कितना फैशन, कितनी तड़क-भड़क, कैसा जीवन। ऐसे व्यक्तियों का अन्तःकरण संकुचित होता है और जिनका अन्तःकरण संकुचित है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ही आज गवर्नमेन्ट की बागडोर है। इसलिये ही समाज के अन्दर अन्तःकरण के प्रति आस्था खत्म हो चुकी है, अन्तःकरण मर चुका है। आज शासन की बागडोर उनके हाथ में होती है जिनका अन्तःकरण समाप्त हो गया है और जो भांति भांति के बाह्यकरणों में उलझे हुए हैं। एक आदमी ने कहा कि आज जो नेता है, वह नेता नहीं अभिनेता है। नेता तो वह होता है, जो जो बात कहता है, वही करता है। लेकिन अभिनेता वह होता है, जो स्टेज पर एक बात कहता है और फिर नीचे उतर कर दूसरी बात करता है। मैं कहना चाहूंगा कि ऊपर स्टेज पर कुछ कहा जाय और नीचे उतर कर कुछ किया जाय, यह अभिनेताओं की स्थिति है और इससे शासन नहीं चलता है। इसलिये हमें सच्चे रूप में नेता चाहिये। नेता में यह गुण होना चाहिये। इटली में नाटक में जिस पात्र का जैसे परसोन पहनते थे, उस 'परसोना' शब्द से ही पर्सनिलिटी शब्द बना है। तो यह परसोना पहन कर कोई मिनिस्टर हो जाते हैं और कोई एम. पी. अथवा एम. एल. ए. हो जाते हैं और फिर उस हैसियत से भाषण करते हैं। लेकिन नीचे मच से उतरते ही उनकी वह हैसियत खत्म हो जाती है और उसकी करनी उसकी कथनी से भिन्न हो जाती है। जब तक हम इस भेद को नहीं मिटा सकते हैं तब तक क्रान्ति केवल नाम की या निकम्मी है। आज किसानों में भी अपनी अपनी भलाई के नाम पर अलग अलग वर्ग बन चुके हैं। अमीर किसान, गरीब किसान, भूमिहीन किसान। किस प्रकार यह कृषि क्रान्ति भी निकम्मी हो रही है। कानून बनाते हैं अमीर किसान अतः है वह 'खुद काश्त' की परिभाषा क्या लिखते हैं, जो खुद खेती करता है अथवा नौकर रख कर खेती करवाता है वह खुद काश्तकार है। क्या कमाल की परिभाषा है। आपको खुद काश्तकार बनना है इसलिये यह परिभाषा रखदी। इस प्रकार तो धोबी भी वह है जो कपड़े धोता है या जो पैसा देकर कपड़े धुलवाता है, उसे धोबी क्यों नहीं कह सकते। इसी प्रकार रसोइया वह है, जो स्वयं रसोई करता है या पैसा देकर नौकरों से रसोई बनवाता है। इसी प्रकार मजदूर वही है जो मजदूरों को पैसा देता है और मजदूरी करवाता है। इस प्रकार बिड़ला वगैरह सब मजदूर हैं। इस प्रकार की परिभाषा बनवा लेते हैं इससे आम लोग दुखी हैं। यह शासन के नाम पर षडयन्त्र है। जब तक शासन के नाम पर षडयन्त्र चलेगा तब तक आम जनता को यह दयनीय स्थिति रहेगी। लेकिन यह अधिक दिन नहीं चल सकता है। सोशल वेल्यूज पलटेंगी, सामाजिक मूल्य बदलेंगे उस वक्त इन्सान की कद्र होगी, मानव की कीमत होगी। मावन की कीमत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के उदाहरण यहां पर विधान सभा में हर साल

(श्री फूलचन्द बाफना)

वहीं के वहीं या वैसे के वैसे आते हैं। हर बात वहीं की वहीं है और इनका उत्तर होगा तो वही की वही बातें होंगी। इस स्थिति में नया क्या हो सकता है। इससे तो असेम्बली द्वारा पैसा, शक्ति व समय बरबाद हो रहा है समाज का। लाखों रुपये की हानि हो रही है क्योंकि सोशल वेल्यू पलटती नहीं है। आज भी वही या वैसा ही जवाब मिनिस्टर देंगे जो गये साल दे चुके हैं। गये साल का भाषण पढ़ें तो वही का वही या उसी तरह का जवाब मिलेगा। वही के वही भाषण, और वही के वही जवाब। आज सरकार को भी केवल रुपया चाहिये, चाहे वह किसी तरह से आये। अफसोस इस बात का है कि ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाकर भी रुपया चाहिये। हमारे केन्द्र के एक मिनिस्टर विदेशों में गये थे और विदेशों से लौट कर आये थे तो कहा था कि विदेशों में होटलों में औरतें होती हैं, उससे आमदनी बहुत होती है। हमें भी केवल आमदनी चाहिये इसलिये हमारे यहां पर ऐसी होटल होनी चाहिये जहां पर औरतें रखी जायें तो बड़ी इन्कम होगी। उससे क्या आमदनी होगी? गांधीजी ने कहा था कि साधन शुद्ध नहीं होंगे तो साध्य भी शुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार के काम करते हैं इससे तो देश का बंटाढार हो जायगा। आप कृषि क्रान्ति की बात करते हैं।

(5 मं. प.)

आप कृषि क्रान्ति के लिये कानून की बात करते हैं, बिहार में कृषि क्रान्ति के लिये कानून बने पर आज तक वे कानून पूरी तरह वहां अमल में नहीं आये। यहां राजस्थान में भी कृषि क्रान्ति के लिये सिलिंग आदि कानून बना पर अमल में नहीं आया, यहां जब तक अमल में नहीं आते तब तक कृषि क्रान्ति की बातें करना बेकार बात है।

मंहगाई और भ्रष्टाचार सबके प्राण ले रहे हैं। सेन्टर का बजट आय तो तेल के भाव बढ़ गये, शक्कर के भाव बढ़ गये, साबुन के भाव बढ़ गये, सिगरेट के बढ़े तो कोई बात नहीं सिगरेट पीने वाले कम हो जायेंगे, मैं तो कहता हूं कि एक सिगरेट का मूल्य 1 रुपया होना चाहिये ताकि लोग अपने आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे।

मैं यह बतला रहा था कि आज गांवों से बुद्धि शहरों में आप ले आये हैं उस बुद्धि को शहरों से वापिस गांवों में भेजिये, उद्योगों का एवं धंधों का गांवों में विकेन्द्रीकरण किया जाय, गांवों मे उद्योग खोले जांय, धंधे चालू किये जांय, इन उद्योग धंधों के पीछे गांवों में बुद्धि का प्रवेश होगा। बुद्धि वाले लोग गांवों में जाकर उद्योग खोलेंगे तो उनके साथ गांवों में बुद्धि जायगी तभी पंचायती राज सफल होगा, वरना पंचायती राज कभी सफल नहीं हो सकता। बुद्धि गांवों से शहरों में एक्सपोर्ट करली गई है, उसे उद्योगों का विकेन्द्रीकरण कर के वापिस गांवों में भेजिए।

राहत कार्य जो आप कर रहे हैं उनमें भी आपको क्रान्ति करनी चाहिये, धन बांटे दान दे यह क्रान्ति नहीं है। क्रान्ति के लक्ष्य से नहीं बढते हैं तो कुछ नहीं होगा। लोग निराश होकर कहते हैं कि अवतार आयेगा। अवतार आयेगा तो क्या होगा? अवतार आयेगा तो पापों का नाश होगा पापियों का नाश होगा। आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचिये कि अवतार आयगा तो क्या होगा? पापियों का नाश होगा, इसलिये अच्छा है कि आप अभी से सज्जन बन जाइये। सज्जन और दुर्जन दो ही तो

(श्री फूलचन्द बाफना)

पार्टियां हैं । अवतार आयेगा तो दुर्जनों की खबर लेगा । इसके लिये या तो आपको नष्ट होने के लिये तैयार होना चाहिये या सज्जन बन जाना चाहिये ।

मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि यह समाजवाद है, इसमें कैसे काम हो रहा है, जो बहुत दूर जाना चाहता है उसको फर्स्ट क्लास में नहीं बैठाते किन्तु पैसा देने वाले नजदीक जाने वालों को फर्स्ट क्लास में बैठाते हैं । जो पैसे वाला है उसको अलग कोटेज वार्ड में रखेंगे चाहे वह मामूली ही बीमार क्यों न हो और जो भयंकर से भयंकर बीमारी का शिकार है उसको आप जनरल वार्ड में भीड में रखेंगे, कोटेज वार्ड में नहीं रखेंगे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, यह आपका किस प्रकार का समाजवाद है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय थोडा ही बचा है और माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं ।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं अभी समाप्त करता हूं । इसका हल क्या है ? हल है, 'समन्वय', इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दोनों तरफ दुर्जन हैं तो आप किधर बैठेंगे ?

श्री फूलचन्द बाफना : यह तो आप अपनी आत्मा से पूछिये । इसका कोई सज्जनोमीटर या दुर्जनोमीटर अभी तक नहीं निकला है जिससे नाप लिया जाय कि यह सज्जन है या यह दुर्जन है । आप अपनी आत्मा से पूछिये अपने अन्दर से पूछिये, अगर आपकी अन्तरात्मा जीवित है तो वह आपको जवाब देगी, अगर आपकी अन्तरात्मा मर गई है तो फिर तो बस राम नाम सत्त है ।

तो मैं समाजवाद में समन्वय के सम्बन्ध में कह रहा था । नदी के पानी में पानी से ही भरा हुआ एक घडा रखिये । नदी का पानी अलग और घडे का पानी अलग रहेगा क्योंकि घडे की सीमा मिट्टी है, किन्तु जब घडे की सीमा मिटटी टूट जायगी तो घडे का और नदी का पानी एकाकार हो जायगा । हम समाज में मिट्टी के घडे की तरह हैं । जब तक मिट्टी के घडे की तरह घेरा है, हम समाज में अलगाव बनाये हुए हैं । जिस रोज मिट्टी के घडे की तरह हमारे स्वार्थ या अहम् का यह घडा फूट जायगा उसी रोज समाज में एकाकार हो जायगा और फिर कोई फर्क नहीं रहेगा । हमारा जीवन आज ह्यूमन वेल्यूज मानवीय मूल्यों की तरफ नहीं है, यही वजह है कि सब तरफ उपद्रव होते हैं । कोई भी उपद्रव करता है तो उसका कारण है कि जिन्दा रहने की गारन्टी का इन्तजाम नहीं है । यदि शान्ति कायम करनी है तो आदमी का मूल्य बढाना होगा । अर्थात् मानवीय मूल्य स्थापित करने ही होंगे और उसी को क्रान्ति कहा जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह ! केवल 8 मिनिट का समय बचा है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लादूरामजी बाद में जा कर समय खराब करेंगे, इसलिये आप पहले उनको समय दे दीजिये ।

श्री विजय सिंह (मकराना) : तोते को कहा जाता है कि बोल तोता राम राम तो तोता बोल देता है राम राम और तोते को कहा जाता है कि बोल तोते सलामवालेकुम तो व

(श्री विजयसिंह)

बोल देता है सलामावालेकुम, क्योंकि उसको मालुम नहीं है कि सलामावालेकुम का जवाब वालेकुम-अस-सलाम होता है। तो हमारी राज्य सरकार ने राज्यपाल को इसी तरह बोलाया जैसे तोते को बोलाते हैं, जो वाणी सरकार ने रखी वह यहां बोले। मैं एक बात निवेदन करना चहता हूं राज्य सरकार और राज्यपाल बोल गये। विश्व के अन्दर जिस प्रकार सबसे तेज चलने वाली हो चीजें बनी हैं, अमेरिका का बना हुआ हवाई जहाज 2000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और जापान में एक रेलगाडी बनी है जो 1 घंटे में 200 किलोमीटर की गति से चलती है। राज्यपाल राजस्थान की जो सबसे बडी तेज चीज है उसको आपने भुला दिया, राज्य सरकार राजस्थान की असम्बली को सबसे तेज रफ्तार से चलाती है, पूरा समय बोलने को मिलता नहीं, पूरी अपनी बात कह नहीं पाते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दफा की बात है, फुलेरा स्टेशन पर एक सज्जन मुझे मिले, उनको देख कर मैंने समझा सरपंच होंगे और मैंने उनको कहा सरपंच साहब नमस्ते। इस पर वे बडे खुश हुये और पूछा कि आपको कैसे मालुम कि मैं सरपंच हूं। मैंने कहा आपकी कटी हुई नाक इस बात का सर्टिफिकेट है कि आप सरपंच हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय आने वाला है कि जिन दल बदलुओं ने जयपुर में गोली कांड करवाया, जिन लोगों की वजह से जयपुर की जनता ने हड़ताल की, आन्दोलन किया, वे लोग कांग्रेस में चले गये तो वह दिन दूर नहीं है कि राजस्थान की जनता उन लोगों को भी उस सरपंच की तरह सर्टिफिकेट देगी कि ये लोग दल बदलू थे जिनकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई।

मैं हर बात को लाइट में लाना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह माननीय सदस्य ने जागीरदारों की बात कही। मैं पुराने जागीरदारों की एक बात बताता हूं, मेरे पूर्वजों के समय की बात है। कहीं भी उस समय चोरी हो जाती थी तो या तो वे उस चोरी को पकडते, सारा माल बरामद करते अगर चोरी का पता नहीं लगा पाते तो जितना हर्जाना होता था वह सब उनको चुकाना पडता था। एक गांव में चोरी हुई, चोरों के खोज मकराने की जमीन में आ गये, मकराने के जागीरदार चोरी का पता लगाने में फेल रहे और उन्होंने कहा कि ये जमीन जिसमें चोर के खोज आये हैं हमारी नहीं है, हमारे पडौस के गांव बिल्डाना वालों ने कहा कि यह जमीन हमारी है, उन्होंने चोर का पता लगा लिया, चोरी का माल बरामद कर लिया और वह जमीन उन्होंने ले ली, वह जमीन आज भी उनके पास है। राजस्थान सरकार की पुलिस पर आज क्या बोझ भार है, किसी प्रकार का बोझ भार राजस्थान की पुलिस पर नहीं है। होना यह चाहिये कि जिस थाने के हलके में चोरी हो या तो वहां का थानेदार उस चोरी को बरामद करे या फिर उस चोरी का सारा हरजाना उस थानेदार पर होना चाहिए। आज थानेदार और एस. पी. चोर और डाकुओं से मिले रहते हैं, राजस्थान की निकम्मी पुलिस है, केवल जनता पर गोलियां चलाना जानती है। अगर राजस्थान की पुलिस में दम है अगर राजस्थान की सरकार में दम है, तो जायं पाकिस्तान के बोर्डर पर और जिन्होंने हमारी जमीन दबा रखी है उनको निकाल दें। आप 6 महिने के लिये पुलिस मेरे अन्डर में दे दीजिये मैं 6

Page No 120

(श्री विजयसिंह)
महीने के अन्दर अन्दर पाकिस्तानियों को वहां से निकाल दूंगा, अगर नहीं निकाल दूं तो मेरा सिर काट कर यहां रख दें वरना सरकार को चाहिए कि इस्तीफा दे दे ।

क्योंकि समय कम है और और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए मैं अधिक न कह कर यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को हर बात में सतर्क रहना चाहिए और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानियां !

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में....................

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : करीब 25 मिनट का समय है, उसमें मुझे भी . . . .

श्री उपाध्यक्ष : आज समय नहीं है । पहले आप इच्छा व्यक्त करते तो एडजस्ट करते ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : तो समय नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : हमारी तरफ से सिर्फ प्रोफेसर केदारनाथ बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ध्यान में नहीं लेकिन पहले पधारे नहीं और न लिख कर ही दिया ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : 25 मिनट में से 10 मिनट काट कर केवल 15 मिनट दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री लादूराम सुलानिया : राज्यपाल के अभिभाषण में करीब करीब

श्री उपाध्यक्ष : 7–8 मिनट ही ले लें ।

श्री लादूराम सुलानिया : वह तो आपके और मेरे बीच की बात है । यह अभिभाषण 30 पेज का है इसमें 68 पैराज हैं और करीब 600-700 पक्तियां हैं । इसलिए तो हम उनके आभारी हैं । आजादी के 20 साल के अन्दर और इस विधान सभा में शायद 18 वां अभिभाषण राज्यपाल महोदय का प्रस्तुत हुआ है । इस अभिभाषण में मुख्य जानकारी यह है कि हर मन्त्री के तहत जो उनके विभाग है उनकी योजनाओं का विवरण है और उन्होंने अपनी योग्यता जाहिर की है कि हमारी राजस्थान की सरकार और उसके मन्त्री जिनके पास ये विभाग हैं, उसमें कामयाब हुए हैं । उसमें कई विभागों की बात आई है और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उस बात को देखा है लेकिन इस अभिभाषण में एक पैरा है जिसमें 4 लाईनें हैं 23 वां पैरा है । इसमें कहा है कि राजस्थान में 106 छात्रावास शिड्यल्ड कास्टस और ट्राइब्स के विद्यार्थियों के लिये चलाये जा रहे हैं । इसके अलावा राजस्थान की 25 प्रतिशत जनता जो आज शिड्यूल्ड कास्टस व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से पुकारी जाती है उसके अनुपात के अनुसार हमारी विधान सभा में 50–51 विधायक सारी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं । उस सारी बात को लेकर एक भी लाइन पूरे अभिभाषण में नहीं कही गई है । एक विशेषता और जोडी है कि 78 अध्यापकों की उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिये विज्ञान और गणित

(श्री लादूराम सुलानियां)

के लिए उनके छात्रावासों में नियुक्ति की है। बहुत खुशी की बात है। 20 साल में छात्रावासों से निकले हुए विद्यार्थियों को शायद आर. ए. एस. या आई. ए. एस. और अच्छे ऑफिसर्स जैसे डाक्टर, कोई विज्ञान का अधिकारी बनाया है तो मुख्यमन्त्री महोदय इस बात की जानकारी देंगे कि हमने 20 वर्ष के अन्दर हरिजनों को इतने हजार या इतने लाख लोगों को राजसेवा में नियुक्ति दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि 20 साल में जिस प्रकार एक सपना आता है, पिक्चर देखने वालों को पता होगा, इस नगर में एक पिक्चर चल रहा है, उसका नाम है, क्या कहना चाहिए·······

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप ही जानो।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं पिक्चर देखता नहीं इसलिए याद नहीं। उसमें तांगे वाले का सपना है वही तांगेवाले का सपना हमारी राज्य सरकार का कर्तव्य हो रहा है। 20 साल के लंबे अर्से में जो इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, उसके तहत सरकार को कुछ अधिकार हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए कितने कदम उठाए जायं, उनके लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार कितना कितना खर्चा कर रही है और उसका नतीजा क्या निकला है? उसका एक नमूना है तांगेवाले का सपना। इस अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया कि हम परिगणित जाति और जन-जाति के लिए कुछ करने वाले हैं या नहीं। दोनों ही बातें नहीं हैं। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि राज्यपाल महोदय को यह विश्वास हो गया है कि जिस प्रकार संविधान में हरिजनों को आश्वासन दिया गया है उस काम को मुख्यमन्त्री महोदय और राज्यपाल महोदय ने पुरा कर दिया है और अब उसमें शेष अंश बाकी नहीं जो उनको करना चाहिए।

राजस्थान में हरिजनों पर जिस प्रकार अत्याचार, अन्याय और दुर्व्यवहार होता है, आए दिन पत्रों और दरख्वास्तों से इस बात का पता चलेगा कि हर विभाग में हर व्यक्ति के साथ कितना अत्याचार और अन्याय उन लोगों को सहन करना पड़ता है। करीब 8 महीने पूर्व जयपुर जिले में लालसोट, दौसा व सिकराय तहसीलों में हरिजनों का खला कत्ल हुआ। जिस प्रकार जंगलों के अन्दर शिकारी शिकार खेलने जाता है, आगे आगे शिकार और पीछे पीछे शिकारी उस प्रकार से कांग्रेस के राज्य में मख्यमन्त्री के नेतृत्व में और राजस्थान के मुख्य शहर जयपुर के किनारे पर हरिजनों की खुली हत्या होती है। हत्याएं तो बहुत होती हैं, जयपुर शहर में भी सरकार ने हत्याएं करवाई हैं तो उस इलाके की तो क्या बात है लेकिन इन 8 महीनों के अन्दर हमारे राजस्थान की निकम्मी पुलिस ने मल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया। खुले मैदान म 500-500 आदमी इकट्ठे होकर हरिजनों का कत्लेआम कर दें और उसमें से एक भी मुल्जिम को करार न दें, यह सरकार का नमूना है।

इसके अलावा भीलवाडा और चित्तौड आज भी 20 साल के पश्चात् कांग्रेस राज्य में कांग्रेस के लीडर इस बात की दुहाई देते हैं कि हमने हरिजनों का उद्धार किया है, हरिजनों को बेगार से बचाया है। बेगार प्रथा तो 1942 में ही खतम हो गई जब कांग्रेस का राज्य नहीं था लेकिन आज कांग्रेस के राज्य में उन जिलों के अन्दर हरिजनों से बेगार लेते हैं, मारपीट करते हैं, गांवों से बाहर निकालते

(श्री लादूराम सुलानियां)
हैं, उनका सोशल बाइकाट करते हैं। कई प्रार्थना-पत्र विभागाध्यक्ष और मन्त्री महोदय को समय समय पर दिए हैं लेकिन उसकी जांच नहीं, दोषी लोगों को सजा नहीं। उदाहरण के लिए एस. डी. ओ. भीलवाडा के पास इस बात की शिकायत है कि हरिजनों ··

(घंटी)

से बेगार लेते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस एस. डी. ओ. ने हरिजनों से कहा कि तुमको काम करना पड़ेगा नहीं तो तुमको जेल भेज दूंगा। हमने शिकायत राज्य सरकार को भेजी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अफसोस की बात यही नहीं, इस प्रकार हजारों घटनायें आए दिन राजस्थान में घटती हैं लेकिन हमारी सरकार जो हरिजनों के उत्थान के लिए लंबे भाषण देती है उनको आज किस स्थिति से गुजरना पडता है उसके लिए किसी प्रकार की भी 20 साल में व्यवस्था करने में अयोग्य रहे हैं। आज अकाल की स्थिति है लोग खाना और पीना मांगते हैं रोजगार मांगते हैं। अकाल दो साल के पहले भी रहा है लेकिन हरिजनों को पीने के लिए पानी नहीं, गांवों में लोग उनको कुओं से पानी नहीं भरने दें, सरकार उनको अलग रखने के लिए कुएं बनवाती है लेकिन वहां भी पानी उनको नहीं मिलता···

(घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज ! भाषण समाप्त हुआ।

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज ! भाषण समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **लादूराम सुलानियां** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल दो मिनिट ही बोला होऊंगा। मैं प्रार्थना करूंगा। मैं भी सदन का सदस्य हूं और भी सदस्य हैं, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं कि आपने किस प्रकार टाइम बांटा।

श्री **भगवानदास शास्त्री** : उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली का समय कितने घंटे तक बढाया गया है ?

श्री **उपाध्यक्ष**: अब निश्चित कर देता हूं।

(विराम)

सदन की बैठक का समय मन्त्रीजी उत्तर दें तब तक बढाया जाता है।

श्री लादूराम सुलानियां : सदन का एक भी मिनिट मैं ऐसा नहीं लूंगा कि सदन का समय बेकार जाय। सम्माननीय सदस्यों के सामने इस बात को रख रहा हूं कि 20 वर्ष के लम्बे अर्से में इस बात की दुहाई देने वाले मन्त्री और अधिकारी संविधान में दिये हुए अधिकारों की पूर्ति हमारे उत्थान करने के लिए कहां तक कर पाये हैं ? उनकी पूर्ति हुई है या नहीं ? संविधान के अन्तर्गत हरिजनों के प्रतिनिधित्व के लिये हरिजनों के लिये सीटे रिजर्व रखीं। चाहे वह लोक सभा में हो, विधान सभा में हो, पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या नगरपालिकाओं में हों, सब जगह सीटें सुरक्षित रखीं लेकिन राज्य सरकार जो इस प्रकार की बार बार घोषणाएं करती है अधिकारों के लिए वे मिले या नहीं ? मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बीस वर्ष में जो आपके द्वारा दिये गये आश्वासन हैं, भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा लगाया धन खर्च होने

(श्री लादूराम सुलानियां)

के बाद आज भी क्या उनके अधिकार सुरक्षित हैं ? यदि सुरक्षित हैं तो इस अभिभाषण में कहीं नहीं लिखा है कि इतने अधिकार दे चुके हैं और इतने बाकी हैं । राज्यपाल महोदय को या तो राज्य सरकार ने नहीं बताया या राज्यपाल महोदय की उपज नहीं दो में से एक बात की उपज थी ।

विभागों का बंटवारा जिस प्रकार से है वे मन्त्री एक बहुत बडी फौज है । खेतों में फसल खडी होती है और जब कटने का समय आता है तो लोग मजबूर होकर लेजाते हैं, एक रुपया के बजाय दो रुपया देते हैं और मजदूरी करवाते हैं, पूरी फसल नहीं कटती है और टाइम लेती है तो और पैसा दिया जाता है । हमारे राजस्थान सरकार के मन्त्रियों के पास हरिजनों का काम जाता है तो उसको कन्ट्रोल नहीं कर पाये । चालीस मन्त्रियों से काम नहीं चला तो दस और बढाये । इसका कन्ट्रोल करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानियां : इसकी व्यवस्था करें । जांच करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें । दो मिनिट का समय मांगा और चार मिनिट का समय हो गया है ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, आसन आसानी से दें तो दस मिनिट का समय मुझे चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । अब समय नहीं बढाया जा सकता ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय चाहिए ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करे ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : भाषण अंकित नहीं किया जाय । आपने फरमाया उसके सिवाय पांच मिनिट और दे दिये । मजबूरी है समयाभाव के कारण ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं भी सदन का सदस्य हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कब इन्कार किया सदन के सदस्य नहीं हैं । आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(श्री लादूराम सुलानिया के बोलते रहने पर × × ×)

भाषण आपका अंकित नहीं किया जा रहा है । कृपया स्थान ग्रहण करें । आपने दो मिनिट मांगे उसके बजाय चार मिनिट दे दिये ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अंकित न किया जाय, यह आदेश गलत है और अनुचित है ।

श्री उपाध्यक्ष : गलत ही समझ लीजिये ।

(श्री लादूराम सुलानियां के बोलने पर × × ×)

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No 124

(श्री उपाध्यक्ष)

भाषण अंकित नहीं किया जा रहा है। काफी आपको समय दे दिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: पांच मिनिट का समय दे सकते हैं। आपने तो बिलकुल ही कन्ट्रोल कर दिया। शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्यों के साथ इतनी सख्ती बरतते हैं यह अनुचित है। यह बहुत गलत परम्परा है, अंकित नहीं करने का कहना। यह आसन को नहीं कहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: हमारी मजबूरी है। हम क्या करें आप ही बता दीजिये। और किसी अवसर पर आप समय ज्यादा ले लीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया: आप घंटी बजाते रहें और उसके बाद भी कई माननीय सदस्य बोलते रहें और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के ऊपर थोड़े समय बोलने पर भी प्रतिबन्ध लगा दें भाषण अंकित करना बन्द करवा दिया जाय बिलकुल अनुचित है। पांच मिनिट और दो मिनिट में क्या भाषण दे सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। शिड्यूल्ड कास्ट पर आपने इतनी सख्ती लगा दी।

श्री उपाध्यक्ष: शिड्यूल्ड कास्ट की बात को आप व्यर्थ में बीच में डालते हैं।

श्री लादूराम सलानियां: हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे भी अधिकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप यह बता दीजिये कि आप कितने मिनिट लेंगे? समय बता दीजिये!

श्री लादूराम सुलानियां: जितना समय और माननीय सदस्यों ने लिया उससे कम से कम एक मिनिट और कम मुझे दे दीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया: इस तबके की बात रखने के लिये 8 मिनिट का समय कोई बडा समय है क्या? शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्य बोलें और 8 मिनिट पर ही उसके भाषण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय यह शिड्यूल्ड कास्ट के लिये बिलकुल गलत बात है, अनुचित है और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपको सही स्थिति नहीं मालूम है। आपके दल को 2॥ घंटे का समय दिया। व्हिप महोदय भी ताईद करेंगे इस बात की कि जिस क्रम से नाम दिये गये उसी क्रम से उनको पुकारा गया। 8 मिनट दिये और फिर घंटी बजायी। दो मिनिट मांगे आपने तो उसके बजाय चार मिनिट और दिये। फिर घंटी बजायी और फिर समय दिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया: कहां बजायी।

श्री गिरधारीलाल व्यास: पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर,....

श्री लादूराम सुलानियां: उपाध्यक्ष जी मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है...

श्री गिरधारीलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि 14 घंटे का समय इस पर वाद विवाद के लिये रखा गया था जिससे सात घंटे कांग्रेस पार्टी के लिये और सात घंटे विरोधी दल को दिये गये थे। इस तरह से दोनों तरफ इस प्रकार से समय का विभाजन किया था।

Page No 125

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
इसके अनुसार सभी पार्टीज ने अपने समय से ज्यादा ले लिया है। यदि किसी पार्टी के व्हिप्स अपनी पार्टी के व्हिप अपनी पार्टी के शिड्यूल्ड कास्ट या शिडयूल्ड ट्राइब्ज के सदस्यों को बोलने नहीं देना चाहते और उनका नाम नहीं देते तो यह आसन की जिम्मेदारी नहीं है। समय का बंटवारा ठीक प्रकार से हुआ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप इस तरह की बात कह कर हमारी पार्टी में मतभेद पैदा करना चाहते हैं उसमें आप असफल रहेंगे। हमारी पार्टी में सब का बराबर ध्यान रखा जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी पार्टी के सेक्रेट्री बाढदार जी बैठे हैं उन्होंने आप लोगों का नाम नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री आईदानसिह (भीनमाल) : आपने जिस प्रकार से समय का बंटवारा किया उस हिसाब से अब कांग्रेस पार्टी का केवल 5 मिनिट का समय बाकी है क्या मुख्य मंत्री जी पांच मिनिट में जबाव दे देंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करूंगा कि जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया कि लादूरामजी को समय नहीं दिया जाय उसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज वालों को बोलने का समय देने के लिये आग्रह नहीं किया जाता। हमारी पार्टी में ऐसी बात नहीं। हमारी पार्टी में हमारे साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन आसन हमारी बात को सुनना नहीं चाहते। मैंने यह भी देखा है आसन की तरफ से लगातार घंटी बजते रहने पर भी कई सदस्य बोले हैं लेकिन उनको रोका नहीं गया। जब शिड्यूल्ड कास्ट का एक सदस्य केवल पांच मिनिट से और अधिक बोलना चाहता है उस पर आसन यह व्यवस्था देता है कि इनके भाषण को अंकित नहीं किया जाय। यह मैं समझता हूं आसन के लिये शोभा की बात नहीं है।

हमारी पार्टी में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हम लोगों के साथ आसन को सहानुभूति का बरताव करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : पूर्ण सहानुभूति मेरी आपके साथ हैं। (श्री सुलाणिया से) अब आप कितना समय लेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : केवल पन्द्रह मिनिट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पन्द्रह मिनिट तो नहीं दे सकता पांच मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने सभी पार्टीज को समय ज्यादा दिया है हमको भी देना चाहिये।

श्री लादूराम सुलानियां : आसन सबसे ऊंचा है आप जितनी आज्ञा देंगे उतना ही समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह कह रहा था राजस्थान में हरिजनों के लिये जो जो सुविधायें देने की घोषणा की गई वे सब पूरी होनी चाहियें। सर्विस में रिजर्वेशन, अफसरों में भरती जो सुरक्षित सीटें हैं वे सब

Page No 126

(श्री लादूराम सुलानियां)

मिलनी चाहिये। रिजर्वेशन के लिये जो दो तीन साल का समय बाकी है उसमें ये सब काम हो जाने चाहिये। आज देखने में यह आया है कि हरिजनों के जो अधिकार हैं वे बीस सालों में भी पूरे नहीं कर पाये हैं। हरिजन मंत्री से मैं निवेदन करूंगा, जो समाज कल्याण विभाग को घेरकर बैठे हैं, यदि वे ये काम नहीं करवा सके तो उनको स्तीफा दे देना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं बदरिका में जो हरिजनों की हत्यायें हुई हैं उस जगह आज तक समाज कल्याण मंत्री नहीं गये कोई उप मंत्री भी नहीं गये उनको आश्वासन देते हैं कि हम सहायता देंगे। एक उप मंत्री गये जिन्होंने इतने रुपये देंग यह घोषणा भी कर दी लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। यह पता नहीं राज्य मंत्री समाज कल्याण से जब पूछते हैं तो वे कहते हैं मैं नहीं जानता। हमारे आदमियों के बीच में घोषणा की गई लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया गया। जिन परिवारों का कत्ल हुआ वह किसने किया यह भी पता सरकार नहीं लगा सकती। लूप लगाने वाले को आप दस रुपया देते हैं लेकिन जिस आदमी का कत्ल किया गया उसको एक नया पैसा तक नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां गये वहां सम्मेलन किया। जनता को शराब पिलाते हैं उनसे पता लगाते हैं लेकिन आज तक उनक कत्ल करने वाले का पता नहीं चला पुलिस जगह जगह पडी रही। आठ महीने हो गये एक भी कातिल का पता नहीं लग सकी। हरिजनों की खुली हत्या करने वालों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। जब उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर संसद भवन के सामने आन्दोलन कर 144 धारा तोडी गई, दिल्ली के जेलों में लोगों को ठूंसा गया। उस पर वहां की सरकार ने व्यवस्था की राजस्थान में दल भेजा जिन्होंने यहां आकर उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर हरिजनों की हत्यायें की गई। वहां पर समाज कल्याण विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी गये। जांच कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की वह सदन में प्रस्तुत की जाय। क्या तथ्य उसमें बताये गये वे सदन के सामने आने चाहिये। राजस्थान सरकार का इससे ज्यादा निकम्मापन और क्या हो सकता है उस दल की तीस इन्च की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को राज्य सरकार आठ महीनों से दबाकर बैठी है। कौन कौन अधिकारी वहां जांच के लिये गये उनकी क्या रिपोर्ट थी वह भी सदन के सामने रखा जाय। कत्ल हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस एक भी कातिल को पकड नहीं सकी है। इस तरह से हरिजनों की हत्या करने वाली सरकार है। हरिजनों के नाम पर करोडों रुपये खा गये भारत सरकार से और राज्य सरकार से लेकर हरिजन वर्ग के नाम पर दलित वर्ग के नाम पर इस प्रकार की संस्थायें बनाकर हरिजनों के लिये जो धन खर्च होना चाहिये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं इसकी भी जांच की जाय। उस रिपोर्ट पर राज्य सरकार क्या करती है उसका भी विवरण सदन के सामने आना चाहिये।

इसी प्रकार जो 103 छात्रावास बताये हैं उनमें कितने विद्यार्थी हैं किन किन छात्रावासों की उन्नति के लिये क्या किया गया है? मैं बताना चाहता हूं आज ये छात्रावास

(श्री लादूराम सुलानियां)
कांग्रेस के प्रचार के साधन हैं जबकि गरीब विद्यार्थियों की पढाई के लिये खोले जाते हैं आज वहां पर कांग्रेस के प्रचारक लोगों को रखा जाता है। लेकिन सारों को नष्ट करके आप अपना पार्टी प्रोग्राम थोपना चाहते हैं और ....

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ।

श्री **लादूराम सुलानियां** : पांच मिनिट का समय आपने दिया था। दो मिनिट और दे दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : छः मिनिट हो गये।

श्री **लादूराम सुलानियां** : यह तो अफसोस की बात है।

श्री **उपाध्यक्ष** : मेरे लिये भी अफसोस की बात है।

श्री **लादूराम सुलानियां** : 25 प्रतिशत हरिजनों के दुर्भाग्य के साथ साथ हरिजन विधायक का भी दुर्भाग्य है।

श्री **उपाध्यक्ष** : हरिजनों की बात बीच में यों ही खींच रहे हैं।

श्री **लादूराम सुलानियां** : आप कुछ भी करें, मैं केवल इतना आश्वासन चाहता हूं कि हरिजनों की भलाई की दुहाई देने वाली सरकार तीन साल में पूरा कर देगी।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मुकुटबिहारी लाल 15 मिनिट का समय।

श्री **मुकुट बिहारीलाल गोयल** (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने जो भूमिका देश में अदा की है उससे ऐसा लगता है...

श्री **उपाध्यक्ष** : सरकार की ओर से उत्तर छः बजे प्रारम्भ होगा।

श्री **दौलतराम सारण** : भारतीय क्रान्ति दल के तो दो ही व्यक्ति अभी तक आधा घंटा करीब बोले हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : वे उपस्थित नहीं थे। मैंने बराबर ध्यान रक्खा है, आप इतनी लेट कह रहे हैं।

श्री **दौलतराम सारण** : उपस्थित रहे हैं, पर क्या इसके लिये हम बार बार ऊठ बैठ करते रहें आपको नाम लिखकर दे रखे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : उस समय बद्रीप्रसादजी नहीं थे। उनके बाद रामचन्द्रजी को कहा। फिर भी, चाहें तो और किसी दिन ले लीजियेगा समय।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, देश में राज्यपालों ने जिस प्रकार की राजनैतिक भूमिकाएं अदा की हैं उन्होंने, राष्ट्रपति और संविधान दोनों के प्रति वफादारी नहीं बरती है। उन्होंने केवल केन्द्र की कांग्रेसी सरकार के एजेन्ट के रूप में काम किया है और इसी का यह परिणाम है कि राज्यपालों का पद सन्देह का भाजन बन गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि देश से इस राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाय। इनके शाही ठाठ के रहन सहन पर भी वैसे बहुत काफी पैसा खर्च होता है, ये सादगी से गरीबों के प्रतिनिधि बनकर रह नहीं सकते। इनके राजभवनों पर गरीबों की गाढी कमाई से एकत्रित राजकोष से काफी पैसा पानी की तरह बरबाद किया जाता है।

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)
हमने ये सफेद हाथी बांध रक्खे हैं जो आउट आफ डेट पालिटिशियन होते हैं उनके लिये हमने इसके रूप में गोशालाएं निर्माण कर रखी हैं। तो इस प्रकार की गोशालाओं को समाप्त करना ही पड़ेगा। राज्यपाल के पद को समाप्त करना ही पड़ेगा।

आप कहेंगे कि इसकी फिर कोई एल्टरनेट व्यवस्था बताइये। तो मैं बडी नम्रता से अपना सुझाव देना चाहूंगा कि इस काम को हमारे चीफ जस्टिस अन्जाम ले सकते हैं कहीं भी संवैधानिक संकट-पैदा होने पर। इसके अलावा राज्यपाल रखना ही हो तो प्राइमरी पंचायतों के पंचों, नगरपालिका के सदस्यों, प्रदेश विधायिका के विधायकों के वोटों से इनको चुन कर रखा जा सकता है।

हमारे यहां पर गांधी शताब्दी चल रही है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि आज सरकार को गांधी जी के उच्चतम आदर्शों को सामने रखकर हिम्मत से काम लेना चाहिये, कांग्रेसी सरकार नहीं होते हुए भी आज मद्रास की सरकार ने एक अनुकरणीय उदाहरण कांग्रेसी सरकारों के सामने रक्खा है जो गांधी जी के आदर्शों से अत्यधिक प्रेरित है कि वे शराब की आमदनी से प्रशासन नहीं चलावेंगे। आप गांधीजी के नाम की दुहाई देने वाले, उनके नाम पर कमाने वाले शराब की आमदनी से शासन चलाना चाहते हैं।

सन् 37 के चुनावों के बाद में उस अंग्रेजी शासन के काल में कुछ प्रान्तों में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनी तो गांधीजी ने कहा कि इन प्रान्तों में सरकारों को चाहिये कि वे शराब की आमदनी समाप्त कर दें। उन दिनों प्रचलन यह था कि शराब की आमदनी को शिक्षा के मद में खर्च करने के लिये इयरमार्क कर दिया गया था। तो गांधीजी को यही उत्तर दिया गया उन लोकप्रिय सरकारों द्वारा कि शराब बन्द कर देंगे तो शिक्षा बन्द करनी पड़ेगी, उसके लिये इतना धन कहां से आवेगा। गांधीजी ने इस पर बडी हिम्मत और धैर्य से काम लिया और देश में एक बहुत बडा आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मन्जूर करने को तैयार हूं कि देश के बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा देना भले ही बन्द कर दिया जाय, पर शराब को तो एक क्षण के लिये भी सहन नहीं करूंगा।

आज यह गांधी शताब्दी का वर्ष है। आपने क्या किया? आपने यह किया कि हम दो दिन शराब बन्द कर देंगे, तीन दिन कर देंगे अगले साल। यह केवल धोखा है, और मखोल है गांधीजी के आदर्शों की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परसों होली का त्यौंहार था। केवल उस एक दिन में भरतपुर में 60 हजार रुपये की शराब बिकी है। यह है आपके दो दिन और तीन दिन का नमूना। आप का ढौंग है यह कहना कि आप गांधीजी के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। यही आप हरिजनों के बारे में कर रहे हैं। आप हरिजनों के बारे में अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करिये कि मैले को सिर पर रखकर ढोने की प्रथा को समाप्त कर दें सारे प्रदेश से।

जुडिशियल सेपरेशन की आपने बात कही पर आपका सेपरेशन भी एक अजीब प्रकार का मखौल है। केवल मजाक है। ताजीरात

(श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल)
हिन्द की कुछ दफाओं को एक मुंसिफ के अधीन कर देना मात्र ही जुडिशियल सेपरेशन नहीं हो जाता । इस का मतलब यह है कि आज जो माल के मुकद्दमे हैं, किसानों का काम अधिकतर माल से पडता है, खेती से पडता है, उसकी टीनेन्सी का सवाल है, उसको आपके इस तरीका से कोई लाभ नहीं है । आपका रेवेन्यू बोर्ड का गठन दोषपूर्ण है । सेक्रेटरियेट से निकले हुए व्यक्ति को जो रवन्यू की ए. बी. सी. डी. भी नहीं जानते, रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनाकर भेज देते हैं । आप अगर सच्चे मन से कुछ करना चाहते हैं तो पूरी तरह से जुडिशियल को अलग करिये । लोगों की रोजी रोटी के अधिकारों का सवाल है, सिविल राइट्स का सवाल है । आप ऐसा करिये कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन हाई कोर्ट के गठन की तरह कर दीजिये ।

इसके साथ ही इन्तजामात के मामले जहां तक है उनकी अलग से व्यवस्था कर दें । जुडिशियल मैटर्स के लिये अलग से व्यवस्था कर दें, पूरे अर्थ में करें, अधूरा न करें। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर सही न्याय मिले, सस्ता मिले और तुरन्त मिले । मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जयपुर में आप हाईकोर्ट का खण्ड पीठ रखिये । आप हमारे इलाके की कठिनाइयों की तरफ भी देखिये । धौलपुर, भरतपुर, अलवर, राजाखेडा से लोगों को छोटे छोटे मसलों में अपनी जगह से चार चार सौ मील चलकर जोधपुर जाना पडता है । कितना खर्चा और परेशानी उनको होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, लॉ ऑर्डर की बातें कही गई । आप देखें डीग में क्या हो रहा है ? डीग के एस.डी.एम. के घर पर चोरी की भैंसे पकडी गई । क्या मामला है यह ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के 59 के अभिभाषण में यह कहा गया कि हमारे इलाके में राजस्थान में लॉ और ऑर्डर की समस्या सन्तोषजनक रही है । आज भी वे सन्तोषजनक बता रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि राज्य के पूर्वी जिलों में पुलिस के सरकार प्रयासों के फलस्वरूप स्थिति पर काबू पा लिया है । आप इसको कन्ट्रोल करना कहते हैं । रात दिन वहां डकैतियां पडती हैं । अभी हाल ही में पुलिस वाले एक औरत को भगाकर ले गए, वारों के एस.आई. औरत को भगाकर ले गये और उस औरत को आत्म हत्या करनी पडी । क्या यह लॉ एन्ड ऑर्डर है ? राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है और आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज वे सीमा की जगह डाकुओं के संरक्षण गृह बन गये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के डकैत डाका डालकर आकर राजस्थान में छुप जाते हैं, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के बड़े बड़े नेता डकैतों के घर जाकर मिलते हैं । पुलिस का पहरा उनके साथ लगा रहता है, उनके एक प्रोटेक्टर डकैतों के काम आते हैं । डकैत छोटे छोटे बच्चों को उडाकर ले जाते हैं और आप इसको लॉ एन्ड ऑर्डर कहते हैं । लेकिन जाजाउ के अन्दर, गृह मन्त्री का कान्स्टीट्यूएन्सी से एक बच्चा उडाकर डाकू ले गए । लेकिन क्योंकि गृह मन्त्री की कान्स्टीट्यूएन्सी का बच्चा था, तो वह उनको दो

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)
भाई भतीजा हुआ, इसलिये डाकुओं से उसको वापिस मंगवा लिया गया। तो जहां गृह मन्त्री डाकुओं से मांगे, क्या यह लॉ एन्ड आर्डर है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नगला बदोरिया की बात बताइये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह किस तरह की सांठ-गांठ है ? डाकुओं को आर्म्स कौन सप्लाई करता है ? कहां से उनको अमुनिएशन आता है ? कार्तूस कहां से आते हैं ? इन डाकू दलों को खत्म करने का केवल एक ही उपाय हो सकता है, एक ही व्यवस्था हो सकती है, और वह यह कि आप वह सारा इलाका मिलिटरी के हाथ में दे दीजिये।

जहां तक प्रशासन का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर को जिले के प्रशासन का दर्जा न देकर आपने गलती की है। वहां की पुलिस निकम्मी है, वह काम नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरे हृदय से आपको सुनाना चाहता हूं कि वहां पर 30 या 40 डाकू एक गांव में घुस जाते हैं, गांव में केवल बीस पच्चीस घर हैं। तो क्या होता है उपाध्यक्ष महोदय, कि वे डाकू बन्दूकों के जोर से उस गांव के घरों में से जितने मेल मेम्बर्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, कि तुम बाहर खड़े रहो और हम तुम्हारे घरों में सोयेंगे। कितनी शर्म की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, और आप कहते हैं कि हम धन्यवाद दें। इस बात का धन्यावाद दें ? ठीक है, बहुमत के आधार पर आप कुछ भी कर दें, लेकिन यह क्या लॉ एन्ड आॅर्डर है ?

आज खेती की क्या हालत है ? इस सम्बन्ध में मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता समय की परिधि है, लेकिन फिजूल खर्ची का एक सब से बड़ा नमूना आपकी ये पंचायत समितियां हैं। ये पंचायत समितियों के 232 महकमे आप खत्म करिये और इन पर जो करोड़ों रुपयों का विकास के नाम से विनाश हो रहा है, उसको बचाइये। इस रुपये को आप वहां लगाइये जहां किसान आपसे पानी चाहता है।

हमें यह नारा देना चाहिये कि हमेशा धरती जल उपलब्ध करें। आज इंजीनियर बेकार हैं, पढ़े लिखे युवक बेकार हैं। एक शब्द नहीं कहा गया पढ़े लिखे लोगों के बारे में राज्यपाल महोदय द्वारा इंजीनियरों को आप बेकार क्यों करना चाहते हैं। आप तगड़े पन से काम करिये। शिक्षा में पूर्ण रद्दोबदल कीजिये। वह शिक्षा जो लार्ड मैकाले के जमाने में ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखने के लिये थी उस शिक्षा की पद्धति को बदलिये और उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करके देश की कठोर आवश्यकताओं के अनुसार वास्तविक शिक्षा के आधार पर इसको बढ़ाइये। पढ़े लिखे युवकों के साथ और देश के साथ खिलवाड़ मत करिये। जिस देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ रही है, असन्तोष बढ़ रहा है। एक रोज आयगा जब भंयकर क्रांति का रूप आने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिये आप एक दिन नहीं चार दिन बैठें लेकिन शिक्षा की पुरानी पद्धति को खतम कर दें। इतना ही नहीं मैंने पिछली बार भी यह कहा था जो पुरानी राजधानी है उनके साथ आप सौतेला व्यवहार मत करिये। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि व

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पोस्ट ग्रेजुऐट क्लासेज खोलें जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक की शिक्षा खोलें लेकिन वह नहीं खोली जाती है। आंकडों के अनुसार 200-200 राजनीतिक कक्षा में लडके और लडकियां मौजूद थीं लेकिन नहीं खोली गई, हिन्दी की नहीं खोली और दूसरी खोल दी यह लम्बी चौडी बातें हैं मैं सदन के सामने फिर रखूंगा।

मैं निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से पोलिटेक्निक तोडा गया-बाहर से आदमी आते हैं बंगाल से, बिहार से लेकिन भरतपुर पोलिटेक्निक को जरूर तोड दिया गया। वहां से डिप्टि डायरेक्टर एग्रीकल्चर का दफ्तर था वह तोडा गया। किसानों को आप क्या राहत देंगे?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समझ गया मैं समाप्त कर दूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपने बीज के ग्रेडेशन का काम किया है और बीज के ग्रेडेशन के सेन्टर को हमारे कृषि मंत्री जी अलवर रखना चाहते हैं अब आप देखिये एक राजाखेडा का किसान बीज का ग्रेडेशन करवाने अलवर जायगा·····

श्री शोभाराम : 31 मार्च तक···

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : आप देखिये अलवर से ग्रेडेशन करा कर वह वहां लायगा, यह किसानों से कृषि करवा रहे हैं आप, आपकी मंशा है परन्तु मैं नहीं समझता कि आप कृषि के लिये क्या कर रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : भरतपुर को नाराज मत करिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आप तगडे मन से काम करें। सरकारी कर्मचारियों की जो हडताल हुई उनकी शहादतें हो रही हैं, उनको निकाला जा रहा है मैं कहता हूं दूसरी सरकारों ने हिम्मत से काम लिया है। कोटा में आपने यह आश्वासन दिया था यह उनकी रोजी रोटी का सवाल है। यह अध्यादेश से समाप्त नहीं की जा सकती है इसलिये उनकी यूनियनों के जो लोग हैं उनकी रोजी-रोटी नहीं छीनी जाय और एक साथ मुकदमें वापिस ले लिये जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : (बोलने के लिये खडे हुये)

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्ष जी भारतीय क्रान्ति दल को समय नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे दे देंगे। आज तीन सदस्यों का नाम लिया था माननीय रामचन्द्र जी आर्य, श्री बद्री प्रसाद जी थे नहीं इसलिये दूसरों को समय दे दिया।

श्री दौलतराम सारण : आपने किसी भी सदस्य का नाम नहीं बोला केवल रामचन्द्र जी का बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : जब उपस्थित ही नहीं थे तो नाम बोलना जरूरी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उपस्थित नहीं थे तो क्या हुआ लोबी में बैठे हुये हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको लोबी में नहीं बैठना चाहिये था।

श्री दौलतराम सारण: आप क्या यह चाहते हैं कि सदस्य दिन भर यहां बैठा बैठा इन्तजार करता रहे कि हमें कब समय मिलेगा ? यह जरूरी नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय दौलत राम जी बोलना चाहते हैं इसलिये 10 मिनट का समय दे दीजिये।

(7 म. प.)

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लिस्ट दी है और दूसरी पार्टियों ने भी लिस्ट दी है। मगर मेरी लिस्ट के मुताबिक अन्य के साथ व्यवहार होता तो मुझे आपत्ति नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे बता दें कि किसी का, अन्य का नाम लिया है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे एक्सप्लेनेशन देने का सवाल नहीं है। मेरी आपत्ति है और मेरी पार्टी के बाकी में से समय दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आज सम्भव नहीं है। नहीं तो समय देने में ऐतराज नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : राज्यपाल के अभिभाषण पर सम्भव नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुबह ही इच्छा व्यक्त कर देते तो आप बोल लेते।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो यह देख रहा था कि आसन की तरफ से भारतीय क्रांति दल को कितना समय देने के लिए न्याय करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हम बहुत उत्सुक थे भारतीय क्रांति दल को समय देने के लिए और इसीलिए माननीय रामचन्द्र जी का भाषण हुआ और उन्होंने सब कुछ कह दिया।

श्री दौलतराम सारण : माननीय रामचन्द्र जी आधा घन्टे से कम बोले और मेरे दल को निर्धारित समय से अधिक समय नहीं लेना था लेकिन मेरे दल का जो समय निर्धारित किया गया है उसको मैं नहीं छोडना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब अकाल के सम्बन्ध में बहस हुई तो आपने गवर्नमेन्ट साइड को तीन-तीन घन्टे का समय दे दिया और हमने बड़े धैर्य पूर्वक सुना। अब केवल एक पार्टी का सवाल है और वह भी एक माननीय सदस्य का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन समय काफी हो चुका है और दल के एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर आप एडजस्ट कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपत्ति क्या है 15 मिनट और ज्यादा बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : 15-20 मिनट या घन्टे की बात नहीं है लेकिन अब समय हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपका कोई एंगेजमेन्ट है क्या ?

श्री रामकिशन : यह उनकी पार्टी का सवाल है। उनको जरूर समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : छोटी पार्टी को समय देने में आपत्ति नहीं है। मैं खुद देना चाहता था लेकिन माननीय सदस्य खुद उपस्थित नहीं थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट की तरफ से आपत्ति नहीं है तो फिर आपको क्या आपत्ति है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने 6 बजे का रिप्लाई का समय दिया था।

श्री रामकिशन : इतनी देर में तो उपाध्यक्ष महोदय, आधा समय खतम हो जाता और माननीय सदस्य अपना आधा भाषण कर लेते।

श्री उपाध्यक्ष : यह परम्परा अच्छी नहीं है कि पहले 10 मिनट, फिर 2 मिनट और फिर 2 मिनट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : परम्परा यह भी अच्छी नहीं है कि आप पार्टी का समय भी न दें। फिर तो आपको गवर्नमेन्ट के बारे में भी कड़ाई का रुख अपनाना चाहिए था।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समय देने और नहीं देने में ही 5 मिनट हो गए।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सिद्धान्त का सवाल है।

श्री रामकिशन : यह बुरा है तो अच्छा भी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी,...

श्री रामकिशन : आप (श्री मोहनलाल सुखाडिया) आप ही कम से कम कह दीजिए आखिर 20 साल के पुराने संबंधों का सवाल है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्षजी, पहले रिप्लाई का समय 5 बजे का हुआ, फिर 5॥ का हुआ, फिर 6 का हुआ और जब उसकी समाप्ति का समय आ गया फिर और आगे बढ़ायें तो मैं समझता हूं कि सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। बजट के समय में ज्यादा वक्त ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : उस समय देख लेंगे और आपके दल के समय को एडजस्ट कर लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : कितना समय आप मुझे दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बजट के समय में आपको ज्यादा समय दे देंगे।

श्री दौलतराम सारण : बजट का मामला आयेगा तब तो हमें और समय मिलेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष जी,......

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी,.

श्री **उपाध्यक्ष** : अभी यह बात तय नहीं हुई है बोलने वाली।

श्री **दौलतराम सारण** : आप आदेश दें तब ही तो बोलूं नहीं तो कैसे बोलूं।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि सदन में समय की पाबन्दी के बारे में सभी माननीय सदस्यों को मिलकर सोचना होगा नहीं तो मैं भी मानता हूं कि कुछ माननीय सदस्य तो ज्यादा समय बोल लेते हैं और कुछ को कम समय मिलता है। उसके बारे में ठीक परम्परा बनाकर चलना चाहिए और जैसा कि उपाध्यक्ष जी ने कहा कि जिसका लिस्ट में नाम था वह सदन के अन्दर नहीं रहे और उनको बुलाने के लिए आई कैच करे नहीं रूल्स के मुताबिक और जब 6 बजे का टाइम रिप्लाई का फिक्स हो जाये और तब सवाल खडा हो तो न तो उपाध्यक्ष जी की ही बात रहेगी और न सदन की परम्परा रहेगी। इस तरह से तो कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा दौलतराम जी से कि जो स्थिति उपाध्यक्ष जी ने बताई है उसके मुताबिक बजट पर ज्यादा समय लगा लें इसमें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री **दौलतराम सारण** : उपाध्यक्ष जी, मैं बराबर इस सदन में रहता हूं और जब कभी जरूरी काम होता है तो जाता हूं और मैं यहां बैठा रहा हूं। आप बद्रीप्रसाद जी का नाम अनाउन्स करते तो वह नहीं आते। उसके बाद में सवाल यह होता कि उन्होंने आई कैच नहीं की और वह यहां नहीं थे, फिर आपत्ति का सवाल नहीं था लेकिन आपने नाम अनाउन्स नहीं किया इससे साफ जाहिर है कि आप बाद में समय देना चाहते थे और आप दूसरों को समय देते रहे और हमारे दल के और दूसरे माननीय सदस्य का नम्बर नहीं आया इसलिए हम व्यग्रता के साथ उसका इन्तजार करते रहे इसलिए जब सब का समय समाप्त हो गया और आपने कह दिया कि सब पार्टियों का समय हो चुका है तो मैंने आपत्ति की है कि हमारी पार्टी को समय नहीं दिया गया।...

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : अब भी बद्रीप्रसाद जी को बुला लें।

श्री **दौलतराम सारण** : इसलिए मैंने आपत्ति की है और मेरा अधिकार है आपत्ति करने का...

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: बद्रीप्रसाद जी हैं क्या ?

श्री **दौलतराम सारण** : कोई जरूरी नहीं है। मैं भी बोल सकता हूं। बद्रीप्रसाद जी का नाम अनाउन्स नहीं किया इसलिए मैं बोल सकता हूं।...

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। आसन अपने पैरों पर खडा है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सदन के नियम हैं उनके अनुसार जो माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक हों उनको सदन में उपस्थित रहना चाहिए। उसी क्रम में बुलाया जाता है जिस हिसाब से आई कैच करे लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाता है कि व्हिप ने जिस क्रम में नाम दिये हैं उसी हिसाब से पुकारा जाता है लेकिन अगर कोई यहां उपस्थित नहीं है तो पुकारना जरूरी नहीं है।

श्री **दौलतराम सारण** : सबसे पहला नाम बद्रीप्रसाद जी का था और वह बराबर सदन में थे। केवल मीटिंग के टाइम यहां से गये हैं और उससे पहले रामचन्द्र जी आये का नाम पुकारा गया और उनका नाम नहीं बोला गया। आसन की तरफ से न्याय मांगना मेरा अधिकार है और मैं मांगूगा।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : मगर आप न्याय किस के लिए मांग रहे हैं जो हाजिर ही नहीं हैं उनके लिए न्याय मांग रहे हैं।

श्री **खेतसिंह** : जब आप हमारे साथ थे तो काफी समय था।

श्री **उपाध्यक्ष** : आज समय देना सम्भव नहीं है इसलिए और किसी अवसर पर आपके दल को अधिक समय दे देंगे।

श्री **दौलतराम सारण** : मैं अधिक समय लेकर माननीय सदस्यों का समय नहीं लेना चाहता हूं और उनके साथ मैं इतना अन्याय नहीं करना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : आज तो सम्भव नहीं है।

श्री **दौलतराम सारण** : उपाध्यक्ष जी, यह तो आपको सम्भव करना चाहिए।

श्री **बी. एन. जोशी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। चेयर की रूलिंग के बाद कोई कनवेंसिंग अलाऊ नहीं है और यह माननीय सदस्य का आचरण रूल्स के खिलाफ है।

श्री **दौलतराम सारण** : रूल्स आफ बिजनेस के हिसाब से चलते हैं तो उसके हिसाब से भी हम चलना जानते हैं।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का नाम तो दिया भी नहीं गया है। इनकी पार्टी का समय था और बद्रीप्रसाद जी का नाम दिया गया जो कि उपस्थित नहीं हैं। गैर हाजरी में बद्रीप्रसादजी की पैरवी कर रहे हैं यह उचित नहीं है और नियमों के विपरीत है। इसलिए माननीय सदस्य बैठ जायें और यह रिप्लाई शुरू कराया जाये।

श्री **उपाध्यक्ष** : मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्री **दौलतराम सारण** : उपाध्यक्ष महोदय, यह न्याय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हू कि आपको बाकी समय देना चाहिए। यह हमारे दल के साथ अन्याय है कि आप हमारे दल का निर्धारित समय हमको नहीं दे रहे हैं।

श्री **खेतसिंह** : (श्री दौलतराम सारण के खड़े होने पर) अब तो फैसला हो गया हुजूर। अपील की गुन्जाइश नहीं है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय उपाध्यक्षजी, ...

श्री **दौलतराम सारण** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि आप मेरे दल का निर्धारित समय मेरे दल के सदस्य को दें।

श्री **रामकिशन** : उपाध्यक्षजी, थोडा समय दे दें। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि थोडे समय से कुछ फर्क पडने वाला नहीं है। वह अभी बोल लेंगे तब तक आप बैठ जायं।

श्री **हरिदेव जोशी** (उद्योग मंत्री) : वे खुद तो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और दूसरों को कहते हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : 10-12 मिनिट से ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री **हरिदेव जोशी** : उनकी पार्टी के लीडर का टाइम था वे हाजिर नहीं हुए और उनकी पार्टी के आदमी बोल लिये उसके बावजूद भी इनको तो कहते नहीं हैं और हमको ही कहते हैं। सदन का अनुशासन तो वे खुद खराब करवाते हैं।

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया खड़े होते हैं)

श्री **दौलतराम सारण** : माननीय उपाध्यक्ष आप उदारता दिखाकर तो देखें।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य चेयर को फ्लाउट करते हैं उनको बाहर निकाला जाय।

श्री **दौलतराम सारण** : निकाल दें।

श्री **हरिदेव जोशी** : चेयर की रूलिंग के खिलाफ निरन्तर कार्यवाही माननीय सदस्य कर रहे हैं। जब कि हाउस इस बात से कनविन्स्ड है कि आपको इन्टरप्ट नहीं करना चाहिए और आपने बराबर वह कर दिया है और माननीय सदस्य फिर भी यह निवेदन कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। (विरोधी पक्ष के बोलने पर) आप बार बार चेयर की रूलिंग के बारे में यह एन्करेज करना चाहते हैं कि चेयर की रूलिंग को फ्लाउट किया जाय। अगर यह मन्शा है तो बात दूसरी है अदरवाइज चेयर की कटेगारिकल रूलिंग के बावजूद भी...

श्री **मुकुटबिहारी लाल गोयल** : उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी उदारता दिखाई जाय तो 10 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैंने बहुत नम्र शब्दों में माननीय सदस्य को कह दिया है कि और किसी वक्त समय दिया जा सकता है, और अभी समय के अभाव में समय नहीं दिया जा सकता है। माननीय सदस्य का नाम बोला था उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्षजी, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि जब अकाल के सम्बन्ध में बहस हो रही थी तो अपोजीशन की तरफ से हमने काफी धैर्य रखा और बहुत समय तक बैठे रहे और सरकार ने यह जो आब्जेक्शन किया फिर भी आपने यह कहा कि आसन की ओर से संकेत था तो हमने सुना और 11 बजे तक सुना और गवर्नमेन्ट की तरफ से यह कहा जाता है कि हम कोआपरेशन करें और एक छोटी सी बात के लिए निवेदन किया, गवर्नमेन्ट से निवेदन किया और आसन से निवेदन किया कि आप एक पार्टी का टाइम रह गया है तो उनको दे दें। अगर इस तरह से आप आदर करते हैं आसन और गवर्नमेन्ट अपोजिशन के व्यूज का और इस तरीके से थोड़े से टाइम के लिए जिद करते हैं, चाहे इस जिद में कितना ही टाइम निकल जाय और अपनी जिद रखना चाहते हैं क्योंकि आपकी मेजोरिटी है तो यह अच्छी चीज नहीं है। आप इस तरह से तो समय नष्ट कर देना चाहते हैं लेकिन इस तरह से सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य जितना समय मांग रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थे उससे ज्यादा तो समय नष्ट हो गया और आप इस तरह से समय नष्ट कर रहे हैं तो मुख्य मंत्रीजी भी अपना भाषण नहीं दे पायेंगे इस रूप में। जब तीन घंटे तक परसों परसरामजी बोल सकते हैं तो उस दल को जिसका समय रहता है उसको आप समय नहीं देना चाहते हैं। जनसंघ के लीडर ने आपसे कहा, हमने कहा है, समाजवादी पार्टी ने कहा है, और सारा अपोजीशन कहता है तो आप पोलिटिकल प्रेस्टीज का सवाल बनाना चाहते हैं 10 मिनट के लिए और गवर्नमेन्ट कोई वक्त नहीं देना चाहती है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदेनन्तर सदन की कार्यवाही 6 बज कर 14 मिनट पर आधा घंटे के लिए स्थगित की गई)

(विधान सभा की कार्यवाही पुनः सायंकाल 6 बज कर 38 मिनिट पर प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्षजी, राज्यपाल-महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खडा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में न तो राज्य सरकार के निश्चित कार्यक्रमों का संकेत है और न राज्य सरकार की घोषित नीतियों का ही विवेचन है, और न आने वाले वर्ष में किये जाने वाले कार्यों का ही विवरण है। ऐसी स्थिति में ऐसे अभिभाषण के लिए धन्यवाद देना किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता कांग्रेस ने कुछ नीतियां, कुछ मुद्दे राष्ट्र के सामने रखे थे, लोकतान्त्रिक तरीकों से योजनाबद्ध विकास के आधार पर समाजवादी-समाज व्यवस्था कायम करने का नारा दिया था, नशाबन्दी की घोषणा की थी, धर्म निरपेक्ष राज्य का विश्वास दिलाया था, गुट्ट निरपेक्ष विदेश नीति के संचालन का वादा किया था, पर आज हम देखते हैं कि आज उन सब घोषित नीतियों से कांग्रेस मुकर चुकी है। जहां तक लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रश्न है कांग्रेस शासन लोकतन्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों को मानने को तैयार नहीं है। संविद सरकारों को किस प्रकार भंग किया गया, किस प्रकार देश में लोकतन्त्र की अवहेलना की गई, यह सर्व विदित है, इस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता।

जहां तक समाजवाद का सवाल है, उसके किसी आधार को यह शासन स्वीकार नहीं करता। समाजवाद के मूल आधार उत्पादन वृद्धि द्वारा रखे योजनाबद्ध तरीकों से देश की बेरोजगारी और भुखमरी को मिटाते हुए सबको समान अवसर, सबको समान सुविधा प्रदान करना है पर इस शासन में बेकारी बढती जा रही है, बेरोजगारी बढती जा रही है, विषमता की खाई बढती जा रही है, धनवान और अधिक धनवान होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। योजना का पैसा चन्द परिवारों की जेब में इकट्ठा हो गया है। जो कल तक पन्द्रह बीस करोड का मालिक था वह आज 385 करोड, 388 करोड का मालिक हो

(श्री दौलतराम सारण)

गया है। इस प्रकार आज गरीब गरीब है, वह भिश्ती, वह चमार, वह भंगी, वह नायक आज भी गांवों में उसी प्रकार बेगार दे रहा है। उसका आज भी आर्थिक और सामाजिक जीवन उसी प्रकार रोंदा हुआ है, कुचला हुआ है जैसा कि आजादी के पहले था। गांधीजी ने अपना सारा जीवन अछूतोद्धार के लिये लगाया, हरिजनों को समाज में मिलाने के लिये लगाया, पर आज की कांग्रेस गांधीजी की कांग्रेस के उन सब कामों से दूर जा रही है। आज भी भंगी की वही हालत है जो आजादी के पूर्व थी आज भी वह सिर पर मैला ढो रहा है।

इसी प्रकार की नशाबन्दी की हालत है, जहां तक नशाबन्दी का सवाल है जिस समय राजस्थान बना उस समय 3। करोड की आमद शराब से होती थी, वहां आज 10 करोड की आय शराब से हो रही है, आज घर घर में शराब पहुंच गई है, घर घर में, गांव-गांव में गैर-कानूनी कमीशन एजेंट शराब बेच रहे हैं। इस प्रकार नशाबन्दी के सम्बन्ध में कांग्रेस ने अपनी नीति का जनाजा निकाल दिया है। इसी प्रकार योजनाबद्ध विकास का हाल है। जहां तक साधनों को जुटाने का सवाल है राजस्थान की जनता ने और हिन्दुस्तान की जनता ने अपनी क्षमता से बाहर जा कर साधन जुटाने में सरकार को सहयोग दिया है किन्तु गलत तरीके से योजनाएं बनाई गई हैं जिससे न बेरोजगारी दूर हो सकी है और न उत्पादन ही बढ सका है। आज बेरोजगार करोडों की संख्या में बढते जा रहे हैं। टेक्निकल योजना का नारा दिया गया था लेकिन आज टेक्निकल शिक्षा का दिवाला निकल गया है। 50 हजार इन्जीनियर आज देश में बेकार हैं, वे कन्वोकेशन के समय टी स्टाल्स लगाते और सरकार के सामने अपनी बेरोजगारी का सामूहिक प्रदर्शन करते हैं, उन बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है।

इसी प्रकार अन्य शिक्षितों के मामलों में मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि क्या हाल है, एक पटवारी की जगह के लिये एम. ए., एल.-एल. बी. आते हैं। योजना का अर्थ अधिक साधन उपलब्ध हों यही नहीं, योजना का अर्थ पैसा खर्च करना यही नहीं, योजना का मूल लक्ष्य अधिक उत्पादन करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, गरीबी और भुखमरी को मिटना, विषमता को मिटा कर समानता लाना है। योजना का यह मूल मुद्दा फैल हो गया है और इस प्रकार असमर्थ हुई योजना गलत आयोजनों से राष्ट्र की आय बढाने में, जन सख्या के जीवन स्तर को बदलने में, ऊंचा उठाने में असफल हुई है। आज आबादी बढने का नारा दे कर, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का नारा दे कर सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करना चाहती है। वास्तव में अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि योजनाओं की असफलता के कारण नहीं है, सरकार की गलत नीतियां और गलत नियोजन इसके मुख्य कारण हैं। इसलिये योजनाओं का काम खत्म प्रायः हो रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना जितनी बडी बनाना चाहते थे, उतनी बडी नहीं बना सके। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य स्वावलम्बन था पर आज हम देख रहे हैं कि स्वावलम्बन के स्थान पर आज परावलम्बन बढता जा रहा है। तीन योजनाओं के गलत नियोजनों के कारण देश आज परावलम्बी बन गया है, आज हमारा देश हर क्षेत्र में परावलम्बी बन गया है, अन्न के क्षेत्र में आज हम परावलम्बी हैं, रक्षा के क्षेत्र में

(श्री दौलतराम सारण)

परावलम्बी हैं, हर क्षेत्र में आज हमारा देश राष्ट्र परावलम्बी बन गया है। आज देश के हर व्यक्ति का जीवन खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है, चारों ओर संकट की सी स्थिति बनी हुई है।

आज सरकार की ओर से कानून और व्यवस्था की दुहाई दी जाती है कि शान्ति और व्यवस्था सब जगह है, पर एक एक जिले में साठ, साठ कत्ल हो जायं, कातिलों को सजा नहीं मिले, यह सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करती है। जो जनता का राज कहा जाता है उसमें आज जनता को पूछा नहीं जाता, जनता की कोई सुनवाई नहीं की जाती, जनता को दुत्कारा जाता है, फटकारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, अपमानित किया जाता है।

आज इस लोकतन्त्र की दुहाई देने वालों को सोचना चाहिये कि वास्तव में जनता राज्य की मालिक है या आज राज्य जनता का मालिक है? आज क्या स्थिति है? आज यह स्थिति है कि पैसों के बल पर पदों को प्राप्त करने वाले लोग, पक्षपात के बल पर बढने वाले नौकरशाह आज लोकतन्त्र के मालिक बने हुए हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सबको इस चीज पर सोचना चाहिये कि किस तरह के अनैतिक साधन और तौर-तरीके आज समाज पर हावी हो रहे हैं। आज ऐसे लोग उपदेश देते हैं, ये कालेजों में जाकर के दल बदलू नीति की निन्दा करते हैं, पर जो स्वयं दल बदलू नीति के इन्चार्ज हैं, जिनकी बुनियाद, जिनकी पैदाइश ही दल बदलने से है, वे दल बदलुओं के खिलाफ बोलते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य का मुख्य मंत्री दल बदलने के खिलाफ बोलता है, उसको कोई अधिकार नहीं दल बदलने के खिलाफ बोलने का, क्योंकि उन्होंने स्वयं दल बदलने की नीति को जन्म दिया है, उन्होंने लोकतन्त्र की मर्यादाओं का, नीतियों का उल्लंघन किया है और कांग्रेस की नीतियों को सेबोटेज किया है, कांग्रेस को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। आज भी मेरे कई मित्र हैं जो कांग्रेस की अच्छी नीतियों में विश्वाश करते हैं, वे आज इन सब अनैतिक तौर-तरीकों को देख कर तडपते हैं, बेचैन हैं, वे आवाज नहीं निकाल पाते, उन पुराने कांग्रेस मैनों को ये दबोचे हुए हैं। लेकिन मैं मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि कर्त्तव्य के सामने लोभ और मोह नहीं आना चाहिये, नहीं तो हम गुनाहों में शामिल होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ईमानदार कांग्रेसजन हैं जो कांग्रेस की सही नीतियों में विश्वास करते हैं, उनको आज इस कांग्रेस संचालित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना चाहिये और सही व्यवस्था, सच्चे माने में लोकतान्त्रिक व्यवस्था हमारे देश में कायम हो, इसमें उन्हें मदद करनी चाहिये।

शासन की ओर से एक ओर अकाल की दुहाई दी जाती है, पर अकाल की स्थिति को ये स्वीकार नहीं करते, कहते हैं अभाव की स्थिति है, यह इनका तौर-तरीका है। अकाल की स्थिति होने पर कई जगह राहत कार्य चालू नहीं करते, और जहां काम होता है वहां हालत यह है कि महीने डेढ महीने तक मजदूरी नहीं चुकाई जाती है, वहां पर अनाज की व्यवस्था नहीं है, सडा गला अनाज वहां मजदूरों को दिया जाता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं काफी गांवों का दौरा करके आया हूं, वहां इन दिनों में बारह, तेरह आदमी तडफडा कर मर गये, सडा गला अनाज खाने के कारण अस्वस्थ हो कर मर गये। फालेरी

(श्री दौलतराम सारण)
कैम्प पर चारे की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, मजदूरों को सम्हालने की व्यवस्था नहीं। यह अकाल का दावा राज्य सरकार की नजरों में है। दूसरी ओर फिजूल खर्चियां की जा रही हैं, अतिरिक्त पदों का निर्माण किया जा रहा है, मन्त्रिमण्डल की वृद्धि लगातार चल रही है, टेलीफोनों और जीप गाडियों का व्यय हृदय-विदारक तरीके से बढ रहा है, जिस जीप को देखो उस ही में इन सरमायेदारों के बीवी बच्चे सर्राटे से जीपों में दौड रहे हैं, इस सब पर राजस्थान सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। विकास और निर्माण के कार्यों में खर्च करने के लिये आपके पास पैसा नहीं पर प्रशासन को सुधारने में, नियमों के अनुसार प्रशासन से कार्य कराने में तो कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है; उसमें तो आपकी नेकनियती और मर्यादाओं की आवश्यकता है। पर आज प्रशासन की जो हालत है, उसको राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि कांग्रेस ही राजस्थान में चिर शासन, स्थाई सरकार दे सकती है। लेकिन 15 साल से मुख्य मंत्री रहने वाले राजस्थान के मुख्य मंत्री ने, उनके शासन ने राजस्थान को क्या दिया ? राजस्थान को भ्रष्टाचार दिया, जनता को प्रशासन द्वारा अपमान दिया, सुनवाई की उपेक्षा दी और निरादर दिया। आज प्रशासन राजनैतिक नेताओं की कठपुतली है, मंत्री मंडल के इशारे पर नाचता है, नियमों और विधान के अनुसार काम नहीं करता और विकास के नाम पर कोई पैसा नहीं, अकाल अनावृष्टि, अतिवृष्टि और परिवार नियोजन की बात कहते हैं। लेकिन कहां ? जीपें दौड रही हैं। जहां एक वर्गमील में 6 आदमी बसते हैं, एक वर्गमील में 15 आदमी बसते हैं वहां परिवार नियोजन की जीपें दौड रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है, फर्जी बिल बन रहे हैं।

इस तरह की बुद्धिहीन योजनाओं, बेईमानी की योजनाओं व अनावश्यक योजनाओं पर खर्च होता है। लेकिन वहां की जनता परिवार नियोजन नहीं चाहती, पानी चाहती है, रोजगार चाहती है, रोटी चाहती है, पशुओं के लिए घास और चारा चाहती है लेकिन वह नहीं मिलता। उसके बजाय लूप लगवाओ, नस कटवाओ। ये योजनायें विवेकहीन हैं। स्थिरता और विकास के अवसर देने की जो बात कहते हैं वह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने लाल आंख दिखा दी इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री मोहन लाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, मेरे पूर्ववक्ता बहुत जोश खरोश से बोल रहे थे, कांग्रेस शासन की सब खराबी ही खराबी नजर आई कि उसने कुछ नहीं किया। आज से दो साल पहले आप भी उसी के अंग थे और मैं समझता हूं कि पहले के वर्षों में जो काम हुआ वह तो अच्छा ही था, आखिरी दो साल में ही खराब हुआ, यह तो कहते।

(6.54 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दौलतराम सारण: वह साल बराबर लडने में गए ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मुझे यह सुनकर भी ताज्जुब हुआ कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि करोडपति हो गए, गरीब गरीब हो गए । 1967 के चुनाव में मैं देख रहा था कि आपकी पार्टी बिडलाजी का झंडा लिए घूम रही थी । और अब आप खडे होकर यह बात करें । मुझे क्षमा करें, आपकी बात के पीछे कितना सिद्धांत और गहराई है, यह समझने में मैं असमर्थ हूं । जैसे दो साल पहले के काम को आप खराब कह सकते हैं, पूंजीवाद को भी आप खराब कह सकते हैं । आप कहते हैं कि हम दल बदलुओं को जन्म देने वाले और दल बदलुओं की वजह से हम हैं । भारतीय क्रांति दल का जन्म कहां हुआ और कैसे हुआ है, उसको आप ज्यादा जानते हैं । चरणसिह अगर कांग्रेस ।

श्री दौलतराम सारण : चरण सिह

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कृपया आप बीच में न बोलें । मैंने भी आपको प्रेमपूर्वक सुना है, आपको भी सुनने का माद्दा रखना चाहिए । गरीबों की बहुत भलाई करने वाले यू. पी. में जिन गरीबों के साथ क्या बीती है, उसको भारतीय क्रांति दल जितना जानता है, उतना कोई भी नहीं जानता, वहां के हरिजन जितना जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता है । अच्छा होता कम से कम माननीय सदस्य गरीबों के नाम पर बिडलाजी की दो साल पहले पैरवी करने वाले आज हमें भला बुरा न कहते तो ज्यादा उपयुक्त होता ।

अलवर से आने वाले माननीय रामानन्दजी का कहना हितकर हो सकता है लेकिन उन्होंने यह कहा कि स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस वाले एक हो गए स्वतंत्र पार्टी वालों ने यू.पी. में कहा है कि सरकार का साथ देंगे और रामानन्दजी 1967 के बाद आपने स्वतंत्र पार्टी का साथ देने का एलान किया था । यू.पी. में स्वतंत्र पार्टी अब कांग्रेस का साथ देने की बात कहती है । आप उनसे समझौता कर सकते हैं लेकिन आपको ऐतराज यही है कि कांग्रेस की स्थिरता में कोई पार्टी क्यों मदद कर रही है ।

यहां पर योजनाओं के संबंध में कहा गया, राजस्थान में पिछले वर्ष क्या हुआ, उस संबंध में कहा गया । यह बताया गया कि राजस्थान में 15 साल के अन्दर कुछ मिला तो गरीबी मिली, भूखमरी मिली, भ्रष्टाचार मिला लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान जमीन का मालिक नहीं था, जिस किसान को पता नहीं था कि कल वह जमीन का मालिक भी रहेगा या नहीं, दूसरे राज्यों में उनको खातेदारी हक देने से पहले उनसे मुआवजा लिया गया कई गुना, तब जाकर खातेदारी हक उनको प्राप्त हुए हैं । आज हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसने एक ही रात के अन्दर हरेक किसान को मालिक बना दिया । कम से कम यह तो कहो कि 15 साल में दो साल के अलावा 13 साल तो शासन अच्छा था, यह तो कहो । लेकिन जब आप बोलने लगते हो तो भूल जाते हो उसका खयाल होता है वह परिवर्तन नजर नहीं आता । इस बात का पता नहीं आपको चला कि किस प्रकार गांवों में रहने वाले लोगों

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

को पढना लिखना उपलब्ध नहीं था, स्कूल नहीं, गांवों में सडकें नहीं, बिजली का पता नहीं, राजधानियों के अन्दर कुछ नजर आते थे, उनके सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। किसानों से मेहनत कराने वाले मौजूद, बेगार लेने वाले मौजूद। हिन्दुस्तान में अगर कहीं सामाजिक क्रांति सबसे पहले हुई है तो राजस्थान में हुई है, जहां आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। आज हमारे लिए कहा जाय जैसे रामानन्दजी ने कहा, उदयपुर के महाराणा साहब से बातें कर रहे हैं, जयपुर के महाराजा साहब के साथ प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट करदूं कि राजा-महाराजाओं के प्रति मुझे व्यक्तिगत द्वेष नहीं। मैंने जो कुछ किया है शिष्टाचार और आदर के नाते किया है और करता रहूंगा चाहे वे विरोध में होंगे लेकिन कोई राजा महाराजा कांग्रेस का विरोध करने के लिए सामने आए तो जाकर खुशामद करने के लिए उनके पास नहीं गया। एक भी उदाहरण बता दें। यूं आप कहो कि लडो, बिगाडो अपने संबंध तो मैं आप से प्रेरणा नहीं लेने वाला हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस भाषण से आपने अपना परपज सर्व कर लिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा, मैंने उसका जवाब दिया। वह कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रियावादी नीति रही है या दूसरी नीति रही है, तो हमारे तो शिष्टाचार के और आपसी संबंध हैं लेकिन आपने डूंगरपुर महारावल ने अपना नेता स्वीकार किया था। इंकार क्यों करते हैं? कांग्रेस का शासन उन्हीं के जरिए परिवर्तन करने वाले दस्तखत करने वाले आप थे तो फिर शिकायत क्यों करते हो? मुझे आश्चर्य है जहां भी समझौता हुआ, यूनाइटेड फ्रंट कैसे ही बनता हो, हमारे साम्यवादी मित्रों को एक ही बात ध्यान में रहती है कि किसी तरह इस देश के अन्दर गडबडी हो, जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं, वे कमजोर हो जायं, तो रास्ता सुगम हो। एक नीतिबद्ध तरीके से यह समझौता हो फिर कांग्रेस कमजोर हो जाय तो दूसरों के साथ धीरे 2 निपट लेंगे। आप जिस नीति के आधार पर चल रहे हैं वह नीति ठीक है मैं ऐतराज नहीं करता लेकिन दूसरों को जो आप कहते हैं कि आप किसी से क्यों समझौता करते हैं, आप के लिए क्यों ऐसा होना चाहिए तब ऐतराज होता है। आज देश में अशांति हो, विघटन हो या और कुछ हो, इस बारे में जो नीति ठीक लगती है उसको अपनाते हैं।

(7 म.प.)

मैं अभी माननीय उपाध्यक्षजी, कह रहा था कि इस राजस्थान के अन्दर जो सामाजिक क्रान्ति हुई है, आर्थिक क्रान्ति भी काफी हद तक हुई है, उसके आधार हैं। जो किसानों की हालत पहले थी उसमें आज क्रान्ति आयी है। शिक्षा की दृष्टि से, भ्रष्टाचार नहीं दिया गांव गांव में, किन्तु ज्ञान के लिये स्कूल खोले हैं गांव गांव में। गांव में चले जायं आपको एक क्रान्ति मिलेगी। जिस राजस्थान में नहरों से 9 लाख की सिंचाई होती थी सारे पुराने इतिहास में वहां आज 20 वर्ष में 9 लाख से बढ़ कर 27

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लाख एकड तक पहुंच गयी है और आने वाले वर्षों में पचास लाख एकड पर सिंचाई होगी उसके लिये कदम उठाये गये थे।

कोई राष्ट्र या प्रदेश कुछ वर्षों में नहीं बन जाते हैं और खास तौर से वह राष्ट्र और वह प्रदेश जिसमें हर तरह से पिछड़ापन रहा हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन रहा हो, या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा रहा हो, हमारे यहां पर एक एक योजना में आगे बढने का प्रयत्न किया गया है। राजस्थान बना था तो उस समय कितने कारखाने थे ? कितनी बिजली राजस्थान में उपलब्ध थी ? मैं आंकडों में नहीं पडना चाहता, आप सब ही जानते हैं। गवर्नर महोदय के भाषण में भी कहा गया है। आज बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकी है उसके जरिये नये नये कल कारखाने लगा सके हैं। इस उपलब्धि को न मानें। इस धरती के नीचे छिपा हुआ धन है, ताम्बा, शीशा, फ्लोराइट, लाखों वर्षों से यह धन छिपा हुआ था, बीस वर्ष के राज्य में कांग्रेस ने देश की बेहबूदी के लिये उनका पता लगाया। यह भी उपलब्धि नहीं मानी जावेगी ? प्राथमिक काम करने के लिये वर्षों लग जावेंगे। पोंग डैम बनेगा, सिंचाई होगी। कौन जैसलमेर में और बीकानेर में बैठ कर सोच सकता था कि हमारे वहां भी नहरें आवेंगी। जैसलमेर जिले में 11 लाख एकड में पानी पहुंचे उसके लिये योजना हाथ में लेकर चला जाय उसको उपलब्धि न मानी जाय। आज माही योजना का काम किया जाय उसे योजना का आधार नहीं माना जावेगा। बिजली पहुंचाई जाय चम्बल को बांध कर तो उसको आधार नहीं माना जावेगा। एटोमिक पावर से बिजली उपलब्ध होगी उसको नहीं माना जावेगा। राजस्थान में जहां एक मेडीकल कालेज चलता हो और उसकी जगह पांच पांच मेडिकल कालेज खुल जायें उसको आधार नहीं माना जावेगा, जहां एक भी इन्जीनियरिंग कालेज न हो वहां दो दो इन्जीनियरिंग कालेज हों, वेटरनरी कालेज हों, पोलिटेक्निक और आई. टी. आई. हों इन सारे कामों के बाद उपलब्धि नजर नहीं आवेगी तो स्वाभाविक बात है, दृष्टि हो उपलब्धि देखना चाहें तो उपलब्धि दिखेगी और कोई उपलब्धि नहीं देखना चाहे अन्धेरा देखने की बात आती है तो अंधेरा नजर आवेगा। मैं इस बात का मानने वाला रहा हूं और शायद विरोधी दल के माननीय सदस्यों के मन में भी यह इच्छा होगी कि राजस्थान तेजी से आगे बढ़े, मेरे मन में भी वैसी ही बात है। राजस्थान जिस तेजी से बढना चाहिये था उस तेजी से नहीं बढ पाया। कुछ परेशानियां हैं इसके पीछे लेकिन उसके साथ साथ क्या यह सच नहीं है कि योजनाओं के जरिये खेती में लाभ पहुंचा है। बिना पानी के सौ बीघा में भी पहले खेती कर लेता तो उसके लिये रोजगार उपलब्ध नहीं होता था और आज पानी है और 25 बीघा में भी यदि खेती कर लेगा तो उसको पूरा रोजगार मिल जावेगा बिजली आयी तो क्या उससे रोजगार नहीं मिला ? तो इन साधनों का उपलब्ध कराया गया। हमारी दृष्टि उधर है। और हम इन योजनाओं को हाथ में लेकर चलना चाहते हैं।

माननीय सदस्य जानते हैं चीन के हमले के बाद और कई प्रकोप हमारे सामने आये जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था को धक्का लगा। जो अर्थ व्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना में

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

काफी गतिशील हो चुकी थी उसमें फर्क आ गया। फौजों पर खर्चा बढा और आवश्यक होते हुए भी उत्पादन के लिये खर्च नहीं होता। उसका असर आया। पहली पंचवर्षीय योजना में 54.41 करोड रुपया खर्च हुआ, दूसरी योजना में 103.10 करोड रुपया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 212.70 करोड खर्च हुआ। पिछले तीन वर्षों में 1966-67, 67-68 में 68-69 में 137.56 करोड रुपया खर्च हुआ। इसी प्रकार 507.77 करोड रुपया विभिन्न योजनाओं में जो पंचवर्षीय योजनायें मानी जाती हैं, राजस्थान में खर्च किये गये। एक बात और ध्यान में रख कर चलें कि 507 करोड हुए, 507 करोड ही नहीं एक प्लान पीरियड में स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं वह प्लान का खर्चा कहलाता है लेकिन दूसरे साल वह कमिटेड एक्स्पेन्डीचर हो जाता है। विकास तो हो गया लेकिन दूसरे साल वह रेवेन्यू एक्स्पेन्डीचर का हिस्सा बन जाता है। महारावल साहब ने भी कहा। तब्दीली हुई है जैसा मैंने निवेदन किया बहुत कुछ करना शेष है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जिक्र किया गया। जो नेशनल डेपलपमेंट कौंसिल की मीटिंग्स हुई उनमें जोर दिया गया। जहां तक राजस्थान का सवाल है राजस्थान के सामने एक परेशानी रही है और यह रही है कि अपने साधनों को जुटा कर आमदनी बढाये, जैसा मान लीजिये महाराष्ट्र है जहां पहले से ही बडे उद्योग लगे हुए हैं, बंगाल है वहां पहले से ही बडे उद्योग लगे हुए हैं, वह वहां पर टैक्स लगाते हुए भी जो माल बाहर जाता है उससे इन्टर स्टेट टैक्स की आमदनी उन लोगों को हो जाती है। जो रोजगार मिलता है उससे और खरीद फरोख्त होती है उससे सैल्स टैक्स और दूसरे से उनकी आमदनी और बढ जाती है। उनके मुकाबले में राजस्थान की स्थिति दूसरी है। फिर भी राजस्थान में हम आज देख सकते हैं कि कोटा में पचास लाख के आस पास तनख्वाह चुकती है तो एक तब्दीली तो आयी है और दूसरे हिस्से में भी यह सम्पत्ति बढ़ेगी तो अन्तर नजर आने लगेगा।

इस राजस्थान में पंचवर्षीय योजना न होती और उनके बिना चला जाता जैसा विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि पंचवर्षीय योजनाओं में होली डे करिये और फिर आगे चलिये, मैं निवेदन करूं कि होली डे करने का परिणाम क्या होता और क्या होगा ? सदन को विचार करना होगा कि जो समस्या आज देश में उत्पादन बढाने की है, खेती के लिये उत्पादन हो, कारखानों से उत्पादन हो, उसके लिये पैसा चाहिये। जो मंहगाई और दूसरे प्रश्न हमारे सामने आये उससे बचत के रास्ते कम हुए और उसके कारण बजट बढ़ता चला गया और जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव चेनल में लगना चाहिये उसमें अन्तर हुआ। प्रोडक्टिव चेनल्स के रास्तों को बन्द कर दें और यह सोचें कि योजनाओं को रोक दें, कर्जा लेना बन्द कर दें, मैं निवेदन करूंगा कि एक हद तक ठीक है कि कर्जा न लेना पडे और हम योजनाओं को पूरा कर सकें यह बहुत आदर्श की बात होगी, तो क्या आगे कर्जा न लेकर पोंग डेम और राजस्थान

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

कैनाल को बन्द कर दें ? विकास के कामों को बन्द कर दें ? नहीं, कर्जा लेकर आज राजस्थान की ताकत को बना दें जिससे आगे बढ कर काम कर सकें । शुरुआत में यह प्रश्न आवेगा । सब के सामने आवेगा और संसार के देशों के सामने यह प्रश्न आया है हमेशा। रूस और चीन के ही इतिहास को उठा कर देख लीजिये । सब ही में शुरुआत में संकट और परेशानियों के अवसर आते हैं । हमारे सामने भी हैं । उनको देख कर आगे बढना चाहिये ।

राजस्थान को किसी ऐसे फार्मूलों से जोडा जाय, पापुलेशन का आधार हो, तो राजस्थान जैसे पिछडा हुआ प्रदेश और भी पिछड जावेगा । लेकिन ऐसा खयाल रखा जाय कि ऐसी योजनायें हों जिनसे कुछ वर्षों के बाद लाभ प्राप्त हो जाय । राजस्थान जैसी स्टेट में जहां पर-केपिटा इन्कम कम हो, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स, डेजर्ट और भीली एरिया ज्यादा हो, उस एरिया को वेटेज देना चाहिये, और क्या फैसला हुआ अखबारों में पढा होगा कि कुछ स्टेट्स के लिये अलग 2 आंकडे आते हैं....

राजस्थान के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के संबन्ध में प्लानिंग कमीशन से सेन्ट्रल असिस्टेन्स के लिये कहा है । इस संबन्ध में 217 करोड रुपया सेन्ट्रल असिस्टेन्स का और 19 करोड रुपया जो इन्स्टालमेन्ट का है इस प्रकार से 236 करोड रुपये के लिये कहा है । हमने यह भी कहा है कि 236 करोड रुपया उपलब्ध होने पर भी उससे चौथी योजना का प्रारूप ठीक नहीं बनता है । हमने यह भी कहा कि अपने साधन भी जुटाने में प्रयत्नशील हैं इसमें 236 करोड से हमारी योजना ठीक प्रकार से नहीं बन पायगी । इसके अलावा खास तौर से पीने के पानी का सवाल है इसलिये इसमें कुछ और वृद्धि की जाय । अब भी यह विषय विचाराधीन रहा है जहां तक प्लानिंग कमीशन से हमारी बातचीत का सवाल है ।

सब से बडा सवाल यह सामने आया है कि जिस प्रकार से तीनों योजनाओं का पेटर्न रहा है । उस प्लान पेटर्न से लोन देने का रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर और सेन्ट्रल असिस्टेन्स यह ऐसा पेटर्न था उसका परिणाम यह हुआ कि जो स्टेट्स वेल-टू-डू थीं वे लोन वाले कोम्पोनेन्ट के बजाय रेवेन्यू कोम्पोनेन्ट से ज्यादा लाभ उठाने में कामयाब हुईं । हम पर लोन कोम्पोनेन्ट का तीन योजनाओं में हिस्सा बढा है, वह तीन योजनाओं का परिणाम है । चौथी योजना के लिये जो 217 करोड दिया जा रहा है उस बारे में जहां तक मेरी जानकारी है मैं मानता हूं इस बार प्रोपोर्शन लोन का, रेवेन्यू एक्स-पेण्डीचर का और सेन्ट्रल असिस्टेंस का इस प्रकार से होगा जिससे किसी एक स्टेट पर ज्यादा वजन नहीं होगा । इसकी वजह से लाभ प्राप्त होगा ।

आज हमारे सामने चौथी योजना का जो प्रारूप है उसके अनुसार केपीटल अकाउन्ट के वापिस रि-पेमेन्ट का सवाल ज्यादा गम्भीर बन जाता है । फाइनेन्स मिनिस्टरी से इस रि-पेमेन्ट के बारे में जिन पर ज्यादा लोन्स हैं उनका क्या शिलिंग

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

हो इस बारे में स्पष्टिकरण नहीं हुआ है। आज तक प्लान का जो रूप है वह प्लानिंग बोर्ड के सामने केवल कल्पना है कैपिटल असिस्टेन्स कितना हो इस बात की पूरी जानकारी पूरी योजना बनने पर ही सामने आयेगी। जो साधन चौथी योजना के लिये हमें जुटाने होंगे उससे, हम निश्चित् तौर से यह मानकर चलते हैं कि हमारी चौथी योजना निश्चित् तौर से राजस्थान को आगे बढाने वाली होगी।

श्री भैरोंसिह : उसके लिये हमें कितना जुटाना होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह आपको परसो पता चल जायगा।

आज माननीय सदस्य यह भी कहते हैं हमें राजस्थान केनाल को पूरा करने के लिये सारा पैसा लगा देना चाहिये। सांभर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिस इलाके से जितना धन प्राप्त होता है वह उसी इलाके में लगा देना चाहिये। अगर इसी सिद्धान्त को लेकर चला जाय तो राजस्थान को कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं। और उसके बिना राजस्थान एक इंच भी आगे नहीं बढ सकेगा।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है गंगानगर से इतना लेते हो उतना खर्च नहीं करते। मैं समझता हूं कि जितना गंगानगर जिले पर खर्च होता है उतना यदि दूसरे जिलों में बांट दिया जाय तो काफी सन्तोष उन जिलों को हो सकता है। वहां पर खर्चा हो रहा है कृषि के अनुसन्धान के लिये जहां तक उस इलाके के विकास का सवाल है उस पर विचार किया जा सकता है। चाहे जयपुर हो चाहे दूसरे इलाके हों सब को आगे बढाने का प्रयत्न किया गया है।

चौथी योजना काल में दरअसल जरूरत इस बात की है कि हमारी योजना सफलता पूर्वक चले जिससे देश में अन्न का उत्पादन अधिक से अधिक हो। हम कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नति कर सकें। इसी दृष्टि से सिंचाई, बिजली को प्राथमिकता देकर चल रहे हैं जिससे ज्यादा उत्पादन हम बढा सकें।

उपलब्धियों के बारे में भी बातें कही गईं। मैं आपसे निवेदन करूं पिछले वर्ष इस राजस्थान के अन्दर 65 लाख टन के करीब खाद्यान उत्पन्न हुआ बमुकाबले पहले। क्या यह उपलब्धि नहीं है ? ये सब सिंचाई के साधन बढने के कारण नहीं हुआ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रकृति की कृपा भी हो सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करूं प्रकृति की कृपा का जहां तक सवाल है कुछ अंश तक वह भी थी। केवल कृपा गत साल ही हुई हो ऐसी बात नहीं पहले भी प्रकृति कृपा करती रही है। आप पहले के आंकडे को और इनको उठा कर देखेंगे तो आपको अचीवमेन्ट्स का आभास अपने आप हो जायगा। आप तुलना करना चाहते हैं तो 51 से 54 तक का औसत निकाल लें और पिछले तीन वर्षों

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

का औसत निकाल लें आपको पता चल जायगा कितना अधिक उत्पादन हुआ है। इसको आप भी मानेंगे यह सब योजनाओं का परिणाम है। ज्यादा सिंचाई हुई, ज्यादा फर्टीलाइजर मिला, अच्छे सीड्स काम में लिये गये इससे उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हुई है जो हमारे सामने है।

हम चौथी योजना में अपने प्रान्त को और भी तेजी के साथ आगे बढा सकें इस कार्य में सभी माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिससे चौथी योजना का प्रारूप ठीक और अच्छा बन सके और हम प्रान्त की प्रगति कर सकें।

श्री लादूराम सुलाणियां : आपने जयपुर की सिंचाई की योजना की क्या प्रगति बतायी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : एक माननीय सदस्य ने कहा स्टेट और सेन्टर के रिलेशन्स के बारे में कि आज यह प्रश्न सभी के सामने उपस्थित होने लगा है। मैं ऐसा समझता हूं देश का पुराना इतिहास रहा है। आज देश के अन्दर विघटनवादी प्रवृत्तियों के कारण खतरा पैदा हुआ है उसको देखते हुए राज्य सरकार और केन्द्र के बीच ज्यादा ठीक सम्बन्ध रहें, केन्द्रीय शासन सुदृढ़ रहे यह आज की परिस्थिति में देश के लिये बहुत आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये जिससे कि देश विघटन की ओर बढे। इस पर सारे पहलू को देखकर हमें निर्णय करना होगा।

कई बातों की ओर भी चर्चा की गई मैं उन चर्चाओं के अन्दर पडना नहीं चाहता। कई बातें भिन्न भिन्न विभागों की डिमांड्स से ताल्लुक रखने वाली हैं, जब उन पर विचार होगा उस समय उनका उत्तर दे दिया जायगा।

लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की जो स्थिति है अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो आप स्वयं यह मानेंगे, अन्य राज्यों की अपेक्षा लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति यहां पर काफी ठीक रही है इसके अन्दर ना कह कर नहीं चल सकते।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मजदूरों के बारे में कहा कि उनके अन्दर जबरदस्त असन्तोष है। जहां तक केन्द्रीय कर्मचारियों का सवाल है वह प्रश्न हमारे भी विचाराधीन है इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय करेंगे। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के अन्दर सब से बडी लेबर किसी स्टेट एन्टरप्राइज में है तो वह इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में है। राजस्थान के इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के मजदूरों को वेतन, महंगाई भत्ता और बोनस दिया जाता है उसमें राजस्थान किसी दूसरे स्टेट से पीछे नहीं है बल्कि कई स्टेट्स से तो आगे है। हम भी जानते हैं साम्यवादी राजनैतिक दृष्टि से काफी हितचिन्तक श्रमिकों के बनते हैं। पर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी साम्यवादी पार्टी से सम्बन्धित, जितनी मजदूर यूनियनें हैं, कांग्रेस से सम्बन्धित इन्टक की उससे कहीं बहुत अधिक है, यह भी मैं निवेदन कर दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बैलट से फिर चुनाव कराने से क्यों कतराते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जो हैं वे भी टूट रही हैं । तो बोगस होने का प्रश्न खडा नहीं होता । बोनस के लिये कहा । इसमें मुझे ऐतराज नहीं । मिनिमम वेजेज के साथ लिंकिंग हो टैक्सटाइल वालों के साथ आगे क्या हो इन सब बातों पर विभाग विचार कर रहा है और इसमें भी अन्तर पडेगा ।

रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने रेवीन्स के बारे में और दूसरी जमीनों के बारे में जिक्र किया और कहा कि इन जमीनों के बारे में विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये । एक हद तक ठीक है बात उनकी । जितना हो सकता है, किया जा सकता है । पर आज हमारे सामने प्रश्न प्रायोरिटी का है । जो धन और जो साधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं वह एक सीमित मात्रा में हैं । अब उसको किस प्रायोरिटी से खर्च किया जाय, योजना में किसको क्या प्रायोरिटी दें, किन चीजों के लिये कितना कब कैसे खर्च करें, रेवीन्स या इस तरह की जमीन पर पहले खर्च करें या जमीन जो आज उपलब्ध है उस पर पानी पहले पहुंचाने पर खर्च करें, या पीने के पानी को या कुओं के ऊपर बिजली को प्रायोरिटी पहले दें कौन चीज कितनी आवश्यक है । तो इस वजह से कि समस्या सामने नहीं है, इसलिये खर्च नहीं कर सकते, यह बात नहीं है, समस्याएं सभी ध्यान में हैं और सभी पर भी जितनी जितनी उपलब्धि धन की होगी उस हिसाब से उन सब पर भी कार्यवाही करने के लिये सरकार विचार करेगी ।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक सदस्य ने ने कहा कि राजस्थान में मरीजों को दूध नहीं मिलता और चीजों की कमी है । मैं भी मानता हूं । मैं भी इस बात का दावा नहीं करता कि हर मरीज को दूध पूरा मिलता है या अस्पतालों में हर तरह की दवाइयां उपलब्ध होती हैं । पर जितनी राजस्थान की आमदनी है उस को देखते हुए आज सारे हिन्दुस्तान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, यह कह सकता हूं कि इन खामियों के होते हुए भी जितना सस्ता और अच्छा मैडिकल ट्रीटमेन्ट राजस्थान में उपलब्ध है दूसरे प्रदेशों में नहीं है । इस बात को कह कर चल सकता हूं ।

इस तरह शिक्षा के बारे में भी कह कर चल सकता हूं । मूल चीजों पर हमने ध्यान दिया है और इस वजह से केरल जैसी जगह जहां पर ज्यादा तर एजूकेशन की संस्थाएं निजी हैं, ग्रान्ट-इन-एड पर ज्यादा खर्चा होता है, पंचायत समिति के अन्तर्गत हैं, जिन पर मेजर एक्सपैण्डीचर करना पडता है, आप महाराष्ट्र और गुजरात में जावें, वहां सेकण्डरी और प्राइमरी स्कूलें प्राइवेट ज्यादा मिलेंगी । उन पर सरकार की तरफ से खर्चा कम मिलेगा । पर राजस्थान में अधिक जगह सरकारी स्कूलें मिलेंगी । गांवों में, दूसरी जगह, सेकण्डरी मौजूद हैं सरकारी हैं, राजस्थान में आदिवासियों और हरिजनों के लिये कहा गया । मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जितनी जमीनें राजस्थान में उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया गया है बहुत कम जगह ऐसा मिलेगा । यह ठीक है कि आवश्यकता बहुत है । भूमि कम है । हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक करोड के ऊपर जमीन उपलब्ध है तो फिर हम क्यों नहीं उसका बटवारा करते हैं । मैं उनसे ही पूछता हूं कहां है ऐसी

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
जमीन ? अलवर के हरिजनों के लिये ही वे बता दें ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कमीशन की रिपोर्ट पढ़िये ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : बाडमेर और जैसलमेर में उपलब्ध हैं ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इस एरिया में भी है । 50।60 पर्सेन्ट ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : तो वहां कितने लोग खेती करने जावेंगे यह भी देखना पडेगा तो संक्षेप में मैंने इन चीजों का जिक्र किया है जिनका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद विवाद के सिलसिले में किया गया ।

बेरी कमीशन के बारे में इस सदन में काफी वक्त तक चर्चा होती रही दोनों तरफ से । अच्छा होता कि परम्पराओं के अनुसार जो फेक्ट फाइंडिग कमीशन बेरी साहब का कायम किया गया था उसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं होती । उस बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर नोहर से आने वाले सदस्य को भी बोलने का उत्साह प्राप्त हुआ । उसका अवसर प्राप्त न भी होता तो कोई हानि नहीं होती उस रिपोर्ट की ।

श्री **भैरोंसिंह** : आपको कैसे पता लगता ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : आपने ज्यादा सुना है उनको । तो मैं माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पहले भी यहां पर कहा गया है । यह सरकार के विचाराधीन है और इस पर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा । मैं, उपाध्यक्षजी, यह कहा जाता है कि लोगों के खून से होली खेल कर हमने सरकार कायम करने का षड्यन्त्र किया, बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिये हमारा अल्पमत था और जब कह दिया था कि 20 तारीख को विधान सभा मिलने वाली है, बाद में 20 की भी 14 तारीख करदी थी तो क्या इस पर जनतन्त्र का यह तकाजा नहीं था कि रास्तों में और सडकों पर इसका फैसला करने के बजाय इस सदन में आकर करते । अगर हमारा बहुमत नहीं था तो हमें अपदस्थ कर देते ।

(सरकारी बैंचों की तरफ से हीयर हीयर)

श्री **भैरोंसिंह** : यह जनता ने किया था या आपकी सरकार ने किया था ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : इस बात को भी दोहराया जाता है कि एक शख्स की वजह से हमारी सरकार बन गई । सब जानते हैं कि इन सारे तूफानों के बीच में राजे, महाराजे, वी. के. डी., जनसंघ के समझौते के बाद में हालत जो पैदा हुई, उसमें भी 89 सीटों पर जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर जिताया था । इसके अलावा इसके बाद जो तीन सदस्य हमारे में शरीक हुए तीनों इण्डिपेण्डेण्ट थे, दीपचन्द छंगाणी, हाजी और हरिसिंह बेगूं । जनता के मत के मुताबिक हम 92 थे और आप भी 92 थे । जहां तक जनता के वोटों का सवाल था ग्रुप डिफेक्टरों की वजह से हम बहुमत में नहीं हुए, इण्डिपेण्डेण्टों के सपोर्ट पर हम बहुमत पर थे । फिर इसके बाद

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

आप इन्तजार कर सकते थे सदन के लिये। इस जिम्मेदारी को भी समझ कर चलने की आवश्यकता है।

बेरी कमीशन की फाइंडिंग्स के बारे में दो रोज और चर्चा चलने वाली है। वहां भी सारी बातें और सामने आवेंगी। बेरी कमीशन की रिपोर्ट में जिन पुलिस वालों के बारे में कहा गया है, उनमें एक पल्टन यहां की थी, दो यू. पी. की थी। जो रिपोर्ट बेरी कमीशन की आई है यू. पी. सरकार को उनके कमेण्ट्स के लिये भी हमने अपनी तरफ से भेज रक्खी है। जो नई गवर्नमेन्ट बनी है हमने उसके पास में कमेन्ट्स के लिये भेजी है और सारे हालतों को देखते हुए सारी बातों को समझकर आशा है वे आवश्यक निर्णय लेंगे।

मैं इतना और कह दूं, जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी दुर्भाग्य से इसके अन्दर चोट लगने से मृत्यु हुई है, इसके बारे में एक्स ग्रेशिया पैमेन्ट करने के लिये हमने तो पहले ही शुरूआत कर दी थी, पर बेरी कमीशन के सामने यह सवाल उठाया गया कि एक्स-ग्रेशिया पैमेन्ट करके विटनैस को कमजोर कर रहे हैं इसलिये वह नहीं दिया जाना चाहिये। इसलिये उस समय रोकना पडा। उसे अब चालू करना पडा है। जो कुछ पेमेन्ट कर रहे हैं उसे हरेक माननीय सदस्य एड-हाक मान कर चलें। मुझे इस बारे में ऐतराज नहीं जिनकी मृत्यु हुई है जिनके परिवारों पर उससे असर हुआ है लिबरली उनकी सहायता के बारे में विचार करने की जरूरत है और विचार करना चाहिये भी, विचार किया भी जावेगा और हम इस बात को लेकर चलना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसको स्वीकार करें।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रस्ताव और मतदान प्रश्न यह है कि राजपाल महोदय को निम्न-लिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही 8 मार्च को प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 7 बजकर 30 मिनिट पर दिनांक 8-3-69 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची)

हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 68-69 में फसल वार तथा जिलेवार लक्ष्य एवं प्राप्ति की तालिका

		फसलवार लक्ष्य			धान	प्राप्ति			धान
क्रमांक	जिले का नाम	संकर बाजरा	संकर ज्वार	संकर मक्का	टी. एन.-1	संकर बाजरा	संकर ज्वार	संकर मक्का	टी. एन.-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	11000	2000	2500	..	9943	831	1798	..
2.	अलवर	80000	1000	500	..	23277	35	264	..
3.	भरतपुर	50000	500	..	..	11100	353	..	1302
4.	जयपुर	75000	600	2000	..	22329	140	405	..
5.	सीकर झुन्झुनूं	22000	..	..	..	6832	..	..	..
6.	टौंक	2000	400	1000	..	9250	2459	693	..
7.	सवाई माधोपुर	5000	500	500	..	3480	243	137	..
8.	श्री गंगानगर	80000	..	..	..	17000	..	..	..
9.	हनुमानगढ	45000	..	..	..	10000	..	40	63
10.	चूरू बीकानेर	1000	..	..	..	1000	..	21	..
11.	बाडमेर	5000	..	..	..	4609	..	..	..
12.	जालौर	6000	600	100	..	5577	413	87	..
13.	जोधपुर जैसलमेर	20000	..	..	..	13500	..	..	..
14.	नागौर	6000	500	150	..	5649	299	151	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पाली	22000	1000	5000	..	23800	1000	4667	..
16.	सिरोही	9500	400	1800	..	6659	175	882	..
17.	बून्दी	..	2000	1000	4000	51	666	1037	3992
18.	झालावाड	..	950	2000	..	..	130	790	..
19.	कोटा	..	950	500	5000	32	315	757	6820
20.	बांसवाडा	..	..	10000	..	..	..	8750	..
21.	भीलवाडा	500	2500	15150	..	494	381	7422	..
22.	चित्तौडगढ	..	7000	10000	..	..	1204	8284	..
23.	डूंगरपुर	..	500	5000	1000	..	71	4468	..
24.	उदयपुर	..	..	20000	..	..	..	13318	..
	योग	450000	25000	75000	10000	174890	8720	53909	12182

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूची)

सूची परिशिष्ट (क)

झुन्झुनू जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. संतुलन चित्र 30 जून, 1967

दायित्व एवं लेनदारियां		परिसम्पत्ति एवं लेनदारियां	
हिस्सा पूंजी	56,320.00	बैंक में जमा	77952.46
ऋण राज्य सरकार	75,000.00	नकद शाखा में	71.47
प्रवेश शुल्क	3,907.00	नकद मुख्य कार्यालय में	1051.36
अनुदान	2,900.00	नकद शाखा में	143.50
अमानत	755.00	फर्नीचर	1,844.78
चैरिटी	103.69	एन. एस. सी.	500.00
अन्य देनदारी	2030.51	एडवान्स चीनी	53,440.00
शुद्ध लाभ	1624.40	स्टाक	129.36
		अन्य लेनदारी	1,759.83
		अन्तिम स्टाक	31,847.64
	168740.60		168740.60

अधिशासी अधिकारी,
झुन्झुनू जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि.,
झुन्झुनू।

ह. कालूसिंह,
हस्ताक्षर ऑडिटर

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची)

List of the plots auctioned by Municipal Council, Jodhpur Masuria Hill Forest Chowki on Chopasani Road, Jodhpur.

S.No.	Plot No.	Final bid. per Sqd.
1	2	3
		Rs. P.
1.	1	3.48
2.	2	8.00
3.	3	6.90
4.	4	3.50
5.	5	2.29
6.	7	6.90
7.	8	3.65
8.	9	2.00
9.	12	3.99
10.	18	1.83
11.	20	4.00

AUCTION OF PLOTS

U. I. T. Jodhpur.

LIGH Scheme —3 (Extension) *Date* 31-7-1966 *and* 26-12-66.

S.No.	Plot No.	Final bid per sq. yds.
1	2	3
		Rs. P.
1.	6	56.00
2.	11	44.00
3.	13	34.00
4.	14	20.00
5.	15	17.00
6.	16	36.50
7.	17	35.00
8.	18	20.00
9.	19	40.00

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची)

जोधपुर-नागौर-बीकानेर मार्ग पर बस मालिकों की सूची मय बस सं. व मयाद सहित।

क्र. सं.	परमिटधारी का नाम	बस सं.		परमिट जारी होने की तिथि	तारीख मयाद
1.	श्री शंकरलाल पुत्र रामदास	आर. जे. क्यू.	2555	1-1-53	30-6-71
2.	"	"	2595	18-11-63	30-6-71
3.	"	"	2821	1-5-53	30-6-71
4.	"	"	3011	25-4-53	30-6-71
5.	मै. रणवीर ब्रादर्स, जोधपुर	"	2770	1-1-53	30-6-71
6.	"	"	2680	1-1-53	30-6-71
7.	मै. रणवीर मोटर्स, जोधपुर	"	8319	1-1-53	30-6-71
8.	श्री पेमसिंह	"	2918	1-1-53	30-6-71
9.	श्री नरसिंह पुत्र मंगलजी	"	3348	1-1-53	30-6-71
10.	"	आर. जे. एल.	7641	1-1-53	30-6-71
11.	श्री समीसिंह पुत्र छोगजी, जोधपुर	"	4576	1-1-53	30-6-71
12.	श्री संतोषसिंह पुत्र श्री जीवराज	"	7223	1-1-53	30-6-71
13.	श्री जयनारायण पुत्र जीवराज	"	4588	1-1-53	30-6-71
14.	श्री रामगोपाल पुत्र जेठमल	आर. जे. एन.	361	9-4-56	30-6-71
15.	श्री रामस्वरूप पुत्र रामगोपाल	आर. जे. एस.	434	1-1-53	30-6-71
16.	मै. लक्ष्मी मोटर कं., जोधपुर	आर. जे. क्यू.	2273	23-10-67	23-7-71
17.	" "	"	7403	22-11-67	13-9-71
18.	मै. जोधपुर ट्रान्सपोर्ट एसो.	"	3911	27-9-56	7-7-69
19.	" "	आर. जे. एस.	7	27-9-56	7-7-69

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 130 की सूची)

वर्ष 1968-69

क्रम सं.	पंचायत समिति का नाम	उन्नत गेहूं जो दिया गया एस. 227	एस. 308	कल्योनसोना	लरमोरोजो	कुल कीमत
1.	सेवर	174.40	..	19.86	..	56509.00
2.	कुम्हेर	50.00	..	9.60	..	18740.00
3.	डीग	148.40	..	33.00	..	58550.00
4.	कामां	110.09	1.40	23.75	..	43310.00
5.	नगर	103.40	..	1.20	..	26630.00
6.	नदबई	164.00	..	1.20	..	41780.00
7.	वैर	89.65	..	2.40	..	23072.50
8.	बयाना	102.40	..	2.80	..	27420.00
9.	रूपवास	93.80	..	4.00	51.84	31025.75
10.	बसेडी	30.80	..	2.10	..	8865.00
11.	बाडी	56.80	20.80	2.05	..	20732.50
12.	धौलपुर	122.40	10.00	23.40	..	39210.00
13.	राजाखेडा	138.00	4.86	1.00	..	38309.00
		1384.14	37.06	106.36	51.85	435053.75

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की सूची)

पर्यटकों की सूची

तालिका (क)

क्र.सं.	शहर का नाम	1964		1965		1966		1967		1968	
		विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी
1.	जयपुर	20549	28342	16404	256155	20407	30064	21000	44000	21500	45000
2.	जोधपुर	354	109649	711	115835	328	138703	300	150200	315	150700
3.	बीकानेर	105	14000	97	52520	80	52242	100	43200	110	43300
4.	चित्तौड	508	19406	250	22435	344	21000	200	27000	225	27200
5.	उदयपुर	2955	251716	37787	285172	3310	300000	6000	300100	6850	400100
6.	अलवर	706	5400	940	5372	805	5600	700	5000	715	5100
7.	भरतपुर	801	23232	899	26102	500	26201	300	34000	310	34200
8.	कोटा	525	23000	168	22300	160	20000	200	21000	210	21000
9.	बून्दी	448	10000	340	11510	202	12003	200	12000	215	12100
10.	माउन्ट आबू	879	59847	805	61125	1425	42347	600	44000	625	44200
		27822	544592	24401	627087	27561	648160	29600	1148500	31075	783000

Page No 158

योजनाओं पर व्यय का ब्यौरा

तालिका (ख)

क्र.सं.	शहर का नाम	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	67-68	कुल जोड
				(लाखों में)			
1.	जयपुर	0.54	1.26	2.33	0.15	0.55	4.83
2.	जोधपुर	0.15	0.21	0.15	0.11	0.45	8.07
3.	बीकानेर	..	..	..	..	..	..
4.	चित्तौडगढ	0.02	0.46	0.24	0.09	0.35	1.16
5.	उदयपुर	..	1.30	3.31	0.68	3.04	2.33
6.	अलवर	..	..	0.76	0.94	0.54	2.34
7.	भरतपुर	..	..	..	0.56	1.13	1.69
8.	कोटा	..	..	..	..	..	..
9.	बून्दी	..	..	..	..	..	..
10.	माउन्ट आबू	1.02	1.94	2.34	..	0.16	5.46
		1.73	5.17	9.13	2.53	6.32	24.88

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक, 6 मार्च, 1969)

कालम संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
1		2	माच	मार्च
2	अन्तिम से	8	अन्तगत	अन्तर्गत
,,	,,	7	म	में
3 से 7	शीर्षक		माच	मार्च
3	अन्तिम से	9	श्री कसरीसिंह हाडा	श्री केसरीसिंह हाडा
6		5	ह	है
,,		6	न	ने
15	अन्तिम से	9	ह	है
23	,,	10	मसिक	मासिक
30		7	ह	है
,,	अन्तिम से	4	मजिलस खां	मजलिस खां
33		17	खण्ड ( )	खण्ड (3)
30	अन्तिम से	14	माननीय	माननीय
45	,,	8	रामकुमार नन्द	रामकुमार नन्दवाना
47		13	केन्द्र के के	केन्द्र के
84		16	वि ाद	विवाद
86	शीर्षक		अग्र ार	अग्रहार
96		1	पंचायतों मयाद	पंचायतों की मियाद
,,	अन्तिम से	10	हां	यहां
,,	,,	9	हरि य। में हक	हरियाणा में हर एक
131 से 208 तक	शीर्षक		स्थगन प्रस्तावों पर-6 मार्च, 1969-अध्यक्षीय व्यवस्था	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण-6 मार्च 1969 पर-अग्रेतर वाद-विवाद
134	अन्तिम से	15	पेट	मेट
137		15	किलो प्रति	प्रति किलो
143	अन्तिम से	15	प्रबन्ध	प्रतिबन्ध
148		3	सैनिक हैं हैं	सैनिक हैं

Page No 160

1	2	3	4
156	15	डी . म्रार. जी,	डा . म्राई. जो.
158	3	2471	247
162	11	मात्र के के	मात्र के
181	13	बरी	बैरी
187	11	रिलक्स	रिलेक्स
,,	म्रन्तिम से 3	जसी	जैसी
195	,, 10	ह	है
199	,, 4	बात	इस
207	7	म्रापने	म्राप
211	म्रन्तिम से 8	है	हो
,,	,,	त्रियक्त	नियुक्त
219	,, 9 व 10	ढूंड	ढूंढ
223	2	क ई सलाहकार	कार्य सलाहकार
226	६	कान्ती	क्रान्ति
227	11	म	में
,,	म्रन्तिम से 10	ो	तो
228	4	मिलानी	मिलनी
229	11	दुदियां	दुनियां
234	4	ग्राम	मामा
241	1	श्री लादराम सलानियां	श्री लाद्दराम सुलानियां
,,	म्रन्तिम से 14	क लंब	के सम्बें
,,	,, 8	ाकतना	कितना
,,	,, 4	नमना	नमुना
,,	,, 3	दानों की बातें नहीं है	
242	12	खला	खुला
,,	15	स	से
,,	16	मल्य मंत्री	मुख्य मंत्री
,,	17	कनारे	किनारे
,,	18	हत्याय	हत्यायें
,,	म्रन्तिम से 14	मल्जिमान	मुस्लिमान
,,	,, 13	म	में
,,	,, 11	स	से

1	2	3	4
247	शीर्षक	मा त	मार्च
,,	8	अनचित	अनुचित
251	अन्तिम से 6	उमक	उनके
,,	,, 3	लग	लगा
256	3	इयरमाक	इयरमार्क
257	16	ह	है
258	4	महादय	महोदय
,,	अन्तिम से 9	नता डकैता क	नेता डकैतों के
,,	,, 6	छाट छाटे	छोटे छोटे
259	10	कह	कहा
262	शीर्षक	वादविाद	वादविवाद
269	12	श्री खतसिह	श्री खेतसिंह
283	अन्तिम	—अपना ेता	को अपना नेता
285	5	।देश	प्रदेश
301	शीर्ष	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
307	,,	परिशिष्ट 7	परिशिष्ट 6